FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 32, अंक 14

गुरुवार, 6 मार्च, 2003
15 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 55
Date 20/10/03

(खण्ड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 6 मार्च, 2003/15 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में	1-19
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221, 224 और 225	19-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 222, 223 और 226 से 240	31-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 से 2461	56-373
सभा पटल पर रखे गए पत्र	373-375
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	376
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
इकतीसवां प्रतिवेदन	376
विशेषाधिकारी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	376
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003	377
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001	377
सदस्यों द्वारा निवेदन	
एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के बारे में	377-381
रेल बजट — 2003-2004	
लेखानुदानों की मांगें (रेल) — 2003-2004	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) — 2002-2003	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) — 2000-2001	
श्रीमती संध्या बौरी	381
श्री राजो सिंह	384
चौधरी तेजवीर सिंह	385
श्री मानवेन्द्र शाह	387
श्री नीतीश कुमार	389-407

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित –

(एक) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2003

विचार करने के लिए प्रस्ताव 408

श्री नीतीश कुमार 408

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 408

खण्ड 2, 3 और 1 . . . 409

पारित करने के लिए प्रस्ताव 409

(दो) विनियोग (रेल) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 409

श्री नीतीश कुमार 409

खण्ड 2, 3 और 1 410

पारित करने के लिए प्रस्ताव 410

(तीन) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . 411

श्री नीतीश कुमार 411

खण्ड 2, 3 और 1 412

पारित करने के लिए प्रस्ताव 412

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 423

(दो) छत्तीसगढ़ में मुगेली-जबलपुर होते हुए बिलासपुर और मांडला के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 423

(तीन) बालाघाट और कान्हा के बीच सड़क के समुचित रख-रखाव हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल . . 424

(चार) बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 28क और राष्ट्रीय राजमार्ग 28ख को जोड़े जाने की आवश्यकता

डा० मदन प्रसाद जायसवाल 424

(पांच) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए धनराशि के आबंटन में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 425

(छह) राजस्थान में लूनी-बाड़मेर-मुनाबार रेल लाइन पर समपार के निर्माण हेतु धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी 425

(सात) पश्चिमी बंगाल के आसनसोल जिले में जमुरिया नगर-निगम और पंचायत तथा पांडेश्वर पंचायत समिति में रसोई गैस के बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी 426

(आठ) हैदराबाद में मुसी नदी में प्रदूषण रोकने हेतु राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला 427

(नौ) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाईल टेलीफोन सेवाओं को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 427

(दस) कारगिल विमानपत्तन पर वर्तमान हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री हसन खान 428

(ग्यारह) हिमाचल प्रदेश में शिमला और ज्यूरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के समुचित रखरखाव हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य 429

(बारह) हिपेटाइटिस-बी के टीके के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल 429

सामान्य बजट, 2003-2004 — सामान्य चर्चा

श्री शिवराज वि० पाटील 431

श्री वी० धनंजय कुमार 432

डा० बी०बी० रमैया 451

विषय	पृष्ठांक
श्री प्रकाश परांजपे	459
श्री मधुसूदन मिस्त्री	472
श्री किरीट सोमैया	481
श्री रघुनाथ झा	502
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	505
श्री खारवेल स्वाईं	507-514

लोक सभा

गुरुवार, 6 मार्च, 2003/15 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

1 - 19

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह संसदीय लोकतंत्र की पूर्ण हत्या है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेशसिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, हमने लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा उठाया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री रामजीलाल सुमन, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कुंवार अखिलेश सिंह, श्री रघुराज सिंह शाक्य, श्री राम विलास पासवान और श्री चन्द्रनाथ सिंह की ओर से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग में तथाकथित अनियमितताओं और इस निधि में से पार्टी के कोष में अंशदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा कथित निदेश के बारे में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस मुझे प्राप्त हुए हैं।

मुझे एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश के संबंध में श्री रूपचन्दपाल की ओर से भी नोटिस प्राप्त हुआ है। एक और नोटिस श्री जगमीत सिंह बराड़ की ओर से प्राप्त हुआ है। यह लश्कर-ए-तय्यबा द्वारा आतंकवादी हमले की धमकियों के संबंध में है।

मुझे श्री रामजीलाल सुमन, कुंवर अखिलेश सिंह और श्री रघुराज सिंह शाक्य की ओर से तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस उसी विषय पर प्रश्न काल के निलंबन के बारे में है।

अब आप सबको जानकारी है कि इस मुद्दे पर पिछले दो अथवा तीन दिन से चर्चा की जा रही है। जो कुछ वे कहना चाहते थे। सरकार ने कल एक वक्तव्य दिया था।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। जो कुछ वे कहना चाहते थे वे वक्तव्य दे चुके हैं। मुझे एक पत्र दिया गया था। मुझे पत्र प्राप्त हो गया है। उस पत्र पर मुझे यह कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य सभा में पत्र प्रस्तुत करना चाहते थे। श्री चन्द्रशेखर भी इस विषय पर बोले थे। मैं अपनी राय को कार्यवाही में सम्मिलित कराना चाहता हूं। श्री मुलायम सिंह ने भी इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति हेतु मुझसे अनुरोध किया था। मैं उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दूंगा।

अन्य नोटिसों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अन्य नोटिसों के बारे में मैं उन सदस्यों को 'शून्यकाल' के दौरान बोलने की अनुमति दे रहा हूं। श्री रूपचन्द पाल और जगमीत सिंह बराड़ के दो नोटिसों के बारे में मैं उन्हें 'शून्यकाल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव के इस नोटिस पर मैं श्री मुलायम सिंह को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। किन्तु इससे पहले वह बोलें मैं इस पर अपनी राय देना चाहता हूं। तत्पश्चात् वह बोल सकते हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 4 मार्च 2003 को प्रश्न काल के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि के बारे में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री की कथित टिप्पणियों का मुद्दा उठाए जाने की मांग की गई थी। इस मामले पर सभा में वक्तव्य देने के लिए सरकार को निदेश देने के लिए कुंवर अखिलेश सिंह द्वारा मुझसे किए गए अनुरोध पर मैंने टिप्पणी की थी :

> "संसदीय कार्य मंत्री ने सदस्यों की भावनाओं को सुना है संसदीय कार्य मंत्री इस मुद्दे पर सूचना प्राप्त करने का प्रयास करें। जो भी सूचना आपके पास हो, उसे आप 'शून्यकाल' के दौरान दे सकते हैं।"

संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन शून्यकाल के दौरान कहा था कि उन्होंने माननीय उप-प्रधान मंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा की

है और पूर्ण तथा प्राप्त करने के बाद वह अगले दिन सभा में वक्तव्य देंगे। कल माननीय उप-प्रधान मंत्री ने सभा को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री से पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने मुझ से निदेश मांगा था कि क्या इसमें दी गई जानकारी को सभा में बताना उचित होगा।

प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा की जा रही मांग पर कि इस पत्र को सभा पटल पर रखा जाए माननीय प्रधान मंत्री और पूर्व माननीय प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने यह विचार व्यक्त किया था कि उक्त पत्र सभा के पटल पर रखना उचित नहीं होगा। मैंने पत्र पढ़ा है जिसकी एक प्रति मुझे उप-प्रधान मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और मुझे विश्वास है कि इस पत्र की विषयवस्तु संवदेनशील प्रकृति की है। मैंने पिछले पूर्वोदाहरण के प्रकाश में इस मामले की जांच की है। कौल और शकधर के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार को सामान्यतया सभा पटल पर नहीं रखा जाता है। यह भी सुस्थापित है कि सरकार पटल पर दस्तावेज रखने हेतु बाधा नहीं हैं यदि सरकार इसे गोपनीय समझती है। अत: मैंने यह निर्णय लिया है कि इस मामले को समाप्त समझा जाए। अब श्री मुलायम सिंह बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी के बाद मुझे समय दीजियेगा।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का नोटिस 27 फरवरी को आपको दिया था। आपने कहा था कि जब राज्य से कुछ जवाब आयेगा, तब मुझे बोलने के लिये एलाव करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया। अगर सोमवार तक उत्तर नहीं आयेगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

मैं सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि मुझे सोमवार को उत्तर नहीं मिलता और सोमवार, आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो आप मंगलवार के लिए कह सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने और अपनी बात रखने का अवसर दिया। हालांकि में विधान सभा का सदस्य नहीं हूं लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठे हैं, फिर भी मैं अपनी बात बाद में रखना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति गम्भीर है। उ०प्र० की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। वहां एक ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी गई है कि पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में कल जो कुछ हुआ, समाचार-पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ लिया होगा कि विपक्ष के नेता को 2 बजे तक बोलने नहीं दिया गया। फिर भी मैं इस मामले में विधान सभा के स्पीकर महोदय को बधाई देता हूं कि उनकी भूमिका कल अच्छी रही है। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्या हुआ

[अनुवाद]

क्या इस पर चर्चा की जा सकती है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संविधान के अन्तर्गत सदस्यों के अधिकारों में बाधा डाली गई है। संविधान को विफल किया गया है। इसे पढ़िए *(व्यवधान)* यह आतंकवादी हमले से खराब है। संविधान को विफल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इन लोगों ने संसद की मर्यादा का मजाक बनाया हुआ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या राज्य विधान सभा में हो रही किसी घटना पर यहां चर्चा की जा सकती है?

[हिन्दी]

उनके स्पीकर ने क्या किया *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी ये लोग बहस नहीं होने देंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस बात पर कल बी०जे०पी० विधायक असंवैधानिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हुये लेकिन माननीय मलहोत्रा जी आज जो कुछ कह रहे हैं, आप थोड़ा उन्हें निर्देशित करिये।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्या हुआ यहां इस मुद्दे पर चर्चा न करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह देखेंगे कि सभा की कार्यवाही में बाधा न पड़ें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। संविधान की रक्षा करने का सब से पहला उत्तरदायित्व संसद का है लेकिन संविधान की रक्षा विधान सभा नहीं कर रही है, इसलिये यह सवाल आपके सामने उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में बहस हो रही है, जो कुछ कहना है, वहां कहिये लेकिन मैं विधान सभा का सदस्य नहीं हूं, अत: मैं अपनी बात वहां नहीं रख सकता; मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वहां कुछ बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया और विपक्ष को 2 बजे तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार वहां स्पीकर महोदय ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई है, उन्होंने कहा कि जब इस तरह का असंवैधानिक काम हो रहा है, मैं इस में शामिल नहीं हूं। विपक्ष ने केवल 10 घंटे की बहस मांगी थी और वे 10 घंटे की बहस के लिये तैयार थे। उत्तर प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव पर 8 घंटे से कम की बहस कभी नहीं हुई, ऐसा लोक सभा में भी नहीं हुआ।

केवल इतना सवाल था। मुख्य मंत्री ने कहा कि हम किसी कीमत पर बहस नहीं चाहते। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर बहस नहीं चाहते हैं तो मैं आसन पर नहीं जाऊंगा। यह कितनी गंभीर बात है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी और जब मुख्य मंत्री ने ज़िद की कि हम बहस नहीं चाहते तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर नहीं गए और एक अधिष्ठाता गए जिन्हें, यहां सभापति कहते हैं। खबर यहां तक है, सच है या गलत है, हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है और उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी घर से मंगवा ली।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या त्रिपाठी जी ने?

श्री मुलायम सिंह यादव : जी, हां। त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन असंवैधानिक काम में शामिल नहीं होऊंगा, न मैं अपने आसन पर जाऊंगा क्योंकि हम बहस चाहते हैं। विपक्ष अगर बहस चाहता है और इतनी बड़ी विधान सभा है — 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे की बहस होनी चाहिए चाहे 6 घंटे की ही हो बहस हम कैसे रोक सकते हैं? विपक्ष के नेता को विधानसभा में 1 बजे तक बोलने नहीं दिया। यह गंभीर स्थिति है तथा असंवैधानिक है। हम जानना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी या मल्होत्रा जी से कि यह सवाल कहां उठाया जाए? जब विधान सभा में बोलने नहीं दिया जाएगा और लोक सभा में मल्होत्रा जी प्रतिबंध लगाएंगे, तो आप इस असंवैधानिक काम में, पाप में क्यों शामिल हो रहे हैं? मुझे खुशी है कि आपके विधायक इस पाप में शामिल नहीं थे। जब विपक्ष के नेता खड़े होते थे तो केवल बी०एस०पी० के सदस्यों ने उन्हें बोलने से रोका, उनके किसी सहयोगी दल के सदस्य ने यह काम नहीं किया क्योंकि वे मुख्यमंत्री से असंतुष्ट थे। सभी बहस चाहते थे। लेकिन मुख्य मंत्री को डर था और डर सही था, मैं नाम नहीं लूंगा मगर कई दलों के लोग मुख्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास के समर्थन में मतदान करने वाले थे और शायद विधान सभा में सरकार गिर जाती। उनको पता था।

तीसरी बात है कि क्या मुझ पर आरोप लगाकर मुख्य मंत्री, निर्दोष साबित हो जाएंगी? जो भी कैसेट है, वह आपके सामने है। आपने उसे देख लिया होगा। मुख्य मंत्री को हटाकर उस कैसेट की सी०बी०आई० से बाकायदा जांच होनी चाहिए यह हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि हम पर आरोप लगाकर क्या मुख्य मंत्री निर्दोष साबित हो जाएंगी और हमारे ऊपर विवेकाधीन निधि का सवाल लगाया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर हमारे खिलाफ सीएजी से जांच कराई गई। सीएजी ने मुझे ईमानदार साबित कर दिया, इस बात की मुझे खुशी है और हाई कोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। उसके बाद कल्याण सिंह जी और इसी मुख्य मंत्री ने मेरी जांच कराई। उसके बाद भी हम निर्दोष साबित हुए। चौथी बात यह है कि विधान सभा ने यह मामला पारित कर दिया।

मैं कहना चाहता हूं कि हम अपना जबाव उ०प्र० विधान सभा में नहीं दे सकते हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, कम से कम देश तो जाने कि विवेकाधीन निधि के मामले में हाई कोर्ट ने, सी०ए०जी० ने और दोनों मुख्य मंत्रियों ने जांच कराकर क्या कहा। वह विधान सभा में पास हो चुका है। उसके बाद जांच कराकर जो पत्र लिखा है वह केवल मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से लिखा गया है? आज हम जानना चाहते हैं कि सी०बी०आई० की जांच कराने में क्या आपत्ति है? सवाल यह है कि अल्पमत की सरकार का प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी समर्थन क्यों कर रहे हैं, बचाव क्यों कर रहे हैं? आप बहस नहीं कराएंगे, लेकिन हम सब बोलना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से यह असंवैधानिक काम हो रहा है। उ०प्र० में अल्पमत की सरकार है। उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा जांच करानी चाहिये। क्या लालू जी पर अकेले सी०बी०आई० की जांच होगी, उनको ही जेल में डाला जाएगा? क्या जार्ज फर्नान्डीज़ का ही इस्तीफा लिया जाएगा? रातों रात इस्तीफा लिया जाएगा? हमने

तो नहीं लिया था, आपके प्रधान मंत्री जी ने लिया था। आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंगारु लक्ष्मण को इसी बात पर हटा दिया। हम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में रक्षा मंत्री थे लेकिन हमने लालू जी को राय देकर इस्तीफा लिया था। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अगर नहीं देती हैं तो आज आपको वहां मंत्रिमंडल को बरख्वास्त करना चाहिए जिसमें पूरा पक्ष और विपक्ष आपका साथ देगा। इस मामले की सी०बी०आई० द्वारा जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि जो दोषी हैं और भ्रष्ट पाए गए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा लांघी है, इतनी लूट-खसोट हो रही है और खुलेआम जो सांसद निधि है, सरकारी खजाने का धन है, आप उसको कैसे लूटते चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं। वहां 70 हजार करोड़ रुपया विकास के लिए गया, जो केवल तनख्वाह में चला गया और तनख्वाह के अतिरिक्त मंत्रियों की अय्याशी में लगा। उसके बाद पैसा पार्कों में लगा दिया। एक रुपया भी विकास के कार्मों में नहीं लगा। 92 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़ने के माने हैं कि हिन्दुस्तान पिछड़ जाएगा। आज वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल होगा, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। प्लीज, बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रधान मंत्री पर पूरा विश्वास है,* *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के विरुद्ध क्या इस प्रकार से सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं? *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि वे इस सवाल को गम्भीरता से लेकर, सी०बी०आई० से जांच करा कर, ऐसी मुख्य मंत्री को बर्खास्त करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी के विरुद्ध मुलायम सिंह जी ने जो टिप्पणियां की हैं वे रिकार्ड वे रिकार्ड से निकाल दी जाएंगी।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मल्होत्रा जी मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी डूबेंगे। आने दो अगले चुनावों को, साल, डेढ़ साल रह गया है, आपको पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस को भगवान ने सद्बुद्धि दी, तो आप बुरी तरह हारेंगे। *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, बैठिए। मुझे प्रश्न-काल प्रारम्भ करना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि वे इतने बेईमान एवं भ्रष्ट मुख्य मंत्री का बचाव न करें बल्कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करें। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जिस मुख्य मंत्री को मुलायम सिंह जी भ्रष्ट समझें, क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बर्खास्त कर दे या उसके विरुद्ध सी०बी०आई० की जांच कराए? *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० की मुख्य मंत्री के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी सुनना है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो घटना घटी, वह हिन्दुस्तान में आजादी के बाद पहली घटना होगी। *(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय,' सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें अभी तक उनको ईमानदार घोषित नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से ही की जाती है। *(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में विधान सभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया है और ये यहां मर्यादा की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रहलाद सिंह पटेल जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। इस समय मेरे समाने छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो घटनाएं घटी हैं, आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी शर्मनाक घटना शायद कभी नहीं घटी होगी। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होनी थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा का नियम है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के

चार दिन बाद वोटिंग होनी चाहिए और धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन कल अचानक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पीठासीन अधिकारी को बैठा कर जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराना मंजूर किया था, कल उस पर बहस होनी थी। शाम को 5 बजे सारे विपक्ष के नेता स्पीकर साहब से मिले और उनसे आग्रह किया कि इस बहस पर कम से कम आठ घंटे बहस के लिए निश्चित किए जाएं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराने के लिए समय जरूर दिया जाएगा, लेकिन आठ घंटे दिए जाएंगे या छः घंटे दिए जाएंगे, यह उन्होंने निश्चित नहीं बताया, लेकिन यह आश्वासन जरूर दिया कि पहले बहस होगी, फिर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मतदान कराया जाएगा।

महोदय, अचानक शाम को पीठासीन अधिकारी को बैठाकर जिस प्रकार से ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कराया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराया गया और सारे के सारे बजट को पारित करा लिया गया, वोट आन एकाऊंट पास करा लिया गया, वह शर्मनाक स्थिति है। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश को क्या संदेश जा रहा है, हमारे देश की डैमोक्रेसी क्या इस तरीके से चलेगी?

मैं माननीय मुलायम सिंह जी की बात से आधा सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश के स्पीकर महोदय इससे सहमत नहीं थे और वे चले गए, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। धमकी देना अलग बात है। यह बात सही है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में यह सब नहीं होने दिया और वे चले गए, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष इस्तीफा दे देते, तो ऐसी जालिम और बरबर सरकार को कल ही इस्तीफा देना पड़ता और देश में लोकतंत्र बच जाता।

महोदय, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में जो बातें माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कोई शोरगुल नहीं किया और वे असहत थे, लेकिन अगर वे यह कहते कि यह असंवैधानिक है और यह बात वे सब मिलकर स्पीकर से कहते कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारे देश में लोकतंत्र बच जाता और ऐसी जालिम सरकार बर्खास्त हो जाती। महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह सत्तारूढ़ दल की बात नहीं है, इससे पूरे देश में जो संदेश गया है, आम जनता में चर्चा हो रही है कि शायद आने वाले समय में हमारे देश में संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। जब तक इस सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल, मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए कि सभा के अविश्वास प्रस्ताव पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा कर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वहां असेम्बली में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर आपका एडजर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जी, सर।

अध्यक्ष महोदय : आपका एडजर्नमेंट मोशन इस विषय पर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वहां बहस हो रही है। *(व्यवधान)* इसलिए हम खामोश होकर बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह नहीं कि असेम्बली में क्या हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके एडजर्नमेंट मोशन पर आपको बोलने की इजाजत दी है। आप उस पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, हम न असेम्बली में बोल पाएं और न लोकसभा में बोल पाएं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके एडजर्नमेंट मोशन पर आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, आप इस विषय की गंभीरता को देखें। *(व्यवधान)* इससे पूरे देश का कितना नुकसान हो रहा है। *(व्यवधान)* महोदय, सारा सिस्टम चरमरा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किए बगैर देश की जनता को सही संदेश नहीं जाएगा। देश के संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०एच० पांडियन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, कृपया आप बैठ जाइए। मैं पिछले तीन दिनों से आपको इस विषय पर बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, सदन का काम चलाना है या नहीं? मैंने आपके नेता को इजाजत दी और उन्होंने इस विषय पर बोला है। सभी के सामने विषय आ गया है। शिवराज वि० पाटील जी भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। आपका विषय महत्व का है या आपका खुद का बोलना महत्व का है। कृपा कर आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा० पी०टी० जयललिता हताश और दुःखी थीं और उन्होंने 3 मार्च, 2003 को अपनी वेदना तब व्यक्त की, जब खुले समुद्र में रामेश्वरम बेस की 23 नौकाओं पर सवार 75 मछुआरों पर हमला किया गया। श्रीलंका के मछुआरों ने तमिलनाडु के मछुआरों पर हमला किया और बाद में श्रीलंका की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट श्री पांडियन जी। मैं आपको अनुमति दूंगा। श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाये गये मुद्दे पर श्री शिवराज वि० पाटील और श्री सोमनाथ चटर्जी बोलना चाहेंगे। मैं उन्हें बोलने की इजाजत दूंगा और फिर आप बोल सकते हैं।

श्री के० मलयसामी (रामनाथपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संसदीय क्षेत्र, रामेश्वरम का प्रतिनिधि हूं। अतः मैं बोलूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि राज्य विधान सभा में जो घटित हो, उस पर सभापटल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं याद रखूंगा और अपनी बात कहूंगा।

महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस पर चर्चा होनी चाहिये थी और राज्यपाल को धन्यवाद देने वाला संकल्प पारित कर दिया जाना चाहिये था। यदि संकल्प पारित नहीं होता, तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। बजट प्रस्तुत किया गया। फिर कटौती प्रस्ताव दिये जा सकते हैं। यदि एक रुपये का भी कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। एक विपक्षी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिये थी। इसपर न केवल चर्चा ही होनी चाहिये थी, अपितु इस पर मतदान भी होना चाहिये था। तत्पश्चात् मतविभाजन द्वारा यह पता लगाया जाना चाहिये था कि सभा में पर्याप्त संख्या में सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। ने सभी मुद्दे संविधान की मूल बातें हैं। यदि सभा में ही संवैधानिक उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या यह संविधान का विफल होना नहीं है?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बिल्कुल ठीक।

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि यह संविधान का विफल होना है तो क्या संसद में बैठे हम लोग वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये सरकार से नहीं कह सकते?

तकनीकी आधार पर वहां की घटनाओं पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। यदि हम उत्तर प्रदेश और वह की राज्य विधायिका में संविधान की विफलता पर चर्चा नहीं करते तो हम संविधान की संरक्षा नहीं कर सकते, वहां कानून का शासन नहीं होगा और हम वहां कहीं भी कानून का शासन स्थापित नहीं कर पायेंगे जहां सत्ता में बैठे लोगों द्वारा मनमाने निर्णय लिये जाते हैं।

यह विवादास्पद बिन्दु है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यदि सर्वोच्च संस्था संसद इस बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो इनमें से किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखना बहुत कठिन होगा। यदि कार्यकारणी कोई गलती करती है या विधायिका कोई गलती करती है और यदि वे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध जाते हैं तो इस मुद्दे पर सभा में चर्चा होनी चाहिये और यह संविधान की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस सरकार को समुचित कार्रवाई करने के लिये कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील क्या आप इसके लिये किसी तरीके का सुझाव देंगे?

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, प्रस्ताव यह हो कि उत्तरप्रदेश में संवैधानिक तंत्रविफल हुआ है और इस प्रस्ताव पर सभा में चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करे। कार्यमंत्रणा समिति तिथि नियत करे। तभी मैं समझ सकता हूं। लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर और प्रश्न काल का समय उसमें लगाना उचित नहीं होगा।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव ला सकते हैं और कार्यमंत्रणा समिति को इसे स्वीकार करने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं माननीय मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं। महोदय, मैं स्वयं हर बार रेखा लांघने के खतरे की बात उठाता रहा हूं। लेकिन महोदय, मैं यहां इस सभा में घटित घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। महोदय कृपा करके आपने सरकार से अनुरोध किया या इसे सलाह दी कि यदि इसे धनराशि उपयोग के संबंध में कुछ कहना है तो वह कल या परसों की घटनाओं की जानकारी दे।

माननीय प्रधान मंत्री की मौजूदगी में माननीय उप प्रधानमंत्री ने आकर कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र में कुछ ऐसी बातें मिली हैं। जिन्हें नहीं पढ़ा जाना चाहिये। इसलिये उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। लेकिन वहां उत्पन्न स्थिति या बन रही स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। केन्द्र सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है? भारत की संसद द्वारा आवंटित धनराशि का कठित तौर पर पर उपयोग नहीं किया गया है आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं।

इस सभा के बहुत माननीय सदस्य और हमारे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। क्या हम इसलिये चुप बैठे रहें कि यह किसी राज्य का मामला है? मैं राज्य की गति-विधि पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन संसद तो इस मामले में पहले ही शामिल हैं। इसलिये आपके पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में यह माननीय प्रधनमंत्री, और उप प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य है कि वे हमें बतायें कि वहां उत्पन्न स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैं वहां की घटनाओं पर अपना निर्णय देने के लिये नहीं कह रहा हूं। श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा है। उन्होंने जो कहा है, यदि यह सच है और यदि उन्होंने कहा है, तो मैं इसे सच मानता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने सभा की अध्यक्षता से इंकार कर दिया और इस मामले पर यहां चर्चा की जरूरत है। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जो मामला शिवराज पाटील ने उठाया है संविधान की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, समेत पूरे मामले पर सरकार की ओर से बयान आये। अत: सभा को विश्वास में लेना सरकार हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं भी खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कब खड़े नहीं होते हैं, कम से कम मुझे यह तो बताइये।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जब इस विषय पर कोई मोशन आये, आपने कहा कि तब एक स्ट्रक्चर डिबेट हो सकती है। ऐसे मामलों पर स्ट्रक्चर डिबेट हो जाये, यह बिल्कुल मुनासिब बात है। टेप का मामला आया, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। उसके बारे में सभी को अपनी-अपनी राय रखने का अधिकार है। परन्तु जो बात यहां कही जा रही है कि अगर किसी जगह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है तो उसे देखने का कोई तरीका तो होगा। हमने अपनी पार्टी के तीन एम०पीज० वहां जाकर पता करने और रिपोर्ट देने के लिए वेस्ट बंगाल में भेजे, क्योंकि वहां बलात्कार हुए, वहां पर रेप हुए। वहां से आकर उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहां कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है, उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दीजिए — क्या हम सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं? इसी बात पर उन तीनों के खिलाफ वहां की गवर्नमेंट ने धारा 144 में, मैं केवल प्रक्रिया का जवाब दे रहा हूं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट ने उन एम०पीज० के खिलाफ केस कर दिया, जो तीन मैम्बर वहां गये थे। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : तब क्या आप लोग वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे? *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : बिहार में टोटल कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन है। कोई झगड़ा चाहे बिहार में हो या दूसरी जगह हो, मैं अपोजीशन से पूछना चाहता हूं, अगर आप यह कह दें कि किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के चार्जेज होने पर सैण्ट्रल गवर्नमेंट सी०बी०आई० को केस दे दे, अगर ये प्रिपेयर्ड हों और कहें कि जिस किसी के खिलाफ चार्जेज हैं, सीधे सी०बी०आई० को वह केस दे दें, चाहे वह वीरभद्र सिंह जी का हो या किसी अन्य का हो, क्या वे इसके लिये तैयार हैं? ये चाहते क्या हैं कि जो इनको सूट करता है, उसे तो कर दो। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यही आपने बिहार में किया है। (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गम्भीर मामला है, इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके बावजूद विजय कुमार मल्होत्रा जी ऐसी बात कह रहे हैं। हम सी०बी०आई० जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे तथ्य आपके पास हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, प्लीज सुनिये, मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, मैं आपसे और अखिलेश जी से कहूंगा कि आपको बोलने का जितना अधिकार है, उतना अधिकार मल्होत्रा जी को भी है। आपको यदि वह पसन्द नहीं है, वे जो पाइंट बात रहे हैं, यह ठीक है कि एक जैसा कानून सभी के लिए हो, इसमें क्या गलत बात है।

[अनुवाद]

जो बात वे उठा रहे हैं, वह ठीक है। सभी मुख्यमंत्रियों के लिये भी नियम बनें।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं केवल प्रमुख विपक्षी दल से पूछ रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वही कानून का शासन है।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अभी शिवराज वि० पाटिल जी ने यह बात कही कि अगर कहीं कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाये तो क्या यह हाउस चुपचाप रहेगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो क्या उस मामले को हम सी०बी०आई० को भेज दें, क्या हमें यह पावर है और हमें ऐसा करना चाहिए? अगर वहां या किसी और जगह इस तरह की बात हो, जो इनको सूट करता है, वह तो सरकार यहां कर दे और जो सूट नहीं करता हो, उसे न करें। सारे लीडर्स के साथ बैठकर आप तय करिये कि हाउस में क्या डिस्कस होगा, क्या नहीं होगा।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैं भी इस सब्जैक्ट पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोला कि मैं आपको इजाजत दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो इस विषय पर चर्चा तो चालू रहेगी, लेकिन जिनके नोटिस नहीं हैं, उनको मैं इजाजत नहीं देना चाहता। वे लोग जीरो ऑवर में बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने 3 मार्च 2003 को अपनी वेदना व्यक्त की थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। यह क्वैश्चन डिस्पोज ऑफ होने के बाद, मैं क्वश्चन ऑवर ही शुरू करूंगा। जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है, वे शून्यकाल में बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन रोज से उत्तर प्रदेश का सवाल उठ रहा है। यहां सवाल उठाया गया कि यू०पी० के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है, जो टेप में रिजर्व है, कि तमाम माननीय सांसदों को इतना देना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने इस सदन का अपमान किया है। उस पर यहां विचार होना चाहिए। इसी सिलसिले में गृहमंत्री जी ने कहा कि मैं बयान दूंगा और कल ही पोस्ट ऑफिस की तरह एक चिट्ठी लेकर वे चले आये और वही बयान पढ़ा। यह उन्होंने डाकिया वाला काम किया। *(व्यवधान)* सरकार को इसमें निर्णय देना चाहिए। *(व्यवधान)* उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि विधान सभा में वह बहस हो जायेगी, इसलिए यहां बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन विधान सभा में भी बहस नहीं हो पाई और कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया। इसीलिए अब सदन में या लोक सभा में वह सवाल नहीं उठेगा तो फिर क्या संवैधानिक प्रावधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं, इस पर सदन में विचार नहीं होगा तो कहां विचार होगा। यह तमाम सदन के आपमान का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन का मामला है। इस पर सरकार निर्णय करे, नहीं तो सदन में पूरी बहस कराई जाये।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के नोटिस हैं। हम लोगों का कार्यस्थगन प्रस्ताव है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिये। मैंने राशिद अलवी जी को इजाजत दी है, आप उनको सुनिये।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष जी, मैं इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने बहुत ठीक बात कही है कि अगर कोई अन-कांस्टीट्यूशनल काम हो रहा है तो उसका कोई प्रोवीजन होना चाहिए। लेकिन अभी मुलायम सिंह जी ने असेम्बली के स्पीकर की, कल की घटना के लिए बहुत तारीफ की। *(व्यवधान)* स्पीकर ने यू०पी० असैम्बली के लिए स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो बोलने के लिए लाउड-स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स हैं, उनको छोटा करवा दिया है, शीशे के टेबल्स को हटवा दिया है ताकि कोई मार न सके। ये तमाम इन्तजामात किए हैं ताकि वहां आपस में मारधाड़ न हो सके। यह स्पीकर का ही स्टेटमेंट है। यह मारधाड़ का खतरा किन एम०एल०एज० से था, यह स्पीकर से पूछ लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : पूछ लिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : यू०पी० के अंदर मेरी जानकारी के मुताबिक जो यू०पी० की मुख्य मंत्री ने कहा, वह डिसकशन के लिए तैयार थीं और वोटिंग के लिए भी तैयार थी लेकिन इस तरह के हालात

असेम्बली के अंदर कर दिये गये हैं कि उस असेम्बली को कोई चलाना नहीं चाहता। *(व्यवधान)* मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इनके रवैये से, जैसा ये लोक सभा में करते हैं, अन्दाजा कर लीजिए कि असैम्बली में क्या करते होंगे? *(व्यवधान)* इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें बताने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से आपका दृष्टिकोण हमारे सामने आया है। आप जब यहां नहीं थे तो पूरे तीन दिन आपके दोनों सदस्य यहां बोल रहे थे और यही विषय वे आज रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ नियमन करना चाहिए। ये दोनों बोलना चाहते हैं। दोनों के नोटिस हैं। मैं उन्हें ज़ीरो ऑवर में इजाजत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी यह प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : धन्यवाद। तीसरी बार मेरा नाम पुकारा गया है। महोदय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और मुझे यह जानकर हताशा और दुख हुआ कि श्रीलंका की पुलिस ने रामेश्वरम के 23 नौकाओं पर सवार 76 मछुआरों पर 3 मार्च 2003 को हमला किया गया। श्रीलंकाई मछुआरों ने तमिलनाडु के मछुआरों पर खुले समुद्र में हमला किया और बाद में वे श्रीलंका पुलिस की हिरासत में रहे।

महोदय करीब 58 मछुआरे मन्नार पुलिस थाने में हैं और श्रीलंकाई मछुआरों के हमले में घायल हुये बाकी 18 मछुआरों को श्रीलंका के विभिन्न आस्पतालों में भर्ती किया गया है। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की सरकार ने उत्तरी श्रीलंका समुद्र में श्रीलंका के मछुआरों द्वारा मछली मारने पर लगा प्रतिबंध उठा लिया है।

महोदय श्रीलंका के मछुआरे अपने हाथ में कानून लेकर तमिलनाडु के मछुआरों पर हमले करते हैं। मछली मारना तमिलनाडु के मछुआरों की आजीविका है।

महोदय, विचलित करने वाली इस रिपोर्टों के मिलने पर विशेषकर तमिलनाडु के लोगों की ओर से डा० जयललिता ने भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के साथ मामला उठाने के लिये इसे कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायुक्त के साथ इस मामले को उठाया। महोदय, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप के लिये कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखा ताकि श्रीलंका सरकार द्वारा गिरफ्तार, हिरासत में रखे गये सभी मछुआरों को तुरन्त रिहा किया जा सके।

यही सही समय है जब श्रीलंका सरकार तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को माने। इस संबंध में श्रीलंका के उच्चायुक्त ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

अत: उन्होंने श्रीलंका सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है।

महोदय, तमिलनाडु के लोगों विशेषकर मछुआरों की ओर से और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की ओर से, हालांकि उन्होंने कल भारत सरकार को एक पत्र लिखा है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह श्रीलंका सरकार से उन्हें तुरन्त छोड़ने के लिए कहे, इन मछुआरों की तुरन्त रिहाई के लिये अनुकूल माहौल बनाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजयन मुझे इस पर शून्य काल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं अन्य सदस्यों के साथ आपको 'शून्य काल' के दौरान अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य।

श्री ए०के०एस० विजयन (नागापट्टिनम) : महोदय, तमिलनाडु में रामेश्वरम से 42 से भी अधिक मछुआरों का अपहरण किया गया था। नागापट्टिनम जिले से भारी संख्या में मछुआरों को श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंका नौसेना द्वारा 100 से अधिक मछुआरों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया था। मछुआरों की हिरासत और पोतों को जब्त किए जाने से तटवर्ती क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था।

हम डी०एम०के० के सदस्यों को इस संबंध में भारी आपत्ति है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले के स्थायी समाधान हेतु उचित कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी इससे सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : नागापट्टिनम जिले के बड़ी संख्या में मछुआरों को श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर का नाम भी इससे सम्बद्ध किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ए०के०एस० विजयन : महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। धन्यवाद *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, उन्हें एक मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

वह सबसे फिट व्यक्ति होने का दावा करते हैं। मेरा कहना है कि सभी माननीय सदस्य फिट व्यक्ति हैं। इसलिए, कृपया इस तरह की बात मत कीजिए। हम सब बराबर हैं *(व्यवधान)*

श्री के० मलयसामी : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी इससे सम्बद्ध किया जाएगा। हमे प्रश्न काल शुरू करना है। मैं आपको 'शून्य काल' में अनुमति दूंगा। आप बोलने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

पूर्वाह्न 11.41 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

19-28

"रेलनीर" की पेकेजिंग और विपणन

*221. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री भास्करराव पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बोतलबंद पानी "रेलनीर" की पेकेजिंग और विपणन का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) ने रेलनीर के नमूनों को मंजूरी दे दी है;

(घ) क्या रेलवे ने दिल्ली और अन्य स्थानों में बेचे जा रहे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित लोकप्रिय ब्रांडों के बोतलबंद पानी में अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों के पाए जाने के संबंध में समाचार पत्रों में छपे समाचार को देखा है;

(ङ) रेलवे द्वारा अपने मुख्य रसोई घरों में तैयार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों और प्लेटफार्मों पर बोतलबंद पानी की खरीद और बिक्री न रोक पाने वाले जोनल खान-पान प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(छ) रेलवे द्वारा अपने यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जांच की है और पानी के नमूने इकट्ठे किए हैं ताकि वह अपनी ओर से उनकी जांच कर सकें।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर और बेस किचन से गाड़ियों में सप्लाई किए जाने वाले खाने की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके लिए बेहतर क्वालिटी का कच्चा माल और ब्रांड वाले उत्पादों को ही इस्तेमाल किया जाता है, बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, बार-बार अचानक जांच और निरीक्षण आदि किए जाते हैं। इसके अलावा गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खानपान सेवाओं को समुन्नत करने और इनमें व्यावसायिकता का पुट लाने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की है।

(च) रेलवे में गाड़ियों और प्लेटफार्मों पर केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित बोतल बंद पीने का पानी ही सप्लाई किया जाता है।

(छ) वर्तमान नीति के अनुसार यात्रियों को केवल वही पीने का पानी सप्लाई किया जाता है जो भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप होता है। इसके लिए निरीक्षण किए जाते हैं और गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए नमूनों की जांच की जाती है। यदि नमूने की जांच विनिर्दिष्टयों के अनुरूप नहीं पाई जाती तो इस पर कार्रवाई की जाती है।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, इस देश के लोगों को अच्छा पानी, जो कि हर तरह से सुरक्षित और स्वच्छ हो प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि 3.5 मिलियन लोगों की हर वर्ष पानी संबंधी बीमारियों से मौत हो जाती है।

जहां तक भारत का सम्बध है तो रेल उपभोक्ता कुल बोतल बंद मिनरल वाटर का लगभग 20 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं। लगभग 30,000 उपयोग की गई मिनरल वाटर की बोतलें अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फेंकी जाती हैं। इसलिए, मंत्रालय को इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। 'रेल नीर' नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधे प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : हां, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

अब वक्तव्य में कहा गया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर पैकेजिंग और विपणन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसमें विलम्ब क्यों हुआ? आप उन निजी कंपनियों को अनुमति क्यों देते जा रहे हैं जो घटिया गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति कर रही हैं?

प्रेस में ऐसी रिपोर्ट हैं कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन किया है कि इन सब पानी की बोतलों में कीटनाशी अपशिष्ट होते हैं जो बहुत हानिकारक हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे इस परियोजना को कब शुरू करने जा रहे हैं?

आपने रेल मंत्रालय में कौन कौन से ब्रांडों को अनुमोदित किया है जो रेल उपभोक्ताओं के लिए बने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन ब्रांडों में हाल ही में प्रतिबंधित की गई इकाइयों द्वारा उत्पादित ब्रांड भी शामिल हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय मानक ब्यूरो महानिदेशालय ने आठ इकाइयों को प्रतिबंधित किया है लेकिन उनमें से कुछ रेलवे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी में शामिल हैं। इस संबंध में मंत्रालय क्या कदम उठाने जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलनीर में दिलचस्पी दिखाई है। जब 2002-2003 का बजट मैं प्रस्तुत कर रहा था, उसमें ही इस बात का मैंने उल्लेख किया था कि रेल यूजर्स को क्वालिटी ड्रिंकिंग वॉटर देने के लिए रेलवे ने अपने पी०एस०यू०-इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म डैवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए रेल नीर का प्लांट लगाने का निर्णय लिया जिसके जरिए रेलनीर रेलवे में सप्लाई किया जाएगा और यह रेलवे का एक्सक्लूसिव ब्रांड होगा। ऐसा हमने 2002-2003 में रेल बजट भाषण में कहा था और हम उसके अनुपालन में आगे काम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के पास एक प्लांट बनकर तैयार है। उसका वॉटर सैम्पल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में उसके टैस्ट के लिए एप्लाई किया जा चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसका निरीक्षण भी किया है, हमारे वॉटर का सैम्पल वे ले गये हैं और उन्होंने अभी तक उसके बारे में कोई रैस्पांस नहीं दिया है। हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी है। उनका जैसे ही क्लिअरेंस मिलेगा, हम उसकी मार्केटिंग के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। इन फैक्ट, हम फरवरी महीने में उसको लांच करना चाहते थे। इसी बीच में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरनमेंट के द्वारा कुछ फैक्ट्स रिवील किये गये और यह पता चला कि जितनी भी ड्रिंकिंग वॉटर बॉटल्स देश में हैं, उनमें पेस्टीसाइड्स लैवल ज्यादा है। इसे लेकर पूरे देश में चिंता प्रकट हुई है। ऐसा लगता है कि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड कई मामलों पर विचार कर रहा होगा। लेकिन जहां तक रेलनीर का सवाल है, हमने कई प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में अपने पानी का टैस्ट करा लिया है। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पानी यूरोपीयन स्टैंडर्ड में जो नार्म्स पालन किए जाते हैं, उनका पालन करें। इसके लिए हमने विदेश की एक एजेंसी से सम्पर्क स्थापित किया है और उससे सलाह ली है कि अगर इसमें पेस्टीसाइड का कंटेंट हो तो उसे कैसे कम किया जा सकता है। जो सलाह मिली, उसके हिसाब से हम और सुधार कर रहे हैं। इसके पहले बी०आई०एस० हमें कुछ कहे, हमारा इरादा है कि हम बैस्ट क्वालिटी का पानी रेल यूजर्स को रेलनीर के माध्यम से दें। इसमें हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। बी०आई०एस० का जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा, हम तत्काल यह उपलब्ध कराएंगे। हमारी इच्छा थी कि 17 फरवरी से संसद का अधिवेश शुरू हो रहा है, उसी दिन से सेंट्रल हाल में हर टेबल पर रेलनीर हो।

अध्यक्ष महोदय : बी०आई०एस० देरी क्यों कर रही हैं?

श्री नीतीश कुमार : बी०आई०एस० हमारे सेम्पल को ले गई है। उसको टैस्ट करके उसका रिजल्ड बताना है। हमारी तरफ से उनसे लगातार सम्पर्क किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह यथाशीघ्र रेलनीर जारी करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि बोतल में भरा जाने वाला पानी दूषित है। यह भू-जल स्रोत के कारण है और खेतों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के कारण है क्योंकि यह विशेष पानी दूषित है। यही रिपोर्ट है जो हमें प्राप्त हुई है। अब बी०आई०एस० की भी ऐसी ही विरोधाभासी रिपोर्ट है।

पहले एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें 12 विष-विशेषज्ञों तथा अनेक वैज्ञानिकों ने कहा था कि बी०आई०एस० द्वारा निर्धारित सभी मानदंड और मानक वास्तविक और पर्याप्त हैं। परन्तु उन्होंने इसमें पुन: संशोधन क्यों किया? यदि ऐसा है तो क्या आपकी परियोजना संशोधित किए गए मानकों के अनुरूप है? सरकार का क्या रवैया है। यूरोपीय संघ के विनिर्देशों तथा अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए आपको ''कैपिलरी प्रणाली'' नामक प्रणाली की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना में वर्तमान विनिर्देशों के अनुकूल ''कैपिलरी प्रणाली'' है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भू-जल पूरी तरह दूषित है जिसमें निश्चित तौर पर कीटनाशी होंगे और वह हानिकारक होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने बताया पानी के बारे में कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था है, खासकर जिसको इंटरनेशनली एक्रेडीटेशन बोर्ड आफ लेबोरेट्रीज का सर्टिफिकेट हासिल है, वह इंटरनैशनली रिकोग्नाइज्ड लैब है, उसका नाम एस०बी०एस० लैब है, इसमें हम लोगों ने अपने पानी की जांच कराई है। यूरोपीयन नार्म्स, जिनके बारे में सबको जानकारी है

[अनुवाद]

कुल कीटनाशी अपशिष्ट हेतु यूरोपीय मानदंड 0.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है जबकि एकल कीटनाशी अपशिष्ट की वैल्यू 0.1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।

[हिन्दी]

ये इनका यूरोपीयन नार्म है। इसके आधार पर हम लोगों ने अपने पानी का टैस्ट कराया है। हमारा पानी फर्स्ट क्लास का है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह ऐसा लगा कि वह 1.5 माइक्रोग्राम है, जिसे क्लोरफाईडीपास कहते हैं। उसके लिए एक एक्टीवेटेड कार्बन कालम होता है। हमारे प्लांट में वह एक्टीवेटेड कार्बन कालम लगे हुए हैं। इनके आधार पर हम लोगों ने विदेशी एक्सपर्ट्स से भी सम्पर्क किया, जिनको पेस्टीसाइड रिमूवल के लिए पानी में शोहरत हासिल है। वह मैसर्स नोरितो हालैंड है। उन्होंने कहा कि अगर कार्बन कालम बढ़ा दें, तो हम वह काम भी कर रहे हैं। इसलिए रेलनीर जब मार्केट में आएगा, तो वह दुनिया के किसी भी बैस्ट क्वालिटी के पानी का मुकाबला कर सकने में सक्षम होगा। यह बात दिमाग से निकाल दें कि जहां से, ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है, हम पानी ले रहे हैं, वह अगर कंटैमिनेटिड होगा तो, मैं कहना चाहता हूं कि जो इंटरनैशनली रिकोग्नीशन, इंटरनैशनली रिकोग्नाइज्ड लैब है, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, जितना इसमें आया है। यह हम लोगों के द्वारा अपनी तरफ से किया गया है। हम डिपेंड करेंगे बी०आई०एस० जो रिजल्ट देगी। बी०आई०एस० के फैसले का हमें इंतजार है। जैसे ही उसका फैसला आएगा, हम उसका पालन करेंगे। अपनी तरफ से हम यूरोपीयन नार्म्स का पालन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, कुछ ब्रांड हैं जिन्हें बी०आई० एस० द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भास्करराव पाटील : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने कहा कि रेलनीर का प्लांट लगाने जा रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम होगा कि देश में अनेक बॉटलिंग कम्पनियों के सर्टिफिकेट कैंसिल हुए थे क्योंकि उनके द्वारा जो वाटर बेचा जाता था वह बहुत सब-स्टैंडर्ड का था। मैं आपको बता दूं कि आज भी प्लेटफार्म और रेलवे में वही बोतले दी जाती हैं। क्या ऐसी बोतलें सप्लाई करना बंद किया जाएगा या नहीं क्योंकि रेल विभाग ने ऐसी बोतलें पहले से खरीद रखी हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलवे में दो तरह का काम है – एक डिपार्टमैंटल कैटरिंग यूनिट्स के लिए टैंडरिंग प्रोसैस है जो बी०आई०एस० द्वारा एप्रूव्ड है। जहां तक मुझे याद है, 14543 आई०एस०आई० मार्क की बोतलें लीं, जो ब्रांडिड बोतलें है, टैंडर के जरिए हम पानी लेते रहे हैं। इसके अलावा वैंडर्स और बाकी सब को इसकी इजाजत है कि वे बी०आई०एस० एप्रूव्ड कोई ब्रांड बेच सकते हैं। यह अभी तक की प्रेक्टिस है।

श्री भास्करराव पाटील : जब टैंडर निकाले थे, उस समय बी०आई०एस० ने उन बोतलों को कैंसिल नहीं किया था। टैंडर होने के बाद यह बात सामने आई।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी फर्स्ट सन्टैंस पर हूं। डिपार्टमैंट्ल यूनिट्स के लिए जो रेलवे की प्रक्रिया है, वह टैंडर के जरिए होती है और जो लोअस्ट टैंडर होता है, बी०आई०एस० मार्क के हिसाब से, हम उन्हें परचेज करते हैं, प्रक्योरमैंट करते हैं। बाकी सभी को बी०आई०एस० मार्क बेचने की इजाजत है। जो बी०आई०एस० द्वारा एप्रूव्ड नहीं है, उसे बेचने की इजाजत नहीं है। इतना होने के बाद भी हम अपनी तरफ से क्वालिटी चैक करवाते हैं। इसके बाद ही यह पाया गया कि सब इंतजाम होने के बावजूद

ठीक ढंग का बौटल्ड वाटर नहीं बिक रहा है। इसलिए हमने फैसला किया कि क्वालिटी वाटर सप्लाई करने के लिए हम अपना प्लांट लगा कर लोगों को दें। रेलनीर आ जाएगा तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।

श्री भास्करराव पाटील : वह जिस समय आएगा, उस समय देखेंगे लेकिन आज जो व्यवस्था है उसका क्या होगा? *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : इसे बी०आई०एस० जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक वह रेलवे में बिक नहीं सकता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपको जवाब मिल गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

*224. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत पेट्रोल पंप मालिक, डीजल और पेट्रोल में मिलावट करने के दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार मिलावट की जांच हेतु अपनाई जा रही जांच विधि से संतुष्ट है;

(ग) क्या इस मिलावट का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि लागत की तुलना में पेट्रोल और डीजल पम्पों को कम लाभ प्राप्त होता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित नियमों के अनुसार लागत की तुलना में लाभ का प्रतिशत कितना है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) डीजल और पेट्रोल में मिलावट करने के दोषी पाए गए पेट्रोल पम्प मालिकों का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या	मिलावट के पता लगाए गए मामलों की संख्या	प्रतिशत (%)
2000-2001	18366	257	1.4
2001-2002	18687	294	1.6
अप्रैल से दिसम्बर, 2002	19148	257	1.3

तेल कंपनियों ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/या डीलरशिप करारों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर दी है। इसके अलावा राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसके तहत जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के अधीन भी कार्रवाई कर सकती हैं।

(ख) जी, हां। तथापि, कम मात्रा में की गई मिलावट का प्रचलित प्रयोगशाला परीक्षणों, जो इसकी संवेदनशीलताओं से बाहर होते हैं; द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।

(ग) से (ङ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था (ए०पी०एम०) की समाप्ति के परिणामस्वरूप सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर डीलरों का कमीशन निर्धारित नहीं कर रही है, जो अब तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। तेल कंपनियों ने पिछली बार 1.11.2002 में डीलरों का कमीशन संशोधित किया था। इस संशोधन के अनुसार डीलरों का कमीशन पेट्रोल पर 613 रुपए/कि०ली० से बढ़ाकर 639 रुपए/कि०ली० और डीजल पर 365 रुपए/कि०ली० से बढ़ाकर 385 रुपए/कि०ली० कर दिया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं कुछ संतुष्ट हूं। मेरे प्रश्न के "ख" भाग के उत्तर में कहा गया है कि "मिलावट का प्रचलित प्रयोगशाला परीक्षणों, जो इसकी संवेदनशीलताओं से बाहर होते हैं, द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।" मुझे इस संबंध में यह कहना है कि मिलावट के इन पैमानों का, जिनको आप कहते हैं कि वे संवेदनशीलता से बाहर हैं, जो प्रयोगशालाएं संवेदनशील नहीं हैं, जिनके कारण मिलावट करने वाले लोग बच जाते हैं, आपने कहा कि सरकार ने जो तरीका अपनाया है कि पैट्रोलियम कम्पनियां अब इसे तय करेंगी, क्या ऐसी स्थिति में मिलावट को बढ़ावा नहीं मिलेगा? दूसरी बात यह है कि यदि वे प्रयोगशालाएं संवेदनहीनता की स्थिति में रहेंगी तो देश में मिलावटी पैट्रोल और डीजल मिलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बच नहीं सकता। इसे रोकने के लिए सरकार क्या करेगी?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मिलावाट रोकने का हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 में कुल मिला कर 886 मामले डिटैक्ट हुए।

हमने उस पर देश में काम करने के बाद 2001-02 में 2192 मिलावट के मामले डिटैक्ट किये गये हैं। जहां 1999-2000 में एक आदमी को टर्मिनेट किया गया, वहां 2001-02 में 30 लोगों को टर्मिनेट किया गया। इसलिये हम इस संबंध में सख्ती से काम कर रहे हैं। तीन साल पहले 297 लोगों को एक्सप्लेनेशन शोकॉज़ नोटिसेज़ दिये गये थे और आज 1484 लोगों को दिये गये हैं। जहां जहां जानकारी मिल रही है, उसे हम देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दूसरी सैंसिटिविटी की बात की है। हमने इसके लिये 23 मोबाइल लैब रखी हुई थी जिनकी हमने संख्या 23 से बढ़ाकर 50 कर दी है। जिस प्रकार से पेट्रोल इंडस्ट्री में एडल्ट्रेशन का कैंसर लगा हुआ है, उसे समाप्त करने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस में सदन का सहयोग चाहूंगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, यदि प्रयोगशाला संवेदनशील नहीं हों, आप कितना जोर लगा लें, उनकी चोरी पकड़ नहीं पायेंगे और उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। मैंने दूसरी बात यह कही थी कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर जो लाभ दिया जा रहा है, वह न्यूनतम है, और उनके सामने सिवाय काला बाजारी और मिलावट के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चोरी पकड़ने के लिये संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिये। अगर प्रयोगशालायें नहीं बढ़ायी गईं तो इसका कोई औचित्य नहीं है चाहे आप 20 हजार, 25 हजार प्रकरण पकड़ लें। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि केवल यह कह देना कि प्रति लीटर सरकार मूल्य निर्धारित नहीं करेगी, कम्पनियां स्वत: लाभांश तय करेंगी, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा जब प्रयोगशालायें संवेदनशील बनाई जायेंगी। क्या सरकार पूरी तरह से यह मामला तेल कम्पनियां पर छोड़ देगी या खुद सरकार इसकी मौनिटरिंग करेगी? प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना उतना जरूरी नहीं है, उनकी संवेदनशीलता बढ़ाये जाने के लिये सरकार क्या कारगर उपाय करेगी?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, सरकार वही काम करने का प्रयास कर रही है। जहां तक कमीशन का मामला है, जितना आवश्यक है, कम्पनियां उतना उचित ढंग से बढ़ा रही हैं। वर्ष 1999 में जहां पेट्रोल पर प्रति एक हजार किलोलीटर पर कमीशन 413 रुपये थे, उसे बढ़ाकर 639 रुपये प्रति किलो लीटर कर दिया गया है। इस प्रकार 23 पैसे की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार डीजल पर 14-15 पैसे प्रति लीटर कमीशन बढ़ाया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केवल कमीशन के कारण यह चोरी नहीं होती है अपितु आदमी का जो स्वार्थ और ईडीनैस होती है, उसके कारण ऐसा होता है। उसे डण्डा दिखाना या उस पर प्रहार करने से ही काम नहीं चलने वाला है। वैसे हम पेट्रोल-पम्प के आस-पास सुधार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सुविधाएं देना जैसे, एडीशनल सर्विसेज, मैनटिनैंस, रिपेयर्स, खाने की चीजें हैं – उनके माध्यम से भी उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है – इस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

28-31

विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस का आबंटन

+

***225. डा० चरणदास महंत :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिये गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के कोटे में वृद्धि की गई है;

(ख) गैस आधारित विभिन्न विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस का कोटा बढ़ाने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये और अधिक प्राकृतिक गैस आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान जिन विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्त मात्रा में गैस का आबंटन किया गया है उनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के कोटे में वृद्धि विद्युत संयंत्रों की मांग, गैस की उपलब्धता, प्राकृतिक गैस के किफायती उपयोग, संबंधित राज्य सरकारों और विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) पाइपलाइन प्रणाली से की जाती है। फिलहाल, हजीरा में और एच०बी०जे० पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से 48.7 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस० सी०एम०डी०) के आबंटन की तुलना में वास्तविक आपूर्ति लगभग 39 एम०एम०एस०सी०एम०डी० है। इसलिए दिल्ली में विद्युत संयंत्रों को आबंटन हेतु अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है। तथापि, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) 2004 की प्रथम तिमाही से पेट्रोनेट एल०एन०जी० लिमिटेड के दाहेज एल०एन०जी० टर्मिनल से आपूर्ति हेतु उपलब्ध होगी। दिल्ली में विद्युतम संयंत्रों सहित उपभोक्ताओं को एल०एन०जी० की आपूर्ति गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बाजार निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी।

अनुबंध

उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा जिन्हें पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान अतिरिक्त मात्रा में गैस का आबंटन किया गया है ।

(एम०एम०एस०सी०एम०डी० में)

क्रं०सं०	उपभोक्ता का नाम	पहले का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन
1.	कोणासीमा पावर, आंध्र प्रदेश	0.900	1.100
2.	लैंको कॉंडापल्ली, आंध्र प्रदेश	1.120	0.630
3.	पांडचीचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पी०पी०सी०एल०), पांडिचेरी	0.200	0.300
4.	आर के एनर्जी, तमिलनाडु	0.125	0.125
5.	पी०पी०एन० पावर, तमिलनाडु	0.750	0.710
6.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टी०एन०ई०बी०), कुट्टालम, तमिलनाडु	0.320	0.130
7.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टी०एन०ई०बी०), नारीमणम, तमिलनाडु	0.030	0.033
8.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन०ई०ई०पी०सी०ओ०), त्रिपुरा	0.750	2.000

[हिन्दी]

डा० चरणदास महंत : अध्यक्ष जी, समय कम है। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली सरकार की मांग है कि चूंकि यह विद्युत का मामला है और माननीय मंत्री जी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी 48.7 के स्थान पर 39 एम०एम०एस० सी०एम०डी० सप्लाई आपने दी है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेशों में जहां विद्युत की कमी है, जैसे मध्य प्रदेश

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, प्रश्न काल समाप्त होने वाला है।

डा० चरणदास महंत : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेश – जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़ – जहां वे विद्युत संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं, क्या केन्द्र सरकार इन स्थानों पर प्राकृतिक गैस प्रदान करेगी?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, हम प्राकृतिक गैस उपलब्धता होने पर प्रदान करेंगे। एल०एन०जी०, जो दिसम्बर, 2003 में आ रही है या एच०बी०जे० पाइप लाइन के जरिये जनवरी, 2004 से पर्याप्त गैस मिलने लगेगी। आप अपनी सरकार को बता दीजिये कि ऑर्डर बुक कर लें।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा० चरणदास महंत : महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि देश में ऐसे कितने संयंत्र हैं जो प्राकृतिक गैस के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं? क्या ये लाभकारी हैं ऐसा आपने कोई परीक्षण कराया है? यदि नहीं कराया है तो कब तक कराएंगे और यदि कराया है तो बता दें।

श्री राम नाईक : महोदय, गैस से जो बिजली का निर्माण होता है, वह आज के दिनों में सबसे सस्ता होता है। यह कितना लाभकारी

चल रहा है, उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझेंगे तो मैं उन तक वे आंकड़े पहुंचा दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि इराक पर अमरीकी हमले की स्थिति में क्या हमने इस चरण के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है।

श्री राम नाईक : मैंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है परन्तु मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि हम कठिनाईयों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध होने की दशा में किसी भी आपूर्ति में रूकावट न हो। तथापि, हम आशा करते हैं कि युद्ध न हो।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

31-32

भारतीय प्रेस परिषद को और अधिक शक्तियां प्रदान किया जाना

*222. **डा० बी०बी० रमैया :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मीडिया पर महिलाओं को नकारात्मक और अश्लील रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है और प्रेस परिषद को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि दोषी समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश समाचार-पत्र शिष्टता के सभी मानदण्डों की धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं के अश्लील चित्र बेशर्मी से छाप रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी शक्तियों के विस्तार और उनमें वृद्धि के लिये प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने की संभावना है कि प्रेस परिषद और प्रभावी तरीके से कार्य करे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। एक संवैधानिक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना देश में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने और इनको सुधारने के उद्देश्य से की गई है। सरकार परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करती है। स्व-विनियामक निकाय के स्वरूप वाली इस परिषद ने पत्रकारिता आचार के मानदण्ड बनाए हैं। प्रेस परिषद से 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

32-33

कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बे

*223. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने तालचेर से विभिन्न स्थानों के लिए कोयले की ढुलाई हेतु रेल डिब्बों की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कोयले की ढुलाई हेतु माल डिब्बों के आबंटन में कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) आवश्यकतानुसार कोयले के परिवहन हेतु रेल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं, रेलवे ने तालचेर से विभिन्न स्थलों के लिए, जो वर्तमान नियमों और अनुदेशों के अनुरूप हैं, कोयले के परिवहन के लिए रेल मालडिब्बों की सप्लाई करने से मना नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हाल ही में तालचेर क्षेत्र से कोयले के संचलन के लिए रेल मालडिब्बों के आबंटन के मामले में किसी कदाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) भारतीय रेल पर कोयले के लदान से लगभग 47 प्रतिशत राजस्व अर्जक मालभाड़े की प्राप्ति होती है। इस यातायात की भारी मात्रा को देखते हुए कोयले का लदान और संचलन, विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता तथा पिछले कई वर्षों से सृजित रेलवे के बुनियादी ढांचे के अनुकूलतम उपयोग को देखते हुए, नियमों और विशेष रूप से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कोयले के उत्पादन और उपलब्धता के संबंध में कोयला

उद्योग से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर रेलवे कोयले के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन/उसे सुदृढ़ करती आ रही है। बहरहाल, कोयले की उपलब्धता एवं उद्योग की जरूरतों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर रेलवे के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियमों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाती है।

विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम)

*226. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए बनाई गई विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों से धनराशि और लाभों को चैनेलाइज करने के लिए अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु एक तंत्र के रूप में विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) को 1979-80 में तैयार किया गया। इसमें अनुसूचित जातियों की अत्यन्त विविध आवश्यकताओं/स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाएं तैयार करना और इन योजनाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित निधियों का उपयोग करना परिकल्पित है।

(ख) लक्ष्य यह है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष संघटक योजना आवंटन उपलब्ध कराया जाना तथा तदनुसार इसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित करके अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास को सुसाध्य बनाया जाए।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा धनराशि का आबंटन अपने योजना आबंटन में से किया जाता है। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा, आवास, पेय जल आपूर्ति सुविधाओं तथा साथ ही विशेष संघटक योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों पर स्वामित्व के क्षेत्र में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विशेष योजनाएं तैयार करते हैं।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान विशेष संघटक योजना परिव्यय तथा व्यय के ब्यौरे

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना का प्रवाह
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10082.75	870.00
2.	असम	1507.35	69.78
3.	बिहार	2724.13	572.48
4.	छत्तीसगढ़	2025.73	150.99
5.	गुजरात	7600.00	252.18
6.	गोआ*		
7.	हरियाणा	2034.00	404.82
8.	हिमाचल प्रदेश	1900.00	187.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर*		
10.	झारखंड*		
11.	कर्नाटक	8610.61	667.40
12.	केरल	4326.00	402.55
13.	मध्य प्रदेश	4821.00	611.79
14.	महाराष्ट्र	4150.00	530.27
15.	मणिपुर*		
16.	उड़ीसा	3100.00	276.25
17.	पंजाब	2793.00	392.33
18.	राजस्थान	5622.91	895.73
19.	सिक्किम	133.35	9.49
20.	तमिलनाडु	5751.25	1103.73

1	2	3	4
21.	त्रिपुरा	631.93	65.36
22.	उत्तर प्रदेश	7250.00	1540.00
23.	उत्तरांचल	1533.63	255.89
24.	पश्चिम बंगाल	6307.00	586.89
25.	चंडीगढ़	165.42	10.07
26.	दिल्ली	4700	250.67
27.	पांडिचेरी	421.00	59.86
	कुल	88191.33	10165.53

*वे राज्य जहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

36

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

*227. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक परियोजना को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) विदेशी सहायता से 9 विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 (31.01.2003 तक) विदेशी सहायता प्राप्त निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्रियान्वयनकर्त्ता/ एजेंसी/राज्य	वित्तपोषक एजेंसी	मिलियन में ऋण राशि डॉनर करेन्सी	पूरा करने की तारीख
1.	आईडीपी-107 और 129 धौलीगंगा एचईपी	एनएचपीसी/उत्तरांचल	जेबीआईसी (जेवाई)	21981	मार्च, 2005
2.	आईडीपी-119 तुरियल एचईपी	नीपको	जेबीआईसी (जेवाई)	11695	जून, 2009
3.	आईडीपी-94/128 श्रीसेलम लेफ्ट बैंक एचईपी	एपीजीईएनसीओ	जेबीआईसी (जेवाई)	37066	अक्टूबर, 2003
4.	आईडीपी-53 घाटघर पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	महाराष्ट्र	जेबीआईसी (जेवाई)	11414	सितम्बर, 2004
5.	आईडीपी-98 पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	डब्ल्यूबीएसईबी	जेबीआईसी (जेवाई)	20520	मार्च, 2007
6.	नाथपा झाकरी एचईपी	एनजेपीसी	विश्व बैंक	485	दिसम्बर, 2003
7.	दुलहस्ती एचईपी	एनएचपीसी	फ्रैंच	190	दिसम्बर, 2003
8.	चमेरा एचईपी	एनएचपीसी	ईडीसी	175	मई, 2004
9.	तीस्ता-V एचईपी	एनएचपीसी	जापान की एनई एक्स आई, जापान के तहत टोकियो के डयूच बैंक और अन्य बैंकों को शामिल किया गया है।	18240	फरवरी, 207

सरकारी उपक्रमों के लिये उदारीकरण नीति

*228. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम उदारीकरण के बाद कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, विशेषकर नवरत्न सरकारी उपक्रमों के संबंध में क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु इन सरकारी उपक्रमों को सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) आर्थिक उदारीकरण के पश्चात सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। सरकार ने प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें नवरत्न तथा मिनीरत्न योजनाओं के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, अधिक प्रचालनात्मक स्वायत्तता, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए क्रय अधिमानता नीति को 31.3.2004 तक बढ़ाना शामिल है।

पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की पूर्ति

*229. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न शहरों और कस्बों में घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों और दिल्ली को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में और दिल्ली में कब तक पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम०सीज) की घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए एल०पी०जी० का विपणन करने की तत्काल कोई योजना नहीं है। तथापि, विशाखापटनम, मुंबई, चेन्नई, पुणे, मदुरै और नौएडा जैसे कुछ नगरों में व्यक्तिगत आवास परिसरों में घरेलू ग्राहकों को पाइपलाइन के जरिए एल०पी०जी० की आपूर्ति करने के लिए ओ०एम०सीज ने एल०पी०जी० रेटीकुलेटिड सिस्टम आरम्भ किया है।

एल०पी०जी० रेटीकुलेटिड सिस्टम की व्यवस्था किसी सामूहिक आपूर्ति स्रोत से पूरे नगर की मांग पूरी करने और सार्वजनिक सड़कों और उपयोगिता सेवाओं के रास्ते पाइपलाइन बिछाने के लिए नहीं है। नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में, ओ०एम०सीज को अपने बाजार हित और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को एल०पी०जी० की आपूर्ति की विभिन्न विधियां अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृतक बल

*230. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गठित कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतक बल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) पूंजीगत माल के निर्यात को सुलभ बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारी उद्योग विभाग में गठित कार्यबल द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

दलालों के साथ रेल कर्मचारियों की मिलीभगत

*231. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों की रेलवे टिकट की बिक्री में दलालों के साथ मिलीभगत है जिसके परिणामस्वरूप टिकट पाने में रेल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में रेल अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) 1999-2000 से पिछले तीन वर्षों के दौरान दलाली के काम में लिप्त पाए गए 8548 व्यक्तियों को पकड़ा गया था। कुछ रेल कर्मचारियों के दलालों के साथ मिले होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। आरक्षण के क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न कदाचारों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए वाणिज्य, सतर्कता और रेल सुरक्षा बल विभागों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं। गत तीन वर्षों में ऐसी जांचों के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए 2481 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :–

(i) सतर्कता, वाणिज्य और रेल सुरक्षा बल विभागों द्वारा गहन जांच की जाती है।

(ii) गाड़ियों में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नई गाड़ियां चलाकर, मौजूदा गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर, 20 से 24 कोचों वाली अधिक लम्बी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़कर, भीड़भाड़ की अवधि के दौरान विशेष गाड़ियां चलाकर की जाती है;

(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान 257 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले गए।

(iv) इंटरनेट के जरिए टिकटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(v) आरक्षण की स्थिति और स्थान की उपलब्धता को रेलवे की वेबसाइट, इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

39-40

सैन्य इतिहास का प्रकाशन

*232. **श्री चन्द्रविजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अप्रैल, 1992 से इतिहास प्रभाग मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रभाग की शुरूआत से इसके रख-रखाव में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) स्थापना से लेकर अब तक प्रभाग द्वारा कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना सैन्य-इतिहास संबंधी प्रकाशनों को जनता को भी उपलब्ध कराने की है;

(ङ) यदि हां, तो इनके कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1992 से लगभग 1,77,74,018/-रुपए का व्यय किया जा चुका है।

(ग) छह पुस्तकें।

(घ) पहले ही छह पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(ङ) ये पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

40-46

विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

*233. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो पूरा होने के अपने निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही है और इस देरी के क्या कारण है;

(ख) मंजूरी के समय इन विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या थी और देरी के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) क्रियान्वयनाधीन विलम्बित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दो स्तरीय मानीटरिंग प्रणाली विकसित की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा करता है। सचिव (विद्युत) इसी प्रकार की समीक्षा तिमाही में करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना के लिए सी०ई०ए० में नोडल अधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं, जो अपने अधीन परियोजनाओं को दैनन्दिन आधार पर मानीटर करते हैं ताकि संबंधित एजेंसियों के साथ उपयुक्त स्तर पर परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम से बाधाओं को दूर दिया जा सके।

विवरण

(क) *ताप विद्युत परियोजनाएं*

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ होने की नवीनतम समय सीमा	अनुमानित लागत मौलिक/नवीनतम (करोड़ रु० में)	अभ्युक्तियां
अक्रीमोटा लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर संयंत्र, यूनिट 1 तथा 2	गुजरात	2x125	12/2002 06/2003 03/2003 09/2003	1338.42/1395.00	आईडीबीआई द्वारा निधियों की वचनबद्धता न किए जाने के कारण। परियोजना प्राधिकारियों ने अब निधियों के लिए विद्युत वित्त निगम से संपर्क किया है।
डाभोल कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन चरण II ब्लाक I और II	महाराष्ट्र	1444	अनिश्चित	5604.00/–	95% कार्य पूरा कर लिया गया है। 4 गैस टरबाइन पहले ही तुल्यकालिक बनाए जा चुके हैं। 1 स्टीम टरबाइन रोल की गई। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा डीपीसी के बीच विवाद के कारण 6/2001 तक कार्य बाधित रहा।
नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तार यूनिट-2	तमिलनाडु	210	02/2001 12/2002	1590.58/1423.4 7* (यूनिट 1 तथा 2)	आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब के कारण यूनिट को तुल्यकालिक बनाने में विलंब हुआ।

(ख) *जल विद्युत परियोजनाएं*

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ होने की नवीनतम समय सीमा	अनुमानित लागत मौलिक/नवीनतम (करोड़ रु० में)	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6
धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	1998-99/ 2004-05	601.98 (12/89)/ 1578.31 (8/99)	वित्तीय प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या के निराकरण में विलम्ब
दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	390.00	जुलाई, 1994/ दिसम्बर, 2003	1262.97 (10/88)/ 3559.77 (11/96)	कानून और व्यवस्था की समस्या, फ्रेंच कंसोर्टियम की वापसी, हैडरेस टनल (अपस्ट्रीम) में लगे भौगोलिक स्ट्रेटा की खराब स्थिति तथा टनल बोरिंग मशीन के बरियल की ओर जाने वाले रॉक बर्स्ट के कारण।
पुरूलिया पीएसएस	पश्चिम बंगाल	900.00	2002-03/ 2006-07	1456.56 (9/91)/ 3188.90 (4/94)	बोलीदाताओं द्वारा रिट याचिका दायर करने और परिणामी कानूनी बाधाओं के कारण

1	2	3	4	5	6
					और पुरूलिया पम्पड स्टीरेज प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि के विपथन के कारण, लॉट-4 के मुख्य सिविल कार्य की शुरूआत में विलम्ब के कारण।
नाथपा झाकरी (एनजेपीसी)	हिमाचल प्रदेश	1500.00	दिसंबर 2001 से मार्च, 2002/ मार्च, 2003 से दिसंबर, 2003	1578.02 (12/88)/ 7666.31 (6/98)	भू-स्खलन और रॉक स्थिर करने की जरूरत, जुलाई/अगस्त, 2000 में फ्लैश फ्लड, मई, 2000 में डिसील्टिंग चेम्बर नं० 3 और 4 में रॉक फॉल तथा सितम्बर से अक्तूबर, 2002 के दौरान डिसिल्टिंग चेम्बर नं० 4 में रॉक फाल के कारण
टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	1997-99/ दिसंबर, 2003	3391.40 (3/93)/ 5690.64 (8/99)	विस्थापन की समस्या के कारण
लरजी	हिमाचल प्रदेश	126.00	2002-03/ 2004-05	796.98 (3/99)/ 908.64 (8/2001)	कंट्रेक्ट पैकेज की सुपुर्दगी में विलम्ब तथा पावर हाऊस क्षेत्र में रॉक फाल के कारण
सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	1450.00	1994-96/ 2003-07	1551.86 (1986-87)/ 3267.25 (1996-97)	विस्थापन की समस्या, न्यायालय मामले और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता से पीछे हटने के कारण
बानसागर (टौंस पीएच 4)	मध्य प्रदेश	[illegible]	1996-97/ 2005-06	51.06 (9/90)/ 84.97 (2000)	निधियों की कमी, कार्यकारी एजेंसी के निर्णयन में विलम्ब तथा सहायता एवं पुनर्वास समस्याएं।
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	1995-96/ 2004-05	485.96 (1992)/ 1184.60 (1999-2000)	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और प्रमुख कार्यों को सौंपने में विलम्ब।
श्रीसेलम एलबीपीएच	आन्ध्र प्रदेश	900.00	1993-95/ 2000-03	418.00 (1985-86)/ 2620.00 (2001-02)	600 मेगावाट क्षमता का संयंत्र चालू। सिविल कार्यों की सुपुर्दगी में विलम्ब और कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
पईकारा अनंतिम	तमिलनाडु	150.00	1994-95/ 2003-04	70.16 (1987-88)/ 373.06 (1998-99)	सिविल तथा मैकैनिकल कार्यों को सौंपने में विलम्ब।
करबी लंगपी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	1985-86/ 2004-05	36.37 (1979)/470.86	कार्यकारी एजेंसियों में लगातार परिवर्तन, निधि कमियों के कारण विलम्ब हुआ।
[illegible] 2	हिमाचल प्रदेश	300.00	2001-02/ 2002-03	949.23 (12/93)/ संशोधनाधीन	एक यूनिट 24.1.2003 को सफलतापूर्वक चालू की गयी। जुलाई/अगस्त, 2000 में फ्लैश फ्लड के कारण।

1	2	3	4	5	6
महेश्वर	मध्य प्रदेश	400.00	2001-02/ 2005-07	1569.27 (1996-97)/ 1673.00 (4/2000)	परियोजना विकासकर्त्ताओं के विदेशी प्रवर्तकों के परियोजनाओं से बाहर हो जाने के कारण विलम्ब हुआ। नए सिरे से वित्तीय समापन अपेक्षित है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के संचालन और समयबद्धता में सुधार

*234. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों के संचालन में सुधार करने और उनकी समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) 1 जनवरी 2002 से आज की तिथि तक कितनी रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंची और कितनी रेलगाड़ियां देर से पहुंची;

(ग) रेलगाड़ियों के देर से पहुंचने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के संबंध में किसी की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) यात्री गाड़ियों के परिचालन और समयपालन में सुधार लाने के लिए भारतीय रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) सभी तीनों स्तरों अर्थात् मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर गाड़ियों पर 24 घंटे गहन नजर रखी जाती है।

(ii) समय-समय पर समयपालन अभियान चलाए जाते हैं।

(iii) संरक्षा सीमाओं और गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए गाड़ियों को अधिकतम अनुमेय गति से चलाया जाता है।

(iv) निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराने के लिए समय-सारणी में सुधार किया जाता है।

(v) कलपुर्जों की खराबी को रोकने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण-स्तर में निरंतर सुधार किया जाता है।

(vi) गाड़ियों के समय से चालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सलाह-मशविरा और प्रोत्साहन दिया जाता है।

(vii) कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और शरारती तत्वों की गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क रखा जाता है।

(viii) रेलपथ, चलस्टॉक तथा सिगनलिंग की टैक्नालॉजी को उन्नत बनाया जाता है।

(ix) गाड़ियों की समय-पाबंदी की मॉनीटरिंग में और बेहतरी लाने के लिए रेल बजट 2003-2004 में एक कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली (सी०ओ०आई०एस०) शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके परिणामस्वरूप कुछ कठिनाइयों के बावजूद विभिन्न पैसेंजर सेवाओं के समयपालन का काम संतोषजनक रहा है।

(ख) समयपालन निष्पादन को गाड़ियों के अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के प्रतिशत के आधार पर बनाया जाता है। पिछले वर्ष जनवरी से दिसंबर 2002 तक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के संबंध में समयपालन 91.3 प्रतिशत, यात्री गाड़ियों के संबंध में 96.5 प्रतिशत और उपनगरीय गाड़ियों के संबंध में 93.3 प्रतिशत रहा है।

(ग) गाड़ियों के विलंब से चलने के कारणों में ऐसी कई वजहें जुड़ी हुई हैं जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, सार्वजनिक आंदोलन, कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, खराब मौसम, जानवरों का कुचला जाना और बिजली के ग्रिड का फेल हो जाना आदि कुछ गाड़ियां रेलवे से जुड़े हुए कारणों, जैसे परिसंपत्तियों में खराबी होना, दुर्घटनाएं और पार्सलों की चढ़ाई-उतराई में फालतू समय लग जाना और अकुशल यातायात नियंत्रण आदि के कारण समय पाबंदी का पालन नहीं कर पातीं।

(घ) और (ङ) गाड़ियों में होने वाली रुकौनी के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, रेल कर्मचारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। जनवरी से दिसंबर 2002 की अवधि के दौरान 5967 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

[अनुवाद]

उत्तर भारत में ग्रिड का ठप्प हो जाना

*235. **श्री वाई०वी० राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2003 में दिल्ली सहित उत्तर भारत में पावर ग्रिड बार-बार ठप्प होती रही;

(ख) यदि हां, तो ग्रिड के ठप्प होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में पावर ग्रिड को इस प्रकार ठप्प होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए है/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं। जनवरी, 2003 में दिल्ली सहित उत्तरी ग्रिड के ठप्प होने का कोई मामला नहीं था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

पुन: प्रयोज्य ऊर्जा के माध्यम से विद्युत

*236. **श्री मानसिंह पटेल** :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से सभी गांवों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों और निवेश का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) देश में लगभग 80,000 बिना बिजली वाले गांव हैं जिसमें से लगभग 18,000 गांव ऐसे सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पारंपरिक ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाना लागत प्रभावी नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराना निकट भविष्य में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा। वर्ष 2001-02 के दौरान सुदूरवर्ती 18,000 गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसके दौरान 20 करोड़ रुपये व्यय हुए। वर्ष 2001-2002 और 2002-03 में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 800 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। 10वीं योजना में 735 करोड़ रुपये के परिव्यय से ऐसे 5,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

अक्षय ऊर्जा प्रणालियां, जैसे सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और विद्युत संयंत्र, लघु पनबिजली यूनिटें और बायोमास गैसीफायर, जिनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, को सुदूरवर्ती गांवों और बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकल्पों के रूप में पहचाना गया है। ऐसी प्रणालियों को पहले ही स्वदेश में विकसित कर लिया गया है और इन्हें मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। वे अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के कारण सतत विकास में अंशदन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर उत्पादन और विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित एक कार्यनीति तैयार करने हेतु अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी (आर०ई०एस०टी०) मिशन का भी गठन किया है।

त्वरित विद्युत विकास (ए०पी०डी०) और सुधार कार्यक्रम के लिए धनराशि जारी किया जाना

*237. **श्री ए० ब्रह्मनैया** :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जारी की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत बोर्डों के कार्यों पर गहन निगरानी रखी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यकुशलता और लाभ अर्जन पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के उचित और समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2000-01 में 978.13 करोड़ रुपये की धनराशि और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 1087.59 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। वर्ष 2001-02 के दौरान ए०पी०डी०आर०पी० के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। जारी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (ङ) जी, हां। वितरण सुधारों संबंधी वचनबद्धता को पूरा करने हेतु ए०पी०डी०आर०पी० निधियों से धनराशि जारी किये

जाने की पूर्व आवश्यकता के रूप में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटीलिटियों को एक करार ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को कहा गया था। करार ज्ञापन में करार ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के एक माह के भीतर एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति का गठन किया जाना निर्धारित किया गया है। इस समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि, राज्य विद्युत बोर्डों के प्रधान, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से एक प्रतिनिधि और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या विद्युत मंत्रालय से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। समिति दो माह से एक बार बैठक करेंगी और निम्नलिखित की समीक्षा करेगी :–

i. ए०पी०डी०आर०पी० परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति।

ii. समझौता ज्ञापन शर्तों की अनुपालना।

iii. करार ज्ञापन शर्तों की अनुपालना।

iv. ए०पी०डी०आर०पी० लक्ष्यों और बेंचमार्क की तुलना में कार्य निष्पादन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, दिशानिर्देशों को तैयार करने, ए०पी०डी० आर०पी० स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन, तथा विभिन्न राज्यों के साथ सहमत सुधार लक्ष्यों और परियोजना क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए एक ए०पी०डी०आर०पी० मानीटरिंग समिति और संचालन समिति क्रमशः विद्युत मंत्री और सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में गठित की गई है।

(घ) ए०पी०डी०आर०पी० का प्रभाव मिलाजुला रहा है। जहां विभिन्न यूटीलिटियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधियां जारी करने में किये जाने वाले विलंब के कारण स्वीकृत निधियों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाये है वहीं कुछेक राज्यों तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र ने पूर्व वर्ष की तुलना में नगद हानि में कमी अर्जित की है।

विवरण

एपीडीपी/एपीडीआरपी के अंतर्गत निधि निर्गमन की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य	2000-01 कुल	2002-03 कुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	97.45	111.82
2.	बिहार	21.44	16.11
3.	छत्तीसगढ़	10.26	10.00
4.	दिल्ली	–	–
5.	गोवा	–	15.52
6.	गुजरात	13.62	75.42
7.	हरियाणा	49.62	37.28
8.	झारखण्ड	21.97	12.00
9.	कर्नाटक	81.50	87.46
10.	केरल	–	30.43
11.	मध्य प्रदेश	40.32	51.35
12.	महाराष्ट्र	134.44	91.74
13.	उड़ीसा	38.00	14.72
14.	पंजाब	37.70	41.72
15.	राजस्थान	45.00	90.64
16.	तमिलनाडु	65.54	76.57
17.	उत्तर प्रदेश	101.46	30.12
18.	पश्चिम बंगाल	43.50	19.02
19.	असम	20.02	96.97
20.	अरूणाचल प्रदेश	6.32	0.00
21.	हिमाचल प्रदेश	25.32	33.04
22.	जम्मू और कश्मीर	6.99	–
23.	मणिपुर	0.72	2.67
24.	मेघालय	1.81	6.57
25.	मिजोरम	1.06	3.78
26.	नागालैंड	1.89	13.14
27.	सिक्किम	6.38	17.20
28.	त्रिपुरा	5.00	2.67
29.	उत्तरांचल	4.80	99.63
30.	भुज	96.00	–
	कुल	978.13	1087.59

गैर-परम्परागत स्रोतों के माध्यम से निवेश

*238. श्री ए० नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने गैर-परम्परागत राजस्व स्रोतों से निवेश प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए एक कृतक बल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से जारी करने हेतु शक्ति संपन्न समितियों का गठन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो रेल मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे को जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) जी, हां। गैर-पारंपरिक स्रोतों के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक कृतक बल की स्थापना की गई थी। इस कृतक बल ने दिसंबर 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भूमि और आकाश क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन, बोल्ट (बनाएं, मालिक बनें, पट्टे पर दें और स्थानांतरित करें) योजना, ऑप्टोकल फाइबर बिछाने के लिए मार्गाधिकार के प्रयोग, वाणिज्यिक प्रचार, मालडिब्बे के स्वामी बनें योजना और प्राइवेट संगठनों के साथ संयुक्त भागीदारी सहित अन्य वित्तीय पैकेजों जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों के जरिए राजस्व ने सृजन की सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप, समितियां गठित की गई थीं और निम्नलिखित कार्रवाई की गई थी :

(i) सभी क्षेत्रीय रेलों को वाणिज्यिक प्रचार से आमदनी बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में स्टेशन परिसर, गाड़ियां, समपार, प्रमुख स्टेशनों तक जाने के लिए पहुंच मार्ग आदि शामिल हैं। गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

(ii) ऑप्टोकल फाइबर केबल बिछाने के लिए रेलपथ के साथ-साथ रेलवे के मार्गाधिकार के वाणिज्यिक दोहन के लिए रेल टेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। अब इस निगम ने काम करना शुरू कर दिया है।

(iii) रेलवे भूमि/आकाश क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग की कार्य-विधि सभी क्षेत्रीय रेलों को जारी कर दी गई है और रेलों को चिह्नित स्थानों पर काम शुरू करने के लिए कह दिया गया है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों/घायलों को मुआवजा

*239. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न रेलवे दावा प्राधिकरणों के पास रेल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों/घायल हुए लोगों के मुआवजा संबंधी कितने मामले लंबित हैं और इनमें कितनी मुआवजा राशि का दावा किया गया है;

(ख) दावे संबंधी ऐसे मामले कब से लंबित हैं;

(ग) इन मामलों के निपटान में हुई देरी के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मामलों के निपटान में सामान्यत: औसतन कितना समय लगता है; और

(ङ) उक्त मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में 1.1.2003 तक लंबित 622 गाड़ी दुर्घटनाओं के मामलों की वर्ष-वार पुरानी स्थिति निम्नलिखित है :–

पीठ	एक वर्ष से कम पुराने	एक वर्ष पुराने	दो वर्ष पुराने	तीन वर्ष पुराने	चार वर्ष पुराने	पांच वर्ष और इससे अधिक पुराने	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	4	0	0	0	2	0	6
लखनऊ	10	15	20	7	0	0	52
चंडीगढ़	5	5	2	0	0	0	12

1	2	3	4	5	6	7	8
गोरखपुर	28	2	1	0	0	0	31
जयपुर	0	0	0	0	0	0	0
चेन्नै	2	0	0	0	0	0	2
एर्णाकुलम	262	2	2	1	2	0	269
सिकंदराबाद	11	0	0	10	0	0	21
बंगलौर	4	0	0	0	0	0	4
कोलकाता	39	6	2	1	0	0	48
गुवाहाटी	4	2	0	0	0	0	6
पटना	92	10	3	2	2	0	109
भुवनेश्वर	1	0	1	0	0	0	2
मुंबई	0	11	3	0	0	0	14
नागपुर	0	1	0	0	1	0	2
भोपाल	9	2	2	1	2	0	16
अहमदाबाद	6	0	0	0	0	0	6
गाजियाबाद	9	3	9	1	0	0	22
जोड़	486	59	45	23	9	0	622

उक्त मामलों में क्षतिपूर्ति के दावों की कुल राशि 24.44 करोड़ रुपए है।

(ग) इन मामलों के निपटान के विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) आवेदकों अथवा उनके पैरवीकारों का सुनवाई के समय उपस्थित न होना।

(ii) विभिन्न कारणों से आवेदकों द्वारा मामले को आस्थगित करवाने का अनुरोध किया जाना।

(iii) दावादारों के पास उत्तराधिकार के सबूत न होना।

(iv) दावेदारों की मांग पर दावे के मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करना।

(v) पीठों में पदों की रिक्ति होना।

(घ) वर्ष 1997-1998 से 2001-2002 के दौरान गाड़ी दुर्घटना के निपटान के मामलों में लगने वाला औसत समय एक वर्ष से कम था।

(ङ) रेल दावा अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, अधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वे रेल दुर्घटनाओं के दावों के मामलों का यथासंभव शीघ्र निपटान करें।

[अनुवाद]

आतंकवादी हमलों में मारे गये सशस्त्र बलों के कर्मी

*240. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य भागों में आतंकवादी हमलों में कितने सशस्त्र बलों के कर्मी मारे गए/घायल हुये;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में एन०एस०सी०एन० और अन्य गुटों की उग्रवादी गतिविधियों में सशस्त्र बलों के कितने कर्मी मारे गये;

(ग) क्या मारे गये इन कर्मियों के सभी परिजनों और आश्रितों की सरकार द्वारा देखभाल की जा रही है और उनके परिवार वालों

को जरूरी मुआवजा, पुरस्कार या इनाम का भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 25 फरवरी, 2003 तक जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी कार्रवाई के कारण शहीद/जख्मी हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	सेना		वायुसेना		नौसेना	
	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
2000	351	787	–	–	–	–
2001	364	1020	1	3	–	–
2002	253	662	–	–	–	–
2003 (25.2.03 तक)	14	38	–	–	–	–
कुल	982	2507	1	3	–	–

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही कार्रवाईयों के कारण शहीद हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	सेना मारे गए	वायुसेना मारे गए	नौसेना मारे गए
2000	25	–	–
2001	20	–	–
2002	20	–	–
2003 (25.02.03 तक)	–	–	–
कुल	65	–	–

वर्ष 2002 के उत्तरार्द्ध तथा 2003 के संबंध में हताहतों की संख्या में आंशिक परिवर्तन हो सकता है।

सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए एक व्यापक कल्याण पैकेज, जिसमें एक ग्रेडेड स्केल में अनुग्रह राशि के रूप में एकमुश्त मुआवजा, मृतक कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, यथा लागू निर्दिष्ट दरों के अनुसार मृत्यु उपदान तथा परिवार उपदान और यथा लागू बीमा कवर शामिल है, तैयार किया गया है तथा आतंकवादी कार्रवाईयों में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए कार्यान्वित किया गया है। बकाया राशियों का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है तथा मृतक कार्मिक के निकटतम संबंधियों के लिए यथा लागू सभी लाभों का भुगतान, आवश्यक प्रलेखन पूरा होने पर तथा कानूनी अपेक्षाएं पूरी होने पर किया जा रहा है।

केरल राज्य भंडारण निगम को आई०ओ०सी०एल० की डीलरशिप

2232. श्री टी० गोविन्दन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम केरल राज्य भंडारण निगम से केरल राज्य में "सर्वो (आटो) ल्यूब्स" की आपूर्ति हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०) की डीलरशिप लेने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन (के०एस०डब्ल्यू० सी०) ने 4 स्थानों नामत: त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, पलक्काड और कन्नूर में सर्वो स्टाकिस्ट्स (आटो) (एस०एस०(ए०)एस०) के आवेदन किया था। उन्हें सभी चारों स्थानों के लिए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था और उनको त्रिवेन्द्रम, पलक्काड और कन्नूर में नंबर 2 उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि मैसर्स के एस०डब्ल्यू०सी० को स्नेहकों अथवा किसी फास्ट मूविंग कंजूमर गुड्स (एफ०एम०सी०जी०) उत्पादों के विपणन का कोई अनुभव नहीं है जो कि चयन के लिए अनिवार्य अर्हता थी, इसलिए मैसर्स के०एस०डब्ल्यू०सी० का सर्वो स्टाकिस्ट (आटो) ल्यूब्स के लिए डीलर के रूप में चयन नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

37 एच०बी०जे० पाइपलाइन

2233. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार को शामिल करने हेतु एच०बी०जे० पाइपलाइन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच०बी०जे० पाइपलाइन के समीप पड़ने वाले क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता इसकी मांग से बहुत कम है। गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए एच०बी०जे० पाइपलाइन का बिहार राज्य तक विस्तार करना एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होगा।

[अनुवाद]

57.59

गुजरात में अनाथ और निराश्रित बच्चों का पुनर्वास

2234. श्री मोईनुल हसन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भूकंप और साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ और निराश्रित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अनाथ और निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कल्याणकारी उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) घटना-वार ब्यौरा इस प्रकार हैं–

	अनाथ बच्चे	वे बच्चे जिनके माता-पिता में से एक है
(1) भूकंप	449	1309
(2) साम्प्रदायिक दंगे	38	172

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) गुजरात में विनाशकारी भूकम्प के पश्चात व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, विदेशी सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वस्त्र, टेन्ट, संचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण आदि प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री राहत कोष, गुजरात मुख्य मंत्री राहत कोष तथा अन्य ऐसी ही निधियों के माध्यम से कुछ नगद दान किए गए, जबकि राज्य में कार्यरत राहत संगठनों को कुछ दान विदेश से सीधे भी भेजे गए।

विवरण

भूकम्प तथा साम्प्रदायिक दंगों से अनाथ तथा निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे कल्याणकारी उपाय नीचे दिए गए हैं :–

भूकम्प प्रभावित

1. राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में किसी बच्चे को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे को कलेक्टर/डी०डी०ओ० तथा अनाथ और माता-पिता में से एक वाले बच्चे के संयुक्त खाते में रखा जाएगा।

2. फोस्टर पैरेन्टस योजना जिसे शुरू में छः शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बडौदा, सूरत, जामनगर, राजकोट और भावनगर में कार्यान्वित किया गया था, का विस्तार अब भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में किया गया है और भरण-पोषण मासिक सहायता को 350 रु० प्रति बच्चे से संशोधित करके 500 रु० प्रति बच्चा कर दिया गया है।

3. एक शुल्क रहित सेवा, चाइल्ड लाईन सेवा, जिस पर विपत्ति में फंसे किसी बच्चे अथवा उसकी तरफ से किसी वयस्क द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है, की स्थापना भूकम्प से प्रभावित राज्य के विभिन्न स्थानों पर की गई है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों को राज्य के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में आश्रय गृहों की स्थापना के लिए 2000-01 के दौरान 156.85 लाख रु० का सहायतानुदान स्वीकृत किया।

साम्प्रदायिक दंगा प्रभावित

1. प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत अनाथ तथा माता-पिता में से एक वाले बच्चों के लिए एक पुनर्वास परियोजना स्व नियोजित महिला संस्था (सेवा) को सौंपी गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय द्वारा'' समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता संबंधी सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम'' योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए 2.02 करोड़ रु० की स्वीकृति प्रदान की गई। अब तक एस०इ०डब्ल्यू०ए० को वर्तमान वित्तीय वर्ष (2002-03) के दौरान इस उद्देश्य के लिए 60 लाख रु० की राशि निर्मुक्त की गई है।

2. महिला और बाल विकास विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (2002-03) के दौरान ''स्वाधार'' योजना के अंतर्गत गुजरात में 170 छोटे बच्चों के पुनर्वास संबंधी एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन संबंधी परियोजनाएं

59

2235. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में परियोजना-वार अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंडिया के छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। गोंदिया-बालाघाट पर प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है जहां 17.1.2003 से ब्लॉक परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। इस खण्ड को 2003-2004 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबलपुर के नजदीक घुमावदार संरेखण पर भूमि संबंधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है संपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

59-60

जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद किया जाना

2236. श्री जय प्रकाश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें लाभ अर्जित नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनमें से घाटे में चलने वाली कुछ ट्रेनों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) आमदनी और खर्च के गाड़ी-वार पृथक-पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, अत: जन शताब्दी गाड़ियों की लाभप्रदता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

बहरहाल, 10.2.2003 से कम लोकप्रियता के कारण 2071/2072 टाटानयर-रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस को 307/308 टाटानगर-मुरी और 307ए/308ए मुरी-रांची एम०इ०एम०यू० से बदल दिया गया है।

60-62

[अनुवाद]

मुम्बई संभाग में पैदल उपरी पुल

2237. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई संभाग के मध्य रेलवे में पैदल उपरी पुलों को विभिन्न परियोजनाओं में मध्य रेल के मुम्बई संभाग में समन्वय की की कमी के कारण विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गोवंडी, कंजूर मार्ग, कुर्ला, घाटकोपर, डोम्बीविल्ली में पैदल उपरी पुलों के निर्माण पर सहमति हो जाने के बाद भी उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ग) इन क्षेत्रों में नियोजित सभी पैदल उपरी पुलों का ब्यौरा क्या है और इनकी स्वीकृति तिथि, योजना तिथि, शुरू करने हेतु धनराशि आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पैदल उपरी पुलों पर निर्माण कार्य पैदल उपरी पुल-वार कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र० सं०	स्टेशन	ऊपरी पैदल पुल के कार्य का ब्यौरा	स्थिति
1.	गोवंडी	30 लाख रुपये की लागत पर 2001-2002 में स्वीकृत ऊपरी पैदल पुल का विस्तार।	निविदा आमंत्रित की गई है। (कार्य जून, 2003 में आरंभ किए जाने की संभावना है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि सितंबर, 2004 है।)
2.	कंजुरमार्ग	3.80 करोड़ रुपये की लागत पर 2003-04 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत शिरोपरि बुकिंग कार्यालय सहित ऊपरी पैदल पुल का कार्य।	लक्ष्य निर्धारित नहीं।
3.	कुर्ला	1.75 करोड़ रुपये की लागत पर 2002-03 में स्वीकृत 6 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का कार्य।	निविदा आमंत्रित की गई हैं। (कार्य मई, 2003 में शुरू कि जाने की संभावना है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2004 है।)
4.	घाटकोपर	2.32 करोड़ रुपये की लागत पर 2001-02 में स्वीकृत 12 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का कार्य	निविदा आमंत्रित की गई है। (कार्य जून, 2003 में शूरू कि जाने की संभावना है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2005 है।)
5.	डोंबीविली	2.81 करोड़ रुपये की लागत पर 2001-02 में स्वीकृत 12 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का कार्य।	निविदा आमंत्रित की गई है। (कार्य जून, 2003 में शूरू किए जाने की संभावना है और पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2005 है।)

ट्रेनों का लूटा जाना

2238. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथियार बंद व्यक्तियों द्वारा राज्य-वार कितनी ट्रेनों को लूटा गया;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) ट्रेन डकैती के ऐसे मामलों में घायल/लूटे गए व्यक्तियों और मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) "पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के नाते चलती गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध को रोकना और पता लगाना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेलवे पुलिस को की जाती है। और वे ही उन्हें दर्ज करते हैं तथा उनकी जांच करते हैं। अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना रेल मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।"

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 5 मामलों में मुआवजे के रूप में 12.97 लाख रुपए की राशि अदा की गई।

(घ) यद्यपि रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को नियंत्रित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथापि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रेलवे राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।
2. सवारी डिब्बा परिचर/चल टिकट परीक्षक यात्रियों के गाड़ी में प्रवेश करते समय/गाड़ी से उतरते समय समुचित निगरानी रखते हैं और विशेषत: रात्रि के दौरान चलती गाड़ियों के दरवाजे ठीक से बंद कर दिए जाते हैं;
3. रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराने के लिए यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से और प्रथम सूचना रपट फार्म गाड़ी गार्डों/स्टेशन मास्टर/रेलवे सुरक्षा बल के पास उपलब्ध होता है।
4. रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का सभी स्तरों पर आदान-प्रदान किया जा रहा है।

5. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और सी०सी०टी०वी० के माध्यम से यात्रा कर रहे यात्रियों को सावधान किया जाता है कि वे अपने सामानों को चोरी से बचाएं और किसी अजनबी से खाद्य पदार्थ न लें।

6. राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा रेलों पर अपराध स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि उचित निवारक उपाय किए जा सकें।

7. रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का सभी स्तरों पर आदान-प्रदान होता है।

63

इमारती लकड़ी की तस्करी

2239. डा० जयन्त रंगपी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 की "दी सेंटीनेल" में "रेलवे ड्राइवर आरेस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त समाचार में लगाए गए आरोपों की जांच हेतु कोई विभागीय जांच कारवाई गई; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) असम वन विभाग ने असम वन नियम, 1891 के 24, 25, 40 और 41 का उल्लंघन करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के एक सहायक ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

(ग) असम वन विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

गुजरात में आवासीय विद्यालयों के लिए एफ०एम० स्टेशन

63-64

2240. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों के आवासीय विद्यालयों में एफ०एम० स्टेशन स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या और नाम क्या है और ऐसी सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी/प्रबंध तथा आवासीय स्कूल शामिल होंगे।

(ख) और (ग) संस्थानों द्वारा स्वयं उनकी अपनी धनराशियों और संसाधनों से इन स्टेशनों को स्थापित और संचालित करना होगा।

[अनुवाद]

64

उड़ीसा में टी०वी० प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

2241. श्री अनन्त नायक :
श्री परसुराम माझी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा में विभिन्न क्षमता के टी०वी० प्रसारण केन्द्रों की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में के०बी०को० (कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट) जिलों में कुछ एच०पी०टी०/एल०पी०टी०/वि०एल०पी०टी० की स्थापना का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में प्रस्तावित ट्रांसमीटरों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में बहालदा में एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) इस समय के०बी० को जिलों अर्थात् कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी, मल्कानगिरि, नवरंगपुर, रायगड़ा, सोनपुर और नौपाड़ा में सत्ताईस टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इन जिलों में और कोई ट्रांसमीटर स्थापित करने का वर्तमान में अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

64-65

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की शिकायतें

2242. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपनी वास्तविक शिकायतों जैसे पेंशन का भुगतान आदि के संबंध में कई शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की शिकायतों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और उस समय के नियमों और विनियमों के अनुसार उन्हें निपटाया जाता है।

[हिन्दी]

65-66

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

2243. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पम्प और रसोई गैस डीलरशिप को रद्द करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पेट्रोल पंपों और रसोई गैस डीलरशिप आबंटन के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में स्वीकृत एजेंसियों के लिए एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया पुन: शुरू कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निजी संस्थानों और रिलायंस आदि जैसी कंपनियों की एजेंसियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 के आदेश में प्रचार माध्यमों से सूचित किए गए कुछ मामलों के अलावा सरकार का दिनांक 9 अगस्त, 2002 का वह आदेश खारिज कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2000 से डीलर चयन बोर्डों (डी०एस०बीज) की सिफारिशों पर किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस०के०ओ०-एल०डी०ओ० डीलरशिपों के आबंटन रद्द कर दिए गए थे। न्यायालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश वाली एक समिति का गठन भी किया है और प्रचार माध्यमों में सूचित इन मामलों को समिति के पास जांच के लिए भेज दिया है। न्यायालय ने समिति से कहा है कि वह न्यायालय को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर भेज दे। चयन केबाकी मामलों, जिनकी उपर्युक्त समिति द्वारा जांच नहीं की जा रही है, के मामले में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम०सीज) को आगे की कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

(ख) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप डीलरों/एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों/एस०के०ओ० – एल०डी०ओ० डीलरों का चयन अब तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं उनके द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं। निजी संस्थान और कंपनियां वाणिज्यिक मान्यताओं के आधार पर एजेंसियां स्थापित करती हैं और सरकार की आरक्षण नीति उन पर लागू नहीं होती।

[अनुवाद]

66

निजी क्षेत्र द्वारा तेल शोधक कारखानों की स्थापना

2244. श्री परसुराम माझी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तेलशोधक कारखानों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) शोधन क्षेत्र को जून, 1998 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद किसी निजी कंपनी द्वारा देश में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है।

66-6

ई०आई०एल० में सेवाओं का नियमितीकरण

2245. श्री राम सिंह राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई०आई०एल०) ने इंजीनियरिंग, आई०टी०आई०, ड्राफ्टसमैन आदि में डिप्लोमा जैसी योग्यता वाले दिहाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में क्या मानदंड अपनाए गए; और

(ग) ई०आई०एल० में अभी भी ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सेवामुक्त हो गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई०आई० एल०) द्वारा इंजीनियरी में डिप्लोमा, आई०टी०आई०, ड्राफ्ट्समैन आदि जैसी तकनीकी अर्हताओं वाले किसी दिहाड़ी कर्मकार को नियमित नहीं

किया गया है क्योंकि कंपनी में ऐसे व्यक्तियों को दिहाड़ी पर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में ई०आई०एल० में ऐसी तकनीकी अर्हताओं वाला कोई भी दिहाड़ी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

यातायात सुगम करने के लिए नागपुर में रिंग रेलवे का निर्माण

2246. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यातायात की समस्या कम करने के लिए नागरपुर में और विभिन्न राज्यों के अन्य शहरों मे रिंग रेलवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और नगर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रिंग रेल के निर्माण के संबंध में किसी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, नागपुर में रिंग रेल के निर्माण के लिए माननीय संसद सदस्य से मांग प्राप्त हुई है।

(ग) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

लंबित विद्युत परियोजनाएं

2247. **डा० बलिराम :**
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विद्युत उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ई०पी०आई० का कार्यकरण

2248. **श्री राजनारायण पासी** : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ई०पी०आई०) के कार्यकरण की जांच के बाद मुख्यालय के बड़े संभागों के आकार को कम करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) ई०पी०आई० के साथ-साथ भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनशक्ति की समीक्षा और यौक्तिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वर्ष 2002-2003 में फरवरी तक 150 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी०आर०एस०) के अंतर्गत लाभ उठाया है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र विद्युत नीति

2249. **श्री मोहन रावले** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कमी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार का निजी क्षेत्र विद्युत नीति की समीक्षा करने का है क्योंकि इसे प्रभावी तरीके से नहीं शुरू किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने संबंधी नीति वर्ष 1991 में घोषित की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विद्युत की मांग की आपूर्ति के मध्य अन्तराल के मद्देनजर संसाधनों में वृद्धि करना तथा राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों की संसाधनों की कमी की पूर्ति करना था। यद्यपि निजी क्षेत्र के माध्यम से कई विद्युत परियोजनाओं के विकास की ओर ध्यान दिया गया है, अधिकांश परियोजनाओं की आर्थिक बन्दी कई मोर्चों पर कार्य की अच्छी प्रगति के बावजूद नहीं हो पाई है। राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने तथा बिलों के नियमित भुगतान, साखपत्र और एस्क्रो एकाउन्ट्स खोलने में समर्थ न होने के कारण ही इन परियोजनाओं की आर्थिक बंदी नहीं हो सकी। अन्य कारण भी नीचे दिए जा रहे हैं :–

i. विद्युत क्रय करार, ईंधन आपूर्ति करार तथा ईंधन ढुलाई करार आदि जैसे विभिन्न ठेकों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब।

ii. जनहित याचिका आदि के रूप में न्यायालय से जुड़े मामले।

iii. तरल ईंधन, विशेषकर नाप्था के कीमतों में वृद्धि जिससे नाप्था आधारित उत्पादन करने के प्रति राज्य अनिच्छुक ही रहे।

iv. ई०पी०सी० ठेकेदारों द्वारा पीछे हटना।

इसलिए सरकार ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से सुधार कार्य भी शुरू किए हैं। राज्यों ने भी विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यों की जरूरत स्वीकार की है। मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र के सुधार कार्यों को राजनीति से दूर रखने तथा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की बात पर सहमति हुई ही थी, वितरण क्षेत्र में सुधार कार्य के समक्ष ही वास्तविक चुनौती होना माना गया था। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के गठन और टैरिफ पेटिसन दर्ज किए जाने के साथ-साथ राज्यों द्वारा अपने बजट से सब्सिडी भुगतान की क्षमता के अनुसार यथापेक्षित सब्सिडी दिए जाने के प्रति भी सहमति हुई थी।

इन सुधार कार्यों के तहत विद्युत मंत्रालय ने ''त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम'' की शुरूआत वर्ष 2000-01 में की जिसे अब विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बनाए रखने तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम स्वरूप ''त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम'' (ए०पी०डी०आर०पी०) का नाम दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार के प्रयास को बल प्रदान करने तथा समयबद्ध ढंग से सुधार कार्यों और पुनर्संरचना के लिए 26 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वितरण क्षेत्र के सुधार कार्यों के प्रतिबद्धता लाने की दृष्टि से राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलियों से विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी गयी है ताकि एध्द्ध कोष से उन्हें धनराशि प्राप्त हो सके। अब तक 25 राज्य समझौता करार पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

समझौता करार के अनुसार लाभार्थी राज्य को अपनी निर्धारित कार्यक्षमता के अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता में क्रमबद्ध ढंग से सुधार लाने के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करते रहना होगा। कार्यदक्षता की तुलना निर्धारित समय सीमा में अर्जित किए जा सकने वाले अनुमानित स्तर से की जाएगी। कार्यक्षमता निर्धारण के निम्नलिखित मानक, अन्य बातों के साथ-साथ, रा०वि० बोर्ड/यूटिलिटी स्तर तथा सर्किल स्तर पर लागू होंगे–

- सर्किल को दी गयी ऊर्जा के आधार पर उपभोक्ताओं को मीटर के आधार पर विद्युत की बिक्री (फ्लैट दर पर आकलन आधार पर निर्धारित विद्युत बिल शामिल नहीं किए जाएंगे)
- पारेषण और वितरण हानियां मि० यूनिट में (फ्लैट दर से तथा बिना मीटर की विद्युत बिक्री शामिल नहीं)
- औसत राजस्व वसूली तथा प्रतियूनिट विद्युत की औसत आपूर्ति लागत के मध्य का अंतराल। यहां औसत राजस्व वसूली से आशय पूरे राज्य में कुल राजस्व बिक्री करोड़ रु० तथा सकल ऊर्जा प्राप्ति मिलियन यूनिट के अनुपात से है तथा औसत आपूर्ति लागत से आशय पूरे राज्य में उत्पादन, क्रय और अतिरिक्त लागत सहित आपूर्ति लागत करोड़ रु० तथा सकल ऊर्जा प्राप्ति मिलियन यूनिट के अनुपात से है।
- उत्पादकता-उपभोक्ताओं को मीटर के आधार पर विद्युत बिक्री तथा सर्किल में कुल जनशक्ति (कार्यकारी+अधीक्षकी+ सहायक) के मध्य का अनुपात।

[हिन्दी]

पालम और बिजवासन में सड़क उपरि पुल का निर्माण

2250. श्री साईदुज्जमा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यातायात की भारी भीड़ को देखते हुए पालम और बिजवासन रेल समपारों पर उपरी पुलों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपरी पुलों का निर्माण कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के निक्षेप कार्यों के रूप में पालम रेलवे स्टेशन के समीप 18.02 किमी० पर तथा बिजवासन के निकट 23.18 किमी० पर क्रमश: ऊपरी सड़क पुल तथा निचला सड़क पुल निर्माणाधीन है, जिसके लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य आरंभ हो चुका है।

(ग) इन दोनों कार्यों के समापन का लक्ष्य जून, 2004 रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जबलपुर छावनी में सिविल क्षेत्रों का विस्तार

2251. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जबलपुर छावनी में कुल सिविल क्षेत्र कितना है;

(ख) जबलपुर छावनी में किस तिथि को सिविल क्षेत्र का विस्तार किया गया था और तत्संबंधी कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या छावनी बोर्ड ने जबलपुर छावनी में सिविल क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की स्वीकृति के अनुसार इसका विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) फिलहाल कुल सिविल क्षेत्र 104 एकड़ है।

(ख) राजपत्र अधिसूचना सं० 388 दिनांक 20.10.1957 के द्वारा सिविल क्षेत्र को 77 एकड़ से बढ़ाकर 104 एकड़ कर दिया गया था।

(ग) सिविल क्षेत्र को बढ़ाए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में अपव्यय

2252. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **विद्युत मंत्री** सरकारी विभागों में अपव्यय के बारे में 29 नवंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहेता) : (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1820 दिनांक क 29 नवम्बर, 2001 के संबंध में दिए गए आश्वासन की 19.2.2002 को पूर्ति कर दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 20.3.2002 को लोक सभा के पटल पर क्रियान्वयन रिपोर्ट रख दी गई थी। तथापि क्रियान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

13वीं लोक सभा का 8वां सत्र 2001

विद्युत मंत्रालय — पूर्ति की तारीख 19.02.2002

प्रश्न संख्या, तारीख एवं संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
श्री ब्रह्मानंद मंडल द्वारा 29.11.2001 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-1820.	सरकारी विभागों में अपव्यय जिसमें पूछा गया था कि–		गैर योजना, गैर विकासात्मक खर्चो को नियंत्रित करना सरकार का कार्य है। उन कुछ विभागों की पहचान के संबंध में जहां व्यर्थ खर्चे अधिकतम हैं वित्त मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को अभिज्ञात नहीं किया है। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने व्यर्थ खर्चों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–	लागू नहीं होता है।
	(क) क्या वे इस बात से अवगत हैं कि वित्त मंत्रालय ने कतिपय विभागों की पहचान की है जिनमें सर्वाधिक अपव्यय है;	(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) के०वि०प्रा० में 68 पदों को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।	
	(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनमें पहचान किए गए अपव्यय का ब्यौरा क्या है और		(ख) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की सलाह के अनुरूप विद्युत मंत्रालय में संचालन समितियों का गठन किया गया है ताकि सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए वार्षिक भर्ती योजनाओं पर विचार किया जा सके और स्वीकृति प्रदान की जा सके।	
	(ग) ऐसे अपव्यय को रोकने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?		(ग) कम खर्च के लिए उपायों के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का विद्युत मंत्रालय में अनुपालन किया गया है जिसमें पदों के सृजन पर रोक लगाना, स्वीकृत पदों में कटौती, कार्यालय व्यय में कमी, विदेशी यात्रा और मनोरंजन/आतिथ्य सत्कार खर्चों में प्रतिबंध आदि शामिल है।	

बोध गया में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

2253. **श्री रामजी मांझी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के बोध गया में कोई आकाशवाणी केन्द्र अवस्थित है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिहार के बोध गया में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोध गया में आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गया में आकाशवाणी के एक 10 कि०वा०एफ०एम० रेडियो केन्द्र को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, वर्तमान में गया पटना और रांची स्थित 100 कि०वा०मी०वे० आकाशवाणी केन्द्रों से पर्याप्त कवरेज प्राप्त कर रहा है।

अल्पसंख्यकों का शैक्षिक और आर्थिक विकास।

2254. **श्री भीम दाहाल** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम गरीबी की रेखा से दुगुने के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यमों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। एन०एम०एफ०डी०सी० द्वारा 1 जनवरी, 2003 से शिक्षा ऋण संबंधी एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित गरीब छात्रों को अल्पावधि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 3% के रियायती ब्याज दर पर 75,000/- रु० तक का ऋण उपलब्ध है।

यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न नौकरियों तथा व्यावसायिक/तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए कोचिंग की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभार्थ योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सघन क्षेत्र तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

दानापुर में रेलवे अस्पताल

2255. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-पूर्व रेलवे के अंतर्गत दानापुर रेल विभाग के विभिन्न विभागों में तत्संबंधी आवश्यक संख्या की तुलना में डॉक्टरों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दानापुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, पुरानी मशीनों और उपकरणों के कारण रोगियों का उचित उपचार नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) एक्स-रे मशीनें, कलर डापलर, अल्ट्रासाउंड मशीनें आदि जैसी महत्वपूर्ण उपकरणें कितनी पुरानी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अस्पताल के लिए कितनी नई मशीनें और उपकरण खरीदे गए;

(च) क्या अस्पताल के आधुनिकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) दानापुर रेलवे अस्पताल में 22 चिकित्सा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या में से वर्तमान में 20 अधिकारी हैं। रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हाल ही में स्वर्गवास हो गया और एक ऐनेस्थेटिस्ट का पद खाली हो गया है।

(ख) जी, हां। दानापुर रेलवे अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त उपचार मिल रहा है और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपस्करों की कुछ महत्वपूर्ण मदें हैं :–

(i) अल्ट्रा साउंड मशीन, 1997.

(ii) अल्ट्रा साउंड मशीन, 1999 के लिए फार्मेट कैमरा।

(iii) 300 एम०ए०एक्स-रे मशीन, 1987।

(iv) 20 एम०ए० पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, 1999।

उपर्युक्त सभी वस्तुएं संतोषजनक चालू हालत में हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई मशीनों/उपस्करों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। बहरहाल, वर्ष 2002-03 में रेलवे अस्पताल/दानापुर की लागत अवसंरचना में सुधार के लिए 72.93 लाख रुपये की लागत पर एक कार्य स्वीकृत किया गया हैं और सिविल इंजीनियरी कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

विवरण

(1) 2.11.01 को आंखों की शल्य चिकित्सा के लिए सर्जीकल आपरेटिंग माइक्रोस्कोप प्राप्त किया।

(2) 14.9.02 को शैडोलेस सीलिंग संस्पेशन ओ०टी० लाइन प्राप्त की।

(3) 19.12.01 को बोयल की ऐनेस्थीसिया मशीन प्राप्त की।

(4) 28.6.02 को हाई प्रेशर स्टीम स्टेरलाइजर (क्षैतिज) प्राप्त की।

(5) 13.11.2000 को आंखों के लिए स्टीक रेटीनोस्कोप प्राप्त किया।

(6) 11.4.200 को ऊपरी जी-आई ऐन्डोस्कोप प्राप्त किया।

(7) 27.9.02 को फियोटल डौपलर मशीन प्राप्त की।

(8) अगस्त, 2002 को बेबी इन्क्यूबेटर प्राप्त की।

(9) अक्टूबर, 2002 में दंत चिकित्सा कुर्सी प्राप्त की।

(10) अक्टूबर, 2002 में वैक्स बाथ प्राप्त की।

(11) 2002 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्राप्त हुए।

(12) 2002 में बायोकेमेस्ट्री लेब टेस्टों के लिए वाटर बाथ प्राप्त किया।

रेलवे वाणिज्य विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी

2256. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध किन मानदंडों के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं;

(ख) क्या वाणिज्यिक अधिकारियों को तुच्छ आरोपों के कारण कोई कार्य नहीं दिया गया और उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इससे रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की अत्यधिक कमी हो गई है जिससे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) रेल सेवा (आचरण) नियमों के अनुरूप वाणिज्यिक कर्मचारियों पर आरोप लगाए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों को रद्द करना/बहाल करना

2257. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार, राज्य-वार कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां रद्द की गई;

(ख) ये पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां किन आरोपों पर रद्द की गई हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान रद्द करने के बाद बहाल किए गए पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश भर में विगत तीन वर्षों तथा अप्रैल से दिसम्बर, 2002 के दौरान रद्द (समाप्त) किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् हैं :-

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1999-2000	53	28
2000-2001	107	14
2001-2002	122	24
अप्रैल-दिसम्बर, 2002	80	09

(ख) ये खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विभिन्न कारणों अर्थात् कदाचार/अनियमितताओं, त्यागपत्र, गैर-निष्पादन बेनामी प्रचालन अनधिकृत पुनर्गठन, डीलरशिप करार का उल्लंघन तथा लिखत का अनादर इत्यादि कारणों से रद्द (समाप्त) की गई थी।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान 17 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 3 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पुनः बहाल की गई हैं।

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

2258. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान देश में राज्य-वार कितने बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ख) इन संयंत्रों का आकार और क्षमता कितनी है और उनके द्वारा कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) इन बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने हेतु कितनी राजसहायता दी गई;

(घ) क्या इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए राजसहायता घटक में वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और खर्च की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) वर्ष 2002-03 (अप्रैल, 2002-जनवरी, 2003) के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (एन०बी०पी०) के अंतर्गत स्थापित 91,894 परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों तथा अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (डब्ल्यू०ई०पी०) के अंतर्गत संस्थापित तीन बायोमिथेनेशन परियोजनाओं पर राज्यवार सूचना क्रमशः विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित की गई एक परियोजना सहित बायोमिथेनेशन परियोजनाओं के संबंध में सूचना विवरण-II में दी गई है। परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कुकिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, का आकार और क्षमता प्रतिदिन एक से छः घन मीटर गैस उत्पादन के बीच है।

(ग) फरवरी, 2003 तक दी गई बायोमिथेनेशन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की राशि विवरण में दर्शाई गई है। परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र के लिए दी गई केन्द्रीय सब्सिडी की राशि के ब्यौरे का उल्लेख विवरण-III में किया गया है।

(घ) इस समय एन०बी०पी० तथा डब्ल्यू०ई०पी० के अंतर्गत सब्सिडी बढ़ाने के लिए किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) सूचना नीचे दी गई है :–

योजना	वर्ष 2002-03 के लिए स्वीकृत बजट	(अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003 तक) खर्च की गई राशि
एनबीपी	59.50 करोड़ रु०	22.60 करोड़ रु०
डब्ल्यूईपी	20.00 करोड़ रु०	5.52 करोड़ रु०

विवरण-I

वर्ष 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्थापित किए गए परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	संयंत्रों की संख्या (अप्रैल, 2002-जनवरी, 2003)
1	2
आंध्र प्रदेश	12214
अरूणाचल प्रदेश	78
असम	2676
बिहार	1309
छत्तीसगढ़	3856
गुजरात	4389
गोवा	32
हरियाणा	1095
हिमाचल प्रदेश	214
जम्मू एवं कश्म	22
झारखंड	155
कर्नाटक	17536
केरल	6506
मध्य प्रदेश	5393

1	2
महाराष्ट्र	4888
मणिपुर	16
मिजोरम	76
नागालैंड	87
उड़ीसा	6079
पंजाब	2740
राजस्थान	167
सिक्किम	492
तमिलनाडु	1598
त्रिपुरा	93
उत्तर प्रदेश	7870
उत्तरांचल	700
पश्चिम बंगाल	11613
कुल	91894

विवरण-II

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम : वर्ष 2002-03 के दौरान अब तक स्थापित की गई अनेक बायोमिथेनेशन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे; परियोजना का आकार/क्षमता और फरवरी, 2003 तक दी गई/रिलीज की गई केन्द्रीय सब्सिडी की राशि

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	बायोगैस उत्पादन/ विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना का निर्धारित आकार/ क्षमता	फरवरी, 2003 तक दी गई/रिलीज की गई सब्सिडी की राशि
मध्य प्रदेश	एक	प्रतिदिन 300 घनमीटर	43.25 लाख रु०
महाराष्ट्र	एक	प्रतिदिन 10000 घनमीटर	31.00 लाख रु०
तमिलनाडु	एक	0.50 मेगावाट	170.72 लाख रु०

विवरण-III

वर्ष 2002-03 के लिए राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सब्सिडी की राशि

श्रेणी	प्रति संयंत्र केन्द्रीय सब्सिडी की राशि
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-रु०
असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-रु०
जम्मू एवं कश्मीर; हिमाचल प्रदेश; उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु में नीलगिरि; दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) में सदर कुर्सियांग और कालिमपोंग सब-डिवीजन और सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,500/-रु०
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरूस्थली जिले, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	2,300/-रु०
अन्य	1,800/-रु०

विद्युत परियोजनाओं का पूरा किया जाना

2259. श्री अम्बरीश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 28 फरवरी, 2003 तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न विद्युत निगमों द्वारा राज्य-वार पूर्ण की गयी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समय-सीमा के पीछे चल रही विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 28.2.2003 तक केन्द्रीय

और राज्य क्षेत्र में पूरी की गई ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं, जो अपने कार्यक्रम से पीछे चल रही है, उनका ब्यौरा विलम्ब के कारण समेत विवरण-II में दिया गया है।

(घ) लक्षित परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मानीटरिंग तंत्र बनाये गये हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) द्वारा मासिक समीक्षाएं की जा रही है और सचिव (विद्युत) द्वारा त्रैमासिक समीक्षाएं की जा रही है।

प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रणाली आरंभ की गई है। नोडल अधिकारी द्वारा इन पर ध्यान रखना अपेक्षित है ओर जिन समस्याओं, से परियोजना में विलम्ब होता है उनसे संबंधित मुद्दे को शीघ्र समाधान हेतु उपयुक्त स्तरों पर उठाकर समस्याओं के समाधान को सुविधाजनक बनाना अपेक्षित है।

जल विद्युत परियोजना के संबंध में यह सुनिश्चित करके कि मुख्य ठेका पैकेजों को प्रदान करने से पहले :–

(क) आवश्यक अवसंरचना विकसित हो जाए

(ख) भूमि अधिग्रहित हो जाए और

(ग) पूर्ण जांच पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाए।

अतिरिक्त समय व लागत में कमी लाने के उद्देश्य से तीन स्तरीय विकास प्रणाली विकसित की गई है।

विवरण-I

क. चालू वर्ष में (28.2.2003 तक) तथा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत निगमों द्वारा पूरी की गयी (तुल्यकालिक) ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत निगम का नाम	तुल्यकालिक बनाने की तिथि
1	2	3	4	5
1999-2000				
1.	हरियाणा		एनटीपीसी	
	अरिदाबाद सीसीजीटी			
	जीटी-1	143		29.06.99
	जीटी-2	143		18.10.99
2.	केरल		एनटीपीसी	
	कायमकुलम सीसीजीटी			
	एसटी	119.4		30.10.99
3.	मध्य प्रदेश		एनटीपीसी	
	विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-2			
	यू-8	500		26.02.00
4.	उत्तर प्रदेश		एनटीपीसी	
	ऊंचाहार टीपीएस चरण-2			
	यूनिट-4	210		22.10.99
5.	कर्नाटक		केपीसीएल	
	रायचूर टीपीपी			
	यूनिट-6	210		22.07.99

1	2	3	4	5
6.	पश्चिम बंगाल		डब्ल्यूबीपीसीएल	
	बक्रेश्वर टीपीपी			
	यूनिट-1	210		18.07.99
7.	गुजरात		जीपीसीएल	
	सूरत लिग्नाइट			
	यूनिट-1	125		16.01.00
	यूनिट-2	125		06.11.99
8.	पाण्डिचेरी		पीपीसीएल	
	कराइकल सीसीजीटी			
	एसटी	9.6		15.10.99
9.	राजस्थान		आरआरवीयूएनएल	
	सूरतगढ़ टीपीएस चरण-1		(आरएसईबी)	
	यूनिट-2	250		28.03.00
2000-2001				
10.	हरियाणा		एनटीपीसी	
	क) फरीदाबाद सीसीजीटी एसटा			
	ख) ताऊ देवीलाल टीपीएस चरण-4	144	एचपीजीसीएल	31.07.00
	यूनिट-6	210		31.03.01
11.	पश्चिम बंगाल		डब्ल्यूबीपीडीसीएल	
	बक्रेश्वर टीपीपी			
	यूनिट-2	210		20.05.00
	यूनिट-3	210		31.03.01
2001-2002				
12.	दिल्ली		पीपीसीएल	
	प्रगति सीसीजीटी			
	जीटी-1	104.6		15.03.02
13.	राजस्थान		आरआरवीयूएनएल	
	सूरतगढ़ टीपीएस चरण-2			
	यूनिट-3	250		29.10.01
	यूनिट-4	250		25.3.02
14.	गुजरात		जीएसईसीएल	
	हजीरा सीसीजीटी			
	जीटी-1	52		30.9.01
	जीटी-2	52		16.10.01
	एसटी	52.1		31.3.02

1	2	3	4	5
15.	आंध्र प्रदेश सिम्हाद्री टीपीएस यूनिट-1	500	एनटीपीसी	22.2.02
2002-2003				
16.	दिल्ली प्रगति सीसीजीटी जीटी-2 एसटी	104.6 121.18	पीपीसीएल	9.11.02 31.1.03
17.	राजस्थान रामगढ़ सीसीजीटी जीटी-2	37.5	आरआरवीयूएनएल	7.8.02
18.	आंध्र प्रदेश सिम्हाद्री टीपीएस यूनिट-2	500	एनटीपीसी	24.08.02
19.	कर्नाटक रायचूर टीपीपी यू-7	210	केपीसीएल	11.12.02
20.	तमिलनाडु नैवेली टीपीएस-1 विस्तार यूनिट-1	210	एनएलसी	21.10.02

ख. गत तीन वर्षों के दौरान 28.2.2003 तक विभिन्न सार्वजनिक निगमों द्वारा पूरी की गयी जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत निगम का नाम	तुल्यकालिक बनाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	जम्मू व कश्मीर अपर सिंध-II	35.0 35.0	जेकेपीडीसी	9.7.2000 11.9.2001
2.	चेनानी-III	7.5	जेकेपीडीसी	6/7-2000
3.	अपर सिंध विस्तार	35	जेकेपीडीसी	29.3.2002
4.	सेवा-III	9	जेकेपीडीसी	19.3.2002
5.	गुजरात सरदार सरोवर कैनाल हैड पावर हाऊस	2x50	एसएसएनएनएल	4.9.02 (Rotated)
6.	आंध्र प्रदेश सिंगुर	7.5 7.5	एपीजेनको	6.12.99 31.3.2000

1	2	3	4	5
7.	श्रीसेलम एलबीपीएच	4x150	एपीजेनको	26.4.2001 12.11.2001 19.4.2002 29.11.2002
8.	कर्नाटक कालीनदी-II (कोडासल्ली)	40	केपीसीएल	28.8.99
9.	शरावती टेल	4x60	केपीसीएल	20.2.01 15.5.01 1.11.01 30.3.02
10.	उड़ीसा अपर इन्द्रावती	4x150	ओएचपीसी	5.9.99 23.12.99 30.9.00 16.4.01
11.	सिक्किम रंगित, एनएचपीसी	3x20	एनएचपीसी	5.2.2000
12.	नागालैंड दोयांग	3x25	नीपको	29.6.00 5.7.00 8.7.00
13.	अरूणाचल प्रदेश रंगानदी	3x135	नीपको	26.1.02 29.1.02 29.3.02

विवरण-II

(क) *निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं जिनमें अतिरिक्त समय लगा है :–*

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ होने की नवीनतम समय सीमा	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	6
अक्रीमोटा लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर संयंत्र, यूनिट 1 तथा 2	गुजरात	2x125	12/2002 06/2003 03/2003 09/2003	आईडीबीआई द्वारा निधियों की वचनबद्धता न किए जाने के कारण। परियोजना प्राधिकारियों ने अब निधियों के लिए विद्युत वित्त निगम से संपर्क किया है।
नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तार यूनिट-2	तमिलनाडु	210	02/2001 12/2002	आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब के कारण यूनिट को तुल्यकालिक बनाने में विलंब हुआ।

(ख) *निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें अतिरिक्त समय व लागत लगी है :*

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ होने की मूल/ नवीनतम समय सीमा	विलम्ब के कारण
धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	1998-99/ 2004-05	जेबीआईसी वित्त प्रबंध में विलम्ब
दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	390.00	जुलाई, 1994/ दिसम्बर, 2003	खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति के कारण हेड रेस टनल (अपस्ट्रीम) तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई।
पुरूलिया पीएसएस	पश्चिम बंगाल	900.00	2002-03/ 2006-07	बोलीदाताओं द्वारा रिट याचिका दायर करने और परिणामी कानूनी बाधाओं के कारण और पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि के विपथन के कारण, लॉट-4 के मुख्य सिविल कार्य की शुरूआत में विलम्ब के कारण।
नाथपा झाकरी (एनजेपीसी)	हिमाचल प्रदेश	1500.00	दिसंबर, 2001 से मार्च, 2002/ मार्च, 2003 से दिसंबर, 2003	जुलाई/अगस्त, 2000 में फ्लैश फ्लड, मई, 2000 में डिसीलिंटिंग चेम्बर नं० 3 और 4 में रॉक फॉल तथा सितम्बर से अक्तूबर, 2002 के दौरान डिसिलिंटिंग चेम्बर नं० 4 में रॉक फाल के कारण
टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	1997-99/ दिसंबर, 2003	सहायता तथा पुनर्वास समस्याओं और उत्तराखंड आंदोलन के कारण विलम्ब हुआ।
लारजी	हिमाचल प्रदेश	126.00	2002-03/ 2004-05	कंट्रेक्ट पैकेज की सुपुर्दगी में विलम्ब
सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	1450.00	1994-96/ 2003-07	न्यायालय मामले और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता निरस्त करना तथा जेबीआईसी ऋण का निरस्तीकरण
बाण सागर (टॉस पीएच 4)	मध्य प्रदेश	20.00	1996-97/ 2005-06	निधियों की कमी, कार्यकारी एजेंसी के निर्णयन में विलम्ब तथा सहायता एवं पुनर्वास समस्याएं।
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	1995-96/ 2004-05	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और प्रमुख कार्यों को सौंपने में विलम्ब।
श्रीसेलम एलबीपीएच	आन्ध्र प्रदेश	900.00	1993-95/ 2000-03	कार्य सौंपने में विलम्ब तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति।
पाईकारा अनंतिम	तमिलनाडु	150.00	1994-95/ 2003-04	सिविल तथा मैकैनिकल कार्यों को सौंपने में विलम्ब।
कारबी लंगपी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	1985-86/ 2004-05	कार्यकारी एजेंसियों में लगातार परिवर्तन, निधि कमियों के कारण विलम्ब हुआ।

फुटकर विक्रय/केन्द्रों के लिए चयन प्रक्रिया में संशोधन

2260. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को अपनी नई डीलर चयन प्रक्रिया और स्थल चयन प्रक्रिया को पुन: संशोधन करने हेतु निर्देश दिया है;

(ख) क्या ये निर्देश ऐसे स्थानों/स्थलों/डीलरों पर लागू होंगे जहां भारी निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार/तेल कंपनियां इस घाटे का मुआवजा देंगी;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह निर्णय उन पुराने मामलों/पाइप लाइनों पर लागू नहीं होगा जहां पहले ही निवेश किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए स्थानों का चयन संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विद्यमान डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के अनतिक्रमण जैसे कुछ एक मामनकों को पूरा करते हों। डीलरों/वितरकों का चयन संबंधित तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटना स्थलों पर संसद सदस्यों का दौरा

2261. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2002 से आज तक रेल दुर्घटना स्थलों का दौरा करने वाले संसद सदस्यों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 2002 से आज तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) रेल दुर्घटनाएं बढ़ने के क्या कारण हैं;

(घ) रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या रेलवे संसदीय समिति ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) वर्ष 2002-03 (अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003) के दौरान 324 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों से परिणाम गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट का रुख रहा है। 2000-01 के दौरान ये दुर्घटनाएं 473 से कम होकर 2001-02 में 414 हो गई हैं, जो 12.5% की कमी दर्शाती हैं। बहरहाल, उन्नत अनुरक्षण, पद्धतियों कर्मचारियों के गहन प्रशिक्षण, नियमित संरक्षा लेखा परीक्षाओं आदि के द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त पद

2262. **श्री रामदास आठवले :**
श्री पी०डी० एलानगोवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है और नई भर्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नई नियुक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों की भर्ती और और प्रोन्नति के संबंध में विहित मानदंडों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

93

मेजिया ताप विद्युत परियोजनाएं

2263. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेजिया ताप विद्युत परियोजना का घाटा बुनियादी तौर पर सामग्रीगत घाटा है जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) से रेल परिवहन से आती है;

(ख) यदि हां, तो ईस्टर्न कोलफील्ड लि० और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से एम०टी०पी०पी० द्वारा कितनी असम्बद्ध सामग्री और कोयला प्राप्त हुआ;

(ग) कोयले की कितनी मात्रा में चोरी हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) पूर्वी कोलफील्ड लि० (ई०सी०एल०) और भारत कुकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) से रेल द्वारा कोयला परिवहन के दौरान कोयले की प्राय: हानि होती है, किन्तु यह हानि बहुत अधिक नहीं है। बाहरी सामग्री लगभग 0.25% है। विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग की मात्रा बहुत कम है।

(घ) उठाए गए कदम निम्नानुसार है :

(i) बाहरी सामग्री की मात्रा के समतूल्य कोयले के मूल्य में कोयला कंपनियों के बिल से कमी की जाती है।

(ii) कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोयला कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के साथ नियमित परामर्श।

(iii) जिला प्रशासन के साथ नियमित परामर्श।

[हिन्दी]

93-94

रेलवे में निजीकरण

2264. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलवे सेवाओं का निजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) प्रथम चरण में गैर-सरकारी कंपनियों को कंपनी-वार क्या कार्य सौंपा गया है/और तत्संबंधी तारीख क्या है;

(घ) क्या सरकार को गैर सरकारी पार्टियों को कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउंटर देते समय अपनाए गए पक्षपातवाद के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) किसी भी यात्री सेवा का निजीकरण नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) मध्य रेलवे के मुंबई क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर तीन रेल यात्री सेवा ऐजेंटों (आर०टी०एस०ए०) को कंप्यूट्रीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी०आर०एस०) टर्मिनलों का आबंटन किया गया है। चयन समिति द्वारा इन तीन आर०टी०एस०ए० के नामों को अंतिम रूप देने के उपरांत इस निर्णय के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया है और रेलवे को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निपटान कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा याचिका दायर की है जो न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

94-95

उड़ीसा में जल विद्युत की संभावना

2265. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में अत्यधिक जल विद्युत की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में जल विद्युत की संभावना का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य में इस समय चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा को इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) ने 1978-87 के दौरान किए गए अध्ययनों से उड़ीसा में 2999 मेगावाट अनुमानित जल विद्युत शक्यता वाली 18 स्कीमों की पहचान की है।

(ख) 1843.5 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 7 जल विद्युत परियोजनाएं पहले ही विकसित की जा चुकी हैं तथा 210 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 2 जल विद्युत परियोजनाएं विकासाधीन हैं।

(ग) और (घ) बालीमेला डैम दो (2x30 मेगावाट) बालीमेला एक्सटेंशन (2x75 मेगावाट) इस समय निष्पादनाधीन है। जलपुट परियोजना (3x6 मेगावाट) उड़ीसा में निष्पादित करने के लिए सी०ई०ए० ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने बालीमेला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट यूनिट 7 तथा 8 (2x75 मेगावाट) के लिए 21.21 मिलियन अमरीकी डालर और 29.04 करोड़ रु० का ऋण मंजूर किया है।

कृषि हेतु बिजली पर राजसहायता

2266. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि के लिए बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाने हेतु व्यापक दिशानिर्देश देने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में भारी राजसहायता/निशुल्क विद्युत बिजली देने का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि सिंचाई और ऊर्जा दोनों के संबंध में प्रशुल्क ढ़ांचे की प्रति पांच वर्ष में समीक्षा और संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) विद्युत वितरण कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किए जाने के लिए फुटकर विद्युत दर का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा या जहां रा०वि० विनियामक आयोग गठित हैं वहां इन आयोग द्वारा किया जाता है।

विद्युत विनियामक आयोग (ई०आर०सी०) अधिनियम, 1998 की धारा 29(2)(ग) में राज्य आयोगों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित टैरिफ से आपूर्ति की लागत भी प्रकट हो। अधिनियम की धारा 29(3) में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग इस अधिनियम के तहत टैरिफ निर्धारण के समय किसी भी विद्युत उपभोक्ता को अनावश्यक वरीयता न दें अपितु उनका वर्गीकरण उपभोक्ता भार क्षमता, विद्युत भार क्षमता, किसी निर्धारित समयावधि अथवा जिस समय आपूर्ति आवश्यक हो उस दौरान के कुल विद्युत खपत या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति तथा आपूर्ति के उद्देश्य के आधार पर करें।

तथापि, राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सके। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 29(5) में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में यदि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देना चाहे तो राज्य सरकार को उस व्यक्ति को राज्य आयोग के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा जो सब्सिडी दिए जाने से प्रभावित हुआ है।

3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गवा है कि शुल्क रहित विद्युत वितरण से बचना जरूरी है। 50 पैसा न्यूनतम कृषि टैरिफ के मुख्यमंत्रियों के पूर्व निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए।

त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत, राज्य में राजस्व और लागत के बीच अंतराल में वास्तविक कमी को अनुदानों के जरिए पूरा किया जाए।

भारत सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिचाई प्रभारों में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत आबंटनों की वाटर टैरिफ सुधारों से जोड़ा गया है। सुधारों को लागू कर रहे राज्य, जी०ओ० एण्ड एम० लागतों की पूर्ण वसूली के लिए 5 वर्षों की अवधि के भीतर जल दरों को संशोधित करने के लिए सहमत हो गए हैं, वे कार्यक्रम के विशेष प्रबंधन के तहत बेहतर शर्तों पर ऋण के पात्र होंगे और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) में प्रवेश कर सकेंगे। अब तक 4 राज्य नामत: राजस्थान, उड़ीसा तथा

महाराष्ट्र ने 5 वर्षों के भीतर जल प्रभारों को संशोधित करने की सहमति देते हुए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

2267. **श्री पद्मसेन चौधरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संस्थापना हेतु ताप विद्युत स्टेशनों की निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमावली अधिसूचित की है। इस नियमावली में प्रदूषण सामग्री के उत्सर्जन को शामिल करने के प्रतिमान, अनुकूल वायु गुणवत्ता मानक तथा जल उत्सर्जन संबंधी मानकों का उल्लेख हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने के समय प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने संबंधी शर्त रखी जाती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानकों की पूर्ति न कर सकने वाले पुराने ताप विद्युत स्टेशनों के मामले में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत बदल दिया जाता है।

(ग) इन उपायों/कार्यों पर होने वाले व्यय का संबंध परियोजना विशेष से है।

[अनुवाद]

बी०एस०सी०एल० में कर्मचारियों की बकाया धनराशि

2268. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज में बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के प्रतिष्ठानों के उच्च तापरूट और वृत्तिका समूह (रिफ्रैक्टरी एण्ड सेरामिक ग्रुप) 31 अक्तूबर 2000 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से कर्मचारियों को अलग कर बंद कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या 356 कर्मचारियों में से 156 कर्मचारियों को अभी तक उनकी बकाया धनराशि नहीं मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या 2000-01 और आगे से जिन कर्मचारियों के व्यवस्थापन दावों का निपटाया किया गया उन्हें पूर्व वर्षों में जारी भविष्य निधि की ब्याज दरों की अपेक्षा भविष्य निधि पर चरणों में घटी ब्याज दरें प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल आधार पर 11.237 प्रतिशत ब्याज की दर पर शेष 156 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर बकाया भुगतान का परिसमापन करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है कि जिन कर्मचारियों के दावे भविष्य निधि की बकाया धनराशि पर ब्याज की कम दर पर निपटाए गए, उन्हें अधिक ब्याज के अपने विधि सम्मत दावे ही मिलें जिनके वे पात्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) 156 कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि (पी०एफ०) की देय राशि बकाया है जिसके लिए सरकार ने कम्पनी को 20.2.2003 को 3.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। पी०एफ० पर ब्याज दर पी०एफ० ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके ट्रस्टी कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं। इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ब्याज दर वर्षानुवर्ष बदलती रहती है। पी०एफ० में जमा राशि पर वर्ष 1999-2000 के बाद ब्याज दर घटा दी गई है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में पी०एफ० पर समान दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

एफ०एम० स्टेशनों की पहचान

2269. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में एफ०एम० स्टेशनों की स्थापना हेतु कौन-कौन से और कितने स्टेशनों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का नाम उस सूची में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वाणिज्यिक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण शहर की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान जम्मू और कश्मीर में भद्रवाह में आकाशवाणी के एक एफ०एम० केन्द्र को पूरा किए जाने का लक्ष्य था और इस केन्द्र को 13 जुलाई, 2002 को चालू कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मोरादाबाद आकाशवाणी दिल्ली के 100 किलोवॉट और 200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों तथा आकाशवाणी रामपुर के 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की प्राथमिक श्रेणी के कवरेज क्षेत्रों में पड़ता है। मोरादाबाद जिले के कुछ हिस्सों को आकाशवाणी नजीबाबाद के 100 किलोवॉट मीडियम वेव ट्रांसमीटर द्वारा भी कवर किया जाता है।

सेना अभियन्ता सेवाओं हेतु स्वतंत्र प्रमुख

99. 100

2270. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अभियंता सेवाओं में कोई स्वतंत्र प्रमुख नहीं है जबकि अन्य अभियांत्रिकी सेवाओं के स्वतंत्र प्रमुख हैं;

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग ने इस बात की पुरजोर सिफारिश की है कि सेना अभियंता सेवाओं का स्वतंत्र प्रमुख होना चाहिए;

(ग) क्या सेना अभियंता सेवाओं से अलग किए गए डायरेक्टर जनरल मेरिट अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स का हाल ही में काई स्वतंत्र प्रमुख नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो एम०ई०एस० के लिए स्वतंत्र प्रमुख नियुक्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कार्य कब तक किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। इंजीनियर-इन-चीफ सेना इंजीनियर सेवा का प्रमुख होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। महानिदेशक परिवार आवास परियोजनाओं को स्वतंत्र शीर्ष मुहैया कराया गया है।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठात।

'छत्रपति शाहू महाराज' पर जीवनी संबंधी फिल्म

2271. **श्री सदाशिवराज दादोबा मंडलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्रपति शाहू महाराज पर जीवनी संबंधी फिल्म बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, छत्रपति शाहू महाराज पर 52 कडियों वाले "लोक राजा राजश्री शाहू" नामक एक प्रायोजित धारावाहिक को दूरदर्शन द्वारा मुम्बई के सहयाद्रि स्थलीय नेटवर्क पर पहले ही हर सप्ताह प्रसारित किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय 100

पुराने रोड क्रासिंग फाटकों का बदलना

2272. **श्री अनंत गुढे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा 50-60 वर्ष पहले लगाए गए रेल-सड़क मार्ग के क्रासिंग फाटकों का कोई उपयोग नहीं है और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रेलवे क्रासिंग फाटकों को बड़े फाटकों में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सड़क की चौड़ाई की आवश्यकता के अनुसार समपार गेटों की चौड़ाई की व्यवस्था की जाती है। समपारों का उन्नयन टी०वी०यू० (गाड़ी वाहन इकाई के आंकड़े 24 घंटों में समपार पर सड़क वाहन की संख्या और गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या का गुणा करके निकाली जाती है) के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार यातायात की गणना की जाती है। इसके अलावा, गेट खोलने और बंद करने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए समपारों फाटकों को कार्यक्रमबद्ध आधार पर लिफ्टिंग बैरियरों से बदला जाता है।

100-01

निशक्त लोगों की रिक्तियों का भरा जाना

2273. **श्री सुबोध राय** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निशक्तता अधिनियम 1995 बनाने के बाद निशक्त लोगों को रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार निशक्त लोगों के लिए निर्धारित सभी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण की बकाया रिक्तियां भरने के लिए विशेष रोजगार अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 1986 में पहचान की गई पदों की समीक्षा की है तथा जून, 2001 में भारत सरकार के प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियां के लिए यथा उपयुक्त सभी समूहों में 1900 से अधिक पदों की एक संशोधित सूची अधिसूचित किया है। भर्ती एजेन्सियों द्वारा समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों/विभागों से भर्तीकर्त्ता एजेन्सियों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति को ध्यान में रखा गया है।

मार्च, 2001 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समूह क, ख, ग, तथा घ में पहचान की गई पदों के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% के सांविधिक प्रावधान से अधिक हैं।

केरल को बिजली देना

2274. श्री पी०सी० थामस : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के बाहर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ली गयी बिजली की मात्रा का ब्यौरा क्या है और केरल को बिजली पारेषण का तरीका क्या है;

(ख) क्या केरल के दक्षिणी क्षेत्र में सेंट्रल ग्रिड के माध्यम से ईस्टर्न क्षेत्र से और अधिक बिजली लेने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जनवरी, 2003 के क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों के अनुसार केरल ने राज्य के बाहर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी०पी०एस०यू०) से अधिसूचित विद्युत प्राप्त की है, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है—

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	विद्युत केन्द	मिलियन यूनिट
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	रामागुंडम एसटीपीएस	205
नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	टीपीएस-II चरण-1	46
नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	टीपीएस-II चरण-2	64
नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	टीपीएस-1 (विस्तार)	3
न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन	मद्रास	7
न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन	कैगा	11
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	पूर्वी क्षेत्र में स्टेशन	87
कुल		423

वर्तमान में केरल मुख्यतः 400 के०वी० उदमलपेट-नॉर्थ त्रिचूर डी/सी लाईन, जो केरल को दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड से इंटरकनेक्ट करता है, के जरिए राज्य के बाहर स्थापित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह निम्नलिखित 220 के०वी० लाइनों, जो केरल को अन्य पड़ोसी राज्यों से इंटरकनेक्ट करती है, के जरिए भी विद्युत की अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करता है।

कर्नाटक के साथ

1) मैसूर-कोझीकोड 220 के०वी० डी/सी

तमिलनाडु के साथ

1) इदामन-कैथार 220 के०वी० एस/सी

2) इडुक्की-उदमलपेट 220 के०वी० एस/सी

3) सबरगिरि-थेनी 220 के०वी० एस/सी

पूर्वी क्षेत्र से

1) जैपोर-गजुवाका एचवीडीसी बैक टू बैक लाईन

2) तालचेस्कोलार एचवीडीसी बाइपोल

(ख) और (ग) केरल वर्ष 2004-05 तक चालू किए जाने वाले पूर्वी क्षेत्र में स्थापित तालचेर चरण-2 (4×500 मेगावाट) से विद्युत प्राप्त करेगा। केरल की तालचेर चरण-2 में 14% (280 मेगावाट) हिस्सेदारी है।

[हिन्दी]

ऊना में वेस्टर्न कमान मुख्यालय को भूमि का हस्तांतरण

2275. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडी मंदिर में सेना के वेस्टर्न कमान मुख्यालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य ऊना जिले में कुछ सौ एकड़ की चयनित भूमि स्थानांतरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त भूमि हस्तांतरिक करने के लिए अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना में एक भू-पट्टी से बटे हुए दो पॉकेटों में सेना को भूमि देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। सेना प्राधिकारियों ने अपनी यूनिटों तथा स्थापनाओं को स्थापित करने के लिए इस पेशकश को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते समय सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक ही पॉकेट में भूमि देने का अनुरोध किया। अत: राज्य सरकार ने ऊना में 790 एकड़ भूमि निर्दिष्ट कर दी है। उक्त भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए अफसर बोर्ड को आदेश दिया गया है तथा बोर्ड से कार्रवाई का विवरण प्राप्त होने पर इस मामले में आगे और जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात की विद्युत परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश

2276. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य में स्थित विद्युत परियोजनाओं में कोई प्रत्यक्ष निवेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार की इन विद्युत परियोजनाओं में कितनी हिस्सेदारी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र में किसी प्रकार के निवेश नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बच्चों के गोद लेने हेतु समान कानून/दिशानिर्देश

2277. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों को गोद लेने के लिए कोई समान कानून/दिशानिर्देश नहीं है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार बच्चों के गोद लेने के लिए एक समान दिशानिर्देश/कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) से (ग) हिन्दू दत्तक एवं अनुरक्षण अधिनियम, 1956 तथा किशोर न्याय (देखभाल तथा बाल संरक्षण) अधिनियम, 2000 में भारत में बच्चों के दत्तकग्रहण की व्यवस्था है। दत्तकग्रहण में शामिल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए देश के अन्दर दत्तकग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश पहली बार 1998 में जारी किए गए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी क्रयादेश और तकनीकी समनुदेशन

2278. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उनकी विदेशी संविदा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विदेशी स्थापनाओं की स्थापना करते हेतु उन्हें कोई सुविधाएं और छूट प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी क्रयादेश और तकनीक समनुदेशन प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई लाभ दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य की प्रकृति सहित आदेशों और इस समय प्राप्त मूल्य क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों को भारत तथा विदेशों में अपने कार्यालय खोलने तथा साथ ही कुछ शर्तों के अध्याधीन भारत तथा विदेशों में सम्पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियां तथा वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की गई

हैं। आदेशों तथा कार्य के मूल्य व किस्म से सम्बन्धित विवरण को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए राज्यों को धनराशि देना

2279. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की ओर से वर्ष 2002-2003 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, बधिर बच्चों के उत्थान और वृद्धाश्रम हेतु सहायतानुदान जारी करने के लिए अनुमति लेने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी सहायतानुदान की मांग की गई है और सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को निरस्त करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र से 164 और कर्नाटक से 100 प्रस्तावों सहित विभिन्न राज्यों से 1512 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) अस्थि विकलांग, श्रवण विकलांग व्यक्तियों के उन्नयन और वृद्धों के घर की योजनाओं के अंतर्गत मांगे गए अनुदान की पात्र राशि के 90% तक की सहायता पर निर्मुक्ति के लिए विचार किया जाता है। वर्ष 2002-03 में 88.27 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्ति के लिए मंजूर की गई है।

(घ) योजनाओं के मानदंडों और दिशा निर्देशों के अनुसार न पाए गए प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है।

आधुनिक सिगनलिंग व्यवस्था

2280. श्री के० येरननायडू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लोको चालक कर्मचारी संगठन ने 3 जनवरी, 2000 को महाराष्ट्र के घटनांडुर में घटी रेल दुर्घटना के लिए खराब सिगनल व्यवस्था को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां प्रयोग किये जा रही सिगनलिंग व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है और इसमें गलतियों की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में दुर्घटनाएं टालने के लिए आधुनिक सिगनलिंग व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य लाइन पर उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेलपथ परिपथन नहीं है क्योंकि स्टेशन "ई" मार्ग पर था। रेलपथ परिपथन की अनुपस्थिति में गाड़ियां मुख्य लाइन के क्लियरेंस के बारे में मैनुअल सत्यापन के पश्चात ली जाती है।

(ग) घिरी हुई मुख्य लाइन पर गाड़ियों का आगमन रोकने के लिए इस स्टेशन पर उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेलपथ परिपथन के प्रावधान का कार्य 2002-03 के दौरान स्वीकृत किया गया है। यह कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

विभिन्न ईंधनों से उत्पादित विद्युत पर आने वाली लागत

2281. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए जल, ताप ऊर्जा, कोयला नेप्था, तेल और खोई का प्रयोग कि जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन की अन्य कौन-कौन सी किस्मों को प्रयोग में लाया गया है; और

(ग) ईंधन के वैकल्पिक रूपों से उत्पादित ताप विद्युत पर औसतन कितनी उत्पादन लागत आती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। तथापि, जल विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में पानी का उपयोग शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की औसत लागत नीचे दी गई है :–

स्रोत	विद्युत उत्पादन लागत (पैसा/कि०वा०घं०)
हाइड्रो	63 *
कोयला	151 *
नाफ्था	506 *
गैस	220 *
न्यूक्लीयर	82-295
छोटी जल विद्युत	200-250
बायोमास विद्युत/बैगैस सह उत्पादन	150-275

*अखिल भारत भारित औसत।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

2282. **योगी आदित्यनाथ :**
श्री राधा मोहन सिंह :
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है;

(घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर केन्द्र सरकार के साथ कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) इन राज्यों को कुल कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गयी है और 31 दिसम्बर, 2002 तक उन्हें कितनी अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) पारेषण एवं वितरण हानियों (तकनीकी व वाणिज्यिक) को पूरा करने, राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा नकद हानियों में कमी करने और विश्वसनीय एवं निर्बाध आपूर्ति करने के उद्देश्य से उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण करने हेतु भारत सरकार ने फरवरी, 2001 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) आरंभ किया है जिसे कि अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के रूप में नाम दिया गया है। ए०पी०डी०आर०पी० के अंतर्गत निधियां 11 के०वी० फीडरों की मीटरिंग, दोषपूर्ण मीटरों को बदलने, कंडक्टर और ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन, पावर लोडेड कंडक्टर और ट्रांसफार्मर को अलग-अलग करने, सब स्टेशन और सूचना प्रौद्योगिकी का नवीकरण इत्यादि जैसे उपायों के लिए प्रदान की जाएगी।

(घ) समयबद्ध रूप से विद्युत क्षेत्र का सुधार व पुनर्संरचना आरंभ करने और भारत सरकार की सहायता को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ने के लिए 26 राज्यों ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

(ङ) ए०पी०डी०आर०पी० स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 में राज्यों को 978.13 करोड़ रुपये की धनराशि और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1087.59 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। विभिन्न राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत् 31.12.2002 की स्थितिनुसार कर्नाटक को नैवेली लिग्नाइट ताप विद्युत स्टेशन चरण-2 के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त 80 मेगावाट विद्युत आवंटित की गयी है और मध्य प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के स्टेशनों से अतिरिक्त 50 मेगावाट विद्युत आवंटित की गयी है।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजनाएं

2283. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र में विकलांगों की कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) विकलांगों द्वारा दैनिक जीवन में सामना की जा रही समस्याओं को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित नमूना सर्वेक्षण पर आधारित क्रमश: कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में लगभग 8.76 लाख तथा 18.19 लाख व्यक्तियों के किसी न किसी प्रकार के शारीरिक या संवेदी विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान है। विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में 6 राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तरीय संस्थान हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि तथा अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, कार्यशील अनुसंधान आदि शुरू करने के प्रति कार्य करते हैं। इस मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, उपलब्धता, पूर्ति को प्रोत्साहन और उत्पादन तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए गुणवत्ता सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण करता है। वर्ष 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा आय सृजक कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन है।

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों का वृहत्तर कवरेज तथा समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाह्य पहुंच के लिए पहल भी किया है। व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। मेरूदंड क्षतिग्रस्त तथा अन्य अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त पुनवास सेवाएं तथा क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क, अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास कार्य करने लगा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लिए कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के लिए क्रमश: 2374.59 तथा 1504.66 लाख रु० की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

खन्ना समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

2284. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवैसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट में 35000 कि०मी० के ट्रैक को बदलने की सिफारिश की हैं;

(ख) क्या इस समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है 12000 रेल पुलों में से आधे 19वीं सदी के हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने सिफारिश की है कि रेल ट्रैक 5-7 वर्षों में बदले जाने चाहिए और पुलों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने किलोमीटर के ट्रैक को रेलवे द्वारा बदला गया है और रेलवे को पुराने पुलों के बदले कितनी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं;

(ङ) क्या हाल ही की रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने खन्ना समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रभावी और विशेष कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। खन्ना समिति (अगस्त, 99) में अगले 7 वर्षों में बड़ी ल न पर (1.4.99 को) 12,260 कि०मी० के बकाया और 3250 कि०मी० प्रति वर्ष के हिसाब से नए कार्य समाप्त करने की सिफारिश क थी जो 35010 कि०मी० नवीकरण बनता है।

(ख) जी, हां। समिति ने उल्लेख किया कि भारतीय रेल पर 51340 अदद पुल 19वीं सदी के हैं।

(ग) जी, हां। समिति ने अगले 7 वर्षों में बकाया और नए रेलपथ नवीकरण कार्य करने और नए काम के साथ-साथ 5 वर्ष की अवधि में डिस्ट्रेस्ड पुलों के पुन: स्थापन की सिफारिश की थी।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान रेलपथ नवीकरण/पुलों की प्रगति इस प्रकार है :

वर्ष	कुल रेलपथ नवीकरण कि०मी० में	जोड़ पुलों का किया गया पुन: स्थापन/पुननिर्माण/पुन: गार्डर आदि
2001-02	3620	725
2002-03 (लक्ष्य)	4000	999
2002-03 (जन० 03 तक प्रगति)	3817	754

(ङ) से (छ) रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने रिपोर्ट के दोनों भागों में 278 सिफारिश की हैं। उनमें से 214 या तो "पूरी तरह से" या "आंशिक रूप से" स्वीकार कर ली गई हैं, 28 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और 36 जांचाधीन है। 47 सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं।

स्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई विभिन्न स्तर पर है जो संसाधनों की उपलब्धता और कुछ मामलों में परीक्षण की सफलता पर निर्भर करता है।

कायमकुलम विद्युत परियोजना का विस्तार

2285. **श्री वी०एस० शिवकुमार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के कायमकुलम विद्युत प्लांट का विस्तार कर इसे 2000 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत प्लांट जिसमें ईंधन के तौर पर एल०एन०जी० इस्तेमाल होती है, में बदलना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) एन०टी०पी०सी० ने कायमकुलम में अपनी 350 मेगावाट क्षमता की नेप्था आधारित कम्बाइंड साइकिल विद्युत संयंत्र को विस्तारित कर लिक्वीफाइडल नैचुरल गैस/नैचुरल गैस आधारित चरण-II की क्षमता में 1950 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनायी है। कायमकुलम चरण-II के कार्यान्वयन से 11वीं योजना अवधि में लाभ प्राप्ति की आशा है बशर्ते कि संगतपूर्ण दर से ईंधन उपलब्ध हो तथा विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर के द्वारा लाभार्थी यूटिलिटी परियोजना से विद्युत लेने के प्रति प्रतिबद्ध हों।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

2286. **श्री विक्रम केशरी देव** :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्मविमोह, मस्तिष्क विमोह, मानसिक मंदता, बहुअक्षमता से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह के लोगों के हितों की सुरक्षा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार ने विक्लांगों को पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को मार्ग निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) आटिज्म, प्रमस्तिक अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और देखभाल के लिए किए गए उपायों में अभिभावकता मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर की समितियों की स्थापना करना, दिवा देखभाल, राहत देखभाल तथा आवासीय देखभाल केन्द्रों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेष शिक्षकों तथा गृह आधारित देखभाल प्रदान करने वालों का प्रशिक्षण, सूचना केन्द्रों की स्थापना, माता-पिता और परिवारों के लिए सूचना पुस्तिकाओं का विकास और प्रचार-प्रसार, जागरूकता अभियान तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना आदि शामिल है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यास के कारपस के लिए 100 करोड़ रु० का योगदान दिया है तथा इससे प्राप्त आय का उपयोग न्यास की योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न युक्तिसंगत रियायत/लाभ विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान पत्रों में एकरूपता लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2000 में इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिशा-निदेश परिचालित किए हैं जिसमें इसे उपयोग हेतु अपनाने का अनुरोध किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों जिन्हें कार्ड के लिए यात्रा करने की जरूरत न पड़े, की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पहचान पत्र जारी करने के लिए उचित प्राधिकारी तथा प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। वे सभी जिन्हें नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूरी भागीदारी) अधिनियम 1995 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा विकलांग होने के बारे में प्रमाणित किया जाता है, पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र पूर्वापेक्षा है। किसी विवाद के मामले में, अपील प्राधिकारी विकलांगों के लिए राज्य आयुक्त होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्वास

2287. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की बंद करने और तीव्र पुनर्वास करने के लिए उन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्वास बोर्ड के दायरे से बाहर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी कानून में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्वास बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के संभावित रूग्ण उपक्रमों में कितनी बकाया देनदारियां है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ख) कंपनी अधिनियम, 2002 (द्वितीय संशोधन) में यह प्रस्ताव किया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन०सी०एल० टी०) की स्थापना की जाएगी और इससे सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम बी०आई०एफ०आर० के विचार-क्षेत्र से इस अर्थ से बाहर हो जाएंगे कि रूग्ण औद्योगिक कंपनियां अधिनियम, 1985 को निरस्त कर संबद्ध प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके बाद सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने पुनर्वास पैकेज के लिए सिर्फ एन०सी०एल०टी० के पास ही अपना मामला प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ग) 31.12.2002 तक बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में सांविधिक देनदारियों तथा वेतन एवं मजूरी की बकाया राशि 30.6.2002 तक 1627.62 करोड़ रुपए थी।

113 - 14

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

2288. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 26 दिसंबर, 2002 के लिए 15,000 करोड़ रु० की लागत वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना शुरू की थी;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने गैर परम्परागत स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने के लिए रेलवे की तरह आधार-भूत संरचनागत ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ग) क्या सम्पूर्ण रेलवे व्यवस्थाा को आधुनिक बनाने और पुरानी परिसम्पतियों को हटाने के लिए विशेष सुरक्षा राशि के तहत उपलब्ध धनराशि/स्रोतों का उपयोग किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय रेल विकास योजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि का स्रोत क्या है और इस योजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण करने का है और वित्त मंत्रालय ने आवश्यक धनराशि के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय रेल विकास निगम के लिए बजटीय और गैर बजटीय संसाधनों के मिश्रण से निधि जुटाई जाएगी।

(ग) विशेष रेल संरक्षा निधि (एस०आर०एस०एफ०) के अंतर्गत उपलब्ध निधि/संसाधनों का इस्तेमाल पहचान की गई गतायु रेलपथ परिसंपत्तियों, पुलों, सिगनलों और टेलीकॉम उपस्करों, चल स्टॉक के बदलने और संरक्षा बढ़ाने के अन्य उपायों जो रेलवे परिचालन में अधिक संरक्षा में योगदान देंगे, के लिए किया जा रहा है। आधुनिकीकरण एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बजटीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर होने से अधिक समय के बाद प्रभावी होती है।

(घ) राष्ट्रीय रेल विकास योजना पांच वर्षों की अवधि में पूरी होगी। बजटीय और गैर-बजटीय संसाधनों के मिश्रण से निधि जुटाई जाएगी।

(ङ) जी हां। सरकार निर्धारित समय में इस परियोजना को पूरा करने की योजना बनाती है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

(च) एशियाई विकास बैंक से यूएस डालर 313.6 मिलियन के प्रथम ऋण का समझौता हुआ है। 1500 करोड़ रुपये बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत शामिल किए गए वृहद पुलों के लिए विश्व बैंक से निधि प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। विश्व बैंक से प्रारंभिक बातचीत कर ली गई है। पत्तन संयोजन कार्यों के निष्पादन के लिए सरकारी और निजी भागीदारी हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है।

[हिन्दी]

114 - 15

हिमालय में गैस और तेल भंडार

2289. श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों इत्यादि की रिपोर्टों के आधार पर हिमाचल के गैस व तेल भंडारों के दोहन के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने की संभावना है और कब तक इसमें सफलता मिलने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) के तीसरे दौर के तहत आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) को हिमाचल प्रदेश राज्य

में हिमालय की तराई के क्षेत्र में एच०एफ०-ओ०एन०एम०-2001/1 नामक एक अन्वेषण ब्लाक प्रदान कर दिया है, जिसके लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर 4.2.2003 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा ओ०एन०जी०सी० के पास जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नामांकन आधार पर एक-एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी०ई०एल०) है। आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) के पास भी उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्यों में हिमालय की तराई के क्षेत्र में नामांकन आधार पर काशीपुर ब्लाक में एक पी०ई०एल० है।

दसवीं योजनावधि (2002-07) के दौरान ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० द्वारा अन्वेषण पर परिकल्पित कुल व्यय क्रमशः 77.30 करोड़ रुपए और 53.20 करोड़ रुपए है और कोई अतिरिक्त कार्य संबंधी कार्यक्रम, जो उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, को आरम्भ करने के लिए धन की कोई कठिनाई नहीं है।

राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एन०ओ०सीज) अर्थात ओ०एन०जी०सी० सी० और ओ०आई०एल० हिमालय के क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए दृढ़तापूर्वक अन्वेषण कार्यों में लगी हुई हैं, हालांकि अभी तक कोई वाणिज्यिक सफलता नहीं मिली है। चूंकि अन्वेषण की प्रकृति निवेश निर्धारक और उत्पादन सम्भावनायुक्त होती है, इसलिए इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

नयी रेल परियोजनाएं

2290. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नयी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) योजना शीर्ष "नई लाइनें और दोहरीकरण" के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और 2003-2004 के बजट में शामिल की गई है। इन परियोजनाओं का विवरण, वर्ष 2003-2004 के लिए प्रस्तावित निधियां इस प्रकार हैं :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित आबंटन 03-04
नई लाइन		
कोसी पुल	323.41	10.00
दोहरीकरण		
पकनी-मोहोल	42.73	15
मानसी-महेशखुंट	15.32	1.00
रोहतक-जाखल	47.79	1.00
हापुड़-कनकथेर	97.74	1.00
साहिबाबाद-आनंदविहार तीसरी और चौथी लाइन	49.22	10.00
अंबातुरई-कोडैकनाल	22.95	0.96
चेन्नई बीच-कौरूक्कूपेट	59.57	5.00
कटैया डांडी-लोहगारा	64.46	1.00
शुजालपुर-अकोदिया	31.36	1.00
बरौनी-तिलरथ	13.85	1.00
बरहरवा-ग्रीनपहाड़	40.00	2.00
कायनकुलम-चेप्पाद	21.48	5.00
कायनकुलम-मवेलीकारा	21.84	5.00
जहानाबाद-बेला	75.00	1.00
चांदपाड़ा-बनगांव	27.48	1.00
रायचूर-गुंतकल	136.62	20.00
कटक-बरंग	127.13	10.00
खुर्दा-बरंग तीसरी लाइन	133.41	10.00
अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	230.73	30.00
नैनी शंटिंग नेक	0.83	0.83
महानगर परिवहन परियोजना		
मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम०यू०टी०पी०)	3125.2	295.00

(घ) संसद द्वारा बजट पारित किए जाने के बाद ही कार्य शुरू किए जाएंगे।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृति

2291. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए 1999 से 2002 के दौरान निजी क्षेत्र की 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की परियोजनावार उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य समयानुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो किस समय तक प्रत्येक परियोजना में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा;

(ङ) क्या प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) ने अप्रैल, 1999 तक 13 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी०ई०सी०) प्रदान की है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग), (ङ) और (छ) विद्युत संयंत्रों पर निर्माण कार्य सामान्यत: तभी शुरू होता है जब, सभी अपेक्षित निवेश स्वीकृतियां सुनिश्चित हो जाती हैं और वित्तीय समापन प्राप्त हो जाता है। अभी तक अनुबंध में उल्लिखित परियोजनाओं में से किसी परियोजना को इस कारण से वित्तीय समापन प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इन परियोजनाओं पर या तो गतिविधियां आरंभ नहीं हुई है अथवा पूरे जोर-शोर से नहीं हुई है।

(घ) वित्तीय समापन की तारीख से विद्युत संयंत्रों/यूनिटों को आरंभ करने के लिए परियोजना-वार समय-सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) निजी विद्युत परियोजनाओं द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त न कर पाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह कि राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनकी उत्तरवर्ती इकाइयां स्वीकार्य भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराने और ऋणदाता संस्थाओं की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ रही है। दूसरे कारण सामान्य रूप से परियोजना विशिष्ट मुद्दे हैं यथा अनुबंधों को अंतिम रूप न दिया जाना अर्थात् विद्युत क्रय करार व क्रियान्वयन करार आदि, ईंधन से संबंधित मुद्दे, संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों की पावर ऑफ टेक आदि की असमर्थता।

विवरण

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को अनुमोदन

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और क्रियान्वयक एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृति की तारीख	चालू होने का कार्यक्रम वास्तविक/ अब प्रस्तावित
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1.	जामनगर टीपीपी मै० रिलायंस पावर लि०	500 (2x250)	20.4.1999	वित्तीय समापन से 36/39 माह
2.	वेमागिरि सीसीपीपी मै० इस्पात इंडस्ट्रीज लि०	492	14.1.1999	जीटी: 12/04 एसटी: 3/05 जीटी: 2/05 एसटी: 5/05
3.	नागार्जुन टीपीएस मै० नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि०	1015 (2x507.5)	29.4.1999	वित्तीय समापन से 35/39 माह
4.	कनीर्मिके सीसीपीपी मै० पीन्या पावर कंपनी	107.6 (2x35.3) + (1x37)	29.9.1999	वित्तीय समापन से 17 माह

1	2	3	4	5
5.	कन्नूर सीसीपीपी मै० कन्नूर पावर प्रोजेक्ट प्रा०लि०	513 (3x111.9) + (1x177.5)	16.2.2000	वित्तीय समापन से 25 माह
6.	कुड्डालोर टीपीपी मै० कुड्डालोर पावर कंपनी लि०	1320 (2x660)	13.8.1999	वित्तीय समापन से 39/44 माह
7.	वेम्बर सीसीजीटी मै० इंडियन पावर प्रोजेक्ट लि०	1873 (374.6 मेगावाट प्रत्येक के 5 माड्यूल	2.9.1999	प्रथम माड्यूल वित्तीय समापन से 38 माह और शेष 3 माह के अंतराल में
8.	इब वैली टीपीएस यूनिट-5 व 6 मै० एसईएस इब वैली कारपोरेशन	500 (2x250)	26.2.1999	वित्तीय समापन से 33/36 माह
9.	धुबरी टीपीपी मै० कलिंगा पावर कारपोरेशन	500 (2x250)	29.4.1999	वित्तीय समापन से 33/36 माह
10.	गौरीपुर टीपीएस मै० गौरीपुर पावर कंपनी	150 (1x150)	19.4.1999	अधिक समय तक निजी क्षेत्र द्वारा विकसित नहीं होगी
जल विद्युत				
11.	श्रीनगर मै० डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं०लि०	330 (4x82.5)	14.6.2000	2006-07/2006-07
12.	धामवाड़ी सुण्डा मै० धामवाड़ी पावर कारपोरेशन लि०	70 (2x35)	6.7.2001	2005-06/11वीं योजना
13.	अलियान दुहंगन मै० राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०	190 (2x95)	20.8.2002	2008-09/2008-09

[अनुवाद] ११७ - २१

विद्युत उत्पादन, खपत, पारेषण और वितरण

2292. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युत निगम ने देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत की खपत, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण की परियोजनाओं को शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में प्रारंभ की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पात्र ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित देश में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्य के लिए सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर ऋण उपलब्ध कराकर राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को बल प्रदान करता है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा तमिलनाडु राज्य की ऐसी परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में तथा पिछले तीन वर्ष में स्वीकृत ऋण सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	स्वीकृत प्रणाली सुधार परियोजनाओं (टी एण्ड डी) की संख्या	प्रणाली सुधार परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1999-2000	40	194.47

1	2	3
2000-01	—	—
2001-02	4	244.90
2002-03 (जनवरी-2003 तक)	42	546.73

विद्युत उत्पादन और वितरण का निजीकरण

121-25

2293. प्रो० दुखा भगत :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में देश में ऐसी कौन-सी विद्युत परियोजना थी जिनके निजीकरण का प्रस्ताव था परन्तु उनका अब तक निजीकरण नहीं किया गया है इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे राज्यों को अपनी विस्तृत पारेषण और वितरण घाटे में कमी लाने में सहायता मिली है; और

(ग) क्या इससे राज्यों को अपने विद्युत पारेषण और वितरण घाटे में कमी लाने में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में विस्तृत पारेषण और वितरण में आयी कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना के निजीकरण की सूचना नहीं है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 18 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत के वितरण में लगी हुई हैं और 11 निजी क्षेत्र में लगी हुई हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाला एक विवरण-II के रूप में संलग्न है। यह नोट किया गया है कि सुधारकर्त्ता राज्यों ने अपने प्रचालन कार्य का विस्तृत अध्ययन कराने के पश्चात् पुनर्संरचना से पूर्व के आंकड़ों की तुलना में अधिक टी एंड डी हानियां दर्ज की है। अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा टी एंड डी हानियों में दर्ज की गई स्पष्ट वृद्धि नेटवर्क के भीतर हानियों का अत्यधिक वास्तविक मूल्यांकन करने के फलस्वरूप है। चूंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं अर्थात् कृषि पंप सेट की मीटरिंग नहीं की गई थी इसलिए विगत में यह प्रचलन रहा है कि हानियों विशेषत: वाणिज्यिक हानियों (यथा चोरी) को गैर मीटरीकृत भाग के रूप में आरोपित किया जाता था। राज्य विनियामक आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं के गैर-मीटरीकृत भागों की मीटरिंग करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा करने आदि के साथ अब टी एंड डी हानियां वास्तविकता के समीप दर्ज की जा रही हैं। यहां तक कि अभी भी गैर-मीटरीकृत उपभोक्ता श्रेणियां होने के कारण सूचित किए जाने वाले आंकड़े अनुमान मात्र हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : ऊर्जा लेखा परीक्षा, 100% मीटरिंग, विद्युत चोरी को दूर करना और उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सशक्तीकरण/उच्चीकरण। उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सरल एवं कारगर बनाने और विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के अधिक विश्वसनीय आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक संचालन समिति द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत 284 शहरों के लिए 8484.27 करोड़ रु० मूल्य की उप पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण के उच्चीकरण हेतु 50% सहायता प्रदान की जा रही है और शेष 50% राशि यूटिलिटियों को नगद हानियों में कमी लाने के लिए नगद प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा रही है।

विवरण-I

I. सार्वजनिक वितरण कंपनियां

आंध्र प्रदेश

1. सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
2. ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
3. नार्थर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
4. साऊथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

हरियाणा

5. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि०
6. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि०

राजस्थान

7. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०

8. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

9. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०

उत्तर प्रदेश

10. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

11. केस्को

उत्तरांचल

12. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०

कर्नाटक

13 बेस्कॉम

14. मेस्कॉम

15. हेस्कॉम

16. जेस्कॉम

पश्चिम बंगाल

17. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि०

18. दिसेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि०

मध्य प्रदेश

19. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कं०लि० (सेन्ट्रल)

20. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं०लि० (ईस्ट)

21. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं०लि० (वेस्ट)

II. *सार्वजनिक वितरण कंपनियां*

गुजरात

1. अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कंपनी लि०

2. सूरत इलेक्ट्रीसिटी कंपनी लि०

महाराष्ट्र

3. बोम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०लि०

पश्चिम बंगाल

4. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि०

उत्तर प्रदेश

5. ग्रेटर नौएडा पावर कंपनी

उड़ीसा

6. नेस्को

7. वेस्को

8. साऊथको

दिल्ली

9. नई दिल्ली पावर कंपनी लि०

10. बीएसईएस यमुना पावर लि०

11. बीएसईएस राजधानी पावर लि०

विवरण-II

स०वि० बोर्डों में विद्युत अंतरण, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत (वाणिज्यिक हानियों जैसे चोरी इत्यादि को छोड़कर)

उत्तरी क्षेत्र			
हरियणा	34.04	35.33	38.28
हिमाचल प्रदेश	20.13	26.11	22.41
जम्मू व कश्मीर	49.95	47.64	44.90
पंजाब	18.94	18.11	18.40
राजस्थान	26.41	29.53	30.44
उत्तर प्रदेश	26.18	30.23	39.83
चण्डीगढ़	22.38	22.48	24.70
डीवीबी (दिल्ली)	47.91	43.71	46.29
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	21.57	20.83	21.59
मध्य प्रदेश	19.58	19.87	32.38
महाराष्ट्र	18.75	18.41	32.28
दादरा नगर हवेली	12.90	15.37	31.69
गोवा	31.02	30.40	27.56
दमन और दीव	14.69	21.83	11.33

दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	32.14	34.09	37.13
कर्नाटक	19.31	30.45	38.22
केरल	18.73	17.18	17.05
तमिलनाडु	17.29	17.22	16.83
लक्षद्वीप	15.70	12.78	10.13
पाण्डिचेरी	13.56	10.44	12.25
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	16.26	24.80	21.43
उड़ीसा (ग्रिडको)	50.10	36.72	5.62 @
सिक्किम	22.87	12.44	12.07
पश्चिम बंगाल	19.67	23.73	27.79
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.59	20.03	16.52
उत्तर-पूर्व क्षेत्र			
असम	27.32	38.72	38.96
मणिपुर	21.09	59.55	62.06
मेघालय	12.28	19.66	27.66
नागालैंड	29.79	26.52	32.32
त्रिपुरा	31.11	26.82	29.63
अरूणाचल प्रदेश	34.10	30.60	47.12
मिजोरम	46.84	44.79	47.63
अखिल भारत (यूटिलिटीज)	24.79	26.45	30.93

*अनंतिम

@उड़ीसा के मामले में 1999-2000 की हानियों केवल ग्रिडको हेतु

आटो पायलट सिस्टम की खरीद

2294. श्री रघुनाथ झा :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' में 5 फरवरी, 2003 को 'आटो पायलट सिस्टम आई०ए०एफ० अपग्रेडेशन प्रोजेक्शन एंगरू फायर नामक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी पिछली रिपोर्ट में जगुआर एयर क्राफ्ट के लिए आटो पायलट सिस्टम की खरीद में तेजी लाने में असफल रहने के लिए वायुसेना मुख्यालय को दोषी ठहराया है;

(ग) यदि हां, तो आटो पायलट सिस्टम की खरीद में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मूल्य निर्धारण समिति ने जगुआर उन्नयन कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या 8 में ऑटो पायलट सिस्टम की अधिप्राप्ति में विलंब का उल्लेख किया गया है।

(ग) वर्ष 1999 में उपयुक्त ऑटो पायलट सिस्टम की अधिप्राप्ति के वास्ते एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट इलेक्ट्रानिक यूनिट (ए०पी०ई०यू०) के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने की वजह से कार्यगत रूप से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ए०पी०ई०यू० की संस्थापना के लिए मूल उपस्कर विनिर्माता द्वारा उपयुक्त पुनः रूपांतरण और प्रमाणन किए जाने की जरूरत है। ऑटो पायलट की अधिप्राप्ति के लिए मूल्य-वार्ता कर ली गई है और पूर्व संविदा के अनुपूरक पर शीघ्र ही हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जहां तक जगुआर स्तरोन्नयन कार्यक्रम का संबंध है, मूल्य-वार्ता पूरी कर ली गई है और सरकार ने बातचीत करके तय की गई कीमत पर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले स्तरोन्नयन कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत और संविदा करने की कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

कासगंज-मथुरा लाइन परिवर्तन कार्य

2295. श्री किशन लाल दिलेर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासगंज-मथुरा लाइन परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कब तक कार्य समाप्त हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कानपुर-कासगंज-मथुरा, कासगंज-बरेली परियोजना के भाग के रूप में कासगंज-मथुरा आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। भूमि संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस खंड के आमान परिवर्तन कार्य के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

डीप सबमरजेन्स रेसक्यू वैसल की खरीद

2296. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के पास अभी भी डीप सबमरजेन्स रेसक्यू वैसल नहीं है जोकि खराब पड़ गई पनडुब्बियों में फंसे कार्मिकों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन पनडुब्बियों के बचाव हेतु किट की खरीद न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नौसेना को डीप सबमरजेन्स रेसक्यू वैसल से युक्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना की सभी पनडुब्बियों में ऐसी सक्षमता है जिससे पलायन सूटों का प्रयोग करके, तकरीबन 120 मीटर तक की गहराई से चालक दल पलायन कर सकता है। पनडुब्बियों में बचाव फलक होते हैं जो मानक फिट हैं और डीप सबमरजेन्स वैसल/डाइविंग्स बैल्स के अनुरूप डिजायन किए गए हैं। नौसेना के वास्ते दो डीप सबमरजेन्स वैसल्स और बचाव किटों का अर्जन करने की कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत घर को पट्टे पर दिया जाना

2297. **श्री नवल किशोर राय**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत घर को ठेके पर दिए जाने का निर्णय अंतिम स्तर पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने क्या योजना बनाई है;

(घ) वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ङ) इसे लागू करने में कितना अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र का अधिग्रहण करने के आशय से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस संबंध में अगली कार्रवाई बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उत्तर पर निर्भर है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विद्युत बचत

2298. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों में विद्युत बचत कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत बचत कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने और इसे सख्ती से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) सरकार अपने प्रयासों में किस हद तक सफल रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने जनसंपर्क, रोड शो, आडियो विजुअल एवं प्रिंट मिडिया के जरिए कई बृहत् जागरूकरता कार्यक्रम आयोजित किए। भारत सरकार प्रति वर्ष 14 दिसम्बर को ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस'' के रूप में मनाती है और इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में चयनित औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उद्योगों के 17 उप-क्षेत्र पुरस्कार योजना में भाग लेते हैं। भाग लेने वाली यूनिटें गत 2 वर्षों की स्कीमें अर्थात् 2001 और 2002 में

संयुक्त रूप से वर्ष 2001-02 के अंत में 1126 मिलियन कि०वा०घ० विद्युत ऊर्जा की बचत करने में सक्षम रहे हैं जो कि 60% पी०एल०एफ० पर 212 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन से उत्पादित की गई ऊर्जा के बराबर है, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

पुरस्कार वर्ष (वित्तीय वर्ष)	विद्युत ऊर्जा	
	मिलियन कि०वा०घं०	मेगावाट में बचाई गई समकक्ष क्षमता
2002 (2001-02)	*1126	*212
2001 (2000-01)	485	90

*वर्ष 2000-01 की संचयी बचत शामिल है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता के लाभ और महत्व को जानते हुए "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001" को पारित किया है। अधिनियम 1 मार्च, 2002 से प्रभावी हो गया है। विभिन्न विनियामक और प्रोत्साहनवर्द्धक साधनों के जरिए घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता कार्यों को आरंभ करने व उनका समन्वयन करने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को मार्च, 2002 में स्थापित किया गया है। ब्यूरो द्वारा इन कार्यों के लिए ऊर्जा दक्षता सेवाऐं प्रदान करना और विद्युत वितरण तंत्र स्थापित किया जाना है, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा के व्यापक और निरर्थक उपयोग में कमी लाना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने एक कार्य योजना तैयार की है जो इन बातों पर जोर देती है; औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, उपकरणों के लिए मानक व लेवलिंग, मांग पक्ष प्रबंधन, वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण संबंधी भवन कोड़, ऊर्जा प्रबंधक व ऊर्जा आडीटर का क्षमता निर्माण, ऊर्जा कार्यनिष्पादन कोड्स व मैनुअल तैयारी और जागरूकता सृजन आदि।

औद्योगिक क्षेत्र, जो 50% से अधिक वाणिज्यिक ऊर्जा का उपभोग करता है, में ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए ब्यूरो ने ऊर्जा प्रबंधकों के मध्य क्षमता व योग्यता विकसित करने के लिए कार्य किया है ताकि वे गुणवत्ता वाली ऊर्जा लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायिक ऊर्जा आडिटरों का सृजन और उद्योग में ऊर्जा प्रबंध प्रणाली की स्थापना कर सके। बेंचमार्किंग, ऊर्जा उपभोग मानक के निर्धारण, वेस्ट हीट रिकवरी और प्रक्रिया एकीकरण तथा उत्तम पद्धतियों को अपनाने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होगी।

भवनों में ऊर्जा दक्षता आरंभ करने के लिए ब्यूरो ने 9 केन्द्र सरकार भवनों में ऊर्जा लेखा परीक्षा का कार्य आरंभ किया है। यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 30% ऊर्जा बचत कर सकेंगे। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को सलाह प्रदान की गई है कि वे अपने सरकारी भवनों व स्थापनाओं में ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करें।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की गैस वितरण योजनाएं

2299. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की गैस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैल ने कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया है;

(ख) गैल की कितनी योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ग) कब तक लम्बित योजनाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने गैस ग्रिड के एक भाग के रूप में देश भर में 7 गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त गेल के गुजरात, मुम्बई, के जी बेसिन, कावेरी बेसिन, असम और त्रिपुरा में क्षेत्रीय पाइपलाइन संजालतंत्र भी हैं। गेल ने 5 शहरों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) और नगर गैस वितरण परियोजनाएं भी चालू की है।

(ख) गेल की कोई भी परियोजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम से सिकन्दराबाद तक एल०एन०जी० की पाइपलाइन

2300. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) विशाखापत्तनम से हैदराबाद और सिकन्दराबाद तक की अपनी एल०पी०जी० पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस परिवहन पाइपलाइन में परिवर्तित करने की योजना बना रही है; और

(ख) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, अमलापुरम, मीनाक्षीपुरम, राजमुंद्री, काकीनाडा और सिकन्दाबाद शहरों में गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए विजाग-सिकन्दराबाद एल०पी०जी० पाइपलाइन के एक भाग के उपयोग की संभावनाओं की जांच कर रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश में गेल का लगभग 716 कि०मी० का पाइपलाइन नेटवर्क है और यह कृष्णा-गोदावरी (के०जी०) बेसिन पाइपलाइन नेटवर्क और तातीपाका लांको पाइपलाइन के जरिए राज्य में लगभग 7.74 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। इसमें के जी बेसिन चरण-2 के तहत 113.5 करोड़ रुपये की लागत से हाल ही में पूरी की गई 69 कि०मी० लंबी पाइपलाइन भी शामिल है। ये पाइपलाइन आंध्र प्रदेश में राजामंदुरी, विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, अम्लापुरम और भीमावरम क्षेत्रों के लिए आपूर्ति करती हैं। फिलहाल विजाग और हैदराबाद-सिकंदराबाद में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। इन शहरों में भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

131

ओ०एन०जी०सी० में कार्यरत ठेका श्रमिक

2301. **डा० बलिराम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ओ०एन० जी०सी० की विभिन्न परियोजनाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी दस वर्षों से भी अधिक समय से कुशल/अर्द्ध-कुशल ठेका श्रमिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों/अत्यधिक पिछड़े वर्गों के हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओ०एन०जी०सी० लिमिटेड की अवस्थापना में ठेका श्रमिकों को नियमित करने हेतु कोई निदेश जारी नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा श्रमिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

132

कर्नाटक में विद्युत सुधारों के लिए विश्व बैंक से धनराशि

2302. **श्री आर०एल० जालप्पा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए धनराशि देने के प्रति वचनबद्धता दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विश्व बैंक ने अब तक कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य हेतु धनराशि जारी करने को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) कर्नाटक में विश्व बैंक सहायता वाली कोई विद्युत सुधार परियोजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

132-33

पुरानी परियोजनाओं को रद्द करना

2303. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी रेल परियोजनाओं को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण इत्यादि पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंसा में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण

2304. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में मंसा रेलवे क्रासिंग पर लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या मंसा में रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों को विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो मंसा में अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां, मनसा में समपार सं० 206 के बदले में निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार को लागत में भागीदारी के आधार पर मौजूदा नियम के अंतर्गत अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत रूप से पूरा करके प्रस्ताव प्रायोजित करने के लिए कहा गया है। योजना तथा अनुमान भी स्वीकृति के लिए उनको भेजा गया था परन्तु राज्य सरकार ने इसकी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बहरहाल, मौजूदा समपार सं० 208 बी के बदले में किमी 245.92 पर मनसा के निकट ऊपरी सड़क पुल को रेलवे बजट 2003-04 में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 133-34

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2305. **श्री खारवेल स्वाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने और कौन-कौन से रेडियो केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) राज्य में अगले वित्त वर्ष के दौरान नए रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में सोरो रेडियो केन्द्रों को चालू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त केन्द्र को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) उड़ीसा राज्य में इस समय कटक, जैपोर, संभलपुर, कियोनझार, बारीपाड़ा, बहरामपुर, बोलंगीर, भवानीपटना, राऊरकेला, पुरी और जोरंडा में इस समय ग्यारह रेडियो केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुवनेश्वर, देवगढ़, रायगढ़ा और रायरंजनपुर में आकाशवाणी के 4 (चार) नये रेडिया केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) सोरो में रेडियो केन्द्र कर्मचारियों के उपलब्ध होते ही कार्य करना शुरू कर देगा जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन 134

2306. **श्री शिवाजी माने** :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी संगठन बदनाम हो चुके हैं;

(ख) देश में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने और कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन है जिनका सरकार और अन्य देशों से वित्तपोषण किया गया है और विदेशी तथा घरेलू सहायता का अनुपात क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) और (ख) कुल मिलाकर गैर सरकारी संगठन निचले स्तर पर परियोजना आधारित सेवाएं प्रदान करने में अच्छा कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परियोजना की अवस्थिति, स्वरूप तथा निर्मुक्त अनुदान से संबंधित सूचना बहुत अधिक मात्रा में है। तथापि, इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा इसकी वेबसाईट (डब्ल्यू०डब्ल्यू०डब्ल्यू० सोशल जस्टिस एन०आई०सी०इन) {www.socialjustice.nic.in} पर उपलब्ध है।

(ग) मंत्रालय यह सूचना नहीं रखता। 134-36

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

2307. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मध्य प्रदेश में उसके अपने संसाधनों से विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में अप्रैल, 2002-जनवरी, 2003 के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् थी–

विद्युत (मिलियन यूनिट)		व्यस्ततम (मेगावाट)	
आवश्यकता	26270	व्यस्ततम समय में मांग	5738
उपलब्धता	22381	व्यस्ततम समय में आपूर्ति	4157
कमी	3889	कमी	1581
प्रतिशत (%)	14.8	प्रतिशत (%)	27.6

(ग) विद्युत समवर्ती विषय है। किसी राज्य में विद्युत आपूर्ति और वितरण कार्य की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की है जो राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के माध्यम से विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर राज्य सरकारों के प्रयासों को बल प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1140 मेगावाट विद्युत आवंटित किए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित सहायता भी दी गयी है।

(क) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 27.5% (224 मेगावाट)।

(ख) पूर्वी क्षेत्र के एन०टी०पी०सी० के स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 300 मेगावाट।

(ग) उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के एन०टी०पी०सी० के स्टेशनों के आवंटित कोटे से 50 मेगावाट।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं –

(I) मध्य प्रदेश में राज्य क्षेत्र में 595 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि तथा निजी क्षेत्र में 978 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के अतिरिक्त 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में 5367 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है जिसमें मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी होगी।

(II) उत्पादन कार्य निष्पादन में समग्र सुधार के लिए पुरानी एवं रूग्ण यूनिटों के लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार (आर० एवं एम० एवं एल०ई०) स्कीमों का कार्यान्वयन। विद्युत वित्त निगम इस उद्देश्य से त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 3% ब्याज सब्सिडी पर ऋण संवितरित करता है।

(III) पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी तथा अन्य क्षेत्रों को अधिकाधिक अधिशेष विद्युत पारेषित किया जाना जिसमें अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्क से जुड़े मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है।

(IV) उर्जा दक्षता और उर्जा संरक्षण सम्बंधी उपायों को बढ़ावा देना।

(V) भारत सरकार राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने की दिशा में तत्पर है। वितरण क्षेत्र में सुधार कार्यों को कार्यरूप देने के लिए तथा विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने और कुल पारेषण तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय स्वरूप ए०पी०डी०आर०पी० कार्यक्रम की शुरूआत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा की गयी है।

(घ) अप्रैल, 2002 – जनवरी, 2003 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में स्वयं के साधनों से 13,775 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गयी।

[अनुवाद]

136-32

यात्री रेलगाड़ियां

2308. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी यात्री रेल गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) इनमें से कुल कितनी रेल गाड़ियां पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत चल रही है;

(ग) क्या लोगों की चिर-प्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए ह्रापा से बांद्रा तक एक यात्री रेलगाड़ी मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इस रेलगाड़ी को कब तक चलाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 2001-02 के दौरान भारतीय रेल पर प्रतिदिन चल रही पैसेंजर

गाड़ियों की औसत संख्या 8702 है और पश्चिम रेलवे के लिए तद्नुरूपी आंकड़े 1640 है।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

माल लदाई के स्थान पर कदाचार

2309. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम से उत्तर भारत के स्टेशनों तक कोयले की ढुलाई में विभिन्न लदान स्थलों पर विभिन्न प्रकार के कदाचार होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, कदाचार के लिए विभिन्न मामलों का पता लगाने के लिए रेलवे सतर्कता समय-समय पर नियमित निवारक जांचे करती है। फिर भी, असम से उत्तर भारत के लिए कोयले के अधिक लदान के कुछ मामलों का उस समय पता चला जब रेकों का पुनः भार किया गया। इन मामलों में दोषी पाए गए रेलवे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के अलावा, दोषियों से पैनल प्रभारों सहित अपेक्षित अवप्रभार वसूले गए। कदाचार के इन मामलों को रोकने के लिए, रंगापानी और जोगीघोपा में अधिक लदान के मामलों की जांच के लिए इलेक्ट्रानिक इन-मोशन तुला चौकी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत संकट के लिए राज्यों को धन

2310. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संकट से उबरने के लिए किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की है; और

(ख) इस संकट से उबरने के लिए राज्य सरकारों को किस तरह की सहायता मुहैया कराई गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्युत अभाव को दूर करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन के द्वारा सहायता देकर विगत पूर्व में (9 महीने) विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे विवरण 1 में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय पूल से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के लिए विभिन्न राज्यों को से प्राप्त अनुरोध के ब्यौरे

दक्षिणी क्षेत्र

केरल

क्रम सं०	से प्राप्त मामला	केन्द्रीय पुल से निवेदित विद्युत की मात्रा (महीना/वर्ष में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	विद्युत मंत्री केरल सरकार	पूर्वी क्षेत्र से 300 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन (जुलाई, 2002)	केरल को 17.8.2002 से दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित विद्युत में आवंटन को 4% से बढ़ाकर 25% करके लगभग 90 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया गया। 1. पारेषण संबंधी अड़चनों के कारण पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त आयात संभव नहीं था। 2. अन्य राज्यों में व्याप्त विद्युत की स्थिति के मद्देनजर उपलब्ध पूर्वी क्षेत्र के पुनःविनियोग के द्वारा आवंटन में वृद्धि।

1	2	3	4
2.	मुख्य मंत्री, केरल	दक्षिण क्षेत्र के अनावंटित विद्युत से राज्य के हिस्से को 100 मेगावाट तक बढ़ाना (जुलाई, 2002)	
आंध्र प्रदेश			
1.	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से अनावंटित विद्युत में आंध्र प्रदेश के हिस्से की पुन: बहाली का इसे 28% से 40% किया गया और पूर्वी क्षेत्र में भी इसका हिस्सा बहाल किया गया (मई, 2002)	दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्र में अनावंटित विद्युत के हिस्से की बहाली नहीं की जा सकी क्योंकि कर्नाटक को उस समय राज्य में व्याप्त विद्युत आवंटन में वृद्धि करना आवश्यक था। दूसरी ओर एन०टी०पी०सी० के सिम्हाद्री स्थित यूनिटों के चालू होने के बाद आंध्र प्रदेश में विद्युत की स्थिति में सुधार हुआ।
2.	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश को इसके अनुरोध पर इसका हिस्सा 40% किया गया, जिसे बाद में घटाकर 28% कर दिया गया (जुलाई, 2002)	निम्नलिखित कारणों से आवंटन को बहाल करना व्यवहार्य नहीं पाया गया : (1) खराब मानसून के कारण कर्नाटक और केरल में विद्युत का गंभीर पैदा हो गया, जो मुख्यत: जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर है। (2) आंध्र प्रदेश मई, 2002 से ही दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से कम आहरण कर रहा है। (3) सिम्हाद्री टी०पी०एस० की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता पूर्णत: आंध्र प्रदेश को दी जाती है। (4) 16.4.2002 से 220 के०वी० अपर सिलेरू-बालीमेला पर ग्रिडको (उड़ीसा) से आंध्र प्रदेश द्वारा आहरण बंद करना।
कर्नाटक			
1.	मुख्यमंत्री, कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र में सी०जी०एस० के अनावंटित हिस्से से 100 मेगावाट का आवंटन और पूर्वी क्षेत्र से 100 मेगावाट का आवंटन (मई, 2002)	तमिलनाडु को एन०टी०पी०सी० के कायमकुलम सी०सी०जी०टी० से 100 मे०वा० का उपयोग करने की सलाह दी गयी, जो अप्रयुक्त थी। क्षेत्र के अन्य राज्यों में विद्युत संकट होने के कारण इसे अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत आवंटित करना संभव नहीं था।
तमिलनाडु			
1.	विद्युत मंत्री, तमिलनाडु	अनावंटित कोटे से 335 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन	तमिलनाडु को एन०टी०पी०सी० के कायमकुलम सीसीजीटी से 100 मेगावाट का उपयोग करने की सलाह दी गयी, जो अप्रयुक्त थी। क्षेत्र के अन्य राज्यों में विद्युत संकट होने के कारण इसे अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत आवंटन करना संभव नहीं था।
पाण्डिचेरी			
1.	मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार	1. 1.7.2002 से 6 महीने के लिए दक्षिणी क्षेत्र के अनावंटित विद्युत से 45 मेगावाट के आवंटन का विस्तार	दक्षिणी क्षेत्र के अनावंटित विद्युत से 1.7.2002 से छ: महीने के लिए 45 मेगावाट का आवंटन विस्तारित।

1	2	3	4
		2. दक्षिणी क्षेत्र के अनावंटित विद्युत से आवंटन को बढ़ाकर 55 मेगावाट करना (मई, 2002)	
2.	मुख्य मंत्री, पाण्डिचेरी	दक्षिणी क्षेत्र के अनावंटित विद्युत से आवंटन में वृद्धि (सितम्बर, 2002)	4.9.2002 को नैवेली ताप विद्युत स्टेशन की कन्वेयर प्रणाली में आग लगने के कारण इसकी जैनरेटिंग यूनिटों के पुन: आरंभ होने तक 19.9.2002 से पांडिचेरी को 50 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित की गयी।
दिल्ली			
1.	मुख्य मंत्री, दिल्ली	विद्युत मंत्री एवं सचिव (विद्युत) के साथ बैठके के दौरान दिल्ली का अनुरोध रखा गया (जनवरी, 2003)	7.1.2003 को उच्चतम अवधि में अनावंटित कोटे से 100 मेगावाट का आवंटन बढ़ाया गया और 16.1.2003 को 50 मेगावाट की और वृद्धि की गयी।
2.	मुख्यमंत्री, दिल्ली	ग्रीष्मकालीन समय के लिए अनावंटित कोटे में दिल्ली के हिस्से से वृद्धि का अनुरोध (फरवरी, 2003)	क्षेत्र के राज्यों में विद्युत अभाव के मद्देनजर समय-समय पर अनावंटित कोटे से आवंटन की समीक्षा की जाती है और उत्तरी क्षेत्र के लिए अगली समीक्षा के०वि०प्रा० द्वारा अप्रैल, 2003 के पहले सप्ताह में किए जाने की संभावना है।
हरियाणा			
1.	मुख्य मंत्री, हरियाणा	अनावंटित कोटे से 20एल०यू०/दिन का अतिरिक्त आवंटन (मई, 2002)	हरियाणा को 25.5.2002 से अनावंटित कोटे से आवंटन 22% (लगभग 173 मेगावाट) से बढ़ाकर 26% (लगभग 205 मेगावाट) किया गया, अर्थात् 0.7 एल०यू०/दिन
1.	सदस्य ट्रांसमिशन पी०एस०ई०बी०, पटियाला	कृषि में बढ़ी हुई विद्युत मांग की पूर्ति के लिए 24.7.2002 से 31.8.2002 तक अनावंटित कोटे से 35% का आवंटन (जुलाई, 2002)	पंजाब को 17.8.2002 से 31.8.2002 तक अनावंटित कोटे से 10% से वृद्धि कर 15% अर्थात् लगभग 39 मेगावाट का आवंटन। इसके अलावा 16.8.2002 से गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों आर०ए०पी०पी०-3 (220 मेगावाट) के अनावंटित कोटे से 15% का आवंटन (33 मेगावाट)
हिमाचल प्रदेश			
1.	अध्यक्ष, एच०पी० एस०ई०बी०	1.11.2002 से 31.3.2003 तक 20% अनावंटित विद्युत तथा पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट का आवंटन (सितम्बर, 2002)	एच०पी०एस०ई०बी० को 1.11.2002 से उत्तरी क्षेत्र के अनावंटित कोटे से व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 12% (अर्थात् लगभग 95 मेगावाट) और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 15% (लगभग 118 मेगावाट) विद्युत आवंटित की गयी है।
जम्मू व कश्मीर			
1.	मुख्य सचिव, जम्मू व कश्मीर सरकार	रमजान के समय 350 मेगावाट का आवंटन (नवंबर, 2002)	नवंबर, 2002 में जम्मू व कश्मीर को अनावंटित कोटे से 162 से 209 मेगावाट का आवंटन किया गया जिसे जनवरी, 2003 में दिन के विभिन्न समय में बढ़ाकर 189 मेगावाट से 213 मेगावाट कर दिया गया।
		पश्चिमी क्षेत्र	
महाराष्ट्र			
1.	मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	आवंटन के हिस्से के अनुसार 100% उपलब्धता के लिए अनुरोध (फरवरी, 2003)	स्टेशन की संस्थापित क्षमता पर आवंटन किया जाता है। तो भी सह खपत, पारेषण हानियों तथा उत्पादन के स्तर के कारण पात्रता कम हो जाती है। तदनुसार राज्य को हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है।

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
1.	मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, प्रधान सचिव (ऊर्जा), मध्य प्रदेश सरकार तथा अध्यक्ष, एम०पी० एस०ई०बी०	रबी मौसम सितम्बर, 2002 के दौरान सी०एस०ई०बी० के हिस्से के अलावा केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से आवंटन में 500 मेगावाट तथा 300 मेगावाट की वृद्धि	मध्य प्रदेश को निम्नानुसार अतिरिक्त विद्युत आवंटन किया गया है– 1. उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत 2. 12.11.2002 से मार्च, 2003 तक सी०एस०ई०बी० के हिस्से से 498 मेगावाट से 90 मेगावाट। 3. फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट क्षेत्र के अन्य राज्यों में कमी के कारण और अधिक विद्युत का आवंटन संभव नहीं था।
छत्तीसगढ़			
1.	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश को आवंटित 90 मेगावाट का स्थापन (नवंबर, 2002	मध्य प्रदेश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ से 90 मेगावाट का अस्थाई आवंटन मार्च, 2003 तक जारी रखा गया है।
दमन, दीव और दादरा व		**नगर हवेली**	
1.	प्रशासक, दमन और दीव	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय स्टेशनों से 25 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध (अप्रैल, 2002)	फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र से 25 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटन का अनुरोध किया गया है।
		पूर्वी क्षेत्र	
बिहार			
1.	विद्युत मंत्री	पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० स्टेशन से 700 मेगावाट के वर्तमान आवंटन के अलावा 184 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन।	पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० स्टेशनों से वरीयता के आधार पर राज्य को 80 मेगावाट विद्युत की पुन:बहाली की गयी है।

1012. **छत्तीसगढ़ में लम्बित विद्युत परियोजनाएं**

2311. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ में कतिपय ताप और जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है; और

(घ) इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जल विद्युत स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है। तथापि, भोपालपटनम (8x125 मेगावाट), कुटरू-I (3x50 मेगावाट), कुटरू-2 (3x50 मेगावाट) और मत्तर (3x20 मेगावाट) नामक चार योजनाओं को के०वि०प्रा०/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुसरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु दोबारा प्रस्तुत किए जाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दिया गया था। चालू हुए 100 मेगावाट क्षमता वाले कोरबा (पूर्व) टी०पी०एस० स्थल पर 2x250 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सी०एस०ई०बी०) से जनवरी, 2003 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सी०एस०ई०बी० को केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 27.1.2003 को सूचित कर दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आगे की जांच परख के लिए कुछ आवश्यक स्वीकृतियां यथा-जल आवंटन (राज्य और केन्द्र), एस०पी०सी०बी० स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, राख निस्तारण के लिए भूमि उपलब्धता, तात्कालिक वित्तीय पैकेज, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) और (3) के अनुपालन संबंधी स्वीकृति अभी ली जानी है।

[अनुवाद]

भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ सहयोग

2312. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विदेशी विनिर्माण कंपनियों की बाहर से पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को भारत से अधिकाधिक पूरा करने के उद्देश्य से इन कंपनियों को लक्षित करने के लिए एक साथ काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक अन्तर-मंत्रालीय दल का गठन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या तौर-तरीके अपनाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास एवं वृद्धि से सम्बन्धित मामलों को समन्वित करने के लिए भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत एक अन्तर-मंत्रालीय समिति (आई०एम०सी०) का गठन किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को आई०एम०सी० में शामिल किया गया है। यह सम्बन्धित उद्योग एशोसिएशन/निकायों/संस्थानों से सहयोगी सदस्य मुहैया करता है। अब तक समस्याओं की पहचान और मूल्यांकन करने और क्रियाविधि बनाने के लिए आई०एम०सी० की दो बैठकें हो चुकी हैं।

लम्बी दूरी की सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाया जाना

2313. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लिए देश में लम्बी दूरी की सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की अधिकतम गति को बढ़ाए जाने के मामले में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में भारतीय रेलगाड़ियों की अधिकतम औसत गति क्या है; और

(घ) रेलवे रेलगाड़ियों की वर्तमान अधिकतम गति को कब तक दुगुनी करने में सक्षम होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता तथा परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्यधीन गाड़ियों की गति सहित रेलों की कार्यप्रणाली में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) 2001 भोपाल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की अधिकतम औसत गति 87.625 किमी प्रतिघंटा है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी न्यूज चैनलों का अपलिंक

2314. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यूज टेलीविजन सेगमेंट में पूर्ण स्वामित्व या आंशिक स्वामित्व वाले विदेशी चैनलों को प्रवेश को अनुमति प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे किसी टी०वी० नेटवर्क ने अपने समाचार चैनलों के लिये भारत से अपलिंक करने की अनुमति हेतु आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) पूर्णतया स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनियों से भारत से अपलिंकिंग किए जाने वाले भारत केन्द्रित 24 घंटे के समाचार चैनलों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसने भारतीय दर्शकों पर लक्षित उस मौजूदा नीति की पुन: जांच करने को अनिवार्य बना दिया है जो स्वामित्व इक्विटी ढ़ांचे अथवा प्रबंधन नियंत्रण पर विचार किए बिना भारत से चैनलों को अपलिंकिंग करने की अनुमति देती है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ आवश्यक परामर्श किए गए हैं और इस मामले को शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

147-148

राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के संबंध में कार्य

2315. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में कितना काम हुआ और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राजस्थान में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो कि संतोषजनक है।

विवरण

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम सं०	कार्यक्रम	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां
1	2	3
1.	पवन विद्युत (मेगावाट)	16.10
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (किलोवाट)	50
3.	लघु पन बिजली (मेगावाट)	0.55
4.	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	2321
5.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	18
6.	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	1.31
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (संख्या)	28
8.	सौर कुकर (संख्या)	100
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	सड़क रोशनी प्रणाली (संख्या)	680
	घरेलू रोशनी प्रणाली (संख्या)	19642
	सौर लालटेन (संख्या)	4664
	विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	25.80
10.	ऊर्जा पार्क (संख्या)	6
11.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लॉक की संख्या)	36

148-50

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग

2316. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फीसदी आबादी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रही है;

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा के किन-किन स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा के विकास पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) बायोमास, सौर, पवन और लघु पनबिजली अपारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। जबकि पवन और लघु पनबिजली के मुख्य अनुप्रयोगों का संबंध ग्रिड किस्म की विद्युत उत्पादन से है, बायोमास और सौर ऊर्जा का प्रयोग घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतया विकेन्द्रित स्टैंड एलोन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अधिकांश जनता द्वारा बायोमास का इस्तेमाल कुकिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास और संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा कुल 1151.98 करोड़ रु० की कुल राशि का उपयोग किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों के विवरण संलग्न हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान कार्यक्रमवार संयची वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	उपलब्धि
1.	बायोगैस संयंत्र	संख्या लाख में	5.05
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1229
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या लाख में	51.8
4.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	ब्लॉकों की संख्या	860
5.	ऊर्जा पार्क	संख्या	108
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रदर्शन कार्यक्रम		
	एसपीवी घरेलू रोशनी	संख्या	115298
	एसपीवी लालटेन	संख्या	206076
	एसपीवी सड़क रोशनी प्रणाली	संख्या	8772
	एसपीवी विद्युत संयंत्र	केडब्ल्यूपी	354
7.	एसपीवी पंप	संख्या	1533
8.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम		
	सौर जल तापन प्रणालियां	वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र	83100
	सौर कुकर	संख्या	41000
9.	पवन पंप	संख्या	224
10.	हाइब्रिड प्रणाली	किलोवाट	74.8
11.	पवन विद्युत	मेगावाट	604.0
12.	लघु पन बिजली (25 मेगावाट तक)	मेगावाट	229.08
13.	बायोमास विद्युत	मेगावाट	210.3
14.	एसपीवी विद्युत	मेगावाट	0.975
15.	बायोमास/गैसीफायर	मेगावाट	20.92
16.	अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	मेगावाट	15.2
17.	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम	ग्रामों की संख्या	341

151-53

नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2317. **श्री सुरेश पासी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विद्युत की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नए विद्युत संयंत्रयों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में कितने ताप और जल विद्युत संयंत्र स्थापित है और इनसे प्रतिदिन कितना विद्युत उत्पादन होता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए 41,110 मेगावाट क्षमता से वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे से 22,832 मेगावाट क्षमता केन्द्रीय क्षेत्र से प्राप्त होगी। अभिनिर्धारित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 27.2.2003 के अनुसार देश में विद्युत गृहों की संख्या और उनका दैनिक उत्पादन निम्नानुसार है–

प्रकार	विद्युत गृहों की संख्या (20 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले)	27.2.2003 के अनुसार वास्तविक दैनिक उत्पादन मेगावाट
थर्मल	138	1297.04
न्यूक्लीयर	6	59.45
हाइड्रो	96	132.99
जोड़ अखिल भारत	240	1489.48

विवरण

10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि-केंद्रीय क्षेत्र

परियोजना का नाम	हाइड्रो (मेगावाट)	थर्मल (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1	2	3	4
एनटीपीसी			
सिम्हाद्री		500	500
तलचर (उड़ीसा)		2000	2000
रिहंद (उत्तर प्रदेश)		1000	1000
रामागुंडम (आंध्र प्रदेश)		500	500
सीपत-1 (छत्तीसगढ़)		1320	1320
कहलगांव (बिहार)		660	660
बाढ़ (बिहार)		660	660
विंध्याचल (मध्य प्रदेश)		500	500
दादरी (उत्तर प्रदेश)		490	490
उंचाहार (उत्तर प्रदेश)		210	210
सीपत-2 (छत्तीसगढ़)		660	660
उ० कर्णपुरा (झारखंड)		660	660
टीएचडीसी			
टिहरी एचइपी (उत्तरांचल)	1000		1000
कोटेश्वर (उत्तरांचल)	400		400
टिहरीपीएसपी (उत्तरांचल)	1000		1000
एनएचपीसी			
दुल्हस्ती (जम्मू एवं कश्मीर)	390		390
चमेरा-2 (हिमाचल प्रदेश)	300		300
धौलीगंगा-1 (उत्तरांचल)	280		280
तीस्ता-5 (सिक्किम)	510		510
इंदिरासागर (जेभी) (मध्य प्रदेश)	1000		1000
सेवा-2 (जम्मू और कश्मीर)	120		120
बाव (महाराष्ट्र)	37		37
पुरूलिया पीपीएस (पश्चिम बंगाल)	900		900
ओमकारेश्वर (जेभी) (मध्य प्रदेश)	520		520
तीस्ता लो डैम-3 (पश्चिम बंगाल)	132		132
तीस्ता लो डैम-4 (पश्चिम बंगाल)	168		168

1	2	3	4
डीबीसी			
मेजीआ-4 (पश्चिम बंगाल)		210	210
मेजीआ-5 (पश्चिम बंगाल)		250	250
मैथन (झारखंड)		1000	1000
चंद्रपुरा (झारखंड)		500	500
एनजेपीसी			
नाथपा झाकरी (हिमाचल प्रदेश)	1500		1500
रामपुर (हिमाचल प्रदेश)	400		400
नीपको			
कोपीली-2 (असम)	25		25
तुईरियल (मिजोरम)	60		60
त्रिपुरा (त्रिपुरा)		500	500
एम/ओ कोल-एनएलसी			
एनएलसी एक्स-1 (टीएन)		420	420
एनएलसी एक्स-2 (टीएन)		500	500
बरसींगसर (राजस्थान)		250	250
न्यूक्लीयर			
तारापुर, एनपीसी, (महाराष्ट्र)			1080
कैगा, एनपीसी, कर्नाटक			220
न्यूक्लीयर समेत कुल	8742	12790	22832

गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से समाचारपत्रों/जर्नलों का प्रकाशन

2318. **श्री आदि शंकर :**
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से प्रकाशन हेतु नए दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों/जर्नलों के पंजीकरण के लिए 1 दिसम्बर, 2002 से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने जर्नलों का पंजीकरण हो चुका है, कितने पंजीकरण के लिए विचाराधीन है और जर्नलों के पंजीकरण के कितने आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है;

(घ) आज की तारीख में दिल्ली, मुम्बई और गुजरात से कितने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक जर्नल प्रकाशित हो रहे हैं; और उनके नाम और पते क्या हैं;

(ङ) प्रत्येक जर्नल को 1 जनवरी, 2002 से आज तक कितनी संख्या में और कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए हैं; और

(च) जर्नलों को विज्ञापन जारी करने के मानदंड क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 1.12.2002 से 28.2.2003 तक की अवधि के लिए गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से प्रकाशित किए जाने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राप्त अनुमोदित, शेष विचाराधीन आवेदनों और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

28.2.2003 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त स्थानों से प्रकाशित किए जा रहे और भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या विवरण-II में दी गई है।

इन सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के नाम और पतों की सूची बहुत बड़ी है और मांगी गई सूचना को प्रयास करने के बावजूद भी संकलित नहीं किया जा सकता।

01.01.2002 से 27.02.2003 तक की अवधि के दौरान गुजरात, मुम्बई और दिल्ली से प्रकाशित किए जा रहे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की कुल संख्या क्रमश: 8532, 11770 और 42721 थी तथा राशि के रूप में जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा क्रमश: 42908853 रुपये, 79109426 रुपये और 375233991 रुपये थी।

(च) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विषयवस्तु, लक्षित श्रोताओं/दर्शकों, धनराशि की उपलब्धता और ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों तथा भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ समाचारपत्रों को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन जारी करता है।

विवरण-

1.12.2002 से 28.2.2003 तक की अवधि के दौरान भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा

राज्य/स्थान	दैनिक				साप्ताहिक			
	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत
दिल्ली	7	7	0	0	30	21	9	0
मुम्बई	4	3	1	0	27	2	25	0
गुजरात	4	4	0	0	40	19	21	0
योग	15	14	1	0	97	42	55	0

विवरण-II

28.2.2003 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	योग
दिल्ली	389	1354	1020	3291	6054
मुम्बई	148	469	181	1696	2494
गुजरात	207	1213	246	619	2285
योग	744	2036	1447	5606	10833

[अनुवाद]

नंजनगुड और नीलाम्बुर के बीच रेल लाइन

2319. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नजंनगुड़ और नीलाम्बुर को रेल लाइन से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) निलांबुर रोड तथा नंजुनगुड के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है। सर्वेक्षण प्रगति पर है।

[हिन्दी]

कमजोर तबके के लोगों का पुनर्वास

2320. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के, विशेषकर बिहार के कमजोर तबके के लोगों के पुनर्वास के लिए राज्यवार कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और कितने लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्गत की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने कमजोर वर्गों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर के दो कार्यक्रम आरंभ किए हैं :

1. वर्ष 1991-1992 में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास और राष्ट्रीय योजना।
2. वर्ष 1999-2000 में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

ये कार्यक्रम देशभर में कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ख) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती

पंजीकरण के लिए प्राप्त/अनुमोदित/विचाराधीन (लंबित/अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा

पाक्षिक				मासिक			
प्राप्त आवेदन	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित	लंबित	अस्वीकृत
25	18	7	0	90	58	32	0
13	0	13	0	17	1	16	0
7	6	1	0	20	8	12	0
45	24	21	0	127	67	60	0

है। यह योजना सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण और वैकल्पिक व्यवसायों में उनके पुनर्वास के लिए सहायता करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। देशभर में प्रशिक्षण और वैकल्पिक व्यवसाय में पुनर्वास के लिए 6,76,008 सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 82 जिलों को शामिल किए जाना है।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा निधियां निर्मुक्त की गई है :–

आंध्र प्रदेश – 27.38 करोड़ रु०

हिमाचल प्रदेश – 2.40 करोड़ रु०

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जो वर्ष 1999-2000 में आरंभ की गई तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति की गई। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में, राज्यों को अपने संसाधनों के जरिए कार्यक्रम को वित्तपोषित करना है और इसलिए वर्तमान वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कोई बजटीय आबंटन नहीं हैं।

[अनुवाद]

कर्नल एवं अधीक्षण अभियंता का दर्जा

2321. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०एस०ई० के कर्नल एवं अधीक्षण अभि० सी०एस०डब्ल्यू०ई० के रूप में तैनात होने पर एक दूसरे के सहयोगी एवं समकक्ष बन जाते हैं परन्तु स्टाफ नियुक्तियों में तैनात होने पर यह संबंध एक वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के रूप में बदल जाता है।

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अभियंता प्रमुख की शाखा से समकक्षता स्थापित करने के लिए कहा है जैसा कि एम०ई०एस० असैनिकों के संदर्भ में सशस्त्र सेना मुख्यालय एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा को प्रदान की गई है;

(ग) क्या अभियंता प्रमुख की शाखा उपरोक्त निदेश पर कार्यवाही नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो समकक्षता स्थापित करने हेतु क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इंजीनियर-इन-चीफ शाख से समकक्षता के मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इंजीनियर-इन-चीफ शाखा से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) चूंकि विचाराधीन मुद्दा जटिल प्रकृति का है, इसलिए सेना मुख्यालय को जांच करने और प्रस्ताव सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा। इसके लिए समय-सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं होगा।

तामलुक-दीघा रेल परियोजना

2322. डा० नीतीश सेनगुप्ता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक-दीघा रेल लाइन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) तामलुक-देशप्राण पर कार्य पूरा हो गया है। तामलुक-कांठी खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) कार्य पुन: निर्धारित अनुसूची के अनुसार, प्रगति पर है। मामूली विलंब, जब कभी होता है, को पूरा किया जाता है।

(घ) नन्दिदा पैसेंजर हाल्ट (46.4 किमी) तक रेलपथ जोड़ने का कार्य 31.03.2003 तक और कांठी तक 30.06.03 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

कुर्ला एक्सप्रेस में थिएटर

2323. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुर्ला एक्सप्रेस में थिएटर की सुविधा वाले कंपार्टमेंट को जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय को लम्बी दूरी की अन्य रेलगाड़ियों पर भी लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ताप विद्युत-संयंत्रों का विस्तार

2324. श्री के०पी० सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के अंगुल जिले में कनिहा तापविद्युत-संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उस विद्युत-संयंत्र की तीसरी इकाई के कब तक विद्युत का उत्पादन शुरू कर देने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) एन०टी०पी०सी० ने उड़ीसा के अंगुल जिले में 1000 मेगावाट (2x500 मेगावाट) क्षमता की तलचर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 को विस्तारित कर इसकी क्षमता 3000 मेगावाट (6x500 मेगावाट) कर दी है। इस परियोजना का तृतीय यूनिट 21.2.2003 को चालू हुई तथा उत्पादन कार्य भी शुरू हो गया है।

विंध्याचल विद्युत परियोजना का विस्तार

2325. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) विस्तार के बाद कितनी खमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने मध्य प्रदेश राज्य के सिद्धी जिले में कोयला आधारित विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट (संयंत्र) के चरण-1 की उत्पादन क्षमता 6x210 मे०वा० तथा चरण-2 की उत्पादन क्षमता 2x500 मे०वा० अर्थात् 2260 मेगावाट है। एन०टी०पी०सी० ने इस परियोजना में विस्तार कर 2x500 मे०वा० क्षमता के चरण-3 का कार्य भी शुरू किया है। इस परियोजना द्वारा 10वीं योजना में उत्पादन शुरू किया जाना निर्धारित है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

2326. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली ऐसी कितनी रेल परियोजनाएं हैं जो समय से पूरी नहीं हो सकी हैं और साथ ही इन परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों का कोई आकलन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) अपेक्षित संसाधन उपलब्ध होने पर ही परियोजना को पूरा करने का समय निर्धारित किया जा सकता है। चालू परियोजनाओं का अत्यधिक ओफॉरवर्ड है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

161

संसद सदस्यों को दी जाने वाली यात्रा रियायतों का दुरुपयोग

2327. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्यों को दी जाने वाली यात्रा रियायतों का अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) टिकट जांच के दौरान संसद सदस्यों को जारी परिचय पत्र के आधार पर आरक्षण करवाने के दुरुपयोग के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं किन्तु इसके लिए अलग से आंकड़े अथवा ब्यौरा नहीं रखा जाता है। गाड़ियों पर सामान्य जांच के अलावा, विभिन्न प्रकार के यात्रा प्राधिकारियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभागों के विभिन्न दस्तों द्वारा अतिरिक्त जांच की जाती है।

[हिन्दी]

161-62

रेल अधिकारियों की विशेष टीम०

2328. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल आरक्षण केन्द्रों पर दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए रेल अधिकारियों की एक विशेष टीम का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो (एक) कितने स्टेशनों पर छापे मारे गए, (दो) गत तीन वर्षों के दौरान कितने दलाल इसमें लिप्त पाए गए और कितने पकड़े गए (तीन) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और (चार) इसे और अधिक सक्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) टिकटों की अप्राधिकृत रूप से बिक्री के दुराचार को रोकने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालयों तथा उसके आस पास वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभागों द्वारा उनके अधिकारियों के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत नियमित रूप से तथा अचानक जांचें की जाती हैं। पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल को भी समय-समय पर संबद्ध किया जाता है।

(ख) और (ग) दलालों के विरुद्ध जांच करना एक नियमित प्रक्रिया है और जिन स्टेशनों पर छापे मारे जाते हैं, उनके संबंध में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 वित्तीय वर्षों के अंतर्गत की गई जांचों के दौरान क्रमशः 312, 2857 और 2579 व्यक्ति पकड़े गए और कानून के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत उनपर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, सर्वाधिक भीड़भाड़ के समय महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है और अप्राधिकृत व्यक्तियों से टिकटे खरीदने के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों से अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

162-63

काचीगुडा-बंगलौर एक्सप्रेस दुर्घटनाएं

2329. श्रीमती प्रभा राव :
श्री बिलास मुत्तेमवार :
श्री के०ई० कृष्णामूर्ति :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 को आंध्र प्रदेश में काचीगुड़ा-बंगलौर एक्सप्रेस दुर्घटना के संबंध में रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को गौर से देख लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुर्घटना का क्या कारण था;

(ग) इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए/घायल हुए; और

(ङ) मारे गये लोगों के निकट संबंधियों और घायल आदि हुए व्यक्तियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेलवे संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य सर्कल ने 21.12.2002 को 7685 कांचीगुडा-बेंगलूरु एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुति कर दी है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रेलपथ के साथ छेड़-छाड़ करने के कारण गाड़ी से पटरी से उतर गई थी और यह दुर्घटना "रेलवे कर्मचारी से इतर व्यक्तियों द्वारा रेलपथ के साथ छेड़-छाड़ करने" की कोटि के अंतर्गत आती है। अंतिम जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी।

(घ) इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की जानें गई तथा 78 व्यक्ति घायल हुए।

(ङ) गाड़ी दुर्घटना में मारे गए अथवा घायल हुए रेल यात्रियों के लिए मुआवजा के बारे में निर्णय रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाता है। दावों के लिए अधिकरण द्वारा डिगरी कर देने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, बहरहाल, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 22.90 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

163

विकलांग व्यक्तियों को पहचान पत्र

2330. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक समान दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं;

(ख) क्या उन्हें पहचान पत्र जारी करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न रियायतें/लाभ उपलब्ध हों, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान पत्रों में एकरूपता लाने हेतु अगस्त, 2002 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश इसे अनुरोध के साथ जारी किए गए थे कि वे इन्हें अपनाएं।

(ख) से (घ) विकलांग व्यक्तियों को परिचय पत्र जारी करने का मामला राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

164-65

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

2331. श्री कैलाश मेघवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है और राज्य में इसकी कितनी मांग है; और

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) राज्य में अवस्थित केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों समेत अप्रैल, 2002 जनवरी 2003 के दौरान राजस्थान में विद्युत उत्पादन 17,979 मिलियन यूनिट था। राज्य में उसी अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है :

ऊर्जा (मि०यू०)	अप्रैल-जनवरी, 2003	व्यस्ततमकालीन (मे०वा०)	अप्रैल-जनवरी, 2003
जरूरत	21815	व्यस्ततमकालीन	3880
उपलब्धता	21354	व्यस्ततमकालीन	3820
कमी	461	कमी	60
प्रतिशत (%)	2.1	प्रतिशत (%)	1.5

(ख) विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण, संबंधी राज्य सरकार/राज्य यूटिलिटी, जो राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की प्राथमिकताओं को तय करते हैं, का उत्तर दायित्व है।

बहरहाल राजस्थान समेत देश में विद्युत कमी को न्यून बनाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए है :

(i) राजस्थान में राज्य क्षेत्र में 660.32 मे०वा० क्षमता संवृद्धि के अलावा, 10वीं योजना के दौरान उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय सेक्टर में 7340 मे०वा० उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें राजस्थान की भी हिस्सा होगा।

(ii) उत्पादन निष्पादन में समग्र सुधार के लिए पुरानी तथ अकुशल उत्पादन यूनिटों के लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार (आर०एण्डएम० तथा एल०ई०) स्कीमों कास क्रियान्वयन/पावर वित्त निगम इस प्रयोजनार्थ त्वरित उत्पादन

तथा आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 3% की ब्याज सब्सिडी पर ऋण वितरित करता है।

(iii) अंत:क्षेत्रीय संपर्क स्थापन के माध्यम से, पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्र समेत जिसका राजस्थान एक घटक है, को सरप्लस विद्युत निकासी को बढ़ावा। हाल ही में सासाराम एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक स्टेशन को चालू किया गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को अतुल्यकालिक तरीके से 500 मे०वा० विद्युत का अंतरण करना आसान हुआ है।

(iv) ऊर्जा क्षमता तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

(v) भारत सरकार राज्य विद्युत बोर्डो/यूटिलिटियों में आमूल चूल वित्तीय पवित्तन हेतु प्रयत्न कर रही है ताकि वे वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हो सके। वितरण में सुधार के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने पारेषण व वाणिज्यिक हानियों में कमी करने और विद्युत सेक्टर की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर० पी०) आरंभ किया है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन

2332. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजना के दौरान वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) दसवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए 1241.90 मेगावाट की क्षमता के संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया जिसकी तुलना में नौवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की कुल 1340.33 मेगावाट क्षमता के संयोजन की उपलब्धि प्राप्त हुई।

(ग) मंत्रालय ने दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए 3075 मेगावाट की क्षमता के संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया।

[हिन्दी]

कुर्दुकर आयोग का कार्यक्षेत्र

2333. श्री जय प्रकाश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना की विफलता की जांच कर रहे कुर्दुकर आयोग के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार से परामर्श किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्री, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह देते हुए एक पत्र लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न करारों, सांविधिक स्वीकृतियों/सहमतियों आदि (जिसमें केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा दी गई सांविधिक स्वीकृति भी शामिल है) की वैधता के साथ-साथ शासन की विफलता की जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन कर इसे उक्त कार्य पूरा करने हेतु शक्ति प्रदान करना किया जाना राज्य सरकार की शक्ति एवं अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। महाराष्ट्र सरकार को यह बताया गया है कि जहां केन्द्र सरकार ने विद्युत, पर्यावरण आदि के संबंध में विभिन्न विधानों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सांविधिक/एक्जीक्यूटिव शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि कोई स्वीकृति/अनुमोदन दी है, तो राज्य सरकार इन सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के संबंध में किसी एक्जीक्यूटिव शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि दिनांक 7.11.2001 की अधिसूचना में इंगित आयोग के विचारनीय मुद्दों में से केन्द्र सरकार से सम्बद्ध प्रावधान हटा दिए जाएं। अधिसूचना में संशोधन को लंबित रखते हुए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया कि जांच आयोग से जारी कार्यवाई/सुनवाई को स्थगित कर देने को कहें। पत्र में यह भी कहा गया कि विचारनीय मुद्दों के प्रारूपण के पूर्व महाराष्ट्र सरकार को भारत सरकार से संपर्क करना चाहिए था।

(घ) उत्तर में महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है कि वे भारत सरकार द्वारा उठाए गए मामले की जांच कर रहे हैं और इस बीच जांच आयोग ने 13.3.2003 तक अपनी जारी कार्रवाई स्थगित कर दी है।

[अनुवाद]

सोलर वाटर हीटर पर ब्याज दर

2334. श्री किरीट सोमैया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से सोलर वाटर हीटर पर ब्याज दर में संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या ब्याज दरों में साधारण कटौती के बावजूद इन्हें परिलक्षित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बैंकों को प्रदान की जा रही ब्याज दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है और उन्हें कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज दर में संशोधन करके उनसे वसूली जा रही 11.5% ब्याज दर को घटाने के लिए कहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा वास्तव में प्रदान की जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और कुछ नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सौर जल तापकों पर कार्यान्वित किए जा रहे उदार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय उपभोक्ताओं से निम्नलिखित ब्याज दरें ली जा रही हैं :–

(i) व्यक्तियों, संस्थाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, छोटे व्यापार प्रतिष्ठानों, आवास सहकारी समितियों विकासकर्त्ताओं, गैर-लाभग्राही संगठनों आदि के लिए 5%। इस दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) वाणिज्यिक संगठनों के लिए 7%, वाणिज्यिक संगठनों से पहले ली जा रही दर 8.3% थी और ब्याज दरों में सामान्य कमी को देखते हुए इसे वर्ष 2002-03 के दौरान घटाकर 7% किया गया।

(ग) और (घ) बैंकों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार मंत्रालय द्वारा बैंकों को ऐसी प्रणालियों के वित्त पोषण के लिए उनकी सामान्य ब्याज दर और इस योजना के अंतर्गत वास्तव में ली जा रही ब्याज दर के अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में अधिकांश बैंकों की सामान्य ब्याज दर उनकी मुख्य ऋण दर या प्राथमिकता क्षेत्र के लगभग बराबर है। उपभोक्ताओं द्वारा 5% अथवा 7% की ब्याज दर भुगतान की जाती है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा रिलीज की गई ब्याज सब्सिडी की राशि इस प्रकार से है :–

2000-01 : 0.80 करोड़ रु०

2001-02 : 1.00 करोड़ रु०

2002-03 : 5.89 करोड़ रु० (फरवरी, 2003 तक)

[हिन्दी]

भारतीय जनसंचार संस्थान (आई०आई०एम०सी०) की उपलब्धियां

2335. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान (आई०आई०एम०सी०) अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान ने कितने पाठ्यक्रम और डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किये; और

(घ) उक्त संस्थान को प्रदान की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान ने कितनी धनराशि खर्च की?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ शिक्षा तथा जन संचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी राशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	लक्ष्य 1999-2000	उपलब्धियां 1999-2000	लक्ष्य 2000-2001	उपलब्धियां 2000-2001	लक्ष्य 2001-2002	उपलब्धियां 2001-2002
क.	**नियमित पाठ्यक्रम**						
1.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (दिल्ली तथा धेनकनाल) (अंग्रेजी)	2 पाठ्यक्रम (40+40)*	2 पाठ्यक्रम (40+37)**	2 पाठ्यक्रम (40+40)	2 पाठ्यक्रम (38+37)*	2 पाठ्यक्रम (40+40)	2 पाठ्यक्रम (38+33)
2.	विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिन्दी)	1 पाठ्यक्रम (40)*	1 पाठ्यक्रम (40)**	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (39)
3.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिन्दी)	1 पाठ्यक्रम (40)*	1 पाठ्यक्रम (36)**	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (37)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (33)
4.	रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 पाठ्यक्रम (25)*	1 पाठ्यक्रम (24)**	1 पाठ्यक्रम (25)	1 पाठ्यक्रम (25)	1 पाठ्यक्रम (25)	1 पाठ्यक्रम (24)
5.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया-धेनकनाल)	—	—	—	—	1 पाठ्यक्रम (15)	1 पाठ्यक्रम (15)
6.	विकासशील देशों के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा	2 पाठ्यक्रम (25+25)*	2 पाठ्यक्रम (22+18)**	2 पाठ्यक्रम (25+25)	2 पाठ्यक्रम (23+20)	2 पाठ्यक्रम (33+38)	1 पाठ्यक्रम (28+21)
7.	प्रसारण पत्रकारिता (लघु पाठ्यक्रमों सहित)	8 पाठ्यक्रम	4 पाठ्यक्रम	—	—	—	—
8.	भारतीय सूचना सेवा आईआईएस अधिकारियों (समूह क) के लिए संचार में बुनियादी पाठ्यक्रम 10 जनवरी, 2000 से 31 जनवरी, 2001 तक (1999 बैच)	—	11 प्रतिभागी	—	—	—	—
9.	भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों (समूह क) के लिए संचार में बुनियादी पाठ्यक्रम 18 दिसम्बर, 2000 से 31 दिसम्बर, 2002 (बैच 2000)	—	—	—	14 प्रतिभागी	—	—
10.	भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों (समूह क) के लिए संचार में बुनियादी पाठ्यक्रम (बैच 2001) 26 दिसम्बर, 2001 से जारी	—	—	—	—	—	4 प्रतिभागी
11.	भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों (समूह ख) के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम 3 जनवरी से 31 मार्च, 2002	—	18 प्रतिभागी	—	—	—	—
ख.	लघु अवधि लघु पाठ्यक्रम/कार्यशाला/ सम्मेलन/सेमिनार	30 पाठ्यक्रम	22 पाठ्यक्रम	21 पाठ्यक्रम	21 पाठ्यक्रम	32 पाठ्यक्रम	23 पाठ्यक्रम

*प्रत्येक पाठ्यक्रम छात्रों की कुल संख्या

**पाठ्यक्रम को पूरा करने पर छात्रों की कुल संख्या

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी राशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योग
2001-2002	507.20
2000-2001	584.81
1999-2000	777.56
योग	1869.57

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा किया गया व्यय-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योग
2001-2002	654.38
2000-2001	660.55
1999-2000	853.24
योग	2168.17

[अनुवाद]

171-72

पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशवाणी का विस्तार

2336. **डा० जयंत रंगपी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशवाणी के नेटवर्क का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो असम में विशेषकर असम के करबी, अंगलौंग और उत्तरी कचर क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं आरंभ की गयीं/आरंभ की जानी है; और

(ग) प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में निम्नलिखित आकाशवाणी परियोजनाओं को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है :–

(i) जोरहाट – 10 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर।

(ii) सिलचर – 5 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर और स्टूडियो को पुन:सुसज्जित करना।

(iii) करीमगंज – 1 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर।

(iv) लुमडिंग – 1 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर।

(v) गोलपाडा – 1 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर।

(vi) गुवाहाटी – मौजूदा अपलिंक सुविधा का डिजीटल पद्धति में उन्नयन।

लुमडिंग में प्रस्तावित एफ०एम० ट्रांसमीटर करबी जिले के कुछ कवर न किए गए क्षेत्रों को भी कवर करेगा।

[हिन्दी]

172-73

पेट्रोलियम की खोज के लिए ईरानी कंपनियों के साथ समझौता

2337. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम की खोज के लिए ईरानी कंपनियों के साथ कोई समझौता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) ईरान में फारसी अपतटीय ब्लाक के लिए 25.12.2002 को राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी (एन०आई०ओ० सी०) के साथ भारतीय कंपनियों, नामत: ओ०एन०जी०सी०-विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल०), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ० सी०), और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) के एक परिसंघ ने अन्वेषण सेवा संविदा पर हस्ताक्षर किए। परिसंघ के तीन सदस्यों – ओ०वी०एल०, आई०ओ०सी० और ओ०आई० एल० का प्रतिभागिताहित क्रमश: 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। ब्लाक में परिसंघ का अनुमानित निवेश 38 मिलियन अमरीकी

डालर (लगभग 186 करोड़ रुपए) है और आरंभिक कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर० डी०ओ०) के लिए पृथक बजट

2338. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्याधुनिक हथियारों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व को देखते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए बजट में एक अलग शीर्ष बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिए एक नए बजट शीर्ष का सृजन किया गया है।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग का बजट पहले सेना के बजट के तहत 'मुख्य शीर्ष 2076' के साथ जुड़ा हुआ था। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिए अब एक नया 'मुख्य शीर्ष 2080' सृजित किया गया है। वर्ष 2003-04 के लिए बजट नए मुख्य शीर्ष से उपलब्ध कराया जाएगा। इस शीर्ष के तहत अनुदानों से किए जाने वाले व्यय के समुचित समेकन के लिए संबंधित लघु/उप शीर्षों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

[अनुवाद]

घाटा उठा रहे राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत वित्त निगम (पी०एफ०सी०) द्वारा ऋण

2339. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम (पी०एफ०सी०) ने घाटा उठा रह राज्य विद्युत बोर्डों को बांडों पर ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छः महीनों के दौरान विद्युत वित्त निगम (पी०एफ०सी०) द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को कितना ऋण प्रदान किया गया और ऋण की इस अतिरिक्त राशि से राज्य सरकारों को अपनी संचित बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में किस हद तक सहायता प्राप्त होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) पावर फाइनैन्स कारपोरेशन (पी०एफ०सी०) ने घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों को बांडों के बदले ऋण नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि पी०एफ०सी० राज्य सरकार के प्रत्याभूत बांडों के बदले राज्य विद्युत युटिलिटियों को मध्यकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक) देता है। चालू वित्तीय वर्ष में पी०एफ०सी० ने एपीजेनको को उनकी मध्यकालिक कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु 213 करोड़ रु० जारी किए हैं।

(ग) गत छह महीने में विभिन्न राज्य विद्युत युटिलिटियों को जारी किए गए ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विद्युत युटिलिटियों को विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न वर्गों हेतु, यथा उत्पादन, पारेषण, कैपेसिटर, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, शहरी वितरण, प्रणाली सुधार, अध्ययन, कंप्यूटरीकरण आदि के लिए तथा कार्यशील पूंजी के लिए अल्प मध्य-कालिक निधि मुहैया कराई गई। किन्तु इन ऋणों का उद्देश्य राज्य सरकारों को अपने संचयी बकायों का भुगतान करने में मदद करना नहीं है।

विवरण

गत छह महीने में विभिन्न राज्य युटिलिटियों को जारी किए गये ऋण के ब्यौरे

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य	राज्य विद्युत युटिलिटी	1.09.2000 से 28.02.2003 तक किया गया संवितरण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जेनेरेशन कारपोरेशन	291.78
		आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन	156.20
		सेंट्रल पावर डीस्ट्रीब्युशन कंपनी आंध्र प्रदेश	20.00
2.	असम	असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस	2.19
3.	दिल्ली	प्रगति पावर कारपोरेशन लि०	104.42
4.	गोआ	गवर्नमेंट आफ गोआ	17.08
5.	गुजरात	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	90.25
		गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि०	34.65

1	2	3	4
6.	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि०	3.80
		गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा	0.03
		हरियाणा पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि०	227.68
		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि०	105.23
		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि०	20.00
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	129.95
8.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	8.07
9.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन	267.40
		कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि०	25.61
		विश्वेश्वरैया विद्युत निगम लि०	6.17
10.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	25.04
11.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	134.03
12.	नागालैंड	नागालैंड पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	2.67
13.	उड़ीसा	जीआरआईडीसीओ	150.00
		उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि०	0.00
14.	पंजाब	पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	3.57
15.	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०	78.11
		गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान	09
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०	75.85
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०	81.42
		राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	631.22
		राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०	196.88
16.	तमिलनाडु	तमिलनाडु इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड	4.36
17.	उत्तर प्रदेश	कानपुर इलेक्ट्रीसीटी सप्लाई कंपनी	50.00
		यूपी पावर कारपोरेशन	285.19
		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	33.11
18.	उत्तरांचल	उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि०	68.15
19.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि०	8.97
		वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	16.96
		जोड़	3356.23

[हिन्दी]

176

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिट्टी के तेल के खुदरा विक्रय केन्द्र

2340. **डा० बलिराम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिट्टी के तेल के खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खुदरा विक्रय केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए०पी०एम०) की समाप्ति के बाद तेल कंपनियां स्थानों का चयन करने और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में एस०के०ओ०-एल०डी०ओ० डीलरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बोकारो इस्पात नगर-मूरी हटिया रेल खण्ड का विद्युतीकरण

2341. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकरो इस्पात नगर-मूरी-हटिया के बीच रेल विद्युतीकरण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना के विलंब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं;

(ङ) यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस परियोजना में विलंब के कारण रेल विभाग को कितना घाटा हुआ है और इस परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) बोकारो स्टील सिटी मूरी-हटिया का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है और विद्युत कर्षण चालू हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्य कारकों के अलावा, परियोजना में आंशिक रूप से विलंब ठेकेदार की विफलता के कारण हुआ था।

(घ) जी हां, आंशिक रूप से।

(ङ) जो ठेकेदार विफल हुआ है, उसकी जोखिम और लागत पर अन्य एजेन्सी को कार्य सौंपा गया था।

(च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए हानि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, परियोजना की प्रत्याशित लागत अब 291.81 करोड़ रु० है।

[अनुवाद]

राजमार्गों पर पेट्रोल पंप

2342. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों को हटाकर उन्हें अन्यत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से इस कदम के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में भेजे गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) को हटाने और उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए नगर और ग्राम योजना संगठन (टी एंड सी०पी०ओ०) से अनुमति

2343. डा० चरणदास महंत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगमों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे स्वीकृत योजनाओं और खाकों के अनुसार वास्तव में पेट्रोल पंपों का निर्माण शुरू करने से पहले नगर और ग्राम योजना संगठन (टी एंड सी०पी०ओ०) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उल्लंघन का पता चल जाने पर संबंधित जिला दंडाधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए मनमाने ढंग से कार्रवाई कर सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में संबंधित जिला दंडाधिकारियों की मनमानी कार्रवाईयों/निर्णयों के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है और ऐसी अपीलों के निर्णय के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) जिला दंडाधिकारियों की उन अनियमितताओं का जिनका पता चल गया है, के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों का निर्माण आरंभ करने से पहले जिला मजिस्ट्रेटों के पास 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एन०ओ०सीज) के लिए आवेदन करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट इसके लिए स्वीकृत योजनाओं और नक्शों के अनुसार निर्माण के लिए तेल कंपनी को अंतिम एन०ओ०सी० जारी करने से पहले प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के स्थान के आधार पर पुलिस, अग्नि शमन सेवा, विस्फोटक विभाग आदि और टाऊन और कंट्री प्लानिंग विभाग जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से एन०ओ०सी० की मांग करते हैं।

जब कभी एन०ओ०सी० की किसी शर्त और निबंधन के उल्लंघन के मामले का पता चलता है तो जिला मजिस्ट्रेट एन०ओ०सी० के निरसन के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं।

गुणवत्ता वाले कृत्रिम जोड़ों का विनिर्माण

2344. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेहतर गुणवत्ता वाले कृत्रिम जोड़ों का निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों से ऐसे जोड़ों का अब भी बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कृत्रिम जोड़ों के आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (घ) जोड़ों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों का निर्माण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक निगम, कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा किया जाता है। यह निगम प्रतिवर्ष स्टेनलैस स्टील सामग्री से निगम में 1,25,000 जोड़ों का निर्माण कर रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के होते हैं। तथापि विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार जोड़ों का कुछ आयात भी होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फोरन ट्रेड आफ इंडिया (2001-2002) के लिए वार्षिक संस्था) की रिपोर्ट के अनुसार 2001- 2002 के दौरान 5756 कृत्रिम जोड़ों का आयात किया गया।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मांगों पर गौर फरमाने हेतु समिति

2345. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की दीर्घकाल से लंबित वास्तविक मांगों जैसे कि (i) आयातित उपकरणों पर 100% कर में छूट (ii) आयकर छूट को एक लाख रुपए तक बढ़ाना और (iii) अन्य मांगों पर गौर फरमाने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों पर लागू सीमा/उत्पाद शुल्कों में रियायतों/छूट प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिसंबर, 2002 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2003 में प्रस्तुत की है। इस मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों पर छूट की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार करते समय विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सहायक यंत्रों और सहायक युक्तियों पर लगे शुल्कों और करों में राहत प्रदान करने के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने हेतु राजस्व विभाग को सिफारिश की है।

मकानों का निर्माण

2346. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सैन्य कर्मियों के लिए लाखों मकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मकानों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विवाहितों के लिए आवास की 1,98,881 आवासीय यूनिटों का चार चरणों में निर्माण करने की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया है। विवाहितों के लिए आवास के निर्माण कार्य के वर्ष 2002-03 से शुरू होने वाले चरण-I, जिसमें रक्षा सैन्य कर्मियों के लिए 81 स्टेशनों पर 61,658 आवास यूनिटों का निर्माण किया जाना शामिल है, को स्वीकृति दे दी गई है। इससे 7484 अफसरों, 6809 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा 47365 अन्य रैंकों की आवश्यकता पूरी होंगी। प्रत्येक स्टेशन में आवासीय यूनिटों के विवरण के साथ स्टेशनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) मकानों के निर्माण के चरण-I को 2005-06 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। कुल अनुमानित लागत 5478.73 करोड़ रुपए है।

विवरण

विवाहितों के लिए आवासों का निर्माण (चरण-I) 2002-03

दक्षिणी कमान
विवाहितों के लिए आवास

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		मेजर तथा उससे ऊपर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	कुल			
1.	अल्वर	16	8	0	24	48	600	
2.	अहमदाबाद	20	4	0	24	36	400	
3.	अहमदनगर	22	0	2	24	0	400	
4.	औरंगाबाद	8	14	2	24	12	300	
5.	बंगलौर	0	0	0	0	300	3	
6.	बेलगांव	14	10	0	24	48	48	
7.	बड़ौदा	8	4	0	12	0	0	
8.	चैन्नई	18	6	4	28	26	250	
9.	देवलाली	40	8	0	48	48	800	
10.	गांधीनगर	8	8	0	16	12	400	
11.	गोलकुंडा	8	0	4	12	32	108	
12.	जयपुर	24	4	0	28	48	800	
13.	जोधपुर	62	58	0	120	68	1100	
14.	जैसलमेर	24	16	8	48	48	400	
15.	जामनगर	8	4	0	12	12	300	
16.	किर्की	32	16	0	48	48	800	
17.	कामनी	24	0	0	24	48	200	
18.	मुबंई	12	8	4	24	24	150	
19.	नसीराबाद	16	8	0	24	12	400	
20.	पुणे	84	12	4	100	40	250	
21.	सिकंदराबाद	90	36	10	136	84	550	
22.	त्रिवेन्द्रम	0	0	0	0	0	180	
	कुल	538	224	38	800	994	8439	

पूर्वी कमान

विवाहितों के लिए आवास परियोजना : (चरण-I) 2002-03

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		मेजर तथा उससे ऊपर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	कुल			
1.	बिन्नागुड़ी	0	0	0	0	0	96	
2.	गंगटोक	0	0	0	0	0	132	
3.	गुवाहाटी	6	10	0	16	38	268	
4.	कोलकाता	72	0	0	72	51	650	
5.	शिलांग	38	8	0	46	117	544	
6.	सुकना	0	0	0	0	0	200	
	कुल	116	18	0	134	206	1890	

विवाहितों के लिए आवास परियोजना-मध्य कमान
(चरण-I) 2002-03

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		मेजर तथा उससे ऊपर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	कुल			
1.	आगरा	71	24	0	95	45	906	
2.	इलाहाबाद	60	40	8	108	24	996	
3.	बरेली	76	13	8	97	37	1186	
4.	भोपाल	162	28	6	196	152	1154	
5.	देहरादून/क्लेमन टाउन	35	5	0	40	76	1172	
6.	दानापुर	23	0	0	23	8	12	
7.	झांसी	100	46	10	156	224	1608	
8.	लखनऊ	138	62	10	210	459	1488	
9.	मथुरा	84	28	0	112	120	1076	
10.	पिथौरागढ़	36	20	0	56	48	1220	
11.	शाहजहांपुर	24	8	0	32	0	654	
	कुल	809	274	42	1125	1193	11472	

विवाहितों के लिए आवासों का निर्माण (चरण-I) 2002-03

पश्चिमी कमान
विवाहितों के लिए आवास

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		मेजर तथा उससे ऊपर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	कुल			
1.	अबोहर	12	0	0	12	0	48	
2.	अमृतसर	124	15	5	144	76	948	
3.	भटिंडा	299	42	13	354	342	2236	
4.	बीकानेर	124	15	5	144	212	1048	
5.	चंडीमंदिर	125	19	6	150	100	1019	
6.	दिल्ली	2090	330	80	2500	500	2500	
7.	फरीदकोट	12	0	0	12	18	60	
8.	फाजिलका	40	6	2	48	85	426	
9.	फिरोजपुर	24	0	0	24	24	72	
10.	हिसार	184	27	9	220	330	1980	
11.	जालंधर	208	27	9	244	300	1132	
12.	लालगढ़ जाटन	18	0	0	18	18	60	
13.	पटियाला	162	21	6	189	194	708	
14.	सुबाथु	0	0	0	0	15	100	
15.	संगरूर	37	6	2	45	34	260	
16.	श्रीगंगानगर	42	6	2	50	50	400	
17.	सूरतगढ़	84	12	4	100	100	800	
	कुल	3585	526	143	4254	2398	13797	

विवाहितों के लिए आवासों का निर्माण (चरण-I) 2002-03

उत्तरी कमान
विवाहितों के लिए आवास

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		मेजर तथा उससे ऊपर	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जम्मू	38	38	0	76	106	676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	जंगलोट	0	0	0	0	0	128	
3.	मामुन	65	65	20	150	68	2300	
4.	पठानकोट	30	25	5	60	61	304	
5.	सांजुवान	0	0	0	0	30	100	
6.	योल कैन्ट	0	0	0	0	39	124	
	कुल	133	128	25	286	304	3632	

विवाहितों के लिए आवासों का निर्माण (चरण-I) 2002-03

नौसेना

विवाहितों के लिए आवास

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर				जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		लेफ्टिनेंट कमांडर तथा उससे ऊपर	लेफ्टिनेंट	सेकेंड/लेफ्टिनेंट	कुल			
1.	कोचि	0	40	0	40	220	940	
2.	विजाग	33	9	44	86	68	500	
3.	मुम्बई	102	20	0	122	180	750	
4.	गोवा	18	28	0	46	5	175	
5.	पोर्टब्लेयर	28	0	0	28	4	61	
	कुल	181	97	44	322	477	2496	

विवाहितों के लिए आवासों का निर्माण (चरण-I) 2002-03

वायुसेना

विवाहितों के लिए आवास

क्रम सं०	स्टेशन	अफसर			जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	टिप्पणियां
		स्क्वा० लीडर तथा उससे ऊपर	फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग अफसर	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	14	12	26	178	794	
2.	आगरा	44	46	90	0	1007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	ग्वालियर	0	3	3	0	318		
4.	जोधपुर	15	38	53	53	588		
5.	बड़ौदा	59	42	101	100	438		
6.	कानपुर	0	0	0	361	342		
7.	नई दिल्ली	53	80	133	355	1329		
8.	थाणे	0	0	0	36	127		
9.	मुम्बई	24	10	34	36	41		
10.	कान्हारीहिल्स	0	2	2	14	29		
11.	मड आईलैण्ड	4	0	4	5	51		
12.	सुलूर	34	2	36	25	312		
13.	बंगलौर	44	5	49	72	217		
14.	यल्हांका	32	0	32	2	116		
	कुल	323	240	563	1237	5709		

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2347. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिटरी इंजीनियर सेवाओं (एम०ई०एस०) से संबंधित पांचवें वेतन आयोग की कितनी सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) अढ़ाई साल से भी अधिक समय से पूर्व सभा को आश्वासन दिये जाने के बावजूद शेष सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) मिलिटरी इंजीनियर सेवाओं का शनैःशनैः असैनिकीकरण किये जाने के आदेश कब जारी किये गये थे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पांचवें वेतन आयोग की दो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) पांचवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ग) सेना इंजीनियर सेवा का धीरे-धीरे सिविलियनीकरण किए जाने के लिए आदेश जारी किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

2348. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने रेल विभाग को रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए 'आधुनिक स्टेशन' का डिजाइन तैयार करने हेतु राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता से सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) देश में विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन-कौन से रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(छ) रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों को कब तक उक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ज) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं देने के लिए गैर सरकारी संगठनों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और आम जानता से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। उसमें विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवधान रहित प्रवेश के लिए रैम्पों, अशक्त व्यक्तियों के अनुकूल पानी के नलकों, प्रसाधनों आदि की व्यवस्था करने की मांगे शामिल होती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) व्यक्ति (सामान्य अवरूद्ध, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की नई योजनाओं पर उनकी रिपोर्टों और दिशा-निर्देशों के अनुदेश प्रदान करने के लिए रेलवे अनुसंधान स्कंध-अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ ने राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एन०आई०ओ०एच०) से संपर्क किया था। एन०आई०ओ०एच० की प्रतिक्रिया सकरात्मक थी और सूचना एकत्रित की गई थी।

(च) क्षेत्रीय रेलों को प्रथम चरण में 'क' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की व्याख्या करने के निदेश दिए गए हैं। इनमें सभी मुख्य स्टेशन जैसे, दिल्ली मेन, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, हवड़ा, सियालदह, इलाहाबाद जंक्शन, जम्मू तवी, लखनऊ, ग्वालियर, बेंगलूरू, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, वास्को-डि-गामा, राउरकेला, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, जयपुर आदि शामिल हैं।

(छ) और (ज) इन कार्यों के लिए किसी अतिरिक्त निधि का आवंटन नहीं किया जाता है और इन कार्यों के लिए वित्त पोषण योजना शीर्ष ''यात्री सुविधाएं'' के अंतर्गत की जा रही है। 2003-04 के दौरान इस योजना शीर्ष के अंतर्गत 205 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। रेलों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर इन सुविधाओं को शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मूक-वधिर व्यक्तियों को प्रदान की गयी सहायता

2349. श्रीमती रीना चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मूक-वधिर व्यक्तियों को कितनी सहायता प्रदान की गयी है और उन्हें कौन-कौन सी एजेंसियों के माध्यम से यह सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मूक-वधिर व्यक्तियों को यह सहायता वास्तव में प्राप्त हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा मूक और वधिर व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, मेरूदण्ड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, जिला पुनर्वास केन्द्रों, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए देश भर में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में संयुक्त पुनर्वास केन्द्र तथा क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली में मेरूदण्ड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द, सुल्तानपुर और जगदीशपुर में जिला पुनर्वास तथा इलाहाबाद, फर्रूखाबाद, झांसी, पीलीभीत, आगरा, मेरठ, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया तथा मऊ में जिला विकलांगता केन्द्रों के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान अब तक विकलांग व्यक्तियों स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना अम्बैला स्कीम) तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) की योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए गैर सरकारी संगठनों की सूचियां विवरण-I तथा विवरण-II पर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर ने उत्तर प्रदेश राज्य में गरीब विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए संयुक्त शिविर आयोजित किए हैं।

विवरण-I

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना – वर्ष 2002-2003 के दौरान (03.03.2003 की स्थिति के अनुसार) उत्तर प्रदेश में सहायता प्रदान किए गए गैर सरकारी संगठन

जिला	एजेंसी का नाम
1	2
आगरा	सूर स्मारक मंडल
अलीगढ़	प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति
इलाहाबाद	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति
	ईसराजी देवी शिक्षा संस्थान

1	2
	दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप पुनर्वास केन्द्र
	नूर मोहम्मद मैमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी
इलाहाबाद	जहांगीर मैमोरियल चैरिटेबल अस्पताल
	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय
	विकलांग केन्द्र (रोटरी स्पांसौंड क्रीपल्ड यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी)
आजमगढ़	बाधित बाल विकास समिति
	भारतीय चौहान समिति
	कैफी आजमी शिक्षा एवं कल्याण सौसायटी
	किसान महिला ग्रामोद्योग संस्थान
	विकलांग सेवा समिति
बागपत	जन जागरण शिक्षा प्रसार समिति
बरेली	दिशा विकलांग, असहाय महिलाओं, वृद्ध एवं बच्चों के कल्याणार्थ समिति
बिजनौर	अपंग असहाय जन विकास संस्थान
देवरिया	विवेकानन्द युवा महिला एवं बाल सेवा संस्थान
फैजाबाद	डा० राम मनोहर लोहिया जन सेवा संस्थान
फैजाबाद	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति
फरूखाबाद	स्वामी आत्मदेव गोपाल नन्द शिक्षा संस्थान
गाजियाबाद	भगीरथ सेवा संस्थान
गाजीपुर	पाओहरि समिति परिषद
गोरखपुर	मधुकर विकलांग विद्यालय समिति
जे०पी० नगर	आदर्श खादी ग्रामोद्योग विकास समिति
कानपुर	गूंगे बहरों का विद्यालय
	श्री कांचीलाल शास्त्री स्मारक संस्थान
कुशी नगर	देव सरस्वती शिक्षा परिषद
	जन कल्याण शिक्षा समिति
लखनऊ	दृष्टि सामाजिक संस्थान
	विकलांग बाल कल्याण सोसाइटी (सवेरा)
	एन सी चतुर्वेदी बधिर स्कूलस
	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षा विकास समिति
लखनऊ	अम्बेडकर शिक्षा समिति
	अशोक पब्लिक स्कूल
	शहीद मैमोरियल सोसायटी
मथुरा	श्री वृन्दावन अंध महाविद्यालय
मेरठ	मूक एवं बधिर स्कूल
	वाणी (विकलांगों के मित्र)
मिर्जापुर	भारतीय विकलांग कल्याण सोसाइटी
मुरादाबाद	के०एस०जे० हाई स्कूल
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति
वाराणसी	चित्रगुप्त शिक्षा संस्थान
	जीवन ज्योति अंध विद्यालय
	प्रादेशिक अल्पसंख्यक हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग संगठन
	पंडित दीनदयाल विकलांग कल्याण समिति
	बी०सी०जी० स्कूल फॉर दि डीफ
	विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित संस्थान
	नव वाणी स्कूल
	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय

विवरण-II

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना(एडिप) – वर्ष 2002-2003 के दौरान (3.3.2003 की स्थिति के अनुसार) देश में सहायता प्रदान किए गए गैर सरकारी संगठन

क्रम सं०	एजेंसी का नाम
1	2
1.	भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास समिति, ई०डी० 505, सेक्टर-डी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

1	2
2.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी०टी० रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश
3.	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, मोहल्ला – बगाला, अमरोहा, जे०पी० नगर-244221, उत्तर प्रदेश
4.	लोहिया पब्लिक स्कूल समिति, 3, पटेल नगर, स्टार कालोनी, इंदिरा नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
5.	मंगलम, मंगलम सदन, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6.	सरस्वती एजुकेशनल हरथला, सोनकपुर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
7.	सर्वोदय विकलांग सेवा संस्थान, बी०आई०पी० कैनाल रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
8.	विकल्प, बी-205 राजाजीपुरम, लखनऊ उत्तर प्रदेश
9.	उपकार प्रतिष्ठान, एच०आई०जी०-150, प्रीतम नगर ए०डी०ए० कालोनी सुलेम, सराय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	डा० बी०आर० अम्बेडकर जन सेवा समिति, ग्राम पुथ्था, पोस्ट खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
11.	चित्रगुप्त शिक्षा संस्थान ग्राम व पोस्ट सकलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
12.	समता सेवा समिति, बी-49, 70एच सेक्टर अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
13.	विकलांग शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, 551-जे०एच०ए०/38, कानपुर रोड़, आलमबाग, लखनऊ, उत्र प्रदेश
14.	मायादेवी समाज कल्याण संस्थान, 68-ए, स्नेह नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
15.	भवानी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, पराटावाला बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश
16.	ग्राम विकास संस्थान, ग्राम बेलवा पोस्ट विस्कोहर, जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश
17.	डॉ० अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश
18.	डी०आर०सी० – जगदीशपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिषद्, जगदीशपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
19.	जानकी ग्रामोत्थान महिला बाल विकास संस्थान, ग्राम पूरे देवीदत्त दक्खिनवाडा, कृष्णनगर, पोस्ट गोरियाबाद, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
20.	जिला पुरर्वास केन्द्र, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
21.	माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरेसर संस्थान, ग्राम व पोस्ट सरेसर, ब्लाक जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
22.	सामाजिक न्याय एवं मानव कल्याण समिति, 154-जी फूल वाली गली, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
23.	ग्रामीण प्रगति संस्थान, न्यू इंडिया असूरेन्स के नजदीक, रोड नं० 3, ग्राम व डाकखाना कामरौली, जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)
24.	विकलांग केन्द्र, 13, लुकेरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
25.	कल्याणम करोति, कल्याण धाम, सरस्वती कुंड, मसानी, मथुरा, उत्तर प्रदेश
26.	स्वामी परमानन्द डांडी जन कल्याण समिति, मंगोली, साहबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश
27.	डॉ० क्षेत्रपाल मानव सेवा संस्थान, होली सेंटर, मोहल्ला कायस्तन, चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
28.	अध्यक्ष, उजाला सोसायटी, 316 मंडी रेलवे रोड, पिलखुवा जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
29.	मीनू शर्मा विकलांग राहत सोसाइटी, कुराओल्ली, जिला मणिपुरी, उत्तर प्रदेश
30.	बाल बानी एवं निर्बल सेवा नारी कला केन्द्र समिति, पोस्ट डगौंली, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश
31.	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी जिला शाखा इलाहबाद, 53 बहादुरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
32.	संचित विकास संस्थान, ग्राम हसनपुर पोस्ट, बरगदवा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश
33.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शिक्षा विकास समिति, 20 न्यू मार्किट निसादगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।

पाकिस्तान टी०वी० (पी०टी०वी०) पर प्रतिबंध

2350. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के विरूद्ध एक घृणित अभियान चलाने वाले पाकिस्तान टी०वी० (पी०टी०वी०) पर प्रतिबंध लगाने को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) पाक टी०वी० पर प्रतिबंध लगाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

धनाभाव के कारण बंद पड़ी रेल परियोजनाएं

2351. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धनाभाव के कारण बहुत सी रेल परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त में से कौन-कौन सी परियोजनाओं को फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने और अमहत्वपूर्ण परियोजनाओं को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी रेल में दिहाड़ी मजदूरों की पुनर्नियुक्ति

2352. **श्री सुबोध राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेल में वर्ष 1970 से 1989 के बीच कार्य कर चुके दिहाड़ी मजदूरों को यंग बंगाल को-आपरेटिव एंड नोर्थ-कोपरेटिव द्वारा पुन: नियुक्त किए जाने के संबंध में माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को कब तक नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा तय की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) पूर्व रेलवे द्वारा यंग बंगाल को-ऑपरेटिव और नॉर्थ कोलकाता को-ऑपरेटिव के दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन कर दिया जाता है।

(ख) माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय रेलवे के अधीन समूह "घ" पद में घोषित कही जाने वाली रिक्तियों में समाहन के लिए विचार किए जाने हेतु संबंधित व्यक्तियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दो समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतियोगियों की सूची की जांच करने के लिए कार्रवाई करने हेतु रेलवे प्राधिकारियों के लिए था और ऐसी जांच करने पर रेलवे उक्त प्रतियोगी के दावों पर विचार करेगी और उनका निपटान करेगी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समान पदों हेतु भिन्न सेवा नियम

2353. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो शाखाओं के समान पदों पर कार्यरत सेना इंजीनियरिंग सेवा के कार्मिक दो अलग-अलग सेवा नियमों के तहत शामिल होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सहज प्रशासन तथा समानता स्थापित करने हेतु दोनों शाखाओं के कार्मिकों का समान नियमों के तहत शासित करने के लिए नियमों में बदलाव न करने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या एस०ए०जी० के कमान स्तर के सिविलियन अधिकारी उसी ग्रेड के सेना अधिकारियों जो सिविलियन अधिकारियों से कनिष्ट होते हैं, के अधीन कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो युद्धक सेवाओं के सेवाकर्मियों को अलग न करने और सेना इंजीनियरिंग सेवा प्रमुख के मातहत कार्य करने वाले सिविलियन अधिकारियों के मातहत उन्हें सीधे न रखने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सेना इंजीनियर सेवा के कार्मिकों की भिन्न-भिन्न सेवा परिस्थितियों के कारण उनकी अलग-अलग सेवाओं को अधिशासित करने वाले भिन्न-भिन्न नियम किसी भी प्रकार से उनके बीच सुचारू प्रशासन अथवा समता और समानता को बाधित नहीं करते हैं।

(ग) जो, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कम्प्यूटरीकृत बुकिंग कार्यालय

2354. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय में एक कम्प्यूटरीकृत बुकिंग कार्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां, कल्लू में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा के प्रावधान संबंधी कार्य को वार्षिक बजट 2002-03 में स्वीकृत किया गया है;

(ख) और (ग) गैर-रेलशीर्ष जिस मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराने की मौजूदा नीति के अनुसार, राज्य सरकार निःशुल्क निर्मित स्थान मुहैया कराती है। इस संबंध में, राज्य सरकार ने कुल्लू में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए अभी तक निर्मित स्थान उपलब्ध नहीं कराया है।

[अनुवाद]

ट्रेनों में चना/मूंगफली आदि की बिक्री पर रोक

2355. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ट्रेनों में चना/मूंगफली इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने परिवारों को सरकार के इस निर्णय की वजह से अपनी जीविका से वंचित होना पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों को वैकल्पिक नौकरियां मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागर विमानन हेतु विमानों और जेटों का विकास

2356. **श्री वाई०वी० राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन हेतु विमानों और जेटों के विकास और निर्माण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) नागर विमानन हेतु विमानों और जेटों के विकास और निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) 100 सीटों वाले जेटों और उच्चतर क्षमता वाले विमानों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, बैंगलूर ने दो सीट वाले पूर्ण कंपोजिट विमान "हंस-3" का विकास कर लिया है तथा यह 14 सीटों वाले हल्के यातायात विमान "सारस" का विकास कर रही है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने रूसी साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से 100 सीटों वाले यात्री/15-20 टन क्षमतायुक्त मालवाहक बहु-भूमिका वाले परिवहन विमान के सह-डिजाइन, विकास तथा उत्पादन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० का नागर विमानन के लिए उच्चतर क्षमता वाले जेटों का विकास करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

गुजरात में सोलर वाटर हीटरों का प्रतिस्थापन

2357. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में प्रतिस्थापित सोलर वाटर हीटरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष में इस राज्य में सोलर वाटर हीटरों की प्रतिस्थापना हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सोलर वाटर हीटरों की प्रतिस्थापना के बारे में लोगों को जागरूक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा सोलर वाटर हीटरों का संवर्धन वर्तमान में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही ब्याज सब्सिडी स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए आवंटित ब्याज सब्सिडी 7.5 करोड़ रु० की है। किसी भी राज्य के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य में सोलर वाटर हीटिंग के लिए स्थापित किए गए लगभग संग्राहक क्षेत्र वर्ष 2000-01 के दौरान 234 वर्ग मीटर और वर्ष 2001-02 के दौरान 661 वर्ग मीटर हैं। इसके अतिरिक्त, सोलर वाटर हीटरों की स्थापना के लिए सरकारी और लाभ न कमाने वाले संगठनों हेतु गुजरात सरकार की एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-01 के दौरान लगभग 1700 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई। विनिर्माता सरकार से किसी प्रकार के प्रोत्साहन के बिना भी इस प्रकार की प्रणालियां सीधे उपयोगकर्त्ताओं को बेच रहे हैं।

(ग) और (घ) सोलर वाटर हीटरों की स्थापना के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अनेक कार्य-कलाप शुरू किए गए हैं। इनमें शामिल हैं – राज्य एजेंसियों के माध्यम से ब्रोशरों और पैम्फलेटों का प्रकाशन, समाचारपत्रों में विज्ञापनों को जारी करना, जागरूकता सृजन के लिए कार्यक्रमों को मंजूरी देना, व्यापार विकास, प्रशिक्षण आदि; बैंक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण; विज्ञापनों, पोस्टरों, ब्रोशरों आदि सहित प्रचार के लिए बैंकों को संवर्धनात्मक प्रोत्साहन; और मंत्रालय के तकनीकी बैक-अप यूनिटों द्वारा कार्यशालाओं, व्यापारिक बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्रालय, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपसमूहों और जम्मू एवं कश्मीर में सोलर वाटर हीटिंग प्रणालियों की स्थापना में सहायता के लिए एक विशेष प्रदर्शन स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

एक्सप्रेस ट्रेनों पर सवार होने वाले अनधिकृत यात्री

2358. श्री ए० बार्नैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में अनधिकृत यात्री सवार हो जाते हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आरक्षण टिकटों के साथ यात्रा करने वाले अधिकृत यात्री आरक्षण का लाभ उठा पाने में असमर्थ रह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिकृत यात्रियों को दुर्दशा के प्रति रेलवे, रे०सु०ब० और अन्य एजेन्सियों की उदासीनता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अनधिकृत यात्रियों को पकड़ने हेतु एक अभियान शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कम दूरी तय करने वाले दैनिक यात्रियों द्वारा गैर प्राधिकृत रूप से द्वितीय श्रेणी की स्लीपर बोगियों में जबरदस्ती प्रवेश किए जाने के कुछ मामले में ध्यान में आए हैं।

(ग) से (ङ) टिकट जांचकर्मियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे आरक्षित डिब्बों में गैर प्राधिकृत यात्रियों की जांच करें और दंडित करें। आरक्षित सवारी डिब्बों में टिकट जांचकर्मियों की तैनाती के अलावा आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत रूप से प्रवेश पर पाबंदी लगाने के लिए रेलवे द्वारा गहन अभियान भी चलाए जाते हैं। इन अभियानों में समय-समय पर रेल सुरक्षा बल/पुलिस तथा रेलवे मजिस्ट्रेटों की सेवाएं भी ली जाती हैं।

[हिन्दी]

झारखण्ड में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाएं

2359. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय :
प्रो० रीता वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड विशेषकर बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों के किन नगरों/शहरों में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाएं अब तक मुहैया नहीं करायी गयी हैं;

(ख) ये सुविधाएं वहां कब तक मुहैया करायी जाएंगी;

(ग) क्या इसके कुछ केन्द्रों की प्रसारण क्षमता भी जरूरत के मुताबिक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड के दूरदर्शन/आकाशवाणी की सुविधाओं को उन्नत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) बोकारो, गिरिडीह और धनबाद के जिलों और शेष झारखंड राज्य को आकाशवाणी द्वारा क्षेत्र और जनसंख्या के संबंध में पूरी तरह से कवर किया जाता है। उपग्रह पद्धति में सिगनल समूचे झारखण्ड राज्य को कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय इस राज्य में भिन्न-भिन्न क्षमता के 27 स्थलीय ट्रांसमीटर (डी०डी०-I-22, डी०डी०-II-5) काम कर रहे हैं। बोकारो गिरिडीह और धनबाद जिलों में कार्यरत टी०वी० ट्रांसमीटर निम्न प्रकार से हैं :–

बोकारो	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी०-I) और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी०-II)
गिरिडीह	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी०-I)
धनबाद	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी०-I) और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी०-II)

(ग) और (घ) झारखण्ड में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन सुविधाओं के उन्नयन की स्कीमें निम्न प्रकार से हैं :–

(iii) स्टूडियो केन्द्र, रांची का संवर्धन

(ii) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, गिरिडीह का उन्नयन (100 वा० से 500 वा०)

(iii) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रामगढ़ हिल (मौजूदा ट्रांसपोजर के स्थान पर अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना)

[अनुवाद]

कैंटीन और स्टोर विभाग से बिक्री कर में छूट की वापसी

2360. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कैंटीन और स्टोर विभाग द्वारा बिक्री पर से कर छूट को वापिस लेने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या देश के विभिन्न भागों में कैंटीन और स्टोर विभाग की सुविधा का गैर-सैनिकों द्वारा दुरुपयोग किये जाने में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार सी०एम०डी० प्रक्रिया की खामियों को नियंत्रित करने का है क्योंकि इनके अधिकांश उत्पादनों का प्रयोग गैर-रक्षा सेवा वाले नागरिकों द्वारा किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) सी०एस०डी० सुविधाओं का कोई दुरुपयोग नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) भण्डारों की 'लीकेज' न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच-पड़ताल की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा

2361. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने निम्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर और कितने अत्यंत निम्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगाने का लक्ष्य है, राज्यवार बताएं;

(ख) क्या समय पर उपकरणों के न आ पाने की वजह से कुछ प्रसारण केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज तक लक्ष्य प्राप्त करने और प्रगति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) 71 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं, पहाड़ी और अगम्य क्षेत्रों सहित वर्ष 2002-20003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) शेष ग्यारह (11) परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं और इनको अगले कुछ महीनों के दौरान चरणों में पूरा किए जाने की आशा है। उपस्करों की उपलब्धता की कमी के कारण इनमें से किसी भी परियोजना को पूरा करने का कार्य लंबित नहीं है।

विवरण

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को वर्ष 2002-2003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पूर्ण किए गए लक्षित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/ अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की संख्या	पहले ही पूरे गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं की संख्या (फरवरी, 2003 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	6
2.	असम	1	1
3.	बिहार	2	—
4.	छत्तीसगढ़	1	1
5.	गुजरात	3	3
6.	हरियाणा	1	1
7.	हिमाचल प्रदेश	3	—
8.	झारखण्ड	1	1
9.	जम्मू और कश्मीर	22	21
10.	कर्नाटक	4	3
11.	केरल	3	3
12.	महाराष्ट्र	9	9
13.	मेघालय	1	1

1	2	3	4
14.	सिक्किम	1	1
15.	तमिलनाडु	4	4
16.	त्रिपुरा	1	—
17.	उत्तरांचल	5	3
18.	पश्चिम बंगाल	1	—
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2

भेल द्वारा निर्यात व्यापार

2362. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी० एच०ई०एल०) के कार्यकरण विशेष-कर निर्यात क्षेत्र की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भेल ने देश में विद्युत वितरण व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या भेल इस व्यापार में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व क्या उपाय किए गए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विद्युत क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता और अनुभव के आधार पर, भेल विद्युत वितरण क्षेत्र में अवसरों की जांच कर रहा है और विपणन की संभावनाओं तथा व्यापार की जैव्यता के आधार पर इस विषय में निर्णय लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में सड़क उपरि पुल

2363. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़क उपरि पुलों की की स्थान-वार संख्या कितनी ;

(ख) पश्चिम बंगाल में नई/चल रही सड़क उपरि पुल/"रोड ओवर ब्रिज" परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) रेलें अपने हिस्से का कार्य (रेलपथ पर) करती हैं और राज्य सरकार पहुंच मार्ग का कार्य करती हैं। अत: कार्य का पूरी तरह से समापन राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने पर निर्भर करता है। रेलें अपने हिस्से का कार्य पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने के साथ-साथ या पूरा होने के पहले पूरा करेगी।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	2002-03 के दौरान आबंटित निधि	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बर्नपुर-आसनसोल में सड़क उपरिपुल सं० 533	1995-96	95.87	कार्य का चरण I भाग पूरा हो चुका है और पहुंच मार्गों पर शेष कार्य एन०एच० द्वारा शुरू किया जाना है
2.	नलीकुल में समपार सं० 14 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	200	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
3.	पानागढ़ में समपार सं० 100/विशेष के बदले सड़क उपरिपुल	1988-89	10	पुल खास और पहुंच मार्ग पूरे हो चुके हैं।

1	2	3	4	5
4.	नेहाटी-हलीशहर में सड़क उपरिपुल सं० 66ए की पुन:गर्डरिंग	2002-03	200	अनुमान और जी०ए०डी० तैयार किए जा रहे हैं।
5.	मेमारी में समपार सं० 33 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
6.	रानाघाट में समपार सं० 57/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	यथोक्त
7.	बरुईपाड़ा में समपार सं० 21 बी/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	यथोक्त
8.	सिमलागढ़ में समपार सं० 19 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	यथोक्त
9.	रसूलपुर में समापार सं० 38 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	यथोक्त
10.	बैरकपुर में समपार सं० 15 ए/3 टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	1.00	यथोक्त
11.	हावड़ा यार्ड में बंकिम सेतु सड़क उपरिपुल का पुन: स्थापन	2002-03	2.00	अनुमान और जी०ए०डी० तैयार किए जा रहे हैं।
12.	बरुईपुर में समपार सं० 21 बी/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
13.	दुर्गापुर में समपार सं० 113बी/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	1.00	यथोक्त
14.	जौग्राम-मसाग्राम में समपार सं० 59 के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	30.00	यथोक्त
15.	समुद्रगढ़-नवद्वीपधाम में समपार सं० 14 के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	30.00	यथोक्त
16.	मौरीग्राम में सड़क उपरिपुल	1997-98	152.59	कार्य प्रगति पर है। रेलवे का भाग 77% पहुंच मार्ग 76%
17.	बोरिया में सड़क उपरिपुल	2001-02	1.20	राज्य सरकार ने धन की तंगी के कारण असमर्थता जताई
18.	खारोदा में सड़क उपरिपुल	2000-01	1.13	यथोक्त

1	2	3	4	5
19.	बलिचक में सड़क उपरिपुल	2000-01	1.20	सामान्य प्रबंध आरेखण आशोधित और अनुमोदित। मिट्टी की जांच संबंधी कार्य प्रगति पर।
20.	रंगामति में सड़क उपरिपुल	2000-01	50.00	यथोक्त
21.	बिराटी में समपार सं० 5/टी के बदले सड़क उपरिपुल	1999-2000	150	राज्य सरकार ने यातायात डायवर्ट नहीं किया है और भूमिगत जनोपयोगी सेवाएं शिफ्ट नहीं की है।
22.	लिलुआ में समपार सं० 1/1ए के बदले सड़क उपरिपुल	1988-89	150	पुल खास और पहुंच मार्ग के एक ओर कार्य प्रगति पर
23.	दानकुनी में समपार सं० 8 के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	30	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
24.	रिसरा-श्रीरामपुर में समपार सं० 4 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	30	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
25.	बरुईपाड़ा में समपार सं० 27 के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	30	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
26.	बेलगड़िया-आगरपाड़ा में समपार सं० 2 बी/2 टी के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	20	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
27.	सोदेपुर-खारदा में समपार सं० 9 बी/3 टी के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	20	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
28.	बॉडल गेट में सड़क उपरिपुल	1992-93	150	दूसरे के लिए पहले स्पैन का कार्य पूरा हो गया है और तीसरा पाया स्थल राज्य सरकार द्वारा अभी मुहैया कराना है।
29.	बालीगंज में समपार सं० 7 ए/ई के बदले सड़क उपरिपुल	2001-02	50	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
30.	मध्यमग्राम में समपार सं० 9/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	100	निविदा दे दी गई है लेकिन राज्य सरकार कार्य शुरू करने के लिए यातायात डायवर्ट नहीं कर सकी।
31.	लेक गार्डन में सड़क उपरिपुल	1992-93	50	पाए का कार्य पूरा हो गया है, एक ओर से पहुंच मार्ग भी पूरा हो गया, दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा अभी कार्य शुरू किया जाना है।
32.	सिलीगुड़ी में समपार सं० एन०एस०/2 ए के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	50	अनुमोदित जी०ए०डी० की राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षा है।
33.	झारग्राम में सड़क उपरिपुल	2001-02	60	राज्य सरकार ने जी०ए०डी० को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

1	2	3	4	5
34.	सोनारपुर में समपार सं० 13/एस०टी० के बदले सड़क उपरिपुल	1998-99	20	रेलवे का भाग दिसम्बर, 2000 में पूरा हो गया, एक पहुंच मार्ग भी पूरा हो गया, दूसरे पहुंच मार्ग का कार्य अभी शुरू किया जाना है।
35.	दमदम-बारासात में समपार सं० 12/टी के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	225	पहुंच मार्ग के लिए अनुमान राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त हुए।
36.	टिकियापाड़ा में सड़क उपरिपुल	2001-02	60.00	राज्य सरकार ने धन की तंगी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर की है।
37.	रामराजतला में सड़क उपरिपुल	2001-02	61.17	राज्य सरकार ने कार्य बी०ओ०टी० के आधार पर करने की वांछा की।
38.	अंदुल में सड़क उपरिपुल	2001-02	1.00	राज्य सरकार ने धन की तंगी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर की है।
39.	कोंटई रोड़-निकुरसेनी में सड़क उपरिपुल	2001-02	1.00	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी के प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया है।
40.	बर्धमान-कलना में समपार सं० 50 के बदले सड़क उपरिपुल	2000-01	2.00	राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया है।
41.	बगनान में सड़क उपरिपुल	2000-01	100.00	जी०ए०डी० अनुमोदित। मिट्टी जांच का कार्य भी पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

गिरिडीह-कोडरमा और कोडरमा-रांची रेल लाइन परियोजना

2364. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरीडीह-कोडरमा और कोडरमा-रांची नई रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) गिरिडीह-कोडरमा तथा कोडरमा-रांची रेल लाइन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, किए गये खर्च तथा पूरा करने की निर्धारित लक्ष्य तिथि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) गिरिडीह-कोडरमा

अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति के चरणों में है। 31.3.2002 तक इस परियोजना पर 8.06 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 2002-03 दौरान 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार भी इस परियोजना के लिए धनराशि मुहैया करा रही है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी दो तिहाई है। इस परियोजना को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ii) कोडरमा-रांची

अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। 31.3.2002 तक इस परियोजना पर 54.35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 2002-03 दौरान 35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार भी इस परियोजना के लिए धनराशि मुहैया

करा रहा है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी दो तिहाई है। इस परियोजना को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

लघु पनबिजली परियोजनाएं

2365. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लघु पनबिजली परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु पनबिजली परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में 63 विकेन्द्रिकृत लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गईं। इन परियोजनाओं के प्रचालन तथा रख रखाव में स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 445 लघु पनबिजली विद्युत परियोजनाओं से देश में अब तक स्थापित की गई कुल संस्थापित क्षमता 1463 मेवा० है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	समग्र संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	20
2.	बिहार	5	50
3.	हिमाचल प्रदेश	15	200
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5	25
5.	उत्तरांचल	29	1792
6.	पश्चिम बंगाल	5	50
	कुल	63	2137 किलोवाट या 2.137 मेगावाट

[अनुवाद]

बी०एम०पी० हेतु ओवरहाल सुविधाएं

2366. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बी०एम०पी० हेतु ओवरहाल सुविधाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बी०एम०पी० हेतु ओवरहाल सुविधाओं की स्थापना के संबंध में रूस सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने व्हाइट लिली परियोजना के अन्तर्गत 512 आर्मी बेस वर्कशाप, खड़की, पुणे में आई०सी०वी० बी०एम०पी० हेतु ओवरहाल सुविधाएं स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है।

(ख) ओवरहाल कार्य शुरू होने से अब तक इस वर्कशाप में 269 (अदद) आई०सी०वी० बी०एम०पी०-I और 388 (अदद) इंजनों का ओवरहाल किया जा चुका है। आई०सी०वी० बी०एम०पी०-II का पायलट ओवरहाल कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी, हां।

(घ) रूसी सरकार ने प्रशिक्षण, संयंत्रों, मशीनरी, परीक्षण उपस्कर, तकनीकी साहित्य और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों से संबंधित अपेक्षित सहायता मुहैया कराई है।

ऊर्जा उद्यानों हेतु सहायता

2367. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा उद्यानों को स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता लाने में ये ऊर्जा उद्यान किस हद तक सहायक रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु ऐसे और उद्यान स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2001-02 में 12 राज्यों में चार स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा ऊर्जा पार्कों पर नवीनतम मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि अध्ययन के अंतर्गत शामिल किए गए अधिकतर राज्यों में विशेषकर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के बारे पैदा हुई जागरूकता की स्थिति अच्छी है।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान प्रति जिला एक पार्क की दर पर जिला स्तर पर अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव है। इसके अलावा दसवीं योजना के दौरान राज्य स्तर पर प्रति राज्य एक पार्क की दर पर ऊर्जा पार्क की स्थापना करने का भी सरकार के पास प्रस्ताव है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान ऊर्जा पार्कों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (लाख रु० में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17.34	1.83	5.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	39.38
3.	असम	3.96	0.80	27.25
4.	बिहार	—	1.10	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	42.95
6.	दिल्ली	2.62	—	47.13
7.	गोवा	—	2.57	0.75
8.	गुजरात	5.78	3.45	5.45
9.	हरियाणा	8.93	4.21	14.29
10.	हिमांचल प्रदेश	7.54	—	7.54
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3.26	8.37	—
12.	झारखंड	—	—	—
13.	कर्नाटक	1.82	—	3.34
14.	केरल	—	—	46.59
15.	मध्य प्रदेश	—	5.92	11.69
16.	महाराष्ट्र	8.50	—	24.74
17.	मणिपुर	4.56	—	4.56
18.	मेघालय	—	17.75	34.28
19.	मिजोरम	5.10	3.44	—
20.	नागालैंड	3.98	3.47	7.45
21.	उड़ीसा	—	4.32	34.34
22.	पंजाब	—	3.22	15.63
23.	राजस्थान	—	5.03	12.25
24.	सिक्किम	—	8.21	8.21
25.	तमिलनाडु	5.64	2.43	18.42
26.	त्रिपुरा	1.23	12.09	15.27
27.	उत्तर प्रदेश	3.86	4.89	24.26
28.	उत्तरांचल	—	—	12.81
29.	पश्चिम बंगाल	—	8.06	40.15
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.24	3.04	—
31.	चंडीगढ़	1.53	—	3.13
32.	पांडिचेरी	0.79	—	0.75

उपर्युक्त रिलीजों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) में 10 ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 31.62 लाख रु० की राशि रिलीज की गई है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु नाबार्ड सहायता

2368. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सहित सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विद्युत विकास परियोजनाओं हेतु नाबार्ड सहायता पर विचार करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र से केरल को कम लागत वाली बिजली के अतिरिक्त आवंटन हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) नाबार्ड प्रणाली सुधार और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर०आई०डी०एफ०) के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त लघु हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। नाबार्ड ने पहले ही विद्युत सेक्टर में प्रणाली सुधार से संबंधित परियोजनाओं और 7 राज्यों की लघु हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केरल सरकार से नाबार्ड को कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० के अनावंटित कोटे से केरल को 100 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की गई है। केरल पूर्वी क्षेत्र से गैर-व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान 100-200 मेगावाट अनिश्चित विद्युत प्राप्त करने का भी पात्र है।

विवरण

विद्युत क्षेत्र में आर०आई०डी०एफ० सुधार प्रणाली के तहत विद्युत क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि

राज्य	आरआईडीएफ-6		आरआईडीएफ-7		आरआईडीएफ-8		जोड़	
	सं०	स्वीकृति	सं०	स्वीकृति	सं०	स्वीकृति	सं०	स्वीकृत
अरूणाचल प्रदेश	6	12.98					6	12.98
हरियाणा	2	6.95	50	34.03	21	10.42	73	51
कर्नाटक			70	99.87			70	99.87
तमिलनाडु			4	34.42	4	30	8	64.42
उत्तरांचल			1	10.67			1	10.67
पश्चिम बंगाल	16	100.4	26	63.41	67	147.8	109	311.6
जोड़	24	120.3	151	242.4	92	188.2	267	550.9

मिनी हाइडल

राज्य	आरआईडीएफ-7		जोड़	
	सं०	स्वीकृति	सं०	स्वीकृति
अरूणाचल प्रदेश	2	32.8	2	32.8
मध्य प्रदेश	1	37.71	1	37.71
उत्तरांचल	5	43.29	5	43.29
जोड़	8	113.8	8	113.8

[हिन्दी]

रेलवे के अधीन मजदूर संघ

2369. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के अधीन कितने मजदूर संघ कार्य कर रहे हैं और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इन सभी मजदूर संघों को मान्यता दी है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक मान्यता प्राप्त मजदूर संघों की संख्या कितनी है; और

(घ) गैर-मान्यता प्राप्त मज़दूर संघों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) भारतीय रेलों पर बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनें कार्यरत हैं। इनमें से संलग्न विवरण सूची के अनुसार केवल 22 यूनियनों को मान्यता दे दी गई है। जहां तक गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों की बहुत बड़ी संख्या का संबंध है, रेलें उनके साथ किसी भी पत्राचार के अथवा प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा कोई पारस्परिक कार्यकलाप नहीं करती है इसलिए, भारतीय रेलों पर गैर-मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस प्रयोजन के लिए उनकी मान्यता भी निर्धारित मूल शर्तों

के पूरा करने पर निर्भर करती है। इसलिए उनकी मान्यता के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

विवरण

मध्य रेलवे	(i) नैशनल रेलवे मजदूर यूनियन
	(ii) सैंट्रल रेलवे मजदूर संघ
पूर्व रेलवे	(i) ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन
	(ii) ईस्टर्न रेलवेमैन्स कांग्रेस
उत्तर रेलवे*	(i) नार्दन रेलवेमैन्स यूनियन
	(ii) उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन
पूर्वोत्तर रेलवे	(i) नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन
	(ii) नार्थ ईस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	(i) नार्थ फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन
	(ii) नार्थ फ्रंटियर रेलवे एम्पलाइज यूनियन
दक्षिण रेलवे	(i) सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन
	(ii) सदर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन
दक्षिण मध्य रेलवे	(i) साउथ सैंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन
	(ii) साउथ सैंट्रल रेलवे एम्पलाइज संघ
दक्षिण पूर्व रेलवे	(i) साउथ ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन
	(ii) साउथ ईस्टर्न रेलवेमैन्स कांग्रेस
पश्चिम रेलवे	(i) वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन
	(ii) वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
उत्तर पश्चिम रेलवे	(i) उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ
	(ii) नार्थ-वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन
पूर्व मध्य रेलवे	(i) ईस्ट-सैंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन
	(ii) ईस्ट-सैंट्रल रेलवेमैन्स कांग्रेस

*12.10.2002 को उत्तर रेलवे द्वारा एक और रेलवे यूनियन अर्थात् उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन को स्वीकृत किया था। बहरहाल, माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नै द्वारा स्वीकृत स्थगन के दृष्टिगत रेलवे पर यह यूनियन कार्य करना प्रारंभ नहीं कर रही है। मामला निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

220

आपदा प्रबंधन संस्थान

2370. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी स्वतंत्र आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। बहरहाल रेल संरक्षा समीक्षा समिति-1998 की सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तीन जोनल प्रशिक्षण केन्द्रों पर आपदा प्रबंधन माड्यूल तथा भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

के०बी०के० क्षेत्र में आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम

2371. **श्री विक्रम केशरी देव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदीशा (यू०डी०आई०एस०एच०ए०) योजना जो कि उड़ीसा के के०बी०के० क्षेत्र में और पूरे देश में चालू आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चल रही है के अन्तर्गत कितने प्रतिशत उपलब्धि हुई; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के के०बी०के० क्षेत्र के मिलों में और पूरे देश में बालिका समृद्धि योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) जिला स्तरीय सूचना राज्य द्वारा तैयार की जाती है और राज्यों की कुल सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाती है जो इन परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। तदनुसार पूरे उड़ीसा के संबंध में सूचना और उपलब्धि की अखिल भारतीय प्रतिशतता अनुबंध के मद में संलग्न विवरण में दी गई है। बालिका समृद्धि योजना में गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं की संख्या उड़ीसा राज्य में 2,34,886 है और समूचे देश में 19,34,205 है।

विवरण

उदिशा परियोजना के अधीन उपलब्धि की प्रतिशतता दर्शाने वाला संदर्भित विवरण

क्र०	कार्यर्त्ताओं का पदनाम	उड़ीसा में कार्यरत	उड़ीसा के लिए परियोजना कार्यालय प्लान लक्ष्य	उड़ीसा में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की संख्या	उड़ीसा में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित कार्यर्त्ताओं की अखिल भारतीय प्रतिशतता
1.	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता	24857	9436	5904	62.57%	45.39%
2.	पर्यवेक्षक	1517	791	85	10.75%	44.38%
3.	बालविकास परियोजना अधिकारी	279	103	32	31.07%	68.41%

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामुदायिक रेडियो केन्द्र 221-26

2372. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित सामुदायिक रेडियो केन्द्रों हेतु दिशा-निर्देश बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं की स्थापना करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अनुमति देगी;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रसारणों के विषय आल इंडिया रेडियो के वर्तमान कार्यक्रम संहिता के अनुरूप होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या इस नए चैनल पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह चलने के लिए किन-किन स्रोतों पर निर्भर होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। इन दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण के रूप में है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) लाइसेंसधारक को विज्ञापनों अथवा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदकों को एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अपने संसाधनों को लगाना होगा।

विवरण

सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश

प्रस्तावना :

संघ सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी/प्रबंध तथा आवासीय स्कूल शामिल होंगे।

सामुदायिक रेडियो सेवा को स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदण्डों, मूल शर्तों/दायित्वों और प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गयी हैं और अधिक ब्यौरे के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा जा सकता है।

2. **तकनीकी मानदंड**

2.1 50 वाट अथवा कम शक्ति के लिए एफ०एम० ट्रांसमीटरों को लाईसेंस प्रदान किए जाएंगे।

2.2 87.5 से 100 मैगाहर्टज पर शामिल आवर्तिता बैण्ड पर लाईसेंस जारी किया जाएगा। तथापि, निजी एफ०एम० प्रसारकों के मामले में इस बैण्ड पर आवर्तिता उपलब्ध न होने की स्थिति में 104 से 108 मैगाहर्टज का अनन्य प्रसारण बैण्ड पर भी विचार किया जाए। 100 से 104 मेगाहर्टज आवर्तिता बैण्ड आकाशवाणी के उपयोग के लिए अनन्य रूप से निर्धारित किए गए थे, प्रसार भारती वाधित न हो।

3. अनुपालन हेतु प्रक्रिया

3.1 सामुदायिक आकाशवाणी प्रसार सेवा शुरू करने की इच्छा वाला कोई पात्र संस्था/संगठन निर्धारित प्रपत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन कर सकता है।

3.2 आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार मंत्रालय की बेतार समन्वयन स्कन्ध में बेतार परामर्शदाता तथा उम्मीदवार उस स्थान के अनुरोध हेतु आवर्तिता की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए प्रसार भारती से परामर्श कर सकेगा।

3.3 सूचना और प्रसारण मंत्रालय बेतार स्कन्ध से आवर्तिता की पुष्टि की प्राप्ति पर उम्मीदवार को पत्र जारी किया जा सकता है। तथापि, केन्द्र को शुरू करने की गृह, रक्षा, और विदेश मंत्रालयों से परामर्श/सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अनुमति दी जाएगी। लाईसेंसधारी को निर्दिष्ट विस्तृत निबंधन और शर्तों पर लाईसेंस समझौते पर हस्ताक्षर हेतु अनुरोध किया जाएगा जिसके तहत लाईसेंस प्रचालित किया जाना है और अल्प शक्ति एफ०एम० सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी है।

3.4 लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के अंतर्गत, उम्मीदवार आवश्यक औपचारिकताएं जैसे एस०ए० सी०एफ०ए० निकासी आदि प्राप्ति, आवश्यक प्रसारण सुविधाएं स्थापित करना और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बेतार स्कन्ध से बेतार परामर्शदाता से बेतार प्रचार लाईसेंस प्राप्त करना पूरा करेंगे।

3.5 दिए गए स्थान पर एकल आवर्तिता के एक से अधिक दावेदार की स्थिति में, लाइसेंसधारक का स्थायी, वचनबद्धता, लक्ष्यों तथा उम्मीदवार संगठन के संसाधनों के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

3.6 लाइसेंसधारक से बेतार स्कन्ध द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई अन्य लाईसेंस शुल्क नहीं लगाएगा।

4. निबंधन और शर्तें

4.1 सामुदायिक आकाशवाणी प्रसारण के मुख्य उद्देश्य कार्यक्रमों के प्रसारण में सामुदायिक सदस्यों सहित लाइसेंसधारक के सेवा क्षेत्र में समुदाय की सेवा इस प्रयोजनार्थ करना होगा। समुदाय का अर्थ लाइसेंस-धारक के प्रसारण सेवा के कवरेज क्षेत्र में रह रहे लोग होगा।

4.2 लाईसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4.3 लाईसेंस अहस्तांतरणीय होगा।

4.4 इस स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवार को एक से अधिक लाईसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 लाईसेंसधारक अपनी नि:शुल्क प्रसारण आधार पर सेवा उपलब्ध कराएगा।

4.6 लाईसेंसधारक अपने चैनल/प्रसारण सेवा को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रयुक्त नहीं करेगा।

4.7 सामुदायिक रेडियो सेवा के कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास से संबंधित विषयों पर केन्द्रित होंगे। विषय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय मुद्दों तक सीमित होने चाहिए तथा रचना, विषय, प्रस्तुतीकरण तथा भाषा, स्थानीय विशिष्टता और सुगन्ध को प्रतिबिम्बित करने वाली और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।

4.8 लाईसेंसधारक को किसी समाचार और सामयिकी कार्यक्रमों के प्रसारण और चुनावों तथा राजनैतिक प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

4.9 लाईसेंसधारक किसी विज्ञापन या प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा।

4.10 लाईसेंसधारक को सुनिश्चित करना होगा कि लाईसेंसधारक के कार्यक्रम में ऐसा कुछ शामिल नहीं होगा, जो

(क) सुरूचि और शालीनता के खिलाफ हो;

(ख) जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो;

(ग) धर्मों या समुदायों पर आक्षेप लगाता हो, या धार्मिक समूहों का दृश्य या शब्दों के माध्यम से तिरस्कार करता हो, या साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देता हो;

(घ) जो अश्लील, मानहानिकारक, जान-बूझकर, झूठा और व्यंग्यात्मक विचारोत्तेजक या अर्द्धसत्य हो;

(ङ) जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या प्रेरित करता हो या कानून-व्यवस्था के रख-रखाव के विरूद्ध हो या राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देता हो;

(च) कोई ऐसी बात जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो;

(छ) जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के विरूद्ध भावना;

(ज) राष्ट्र की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करने वाली कोई बात;

(झ) जिसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप या किसी समूह, सामाजिक खंड, जन या देश के नैतिक जीवन की आलोचना, बुराई या झूठी निंदा हो;

(अ) अंधविश्वास को बढ़ावा देता हो;

(ट) महिलाओं को बदनाम करता हो;

(ठ) बच्चें को बदनाम करता हो;

(ड) अल्कोहल, मादक द्रव्य व तम्बाकु समेत नशीले दवाओं के दुरूपयोग को प्रस्तुत/चित्रित करती हों या जो नैतिकता, राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, यौन-वरीयता, धर्म, उम्र या शारीरिक-मानसिक विकलांगता के आधार पर घिसे-पिटे, भददे रूप से चित्रण के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयत्न करती हों।

4.11 लाईसेंसधारक को सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित विचारों से बचते हुए पूर्ण ध्यान रखा जाए :–

(क) धार्मिक भावुकता का गलत प्रयोग तथा

(ख) किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय से संबंधित धार्मिक विचारों को विश्वासों की अवमानना करना।

4.12 लाईसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्र की एकता, धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिक प्रकृति तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर उचित बढ़ावा दिया जाए।

4.13 लाईसेंसधारक को आकाशवाणी के कार्यक्रम संबंधी संहिता का अनुपालन करना होगा।

4.14 लाईसेंसधारक बेतार स्कन्ध में बेतार परामर्शदाता द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करेगा।

4.15 हालांकि लाईसेंसधारक भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सेवा प्रचालित करेगा। लाईसेंस इस शर्त के अधीन होगा कि जब भी देश में किसी विनियामक प्राधिकारीगण का प्रसारण सेवाओं को विनियमित एवं मानीटरिंग करने के लिए गठन किया जाता है तो लाईसेंसधारी को ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा।

4.16 लाईसेंसधारक यथा अपेक्षित ऐसे अन्तराल की सरकार की सूचना उपलब्ध कराएगा। इस बारे में लाईसेंसधारक को पिछले 6 महीने की अवधि के प्रसारण कार्यक्रमों के टेपों को संरक्षित करना अपेक्षित है जिसके असफल होने पर सरकार को लाईसेंस बहाली का अधिकार होगा।

4.17 सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को लाईसेंसधारी की प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने और सार्वजनिक या सामुदायिक हित में आवश्यक माने जाने पर ऐसी सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा।

4.18 सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम तीव्र संघर्ष या समान प्रकार की स्थितियों में लाईसेंस-धारक की सम्पूर्ण सेवाओं और नेटवर्क को हाथ में लेने या लाईसेंस बहाल/समाप्त करने का अधिकार संरक्षित है।

4.19 लाइसेंसधारक द्वारा सेवाओं के स्थानापन्न, अनुरक्षण, प्रचालन हेतु नियुक्ति, ठेका, सलाह आदि के द्वारा तैनात किए गए सभी विदेशी कर्मचारियों को भारत सरकार से सुरक्षा, समाशोधन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.20 यदि आवश्यक हो तो जनता के हित में या प्रसारण हेतु उपयुक्त आचार के लिए या सुरक्षा कारणों से सरकार के पास किसी भी समय नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है।

4.21 जनता के हित में या शर्तों व नियमों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर सरकार 15 दिन का नोटिस देकर किसी भी समय लाइसेंस रद्द कर सकती है।

4.22 लाइसेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार के विषय के बावजूद सरकार का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा।

4.23 लाइसेंस समझौते के समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस धारकों को 50,000 रु० की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करवानी होगी।

4.24 यदि लाइसेंस धारक दी गयी अवधि में सेवा शुरू करने में असमर्थ होता है तो बैंक गारंटी को जुर्माने के रूप में सरकार के पास जमा करवाना होगा और सरकार लाइसेंस धारक के लाइसेंस को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4.25 लाइसेंस, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

226-82

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का आवंटन

2373. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों को होने वाले विद्युत आवंटन के फार्मूले में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ''फ्लड लाइटिंग'' के लिए विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आबंटन फार्मूला के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से विद्युत का आबंटन केन्द्रीय योजनागत सहायता तथा गत पांच वर्षों में किसी क्षेत्र के राज्य में वास्तविक ऊर्जा खपत के अनुसार किया जाता है, जहां दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाता है। इस फार्मुले की समीक्षा की गई और अप्रैल, 2000 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ''फार्मुला'' को ''मार्ग निर्देश'' के रूप में प्रयुक्त किया जाए ताकि विद्युत का आबंटन भुगतान करने की आवश्यकता एवं क्षमता के साथ जोड़ा जा सके। ''मार्ग निर्देश'' के अंतर्गत नए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन उनकी पात्रता के अनुसार उनके द्वारा संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौता (पी०पी०ए०) की शर्त पर किया जाएगा।

(ग) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार फ्लड लाइटिंग की मांग की पूर्ति के लिए राजस्थान से अतिरिक्त विद्युत के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत संयंत्रों में निवेश

2374. श्री अम्बरीश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सरकार द्वारा देश में विद्युत संयंत्रों में राज्य-वार कितना निवेश किया गया;

(ख) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों विशेषकर कर्नाटक में विद्युत की अत्यधिक कमी औद्योगिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं पर हुए व्यय के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय देश में 7300.36 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 13444 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य में अप्रैल-जनवरी, 2003 के दौरान 2653 मि०यू० (10% विद्युत की कमी तथा व्यस्ततम समय में 526 मेगावाट (9.9%) की कमी रही।

(घ) 10वीं योजना के लिए 41,110 मे०वा० क्षमता संवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजनाओं का समय पर निष्पादन और 10वीं योजना के दौरान लक्षित उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्य विधि अपनाई गई है। नव उत्पादन क्षमता से लाभों के अलावा विद्युत आपूर्ति की स्थिति को निम्नलिखित के जरिए आगे और उन्नत किया जाना है :

- ऊर्जा के अक्षम स्रोतों से 3000 मे०वा० की एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
- ऊर्जा संरक्षण उपाय आरंभ किया जाना जिसके लिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है और ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित किया गया है।
- वितरण में तकनीकी हानियों में कमी लाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) को डिजायन किया गया है।
- विद्यमान विद्युत स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आरंभ करना, जिसके साथ उन्नत प्रचालन एवं अनुरक्षण पद्धतियों के संयोजन से अधिक उपलब्धता और विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा।
- अखिल भारत आधार पर विद्युत उत्पादन क्षमता का उच्चतम उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड के क्रमिक विकास के जरिए अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत का निर्यात किया जाना।

  कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना किया जाना। नए विद्युत विधेयक में स्वतंत्र रूप से कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए एक उदार कार्य ढांचे का प्रावधान किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न ताप और जल विद्युत परियोजनाओं पर हुए व्यय के ब्यौरे

परियोजना का नाम	क्रियान्वयक एजेंसी	1999-2000	2000-01	2001-02
फरीदाबाद सीसीजीटी (4x143+144 मेगावाट)	एनटीपीसी	124.76	326.13	28.04
ऊंचाहार टीपीएस चरण-II (2x210 मेगावाट)	एनटीपीसी	203.96	70.67	9.03
रिहन्द एसटीपीएस स्टेज (2x500 मेगावाट)	एनटीपीसी	—	2.08	294.06
विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-II (2x500 मेगावाट)	एनटीपीसी	297.53	217.65	114.15
सिम्हाद्री टीपीपी (2x500 मेगावाट)	एनटीपीसी	624.16	896.88	772.52
रामागुण्डम एसटीपीपी चरण-III (1x500 मेगावाट)	एनटीपीसी	शून्य	0.65	182.58
कायमकुलम सीसीजीटी (2x115.3 जीटी + 119.4 एसटी)	एनटीपीसी	107.52	51.08	44.65
नैवेली टीपीएस विस्तार-I (2x210 मेगावाट)	एनएलसी	118.59	468.00	294.40
तालचेर एसटीपीएस चरण-II (2000 मेगावाट)	एनटीपीसी	368.20	653.81	1106.82
मेजिया टीपीएस विस्तार (210 मेगावाट)	डीवीसी	—	0.45	70.03
दुलहस्ती (3x130 मेगावाट)	एनएचपीसी	299.60	380.92	386.64
चमेरा-II (3x100 मेगावाट)	एनएचपीसी	288.30	334.58	420.80
पार्बती-II (4x200 मेगावाट)	एनएचपीसी	18.68	52.19	72.68
नाथपा-झाकड़ी (6x250 मेगावाट)	एनजेपीसी	767.86	794.57	1068.92
धौलीगंगा (4x70 मेगावाट)	एनएचपीसी	132.67	154.98	241.08
टिहरी-I (4x250 मेगावाट)	टीएचडीसी	337.51	426.30	993.88
कोटेश्वर (4x100 मेगावाट)	टीएचडीसी	—	50.00	14.39
सरदार सरोवर (6x200+5x50 मेगावाट)	एसएसएनएनएल	166.22	188.35	250.94
इंदिरा सागर (8x125 मेगावाट)	एनएचडीसी	377.30	82.69	186.37
ओंकारेश्वर (8x65 मेगावाट)	एनएचडीसी	6.90	2.27	—
तीस्ता-V	एनएचपीसी	29.23	124.33	177.54
लोकतक डी/एस	एनएचपीसी	2.22	6.06	4.01
कोपिली चरण-2	नीपको	14.75	19.63	24.26
रंगानदी	नीपको	177.33	230.40	122.12
दोयांग	नीपको	172.42	48.88	21.33
तुरियल	नीपको	13.49	15.06	30.89

क्षेत्रीय चैनलों पर नियंत्रण

2375. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से क्षेत्रीय चैनलों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रसार भारती ने क्षेत्रीय चैनलों का नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंपने में रूची नहीं दिखायी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि उन्हें अपने स्वयं के क्षेत्रीय टीवी चैनल स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(ग) से (ङ) 'प्रसारण' विषय संविधान के अंतर्गत संघ सूची में शामिल हैं। प्रसार भारती निगम स्थापित होने से दूरदर्शन और आकाशवाणी को कार्यक्रम सम्बन्धी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। प्रसार भारती एक राष्ट्रीय संस्था है और इसके शासनादेश को प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पारिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र देश के लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संगठित और संचालित करना शामिल है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रमों ओर समाचारों में राज्य सरकारों को कवरेज देने के अलावा, उन्हें समय-समय पर विशेष अनुरोधों पर कार्यक्रमों के लिए समय स्लॉट दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन करने वाली इकाइयां

2376. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत का उत्पादन करने वाली इन इकाइयों की पहचान की है जिन्होंने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत अपनी स्थापित क्षमता से 50 फीसदी कम विद्युत का उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें राज्य विद्युत बोर्डों और सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत अलग-अलग कितनी इकाइयां चल रही है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इन इकाइयों की स्थापित क्षमता का उपयोग कर इनसे कितने अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) 10वीं योजना में जीवन विस्तार कार्य के लिए 59 थर्मल यूनिटें अभिज्ञात की गई हैं जो 50% से भी कम संयंत्र भार घटक (पी०एल०एफ०) पर कार्य कर रही हैं। इनके राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। 59 थर्मल यूनिटों में से 49 यूनिटें राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा और शेष 10 यूनिटें दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रचालित की जाती हैं। जीवन विस्तार कार्य होने से इन यूनिटों का पीएलएफ बढ़कर 75% तक हो जाने तथा 220.5 मे०वा० क्षमता अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की आशा है।

विवरण

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	यूनिट सं०	वर्तमान मूल्यांकित क्षमता (मेगावाट)	जीवन विस्तार कार्यक्रम के बाद प्रत्याशित क्षमता	गत 5 वर्षों में औसत प्लांट लोड फैक्टर
1	2	3	4	5	6
हरियाणा					
1.	पानीपत	1	110	110	34.60
		3	110	110	33.21
		4	110	110	48.06
उत्तर प्रदेश					
2.	ओबरा	1	40	50	0.00
		2	40	50	29.10
		3	40	50	30.11
		4	40	50	33.45
		5	40	50	33.76
		6	94	100	23.66

1	2	3	4	5	6
		7	94	100	24.84
		8	94	100	25.60
		9	200	200	41.93
		10	200	200	36.58
		11	20	200	37.84
		12	200	200	37.36
		13	200	200	52.29
3.	पनकी	3	105	110	38.61
		4	105	110	48.78
4.	हरदुआगंज	1	40	50	13.00
		3	60	60	28.29
		4	60	60	34.47
		5	60	60	22.72
		7	105	110	30.43
मध्य प्रदेश					
5.	अमरकंटक	1	30	30	47.57
		2	20	30	38.71
		3	120	120	25.66
		4	120	120	31.32
गुजरात					
6.	गांधीनगर	1	120	120	48.97
		1	120	120	48.14
7.	ठकाई	1	120	120	38.07
		2	120	120	44.88
पश्चिम बंगाल					
8.	संथालडीह	1	120	120	34.57
		2	120	120	11.62
		3	120	120	36.40
9.	बाण्डेल	1	80	82.5	36.70
		2	80	82.5	42.38
		3	80	82.5	43.38
		4	80	82.5	36.59
10.	दुर्गापुर डीवीसी	3	140	140	49.93
बिहार					
11.	चन्द्रपुर डीवीसी	1	130	140	36.72
		2	130	140	25.66
		3	130	140	44.43
		4	120	120	28.46
		5	120	120	20.91
		6	120	120	0.00
12.	बोकारो डीवीसी	1	45	57.5	40.97
		2	45	57.5	44.80
		3	45	57.5	7.76
13.	बरौनी	4	50	50	0.68
		5	50	50	10.68
झारखण्ड					
14.	पतरातू	4	40	50	0.00
		5	90	100	37.97
		6	90	100	0.00
			105	110	15.05
		7	105	110	14.68
		8			
असम					
15.	चन्द्रपुर	1	30	30	7.91
16.	नामरूप	1	23	23	39.61
17.	बोंगईगांव	1	60	60	0.00
		2	60	60	10.57
	कुल :	59			

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में नि:शक्तों को नौकरी के अवसर

2377. **श्री वी० वेत्रिसेलवन** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में निशक्तों को नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या निशक्त अधिकार समूह के शिष्टमण्डल ने धरना देकर इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार और औद्योगिक क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त तौर पर पहचान किए गए पदों पर भारत सरकार के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार में 3% आरक्षण का प्रावधान है। मार्च, 2001 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार समूह क, ख, ग तथा घ में पहचान किए गए पदों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% के सांविधिक प्रावधान से अधिक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में विकलांग अधिकार समूह द्वारा दिए गए धरने से यह मंत्रालय अवगत नहीं है।

उड़ीसा में एल०पी०जी० एजेंसियां/खुदरा बिक्री केन्द्र

2378. **श्री परसुराम माझी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी तेल कंपनियां उड़ीसा में अपने उत्पादों का विपणन कर रही है;

(ख) उड़ीसा में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा खोले गए पेट्रोल पंपों/डीजल और एल०पी०जी० के खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तेल कंपनियों में से किसी ने इस राज्य के के०बी०के० के जिलों में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आई०बी०पी० कंपनी लिमिटेड उड़ीसा राज्य में अपने उत्पादों का विपणन कर रही हैं।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य में 246 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 147 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में है। इनमें से 11 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 1 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिला कालाहांडी में, 12 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 5 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जिला बोलनगीर में तथा 14 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 6 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, जिला कोरापुट में स्थित हैं।

अनुशासन संबंधी असैनिक मामलों को असैनिक महानिदेशक (कार्मिक) को सौंपना

2379. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक (कार्मिक) पद के सृजन से पहले एम०ई०एस० के असैनिक कार्मिकों के सभी कार्मिक मामले एक सैन्य अधिकारी अपर महानिदेशक (कार्मिक) को सौंपे जाते थे;

(ख) यदि हां, तो असैनिक महानिदेशक (कार्मिक) को अनुशासन और प्रशिक्षण संबंधी मामले न सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) एम०ई०एस० के असैनिक कार्मिकों के अनुशासन और प्रशिक्षण मामलों को असैनिक महानिदेशक (कार्मिक) को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक (कार्मिक) तथा अपर महानिदेशक (कार्मिक) के बीच कार्य के समान बंटवारे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन तथा प्रशिक्षण से संबंधित मामले अपर महानिदेशक (कार्मिक) को सौंपे गए थे। इसके अलावा प्रशिक्षण तथा अनुशासन संबंधी मामलों के लिए सिविलियन तथा सैन्य कार्मिक, दोनों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण की जरूरत है।

(ग) सिविलियन कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा अनुशासन संबंधी मामलों को सिविलियन महानिदेशक (कार्मिक) को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हाथरस, मथुरा रेल मार्ग पर ऊपरि पुल का निर्माण

2380. **श्री किशन लाल दिलेर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरादाबाद-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 पर हाथरस-मथुरा रेल मार्ग के निकट हाथरस शहर में एक ऊपरि पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। 237-38

बिहार एवं झारखंड में नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2381. श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार एवं झारखंड की राज्य सरकारों ने बिजली संकट से उबरने के लिए इन राज्यों ने बिजली संकट से उबरने के लिए इन राज्यों में नए विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों राज्यों में विद्युत की मांग एवं उपलब्ध उत्पादन क्षमता की उद्यतन स्थितति क्या है; और

(घ) इन दोनों राज्यों में पर्याप्त/समुचित रूप से विद्युत की उपधता को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को बिहार सरकार से किसी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड राज्य सरकार की ओर से ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव के०वि०प्रा० में प्राप्त हुए हैं :–

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने की तिथि प्रस्तावित
जोजाबेरा टीपीपी	1x120	10वीं योजना
तेनूघाट टीपीएस	1x210	10वीं योजना
चांडिल टीपीपी	1x500	11वीं योजना

बिहार और झारखंड की कोई भी जलविद्युत स्कीम के०वि०प्रा० में जांचाधीन नहीं है।

(ग) और (घ) बिहार और झारखंड में जनवरी, 2003 माह के दौरान विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

व्यस्ततम समय में मांग और आपूर्ति

राज्य	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	कमी (मेगावाट)	प्रतिशत %
बिहार	916	769	147	16
झारखण्ड	488	474	14	3

ऊर्जा आवश्यकता/उपलब्धता

राज्य	ऊर्जा आवश्यकता (मि०यू०)	उपलब्धता (मि०यू०)	कमी (मि०यू०)	प्रतिशत % (मि०यू०)
बिहार	641	536	105	16.4
झारखण्ड	297	295	2	0.7

बिहार और झारखण्ड राज्यों में स्वयं के संसाधन से विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त इन राज्यों को पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों और भूटान स्थित चूखा एच०ई०पी० से भी विद्युत आपूर्ति की जाती है। देश में स्थापित की जा रही बड़ी विद्युत परियोजनाओं से भी राज्य को विद्युत प्राप्त हो सकेगी।

[अनुवाद] 238-42

अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण

2382. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा कर्मियों को अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा, या दिया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रशिक्षण से भारत में आतंकवाद एवं अन्य बुराइयों से निपटने में किस प्रकार सहायता मिलेगी जिनका सामना भारत राष्ट्र एवं इसकी सीमाएं कर रही हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) रक्षा कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजने का उद्देश्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-कला एवं रक्षा रणनीतियों में उनके ज्ञान को बढ़ाना है। संचार, कम्प्यूटरीकरण और लक्ष्य-प्राप्ति प्रणालियों के क्षेत्र में द्रुत गति से विकास हो रहा है और यह प्रशिक्षण आतंकवाद से निपटने तथा अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट रणनीतियों में इनका समावेश करने में मदद करता है। विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त इन रक्षा कार्मिकों को बाद में भारत में अन्य कार्मिकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने में लगाया जाता है।

विवरण

अन्य देशों के जिन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया जा रहा है/ उठाए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सेना

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है, उनका ब्यौरा:

(i) आर्मी वार कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(ii) आर्मी कमांड एण्ड जनरल स्टाफ कालेज कोर्स, यू०एस० ए०।

(iii) कमांड एण्ड जनरल स्टाफ कोर्स, जर्मनी।

(iv) ज्वाइंट सर्विसेज डिफेंस कालेज कोर्स, फ्रांस।

(v) स्टाफ कोर्स, थाइलैंड।

(vi) स्टाफ कालेज कोर्स, इंडोनेशिया।

(vii) आर्मर्ड आफीसर बेसिक कोर्स, फ्रांस।

(viii) नेशनल मिलिटरी सेक्यूरिटी एण्ड कमांडिंग कोर्स, चीन।

(ix) आर्मड फोर्सेज स्टाफ कालेज कोर्स, मलेशिया।

(x) रॉयल कालेज ऑफ डिफेंस स्टडीज कोर्स, यू०के०।

(xi) कमांड एण्ड जनरल स्टाफ कोर्स, फिलीपीन्स।

(xii) नेशनल डिफेंस कोर्स, बंगलादेश।

(xiii) कमांड एण्ड स्टाफ कालेज कोर्स, थाइलैंड।

(xiv) मिड कैरियर (एयर डिफेंस) कोर्स, बंगलादेश।

(xv) आफीसर्स गन्नरी स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा:

(i) मिलिटरी वर्क डॉग हेन्डलिंग कोर्स, यू०एस०ए०।

(ii) इंटरनेशनल आफीसर इंटेलीजेंस कैप्टन कैरियर कोर्स, यू०एस०ए०।

(iii) आर्मी कमांड एण्ड जनरल स्टाफ कोर्स, यू०एस०ए०।

(iv) नेशनल वार कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(v) मेरीन कोर्प्स कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, यू०एस०ए०।

(vi) टारगेट एक्यूसिशन राडार टेक्नीकल बेसिक कोर्स, यू०एस०ए०।

(vii) आर्मी वार कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(viii) डिफेंस सर्विस कमांड एण्ड स्टाफ कालेज कोर्स, बंगलादेश।

(ix) डिफेंस फोर्सेज इंटरनेशनल लाजयन कोर्स, इजराइल।

(x) यूनिट कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

(xi) जूनियर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

(xii) एडवांस इंफैंट्री आफीसर कोर्स, फ्रांस।

(xiii) ज्वाइंट सर्विस डिफेंस कालेज कोर्स, फ्रांस।

नौसेना

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है, उनका ब्यौरा:

(i) नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फेलो प्रोग्राम, यू०एस०ए०।

(ii) एम्फीबियस वॉरफेयर स्कूल कोर्स, यू०एस०ए०।

(iii) नेवल स्टाफ कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(iv) सिस्टम मैनेजमेंट इंटरनेशनल-मास्टर ऑफ साइंस कोर्स, यू०एस०ए०।

(v) नेवल स्टाफ कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(vi) कालेज ऑफ सिक्यूरिटी स्टडीज एक्सिक्यूटिव कोर्स, यू०एस०ए०।

(vii) इंटरनेशनल डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स, यू०एस०ए०।

(viii) एम्फीबियस प्लॉन सीनियर आफीसर – इंटरनेशनल कोर्स, यू०एस०ए०।

(ix) स्टाफ कोर्स, यू०एस०ए०।

(x) एफ्लॉट ट्रेनिंग ऑन बोर्ड फ्रेंच नेवल शिप जेयन्ने डी आर्क, फ्रांस।

(xi) नेवल कमांड एण्ड स्टाफ कालेज कोर्स, इंडोनेशिया।

(xii) कंबाइंड स्टाफ कालेज कोर्स, इंडोनेशिया।

(xiii) एडवांस्ड कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, यू०के०।

(xiv) इंटेलीजेंस एण्ड इंटरनेशनल रिलेशन्स कोर्स, यू०के०।

(xv) नेशनल मिलिटरी सिक्यूरिटी एण्ड कमांडिंग आफीसर्स कोर्स, चीन।

(xvi) कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, आस्ट्रेलिया।

(xvii) मिडशिपमैन सी ट्रेनिंग डिप्लायमेंट विद रिपब्लिकऑफ सिंगापुर नेवी, सिंगापुर।

(xviii) जनरल स्टाफ कोर्स, जर्मनी।

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा:

जब कभी किसी देश से प्रशिक्षण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, भारतीय नौसेना के लिए इस पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता एवं पेशागत उपयोगिता के निर्धारण के पश्चात कार्मिकों को उस प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

वायु सेना

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है, उनका ब्यौरा:

(i) एयर वार कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(ii) एयर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, यू०एस०ए०।

(iii) इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कोर्स, यू०एस०ए०।

(iv) एडवांस एयरोस्पेस इंटरनेशनल मेडिकल आफीसर्स कोर्स, यू०एस०ए०।

(v) एशिया पैसेफिक सेंटर स्ट्राटेजिक स्टडीज कोर्स, यू०एस०ए०।

(vi) डिफेंस एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडीज कोर्स, आस्ट्रेलिया।

(vii) 62वीं यूनियर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

(viii) एयर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, थाइलैंड।

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा:

(i) कम्यूनीकेशन एण्ड इंफारमेशन आफीसर कोर्स, यू०एस० ए०।

(ii) वेपन सेफ्टी/ग्राउंड सेफ्टी कोर्स, यू०एस०ए०।

(iii) एयर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, यू०एस०ए०।

(iv) इंटरनेशनल एयर वेपन कंट्रोलर कोर्स, यू०एस०ए०।

(v) कंबाइंड स्ट्राटेजिक इंटेलीजेंस कोर्स, यू०एस०ए०।

(vi) इलेक्ट्रोमेगनैटिक स्पेक्ट्रम कोर्स, यू०एस०ए०।

(vii) एयर वार कालेज कोर्स, यू०एस०ए०।

(viii) फ्लाइट सेफ्टी/इंजन मिशैप कोर्स, यू०एस०ए०।

(ix) स्टाफ कोर्स, फ्रांस।

(x) फ्लाइट सेफ्टी आफीसर कोर्स, बंगलादेश।

(xi) कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

(xii) जूनियर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

(xiii) इंटरनेशनल जनरल स्टाफ कोर्स, जर्मनी।

(xiv) एडवांस कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, यू०के०

(xv) फ्लाइट सेफ्टी आफीसर कोर्स, बंगलादेश।

(xvi) यूनियर कमांड एण्ड स्टाफ कोर्स, बंगलादेश।

तटरक्षक मुख्यालय

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है, उनका ब्यौरा:

(i) इंटरनेशनल मेरीटाइम आफीसर्स कोर्स, यू०एस०ए०।

जिन पाठ्यक्रमों का लाभ लिए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा:

(i) मेरीटाइम सर्च एण्ड रेसक्यू कोर्स, यू०एस०ए०।

(ii) पर्सपेक्टिव कमांड/एक्सिक्यूटिव आफीसर बोर्डिंग मेम्बर टीम, मेरीटाइम पोर्ट आपरेशन एण्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स, यू०एस०ए०।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक

इंटरनेशनल एडवांस एयरोस्पेस मैडिकल/इंटरनेशनल मेडिकल आफीसर कोर्स, यू०एस०ए०।

[हिन्दी]

243

दिल्ली में कोको पेट्रोल पंप

2383. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां दिल्ली एवं इसके पड़ोसी राज्यों में कोको पेट्रोल पंपों का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये पेट्रोल पंप घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इन पेट्रोल पंपों को 11 माह के लिए निजी पार्टियों को पट्टे पर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दिल्ली और पड़ौसी राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 211 'कंपनी के स्वामित्व और कंपनी के प्रचालन वाले' (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही हैं। इनमें से कोई कोको खुदरा बिक्री केन्द्र घाटे में नहीं चल रहा है। इनमें से कोई खुदरा बिक्री केन्द्र निजी पक्षकारों को पट्टे पर देने का तेल कंपनियों का कोई प्रस्ताव नहीं है। नियमित डीलरों का चयन होने तक, कोको खुदरा बिक्री केन्द्र, बिक्री केन्द्र के पूर्णरूपेण प्रभारी के रूप में संबंधित तेल कंपनी के एक अधिकारी द्वारा प्रचालित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

2345

रेल पटरियों की मरम्मत

2384. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में रेल पटरियों की मरम्मत करने हेतु 32,000 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल सुरक्षा कोष और रेल विकास योजना से कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) मरम्मत किए जाने वाले एवं बदल जाने वाले रेल पुलों की जोन-वार एवं राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या मिर्जापुर से वाया अक्कन्नापेट होकर मेदक तक 12 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग एवं निजामाबाद से योलाराम तक दूसरे मार्ग को बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उन नए रेल मार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिनपर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेलपथ नवीकरण के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि में से 7670 करोड़ रु० आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन०आर०वी०याई०) के अंतर्गत, रेलपथों के ग्रेडोन्नयन पर लगभग 3000 करोड़ रु० खर्च होने की संभावना है।

(ग) रेलवे पुलों से संबंधित आंकड़े जोन वार रखे जाते हैं न कि राज्य वार। भारतीय रेलवे पर रेलवे पुलों की कुल संख्या 1,19,984 है। रेलवे पुलों का पुनर्स्थापन/रिगर्डरिंग/सुदृढ़ करना/पुनर्निर्माण आदि एक सतत् प्रक्रिया है। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार, 2700 अदद पुल विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं और 2203 अदद पुलों को मूल्यह्रास आरक्षित निधि से वित्त पोषित किया जाएगा। 31.01.2003 की स्थिति के अनुसार लक्ष्य और प्रगति का जोनवार विवरण इस प्रकार है :—

रेलवे	वर्ष 2002-03 के दौरान पुनर्स्थापन/रिगर्डरिंग/सुदृढ़ करना/पुनर्निर्माण के लिए लक्षित पुलों की संख्या	31.01.2003 तक प्रगति
मध्य	170	102
पूर्व	20	14
उत्तर	12	50
पूर्वोत्तर	26	23
पूर्वोत्तर सीमा	41	24
दक्षिण	57	23
दक्षिण मध्य	35	7
दक्षिण पूर्व	13	17
पश्चिम	79	24
पूर्व मध्य	8	10
उत्तर पश्चिम	4	11
कुल	465	305

(घ) और (ङ) मेदक को सिकंदराबाद-मुदखेड लाइन से जोड़ने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

(च) ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है।

245-47

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विरुद्ध बकाया

2385. **श्री रामजी मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबे समय से बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर रेलवे का करोड़ों रुपया बकाया है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा अन्य राज्य विद्युत बोर्डों एवं विद्युत गृहों से भी विशाल राशि वसूल की जानी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबे समय से बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। दिसम्बर, 2002 के अंत तक बदरपुर ताप बिजली घर (बी०टी०पी०एस०) के पास 946.42 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिसम्बर, 2002 के अंत तक राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के पास बकाया राशि से संबंधित विस्तृत विवरण संलग्न है। लंबी अवधि की बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) बदरपुर ताप बिजली घर सहित राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों से बकाया राशि की वसूली के लिए ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से संपर्क किया गया है।

(ii) ऊर्जा मंत्रालय ने रेलवे के वर्तमान माल भाड़े की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बदरपुर ताप बिजली घर को स्पष्ट अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(iii) 7.2.1997 के सरकारी फैसले के अनुसरण में, 31.12.1996 तक राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों पर बकाया राशि को राज्य सरकारों की केन्द्रीय सहायता योजना से वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित कतिपय सीमाओं के अध्यधीन समायोजित किया जाएगा। अभी तक 159.23 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है।

(iv) राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया राशि के निपटान के लिए विशेषज्ञ दल द्वारा बनाए गए सिद्धांत जो भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया है, के अनुसार बकाया राशि की धीरे-धीरे निकासी होने की संभावना है।

(v) बिजली घरों को कोयला पहुंचाने के लिए माल-भाड़े के रूप में अग्रिम भुगतान से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

(vi) जहां संभव होता है रेलों की राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों से बकाया राशि का कर्षण बिलों से समायोजन किया जा रहा है।

विवरण

(ग) बदरपुर ताप बिजली घर सहित 31.12.2002 को राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों पर बकाया राशि की स्थिति निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य विद्युत बोर्ड/बिजली घर का नाम	31.12.2002 को बकाया राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1.57
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	0.03
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1.08
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	173.84
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	10.74
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	21.14
7.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	1.00
8.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	1.78
9.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	10.75
10.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	16.67
11.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	693.13
12.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	133.67
13.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1.97

1	2	3
14.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	74.24
15.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	28.45
16.	बदरपुर ताप बिजली स्टेशन	946.42
17.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	68.71
18.	दामोदार घाटी निगम	11.35
19.	निजी बिजली घर, साबरमती	0.49
	कुल	2197.03

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर गैर-सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का ठहराव

2386. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के नागपुर बल्लारशाह खंड पर स्थित चन्द्रपुर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है;

(ख) यदि हां, तो क्या 8401-8402, 2803-2804, 2643-2644, 6363-6364, 6125-6126, 2645-2646 इत्यादि जैसी कई गैर सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर कम से कम गैर-सुपरफास्ट रेलगाड़ियां के ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) चन्द्रपुर स्टेशन पर इन गाड़ियों के ठहराव की जांच की गई थी किन्तु बिना किसी वाणिज्यिक औचित्य के इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व

2387. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई भर्ती का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्लैंक टिकटों का मूल्य

2388. श्री शिवाजी माने :
प्रो० दुखा भगत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्लैंक टिकटें जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) गत दो वर्ष के दौरान ब्लैंक टिकटों का माह-वार मूल्य कितना है;

(घ) ब्लैंक टिकटों को जारी करने का क्या उद्देश्य है;

(ङ) क्या ब्लैंक टिकटों का समुचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशनों से जारी किए गए ब्लैंक टिकटों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) रेलें ब्लैंक पेपर टिकट जारी करती हैं।

(ख) जब साधारण टिकट उपलब्ध नहीं होता है तब विशेष टिकट के लिए ब्लैंक पेपर टिकट जारी किया जाता है। इन टिकटों का हिसाब साधारण टिकटों की तरह ही रखा जाता है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के आधार पर ब्लैंक पेपर टिकटों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) ब्लैंक पेपर टिकट उस समय जारी किया जाता है जब साधारण टिकट जारी करना संभव नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2002 तक कुल 3,31,373 ब्लैंक पेपर टिकट जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

कल्याण योजनाओं हेतु संस्वीकृत धनराशि

2389. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों को कल्याण योजनाओं हेतु योजनावार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) इनमें से कितनी धनराशि का राज्य-वार उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार को धन के दुरुपयोग के संबंध में किसी गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के कल्याण, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों, व्यसनियों तथा नशीली दवा के शिकार व्यक्तियों तथा वृद्ध व्यक्तियों आदि सहित समाज रक्षा के प्रति बचनबद्ध है। मंत्रालय की सभी कल्याणकारी योजनाएं उड़ीसा और बिहार राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्मुक्त और प्रयुक्त योजनावार धनराशि दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख), (घ) और (ङ) जी, हां। मंत्रालय ने 71 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है।

विवरण

विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4134.94	4134.94	3720.00	3720.00	3551.51	2007.20
2.	असम	695.31	515.00	1810.69	914.75	127.14	1453.00
3.	बिहार	3471.49	0.00	0.00	1261.41	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	500.00	284.28	414.68	465.1
5.	गुजरात	682.27	682.27	1521.88	639.30	1227.91	435.6
6.	गोवा#	5.49	1.80	8.00	1.50	0.00	0.13
7.	हरियाणा	840.36	238.02	930.63	635.39	443.53	833.8
8.	हिमाचल प्रदेश	298.18	316.08	440.00	431.22	368.66	221.15
9.	जम्मू और कश्मीर	183.44	137.85	218.00	238.10	201.84	200.6
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	500.00	0.00	578.84	0.00
11.	कर्नाटक	2097.36	2097.36	2643.64	2643.64	2985.43	2396.03
12.	केरल$	813.24	753.88	1251.07	0.00	533.44	0.00
13.	मध्य प्रदेश$	3303.27	1936.10	1720.00	1448.64	1148.23	1737.76
14.	महाराष्ट्र**	2067.30	1450.62	2722.00	1792.67	3314.14	854.57
15.	मणिपुर$	12.54	13.00	38.96	8.94	2.73	8.94
16.	उड़ीसा	1907.72	1686.47	1884.00	2022.03	2480.19	223.25
17.	पंजाब	1280.29	313.13	1784.00	184.29	0.00	161.14
18.	राजस्थान	2792.68	1999.68	3738.96	2137.83	3005.41	2556.29
19.	सिक्किम	22.37	22.26	23.87	23.98	16.68	1.68
20.	तमिलनाडु	4036.92	2841.39	3558.00	2652.39	5020.32	3385.53
21.	त्रिपुरा	159.14	164.87	476.48	476.48	83.45	32.45
22.	उत्तर प्रदेश	9728.65	5682.35	9398.00	6820.62	11816.86	10181.17
23.	उत्तरांचल	0	0.00	500.00	54.17	433.21	192.19
24.	पश्चिम बंगाल	4962.00	4962.00	5450.63	5322.33	7421.59	2333.36
25.	चंडीगढ़	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50
26.	दिल्ली	149.91	82.87	149.91	36.71	0.00	93.21
27.	पांडिचेरी	30.13	30.13	25.18	12.59	50.00	0.00
	कुल	43700.00	30087.07	45038.90	33788.26	45250.79	29786.65

*अनुसूचित जाति विकास निगम**

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 निर्मुक्त	2000-2001 निर्मुक्त	2001-2002 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	818.23	792.65	शून्य
2.	चंडीगढ़	169.98	38.43	शून्य
3.	गुजरात	शून्य	200.00	48.79
4.	कर्नाटक	शून्य	727.39	391.00
5.	केरल	124.93	33.60	शून्य
6.	महाराष्ट्र	शून्य	487.98	1191.47
7.	राजस्थान	शून्य	शून्य	118.74
8.	तमिलनाडु	140.00	शून्य	शून्य
9.	त्रिपुरा	शून्य	12.69	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	85.72	300.00	350.00
11.	पश्चिम बंगाल	661.13	169.95	शून्य
	कुल	2000.00	2762.69	2100.00

*राज्यों द्वारा पिछले वर्षों में निर्मुक्त निधियों के उपयोग की सूचना देने के बाद निधियां निर्मुक्त की जाती है

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1041.05	45.86	0.00	964.48	224.70	उ० नहीं
2.	असम	0.00	38.6	372.00	6.04	0.00	उ० नहीं
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0	1500.00	उ० नहीं	0.00	उ० नहीं
4.	गुजरात	1160.59	84.24	0.00	उ० नहीं	0.00	उ० नहीं
5.	हरियाणा	0.00	107.61	0.00	106.06	0.00	उ० नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश		55.46		81.3	0.00	उ० नहीं
7.	झारखण्ड	0.00	0	1085.00	उ० नहीं	0.00	उ० नहीं
8.	कर्नाटक	0.00	170.39	0.00	184.77	895.17	65.35
9.	मध्य प्रदेश	883.38	362.55	0.00	309.77	0.00	473.47
10.	महाराष्ट्र	0.00	189 11	2135.00	6.64	0.00	128.48
11.	उड़ीसा	0.00	245.87	0.00	253.7	0.00	84.6
12.	पंजाब	0.00	20.23	0.00	7.75	0.00	8.68
13.	राजस्थान	1661.79	35.62	0.00	36.17	0.00	59.85

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	तमिलनाडु	2253.19	175.41	0.00	474.74	0.00	उ० नहीं
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	1409.56	0.00	1071.78	0.00	उ० नहीं
16.	उत्तरांचल	0.00	0	1000.00	उ० नहीं	0.00	उ० नहीं
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	20.39	0.00	18.90	0.00	उ० नहीं
18.	दिल्ली	0.00	शून्य	0.00	उ० नहीं	0.00	उ० नहीं
	कुल	7000.00	2960.00	6092.00	3522.10	919.87	820.43

उपलब्ध नहीं – उ० नहीं

अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2761.58	2905.60	3099.56	4582.29	6426.72	0.00
2.	असम	328.65	232.75	233.75	272.31	272.31	218.32
3.	बिहार	468.48	193.54	0.00	211.60	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	394.84	229.97	185.90
5.	गुजरात	0.00	104.08	149.39	79.80	60.14	0.00
6.	हरियाणा	0.00	62.80	126.25	123.76	275.61	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	21.23	20.23	21.84	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	36.87	85.36	0.00
9.	कर्नाटक	1092.18	247.80	1111.61	1008.39	732.13	1806.13
10.	केरल	554.87	151.90	301.90	438.16	938.16	0.00
11.	मध्य प्रदेश	193.85	252.38	382.47	158.43	490.53	630.67
12.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	727.78	378.74	658.33	0.00
13.	मणिपुर	49.36	33.02	43.71	41.97	48.15	64.16
14.	मेघालय	2.98	2.98	4.17	4.16	5.47	5.46
15.	उड़ीसा	342.24	166.64	196.98	140.64	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पंजाब	0.00	155.10	0.00	171.41	239.90	0.00
17.	राजस्थान	308.28	256.01	411.36	356.87	470.13	0.00
18.	तमिलनाडु	516.86	1199.24	1950.46	1244.51	1168.95	1566.02
19.	त्रिपुरा	136.82	120.96	141.20	141.20	138.71	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	1257.85	788.74	1383.22	5301.24	2304.94	2027.81
21.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	411.74	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	378.01	533.10	1098.42	570.37	911.06	0.00
23.	दमन और दीव	1.27	0.19	1.68	0.00	2.50	0.00
24.	पांडिचेरी	15.00	15.00	30.00	30.35	35.00	0.00
	कुल	8408.28	7421.82	11415.14	15708.14	15927.65	6504.47

नोट : किसी खास वर्ष में केन्द्रीय सहायता उस वर्ष के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमानित व्यय एवं कवरेज के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। उस वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय निधियों की अव्ययित राशि अथवा देय बकाया समायोजित किया जाता है। असामान्य रूप से अधिक अनुमानित व्यय से बचने के लिए, केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया जाता है।

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	74.08	58.93	63.90	62.55	57.94	66.88
2.	बिहार	33.25	35.92	20.00	11.05	15.47	26.75
3.	गोवा	शून्य	0.05	0.34	0.51	0.72	0.36
4.	गुजरात	306.33	401.48	459.25	347.07	510.07	411.84
5.	हरियाणा	13.44	16.55	शून्य	19.21	38.20	74.13
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	3.42	22.05	24.27	शून्य	4.07
7.	कर्नाटक	शून्य	5.35	3.03	10.51	3.36	2.95
8.	केरल	7.00	1.51	शून्य	0.91	शून्य	1.58
9.	मध्य प्रदेश	86.05	122.03	153.45	80.88	70.15	120.79

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र	174.66	126	160.96	127.21	154.41	235.23
11.	उड़ीसा	7.73	2	शून्य	5.73	4.00	7.34
12.	पंजाब	4.83	0.78	शून्य	0	शून्य	25.31
13.	राजस्थान	शून्य	11.39	107.51	72.15	59.69	77.45
14.	सिक्किम	0.60	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	63.26	91.57	170.25	88.64	49.72	106.11
16.	त्रिपुरा	2.02	2.26	2.45	2.97	3.08	2.44
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1.25	शून्य	1.84	2.87	2.89
18.	पांडिचेरी	1.52	1.52	5.16	5.16	शून्य	13.27
19.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.24	शून्य
20.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	30.20	शून्य
21.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.21	शून्य
	कुल	788.26	882.01	1168.35	860.66	1004.33	1179.39

नोट : किसी खास वर्ष में केन्द्रीय सहायता उस वर्ष के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमानित व्यय एवं कवरेज के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। उस वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय निधियों की अव्ययित राशि अथवा देय बकाया समायोजित किया जाता है। असामान्य रूप से अधिक अनुमानित व्यय से बचने के लिए, केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया जाता है।

एनए = शून्य

अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	122.40	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	5.00	5.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	प्रा० नहीं
4.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60.13	प्रा० नहीं
5.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	245.80	प्रा० नहीं
6.	कर्नाटक	483.82	266.35	495.00	325.00	563.19	प्रा० नहीं
7.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.00	प्रा० नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	मध्य प्रदेश	254.19	254.19	764.95	764.95	284.37	प्रा० नहीं
9.	उड़ीसा	7.84	शून्य	12.75	9.96	21.12	प्रा० नहीं
10.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.57	प्रा० नहीं
11.	तमिलनाडु	211.75	160.14	शून्य	शून्य	182.59	प्रा० नहीं
12.	त्रिपुरा	10.00	10.00	शून्य	शून्य	18.58	प्रा० नहीं
13.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	155.64	प्रा० नहीं
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	चंडीगढ़	20.00	20.00	45.00	45.00	50.18	प्रा० नहीं
	कुल	1115.00	715.68	1317.7	1144.91	1599.17	

शून्य, प्रा० – प्राप्त नहीं प्रा० – प्राप्त

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	398.10		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	3.50	3.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	हरियाणा	शून्य	शून्य	140.04	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	67.30	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
5.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	245.80	प्रा० नहीं
6.	कर्नाटक	35.44	35.44	148.96	148.96	207.42	प्रा० नहीं
7.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	45.5	प्रा० नहीं
8.	मध्य प्रदेश	277.99	277.99	437.51	437.51	665.74	प्रा० नहीं
9.	उड़ीसा	24.97	शून्य	12.75	शून्य	25	प्रा० नहीं
10.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	258.34	302.89	43.5	प्रा० नहीं
11.	त्रिपुरा	10.00	10.00	22.05	शून्य	9.49	प्रा० नहीं
12.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	196.04	प्रा० नहीं
	कुल	750.00	326.93	1086.95	989.36	1438.49	

शून्य, प्रा० – प्राप्त नहीं प्रा० – प्राप्त

अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26.23	26.23	116.59	116.59	शून्य	शून्य
2.	असम	0.58	0.58	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	7.38	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
4.	गोवा	0.60	0.40	0.59	प्रा० नहीं	शून्य	1.34
5.	गुजरात	1.34	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	9.74	9.74	3.27	3.27	शून्य	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	2.46	2.46	1.00	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	3.45	3.45	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	57.50	57.50	20.50	20.50	33.27	प्रा० नहीं
10.	केरल	11.10	11.10	13.92	13.92	40.00	प्रा० नहीं
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	12.79	12.79	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	82.34	शून्य	27.03	प्रा० नहीं	85.79	प्रा० नहीं
13.	मणिपुर	3.00	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	प्रा० नहीं
14.	मिजोरम	शून्य	शून्य	1.59	प्रा० नहीं	शून्य	प्रा० नहीं
15.	उड़ीसा	8.00	8.00	9.00	9.00	शून्य	प्रा० नहीं
16.	पंजाब	शून्य	शून्य	8.28	8.28	शून्य	प्रा० नहीं
17.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.40	प्रा० नहीं
18.	तमिलनाडु	28.81	28.81	15.21	15.21	13.38	प्रा० नहीं
19.	त्रिपुरा	3.30	3.30	1.68	1.68	1.86	प्रा० नहीं
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	103.16	प्रा० नहीं
21.	चंडीगढ़	0.34	0.34	0.72	प्रा० नहीं	शून्य	प्रा० नहीं
22.	दिल्ली	5.72	5.72	5.89	4.48	12.00	4.03

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	पांडिचेरी	2.26	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	प्रा० नहीं
	कुल	243.32	154.18	248.89	209.17	298.86	5.37

शून्य, प्रा० – प्राप्त नहीं प्रा० – प्राप्त

योग्यता उन्नयन

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	5.47	5.47	शून्य	शून्य	37.80	प्रा० नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.56	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	3.45	3.45	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	4.20	प्रा० नहीं	9.23	प्रा० नहीं
5.	गोवा	0.75	0.75	1.05	1.05	1.43	प्रा० नहीं
6.	हरियाणा	8.76	8.76	8.70	8.70	7.93	प्रा० नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	0.25	0.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	5.25	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.5	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	39.15	39.15	16.80	16.80	शून्य	शून्य
11.	पंजाब	0.45	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	राजस्थान	15.51	15.51	शून्य	शून्य	8.24	प्रा० नहीं
13.	सिक्किम	शून्य	शून्य	0.75	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
14.	त्रिपुरा	3.00	3.00	1.20	1.20	1.20	प्रा० नहीं
15.	उत्तर प्रदेश	71.65	71.65	शून्य	शून्य	30.87	प्रा० नहीं
16.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	2.40	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	6.01	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
18.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	0.50	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
	कुल	15.00	147.99	46.86	27.75	101.20	

शून्य, प्रा० – प्राप्त नहीं

अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	11.44	8.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	हरियाणा	1.54	1.54	शून्य	प्रा० नहीं	2.19	2.19
3.	जम्मू और कश्मीर	0.25	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कर्नाटक	1.19	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	केरल	10.15	8.78	8.69	10.06	20.86	प्रा० नहीं
6.	मध्य प्रदेश	66.09	55.18	44.03	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
7.	मेघालय	1.79	प्रा० नहीं	1.79	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
8.	उड़ीसा	4.99	4.99	शून्य	शून्य	2.50	प्रा० नहीं
9.	पंजाब	1.89	2.39	2.39	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य	शून्य	43.10	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.15	प्रा०* नहीं
12.	त्रिपुरा	0.67	प्रा० नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.61	प्रा० नहीं
14.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.68	प्रा० नहीं
15.	दिल्ली	6.79	4.24	2.95	3.35	1.90	2.45
	कुल	106.79	85.15	102.95	13.41	43.89	4.64

*निर्मुक्त वर्ष 2000-01 की अन्तिम किस्त तथा 1999-2000 की शेष राशि है।

**पिछले वर्षों की अव्ययित राशि शामिल है।

शून्य, प्रा० – प्राप्त नहीं

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) अधिनियम 1989

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	361.33	346.52	208.60	213.04	165.01	प्रा० नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	0.00	शून्य	2.00	प्रा० नही	0.00	प्रा० नही
3.	बिहार	0.00	7.37	34.03	प्रा० नही	0.00	प्रा० नही
4.	गोवा	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	प्रा० नही
5.	गुजरात	270.93	229.96	325.79	298.53	178.20	प्रा० नही
6.	हरियाणा	7.83	13.23	11.53	13.53	13.78	13.76
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3.85	4.89	प्रा० नहीं	0.00	शून्य
8.	कर्नाटक	170.70	156.97	150.44	188.58	174.59	409.33
9.	केरल	10.00	26.99	41.95	43.34	44.15	प्रा० नही
10.	मध्य प्रदेश	732.95	824.87	977.24	1027.35	812.86	प्रा० नही
11.	महाराष्ट्र	100.00	106.65	190.44	64.02	6.48	प्रा० नही
12	उड़ीसा	4.00	2.07	0.58	1.22	0.97	1.62
13.	पंजाब	25.00	39.69	18.39	32.72	33.10	प्रा० नही
14.	राजस्थान	50.00	114.31	150.00	118.52	317.38	प्रा० नही
15.	सिक्किम	1.00	1.25	0.00	शून्य	0.00	प्रा० नही
16.	तमिलनाडु	50.00	161.72	150.00	261.4	502.48	प्रा० नहीं
17.	उत्तर प्रदेश	636.24	505.89	448.20	717.24	700.00	785.07
1.	दादरा व नगर हवेली	30.99	28.77	27.00	25.27	25.00	26.25
2.	पांडिचेरी	34.15	29.8	28.64	31.49	31.50	प्रा० नही
3.	दमन और दीव	9.01	0	0.00	0	0.00	प्रा० नही
	कुल	2494.15	2600.26	2769.72	3037.85	3005.60	1236.03

नोट : चूंकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित है, इसीलिए सामान्यत: वास्तविक व्यय की तुलना में अनुमानित व्यय में भिन्नता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अव्ययित केन्द्रीय सहायता अथवा बकाए की निकासी होती है। तथापि, वित्त वर्ष के दौरान देय केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करते समय अव्ययित केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्रीय सहायता के बकाए को ध्यान में रखा जाता है।

प्रा० – प्राप्त

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
3.	कर्नाटक	0.00	0.00	425.71	405.99	278.15	278.15
4.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	त्रिपुरा	100.00	100.00	95.79	95.79	110.04	0.00
6.	मणिपुर	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
7.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1222.21	0.00
8.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19	0.00
9.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0	20.00	0.00
	कुल	425.00	425.00	600.00	501.78	1740.04	278.15

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	324.26	324.26	559.25	559.00	357.77	0.00
2.	असम	0.00	0.00	94.47	0.00	32.77	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	55.02	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	8.00	0.00	42.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	0.00
8.	कर्नाटक	118.00	118.00	110.72	110.72	145.57	145.57
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	452.84	0.00
11.	मणिपुर	0.00	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
12.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
13.	त्रिपुरा	55.00	55.00	0.00	0.00	63.31	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	10.20	10.20	329.00	0.00
15.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	0.00
	कुल	497.26	497.26	899.00	679.92	2196.30	145.57

अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास

(रु० लाख में)

		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	149.58	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	144.26	144.26	0.00	0.00	188.74	0.00
3.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28	0.00
4.	कर्नाटक	78.26	78.26	183.23	183.23	216.99	149.6
5.	मणिपुर	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
6.	राजस्थान	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	सिक्किम	20	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8.	तमिलनाडु	0.00	0.00	259.86	259.86	157.28	0.00
9.	त्रिपुरा	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
10.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00
	कुल	300.00	232.52	500.00	443.09	1145	149.60

विकलांगों के लिए रोजगार योजना

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000 निर्मुक्ति	2000-2001 निर्मुक्ति	2001-2002 निर्मुक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	5.90	8.17	0.00
2.	गुजरात	0.00	14.25	0.00
3.	हरियाणा	0.25	0.52	0.00
4.	कर्नाटक	0.00	0.00	14.44
5.	केरल	7.96	0.00	64.46
6.	मध्य प्रदेश	8.94	0.00	0.00
7.	मिजोरम	0.00	0.00	15.21
8.	उड़ीसा	1.61	0.00	0.00
9.	पंजाब	0.00	6.46	6.27
10.	राजस्थान	11.33	39.26	10.41
11.	उत्तर प्रदेश	16.50	17.63	29.05
12.	चंडीगढ़	8.32	4.56	5.72
13.	दिल्ली	21.90	0.00	6.03
14.	पांडिचेरी	0.00	8.71	1.97
	कुल	82.71	99.56	153.56

नोट : विकलांगों को रोजगार की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (केन्द्रीय अंश) द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में विशेष रोजगार कार्यालयों/सेलों की स्थापना के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश के मामले को छोड़कर निधियों का उपयोग कर लिया गया है तथा उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (2001-02) के मामले में अभी तक उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 निर्मुक्ति	2000-2001 निर्मुक्ति	2001-2002 निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12.50	136.40	108.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.50	198.35	156.05
3.	असम	12.50	260.30	203.90
4.	बिहार	25.00	322.25	251.75
5.	छत्तीसगढ़		207.00	156.05
6.	गोवा	12.50	74.45	60.35
7.	गुजरात	12.50	1 98.35	156.05
8.	हरियाणा	12.50	136.40	108.20
9.	हिमाचल प्रदेश	12.50	136.40	108.20
10.	जम्मू और कश्मीर	12.50	136.40	108.20
11.	झारखण्ड		210.85	156.05
12.	कर्नाटक	25.00	198.35	156.05
13.	केरल	12.50	136.40	108.20
14.	मध्य प्रदेश	25.00	384.20	299.60
15.	महाराष्ट्र	25.00	198.35	156.05
16.	मणिपुर	12.50	136.40	108.20
17.	मेघालय	12.50	136.40	108.20
18.	मिजोरम	12.50	74.45	60.35
19.	नागालैण्ड	12.50	136.40	108.20
20.	उड़ीसा	25.00	198.35	156.05
21.	पंजाब	12.50	136.40	108.20
22.	राजस्थान	25.00	198.35	156.05
23.	सिक्किम	12.00	74.45	60.35
24.	तमिलनाडु	25.00	198.35	156.05
25.	त्रिपुरा	12.50	74.45	60.35
26.	उत्तर प्रदेश	25.00	446.15	347.45
27.	उत्तरांचल		148.90	108.20
28.	पश्चिम बंगाल	12.50	136.40	108.20

1	2	3	4	5
29.	अण्डमान एवं निकोबार	12.50	74.45	60.35
30.	चंडीगढ़	12.50	74.45	60.35
31.	दादरा व नगर हवेली	12.50	74.45	60.35
32.	दमन एवं दीव	12.50	74.45	60.35
33.	दिल्ली	12.50	74.45	60.35
34.	लक्षद्वीप	12.50	74.45	60.35
35.	पांडिचेरी	12.50	74.45	60.35
	कुल	500.00	5551.05	4361.20

नोट : एनपीआरपीडी योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है। नौवीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष संघटकों के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की गई।

किशोर सामाजिक कुसमंजन नियंत्रण एवं रोकथाम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	प्रा० नहीं
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08	30.08
4.	गोवा	0.00	0.00	7.33	7.33	4.04	प्रा० नहीं
5.	गुजरात	36.16	36.16	35.98	35.98	47.50	प्रा० नहीं
6.	हरियाणा	0.00	0.00	25.06	16.54	3.09	प्रा० नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	24.58	प्रा० नहीं	0.00	शून्य
8.	कर्नाटक	0.00	0.00	87.00	70.34	49.44	प्रा० नहीं
9.	केरल	16.86	16.86	21.30	21.30	25.28	22.19
10.	मध्य प्रदेश	253.84	253.84	159.27	158.03	113.58	103.53
11.	महाराष्ट्र	336.04	336.04	251.16	251.16	710.77	प्रा० नहीं
12.	मणिपुर	0.00	0.00	5.35	प्रा० नहीं	0.00	प्रा० नहीं
13.	मेघालय	4.62	2.85	5.62	2.31	5.89	प्रा० नहीं
14.	मिजोरम	9.71	9.71	4.26	4.26	8.99	8.99
15.	नागालैण्ड	0.00	0.00	6.67	6.67	3.22	प्रा० नहीं
16.	पंजाब	13.71	13.71	24.06	13.87	13.37	13.37

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	8.77	7.42	8.00	7.98	12.17	9.15
18.	सिक्किम	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
19.	तमिलनाडु	128.81	128.81	118.21	118.21	190.51	प्रा० नहीं
20.	त्रिपुरा	1.00	प्रा० नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	129.24	120.13	184.45	144.73	64.95	प्रा० नहीं
22.	पश्चिम बंगाल	103.54	103.54	80.00	80.00	73.49	0.00
23.	चंडीगढ़	2.00	2.00	3.10	प्रा० नहीं	0.00	0.00
23.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	82.03	प्रा० नहीं
	कुल	1046.00	1032.77	1053.10	940.41	1518.86	189.01

प्रा० – प्राप्त

चंडीगढ़ एवं दक्षिण के बीच सीधा रेल संपर्क का आरंभ

2390. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चंडीगढ़ एवं दक्षिण के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करने हेतु काफी समय से की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या श्रमजीवी एक्सप्रेस, अवध असम एवं आम्रपाली एक्सप्रेस को कालका/चंडीगढ़ तक चलाए जाने की वांछनीयता पर भी विचार किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। 2003-2004 के दौरान नई दिल्ली, सहारनपुर के रास्ते चेन्नै और चंडीगढ़ के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) इन गाड़ियों को कालका/चंडीगढ़ तक चलाने की जांच की गई थी किन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हथियार आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण

2391. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हथियार आपूर्तिकर्ताओं एवं संयुक्त सह-उत्पादन उद्यमों का विविधीकरण किए जाने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सौदे के लिए कौन से देश आगे आए हैं और 5 फरवरी, 2003 को बंगलौर में आयोजित एयरो इंडिया 2003 प्रदर्शनी में भाग लेने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों एवं उनके देशों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिस्पर्धा पैदा करने और समुचित प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक मामले में विक्रेता आधार निर्धारित किया जाता है न कि उसे कुछ चुनिंदा विक्रेताओं तक सीमित रखा जाता है। जहां कहीं व्यवहार्य होता है, चुनिंदा विक्रेताओं के साथ संयुक्त उत्पादन के विकल्प पर भी विचार किया जाता है ताकि नई प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाया जा सके और तीसरे देश के लिए विक्रय संभव किया जा सके।

(ग) एयरो इंडिया 2003 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

एयरो इंडिया 2003 का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

भाग लेने वाले प्रमुख देशों और कंपनियों की सूची विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

एयरो इंडिया 2003 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने टैंकरोधी, जमीन से हवा में मार करने वाले और हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों सहित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास और विनिर्माण करने के लिए फ्रांस के मैट्रा बी०ए०ई० डायनामिक्स एयरोस्पेटिएल के साथ एयरो इंडिया 2003 में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मैट्रा बी०ए०ई० डायनामिक्स एयरोस्पेटिएल ने इन शस्त्र प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहमति भी दी है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

(i) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और टर्बोमिका, फ्रांस ने उन्नत हल्के हेलीकाप्टर के लिए शक्ति आर्डीडेन इंजन का सह-विकास और सह-उत्पादन करने तथा टी०एम० 333 2 बी2 इंजनों की संपूर्ण मरम्मत करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और स्नेक्मा, फ्रांस ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सयरो इंजन की सबअसंबलियों और विनिधान सांचों का उत्पादन करने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और स्नेक्मा मोटर्स, फ्रांस ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा स्नेक्मा को फोर्जिंग, रोल्ड रिंग और परिशुद्ध ब्लेड फोर्जिंग सप्लाई करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है।

(iv) हिन्दस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने सु-30 मार्क। बहु-भूमिका लड़ाकू विमानों के लिए फिन, स्टेबलाइजर और कनार्ड सरफेस सप्लाई करने के लिए इर्कुत्स्क के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। मौजूदा करार 9 मिलियन अमरीकी डालर के 18 सैटों की सप्लाई के लिए है।

(v) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयस, इंग्लैंड ने रोल्स रॉयस इंजनों के लिए स्टील रोल्ड रिंगों की सप्लाई करने के वास्ते संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। संविदा का मूल्य 5 मिलियन अमरीकी डालर का है जिसके अगले 5 वर्षों में 10 मिल्यिन अमरीकी डालर तक बढ़ने की संभावना है।

(vi) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और इंस्टीट्यूट एयरोनॉटिक एट स्पेटिएल, फ्रांस ने दीर्घकालिक शैक्षिक सहयोग के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण-II

एयरो इंडिया-2003

हाल ही में संपन्न वायुसेना स्टेशन, येलहंका (बेंगलूर) में 5 से 9 फरवरी, 2003 तक आयोजित एयरो इंडिया 2003 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर की पृष्ठभूमि में हुआ था। निरंतर सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में रक्षा क्षेत्र में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का अब स्वागत किया जाता है। एयरो इंडिया 2003 ने, प्रदर्शनकर्ताओं के वास्ते अपने उत्पाद उद्योग प्रमुखों को दर्शाने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया ताकि सार्थक सहयोग के वास्ते संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त हो सकें।

2. 5 फरवरी, 2003 को रक्षा मंत्री ने एयरो इंडिया 2003 का उद्घाटन किया था। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

3. इस प्रदर्शनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए एक नया हैंगर, हाल डी बनाकर अतिरिक्त भीतरी स्थान तैयार किया गया था। पूरा भीतरी क्षेत्र पूर्ण रूप से बेच दिया गया था।

4. यद्यपि, वायुसेना स्टेशन, येलहंका में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग ने प्रदर्शनी और वायुयानों के स्थैतिक/उड़ान प्रदर्शन का आयोजन किया था तथापि, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने 'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां-विकास और कार्ययोजनाएं' नामक विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। मानव की पहली उड़ान की 100वीं वर्षगांठ मानने के लिए संगोष्ठी के दौरान पहला विश्व विमानन और दूसरा भारतीय विमानन पर दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए थे।

विवरण-III

भाग लेने वाले प्रमुख देशों और कंपनियों की सूची

क्रम सं०	देश	कंपनी
1	2	3
1.	ब्राजील	एम्ब्राएर
2.	चेक गणराज्य	एयरोवोडोचोडी

1	2	3
3.	फ्रांस	दासाल्ट एविएशन (थेल्स और स्नेक्मा) दासाल्ट मिराज जीफास एम०जी०डी०ए० ई०ए०डी०एस०
4.	इजराइल	सीबात
5.	रूस	एयरोस्पेस इक्यूपमेंट कंपनी सुखाई इर्कुट कार्पोरेशन रैक मिग रोसोबोरोनएक्सपोर्ट
6.	सिंगापुर	जेनस
7.	दक्षिण अफ्रीका	रियूटेक डिफेंस इंडस्ट्रीज
8.	इंग्लैंड	चेमरिंग अगस्ता वेस्टलैंड, बी०ए०ई० सिस्टम, डिसो और रोल्स रॉयस
9.	उक्रेन	ए०एस०टी०सी० एंटोनोव
10.	अमरीका	बेल हेलीकाप्टर टेक्सट्रान, बोइंग, जी०ई० एयरक्राप्ट इंजन, लॉकहीड मार्टिन एण्ड रथयोन

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में स्थित विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

2392. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थित प्रत्येक विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक विद्युत परियोजना की पिछले दो वर्षों यथा वर्ष 2000-01 (31.3.2001 तक) तथा वर्ष 2001-02 (31.3.2002 तक) के दौरान की उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1.	हसदेव बांगो (जल विद्युत) राज्य क्षेत्र	120
2.	कोरबा-2 (ताप विद्युत) राज्य क्षेत्र	200
3.	कोरबा-3 (ताप विद्युत) राज्य क्षेत्र	240
4.	कोरबा पश्चिम (ताप विद्युत) राज्य क्षेत्र	840

(ख) इन विद्युत केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवाश्म ईंधनों का लुप्त होना

2393. **श्री सईदुज्जमा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं तमिलनाडु विद्युत बोर्ड कोयला आधारित विद्युत परियोजना पर संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व भर में जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण जीवाश्म ईंधनों के संभावित रूप से लुप्त हो जाने और इसमें अंतर्ग्रस्त उच्च लागत के मद्देनजर सरकार के पास कोई अन्य समान योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला आधारित ऊर्जा से प्रदूषण को कम करने और हाइड्रोजन एवं अल्कोहल इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों सहित वैकल्पिक ईंधनों में भी अनुसंधान एवं विकास में भी निवेश किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) जी, हां। एन०टी०पी०सी० और तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड ने चेन्नै स्थित एन्नोर में 1000 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के आशय से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त उद्यम की शेल कंपनी की तैयारी, स्थल चयन आदि से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (ङ) कोयला देश के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से एक है। कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में कोयला का पर्याप्त भंडार है।

कोयला संचालित स्टेशनों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का अनुपालन करना होता है।

अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत हाइड्रोजन संचालित विद्युत उत्पादन यूनिटें विकसित एवं मान्यता प्रदान की गयी हैं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के एक भाग के रूप में जेनसेट्स और फ्यूल सेल के माध्यम से सीमित विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन के प्रयोग की मान्यता दी गयी है। फ्यूल सेल ईंधन में भण्डारित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रिया के माध्यम से सीधे परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन करते हैं।

विभिन्न अखाद्य तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने, इथेनाल उत्पादन के विभिन्न स्रोतों का पता लगाने, बायोफ्यूल के उपयोग के लिए ईंजन के विनिर्धारण, पेट्रोल और डीजल में 10% या इससे अधिक इथेनाल/बायोफ्यूल मिश्रण के प्रयोग के लिए इंजनों/किटों के उत्पादन और इथेनाल के उत्पादन के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम आदि से जुड़े प्रौद्योगिकी का विकास कार्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित बायोफ्यूल कार्यक्रम के घटक हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल समपारों में वृद्धि

2394. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में बिना चौकीदार वाले रेल समपारों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) राजस्थान में आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दिए गए बिना चौकीदार वाले रेल समपारों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय, राजस्थान में लूनी-जसई का आमान परिवर्तन प्रगति पर है और इस खंड पर कोई समपार बंद नहीं किया गया है;

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी कार्यकारी समूह की सिफारिश

2395. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष प्रस्तुत की गई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में किन सिफारिशों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यकारी समूह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के उदारीकरण और अंतराष्ट्रीय तेल बाजार के इस पर बढ़ते प्रभावन के संदर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। इसने अनेक सिफारिशें की जिनमें त्वरित अन्वेषण कार्यक्रमों के माध्यम से तेल सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, विदेशों में इक्विटी तेल का अर्जन, ईंधन तेल के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, तेल/उत्पाद के कार्यनीतिक भंडारों का सृजन और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उत्पाद गुणवत्ता सुधार शामिल है।

तद्नुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं :

(1) विशेषकर गहरे अपतटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयास तेज करना।

(2) उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) और वर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०) कार्यक्रम आरंभ करना।

(3) विदेशों में इक्विटी तेल और गैस प्राप्त करने के प्रयास बढ़ाना।

(4) कच्चे तेल के लिए कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं का सृजन।

(5) कोल बेड मीथेन, मोटर स्पिरिट एथेनोल सम्मिश्रण और गैस हाइड्रेट्स सहित वैकल्पिक ईंधनों का विकास।

(6) निर्धारित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए तेल पीएसयूज द्वारा उत्पाद गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

[हिन्दी]

नशामुक्ति हेतु गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराया गया धन

2396. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नशामुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान के माध्यम से कितनी सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान नशामुक्ति हेतु सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन के दुरूपयोग के कारण गैर-सरकारी संगठनों के धन को जब्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) सरकार मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग की रोकथाम संबंधी योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ नशामुक्ति तथा पुनर्वास केन्द्रों, तथा नशीली दवा जागरूकता और परामर्श केंद्रों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आउटरीच कार्यक्रमों के विस्तार, कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण के आयोजन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन तंत्र के सुदृढ़ीकरण, तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उपायों के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप योजना से बड़ी संख्या में व्यसनी लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या जो 1998-99 में 2.26 लाख थी 2001- 02 में बढ़कर 4.37 लाख हो गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I के विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण आते हैं जहां अनुदानग्राही संगउन को निधियों का दुरूपयोग करते हुए पाया जाता है, या इसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे मामलों में, संगठन को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है, और यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो संगठन को कालीसूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाती है।

मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग की रोकथाम सम्बन्धी योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायतानुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	71.22	68.29	96.18
2.	असम	29.59	45.24	24.13
3.	बिहार	44.38	59.71	87.52
4.	छत्तीसगढ़	—	—	2.48
5.	गोवा	14.51	7.88	14.36
6.	गुजरात	54.94	73.72	65.73
7.	हरियाणा	94.09	80.60	93.21
8.	हिमाचल प्रदेश	—	5.54	12.06
9.	जम्मू और कश्मीर	10.12	18.95	7.27
10.	झारखण्ड	—	7.34	13.21
11.	कर्नाटक	71.69	78.56	106.85
12.	केरल	119.24	131.43	125.12
13.	मध्य प्रदेश	41.64	48.92	54.20
14.	महाराष्ट्र	227.28	295.76	342.72
15.	मणिपुर	158.07	157.28	101.24
16.	मेघालय	9.97	13.41	9.05
17.	मिजोरम	51.01	53.63	61.89
18.	नागालैण्ड	49.86	42.04	34.84
19.	उड़ीसा	131.10	176.27	162.67
20.	पंजाब	88.04	85.68	104.50

1	2	3	4	5
21.	राजस्थान	66.54	72.69	79.67
22.	सिक्किम	3.12	3.36	1.20
23.	तमिलनाडु	83.07	102.50	97.89
24.	त्रिपुरा	9.25	9.49	6.68
25.	उत्तर प्रदेश	245.68	249.51	325.21
26.	उत्तरांचल	—	1.92	17.28
27.	पश्चिम बंगाल	116.27	69.90	111.92
28.	चंडीगढ़	10.66	9.50	9.50
29.	दिल्ली	60.49	65.55	65.53
30.	पांडिचेरी	5.43	9.21	10.91
	कुल	1900.00	2066.00	2245.02

विवरण-II

क्र०सं०	एन०जी०ओ० का नाम
1	2
	1999-2000
1.	अम्बेदकर शिक्षा प्रसारक समिति, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश
2.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया, जालून, उ०प्र०
3.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
4.	यू०पी० राना बेनी माधव जन कल्याण समिति, राय बरेली, उत्तर प्रदेश
	2000-01
5.	अभिनव सेवा संस्थान, द्वारिका गंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
6.	जन कल्याण एवम नारी उत्थान समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
7.	आशा भवन, गोवा
	2001-02
8.	हरिजन कल्याण समिति, करोली, लथौरी, जिला अम्बेदकर नगर, उत्तर प्रदेश
9.	करूणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
10.	जन कल्याण समाज विकास संस्थान, ओसमानाबाद
11.	इंटरनेशनल मिशन ऑफ डा० अम्बेदकर एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर
12.	अपंग एशोसिएशन, अमरावती, महाराष्ट्र
13.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती
14.	शिव शक्ति एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर

बिहार एवं झारखंड हेतु विशेष संघटक योजना

2970-93

2397. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार एवं झारखंड राज्यों के लिए कोई विशेष संघटक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) राज्य सरकारें स्वयं विशेष संघटक योजना तैयार करती हैं जो योजना आबंटन का एक संघटक है।

(ख) और (ग) बिहार की विशेष संघटक योजना ने विशेषकर इन्दिरा आवास योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शिक्षा तथा पोषण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर बल दिया है। परिव्यय का ब्यौरा विवरण-I पर है।

झारखंड की विशेष संघटक योजना ने आय सृजन और स्वरोजगार के क्षेत्रों में बल दिया है। परिव्यय का ब्यौरा विवरण-II पर है।

विवरण-I

वर्ष 2002-2003 के दौरान बिहार में विशेष संघटक योजना के तहत प्रवाह दर्शानेवाला विवरण

(रु० लाखें में)

क्र० सं०	विभाग/क्षेत्र का नाम	विशेष संघटक योजना 2002-2003 को प्रस्तावित प्रवाह
1	2	3
1.	कृषि	48.58

1	2	3
2.	पशुपालन	130.19
3.	भवन एवं आवास	0.00
4.	नागर विमानन	0.00
5.	वाणिज्यिक कर	0.00
6.	सहकारिता	291.34
7.	ऊर्जा	652.01
8.	वित्त	0.00
9.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.00
10.	वन	0.00
11.	चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	478.80
12.	स्वास्थ्य	1678.71
13.	गृह	0.00
14.	उच्च शिक्षा	0.00
15.	प्राथमिक और वयस्क शिक्षा	3107.52
16.	माध्यमिक शिक्षा	36.09
17.	कला, संस्कृति एवं खेल	0.00
18.	राजभाषा	0.00
19.	उद्योग	270.65
20.	सूचना एवं जन संपर्क	0.00
21.	खनन	37.65
22.	भूमि सुधार	0.00
23.	विधि	0.00
24.	लघु सिंचाई (क) एमआई	969.42
	(ख) सीएडीए	0.00
25.	श्रम	0.00
26.	अल्पसंख्यक कल्याण	0.00
27.	कार्मिक	0.00
28.	पीएचईडी	1640.00
29.	योजना एवं विकास क. योजना	78.85
	ख. सांख्यिकी	0.00
30.	सड़क निर्माण	975.52
31.	ग्रामीण विकास	21485.58
32.	आरईओ	9964.95
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0.00
34.	गन्ना	0.00
35.	पर्यटन	0.00
36.	परिवहन	0.00
37.	20 सूत्री कार्यक्रम	0.00
38.	शहरी विकास	20100.00
39.	जल संसाधन	10688.06
40.	कल्याण	498.16
41.	समाज कल्याण	2205.83
	कुल	57247.90

विवरण-II

वर्ष 2002-2003 के दौरान झारखंड में विशेष संघटक योजना के तहत प्रवाह दर्शानेवाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	विभाग/क्षेत्र का नाम	एससीपी 2002-2003 को प्रस्तावित प्रवाह
1	2	3
1.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	114.86
2.	पम्पसेट वितरण	44.18
3.	कालीन बुनाई	13.25
4.	साइकिल रिक्शा	12.15
5.	लकड़ी और स्टील फर्नीचर दुकान	8.84

1	2	3
6.	टेन्ट हाउस एवं डेकोरेटिव दुकान	6.63
7.	होटल और ढ़ाबा	4.42
8.	कार्ड और मैगजीन दुकान	2.20
9.	मात्स्यिकी	254.57
10.	सफाई कर्मचारियों और आश्रितों को वित्तीय सहायता	500.00
	कुल	961.00

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड का निजीकरण

2398. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड का निजीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) देश के विभिन्न राज्यों में संवितरण से विद्युत उत्पादन को अलग किए जाने संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है और इन कार्यों में से कुछ कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपने संबंधी क्या प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पश्चिम बंगाल में विद्युत आपूर्ति की जिम्मेवारी राज्य में प्रचालनाधीन निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही है :—

क्र०सं०	संस्था का नाम	कार्य
1.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	पारेषण एवं वितरण
2.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	विद्युत उत्पादन
3.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि०	दुर्गापुर में एक नामोद्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत उत्पादन एवं वितरण
4.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन — निजी कंपनी	कलकत्ता में विद्युत उत्पादन एवं वितरण
5.	दिसेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि०	असनसोल क्षेत्र में विद्युत उत्पादन एवं वितरण
6.	दामोदर घाटी निगम	डी०वी०सी० क्षेत्र

(घ) देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन को वितरण कार्य से पृथक करने की वर्तमान स्थिति इंगित करने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन को वितरण कार्य से पृथक करने की वर्तमान स्थिति

राज्य का नाम	विद्युत उत्पादन एवं वितरण की स्थिति
1	2
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है :
	— आंध्र प्रदेश जनरेशन कं०लि० (एपीजेनको) — विद्यमान विद्युत उत्पादक संयंत्रों के लिए और
	— आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कं०लि० (एपीट्रांसको)
	— चार वितरण कंपनियां
दिल्ली	— दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) का विकेन्द्रीकरण करके 6 निगम स्थापित किए हैं : एक विद्युत उत्पादन हेतु, एक पारेषण हेतु, तीन वितरण हेतु और एक होल्डिंग कंपनी के रूप में
	— तीन वितरण कंपनियों का निजीकरण किया गया है।

1	2
हरियाणा	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (एचएसईबी) को 14.8.98 को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है : — हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि० (एचवीपीएनएल) — एक पारेषण कंपनी और — हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि० (एचपीजीसीएल) — एक विद्युत उत्पादन कंपनी — दो वितरण कंपनियां यथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि० और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि० स्थापित किए गए हैं।
कर्नाटक	सुधार अधिनियम, 1999 के अनुसार कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है : — कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० (केपीटीसीएल) — विश्वेश्वर्य विद्युत निगम लि० (वीवीएनएल) — चार वितरण कंपनियां — निजीकरण नीति पत्र तैयार किया गया था और सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया गया था।
मध्य प्रदेश	— विद्युत उत्पादन और वितरण का कार्य वर्तमान में राज्य बिजली बोर्ड के हाथ में है। — मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन करके पांच कंपनियां बनाई हैं। नामशः क. मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लि० ख. मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लि० ग. मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लि० घ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लि० ये कंपनियां एमएसईबी की एजेंट होंगी। व्यापार एमएसईबी के नाम से करना जारी रहेगा।
राजस्थान	— राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० और तीन वितरण कंपनियां नामशः जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० के रूप में विभाजित किया गया है।
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सरकार के स्वामित्व वाली निम्नलिखित तीन संस्थाओं में विभाजित किया गया है :— — उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम — ताप विद्युत उत्पादन हेतु — उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम — जल विद्युत उत्पादन हेतु — उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० — पारेषण एवं वितरण हेतु कानपुर का वितरण नेटवर्क कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सौंपा गया है। ग्रेटर नौएडा में वितरण कार्य निजी क्षेत्र की नौएडा पावर कपंनी लि० के नियंत्रण में है।
उत्तरांचल	9.11.2001 को नया राज्य के सृजन के पश्चात् राज्य विद्युत क्षेत्र के लिए दो निगम सृजित किए गए हैं। नामशः — उत्तरांचल पावर कारपोरेशन — वितरण एवं पारेषण हेतु — उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० जल विद्युत उत्पादन हेतु

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां

2399. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में रौलिंग स्टॉक को बदले जाने एवं उनका अधिग्रहण करने तथा यात्री सुविधाओं में सुधार करने के अलावा नयी लाइनों को बिछाने, रेल पटरियों को बदलने एवं उनका दोहरीकरण करने, सिग्नल एवं दूरसंचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखा जाना था और उपरिपुलों/अंडर ब्रिजों का निर्माण किया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों को रखा गया था और कितने उपरिपुलों, अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कोटि के कार्यों की उपलब्धियां निम्न तालिका में दी गई हैं :–

मदें	उपलब्धियां/नौवीं योजना के दौरान अधिग्रहण
नई लाइनें	663 कि०मी०
दोहरीकरण	990 कि०मी०
यातायात सुविधाएं	767 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य किए गए हैं।
सिगनल एवं दूरसंचार	1665 करोड़ रुपये के मूल्य के कार्य किए गए हैं।
यात्री सुविधाएं	600 करोड़ रुपये के मूल्य के कार्य किए गए हैं।
बिलजी रेल इंजन	697 अदद
डीजल रेल इंजन	630 अदद+30 (जीएम)
सवारी डिब्बा	11619 अदद
माल डिब्बा	99962.5 चौपहिया इकाई

(ग) और (घ) मौजूदा नियमों के अनुसार रेलों की लागत पर प्रारम्भिक तौर पर व्यवस्थित और अनुरक्षित बिना चौकीदार वाले समपार पर यातायात बढ़ने के कारण चौकीदार/उन्नयन/अतिरिक्त चौकीदार की तैनाती की जरूरत पड़ती है तो प्रारंभिक और अनुरक्षण की लागत संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण को वहन करनी पड़ती है। हालांकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, बिना चौकीदार वाले समपारों पर यातायात के घनत्व और दृश्यता के अनुसार रेलवे ने 4449 भेद्य समपारों पर चौकीदार तैनात करने का विनिश्चय किया है। इसी प्रकार, जिन समपारों पर गाड़ी वाहन इकाई एक लाख से अधिक है वहां लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा सकता है। 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान, बिना चौकीदार वाले 410 समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए और 88 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

शराब पर प्रतिबंध

2400. श्री आदिशंकर :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शराब पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कई संगठनों, युवाओं, धार्मिक संस्थाओं, साधु-संतों, फकीरों, औलियाओं एवं प्रेस ने भी यह मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार संगठनों, जनता एवं प्रेस की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई मांग नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, उसे रखना, उसका परिवहन, खरीद तथा बिक्री राज्य का विषय है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु निधियां

2401. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने हेतु राज्य सरकारों विशेषकर हिमाचल प्रदेश को वर्षवार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आबंटित धन का समुचित रूप से उपयोग किया गया है और इसकी समय-समय पर निगरानी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता विवरण में दी गई है। मंत्रालय, निधियों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करता रहा है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड़ रु० में) 1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15.355	20.993	24.986
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.383	0.894	16.528
3.	असम	2.519	0.777	0.471
4.	बिहार	3.939	0.224	0.133
5.	गोवा	0.104	0.056	0.020
6.	गुजरात	4.544	5.900	5.522
7.	हरियाणा	3.539	4.239	3.477
8.	हिमाचल प्रदेश	6.094	4.370	6.151
9.	जम्मू और कश्मीर	3.492	1.514	0.849
10.	कर्नाटक	10.179	15.210	13.405
11.	केरल	4.744	5.190	10.674
12.	मध्य प्रदेश	11.421	7.736	3.805
13.	महाराष्ट्र	16.527	11.120	7.804
14.	मणिपुर	1.205	0.399	1.342
15.	मेघालय	0.466	1.296	2.095
16.	मिजोरम	2.928	5.042	0.528
17.	नागालैण्ड	0.586	1.181	3.341
18.	उड़ीसा	9.877	5.448	8.025
19.	पंजाब	11.126	3.967	12.876
20.	राजस्थान	7.817	7.099	9.136
21.	सिक्किम	3.970	6.681	5.097
22.	तमिलनाडु	6.266	5.218	3.844
23.	त्रिपुरा	0.937	3.264	2.686
24.	उत्तर प्रदेश	11.687	15.531	18.582
25.	पश्चिम बंगाल	16.200	15.881	18.157
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.184	8.049	2.655
27.	चंडीगढ़	0.080	0.020	0.160
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.012	0.000	0.000
29.	दमन एवं दीव	0.012	0.036	0.000
30.	दिल्ली	0.660	1.402	0.825
31.	लक्षद्वीप	1.191	2.882	5.725
32.	पांडिचेरी	0.119	0.135	0.132
33.	छत्तीसगढ़	9.000	0.000	1.772
34.	झारखंड	0.000	0.000	0.125
35.	उत्तरांचल	0.000	0.000	1.416
36.	सभी राज्यों के संबंध में	34.369	26.841	30.808

ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2402. श्री कैलाश मेघवाल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अभिकरणों के नाम क्या हैं, जिनके माध्यम से राजस्थान में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा, कार्यक्रम/योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान 'एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा' के अंतर्गत राजस्थान में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की

जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के परिणाम के रूप में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का कार्यक्रमवार एवं योजनावार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) राजस्थान में 'एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम' (इंटिग्रेटेड रूरल इनर्जी प्रोग्राम) का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा राज्य नोडल एजेंसी अर्थात् राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि० के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1999-2000 में राजस्थान सहित बारह राज्यों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई०आर०ई०पी०) की प्रगति पर 'आई०आर०ई०पी० का विश्लेषण और क्षमता निर्माण कार्यनीति का विकास' शीर्षक से एक अद्यतन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से यह पता चला कि आई०आर०ई०पी० के फलस्वरूप जिला और राज्य स्तरों पर ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं स्थापित कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, आई०आर०ई०पी० से ग्रामीण लोग और क्षेत्र विकास पदाधिकारी ग्रामीण ऊर्जा की समस्या और उन्हें कैसे सुलझाया जाना चाहिए, के विभिन्न आयामों को समझने में समर्थ हुए हैं। आई०आर० ई०पी० से नई तथा अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में व्यापक पैमाने पर जागरूकता भी आई है। इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि आई०आर०ई०पी० को समेकित किया जाना चाहिए; राज्य सरकारों द्वारा उच्च स्तर की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और कार्यक्रम की मोनीटरिंग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त अध्ययन से पता चला है, आई०आर० ई०पी० को कुछ पहलुओं में सफलता मिली है, किंतु कार्यान्वयन पहलू को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। यह सफलता, ग्रामीण ऊर्जा आयोजना तथा कार्यान्वयन और आई०आर०ई०पी० ब्लॉकों में अक्षय ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन के लिए अवसंरचना की स्थापना के रूप में प्राप्त हुई है। तथापि, सभी राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकारों, से अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

(ङ) आई०आर०ई०पी० को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को क्रमशः 19.11 लाख रु० 11.16 लाख रु० और 24.47 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

उदारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा

2403. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन उपकरण क्षेत्र को उदारीकरण के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा में बने रहने और उनके ऑपरेशन का स्तर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादक उपस्कर क्षेत्र जैसे अन्य निर्माता क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के बढ़ते उदारीकरण के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बनना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

असम में दूरदर्शन के ट्रांसमीटरों का स्तर बढ़ाना

2404. डा० जयन्त रंगपी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के पर्वतीय जिलों हमरेन, बोकजान, मेबांग में नए केन्द्र स्थापित करने हेतु दिपहू और हॉफलांग में दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन करने के साथ-साथ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम का विस्तार करने के भाग के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपर्युक्त ट्रांसमीटरों का कब तक उन्नयन किए जाने और नए ट्रांसमीटरों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। दिफू और हॉफलांग में स्थित मौजदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने और हमरेन, बोकजान और मेबांग में नए ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

Scanned by CamScanner

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार संबंधी विशेष पैकेज में दिफू स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उन्नयन करने और हमरेन में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। स्कीमवार अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है। इसलिए कोई निश्चित समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों के विरूद्ध दामोदर वैली कारपोरेशन (डी०वी०सी०) के बकाया देय

2405. प्रो० रीता वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार दामोदार वैली कारपोरेशन की झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के विरूद्ध कितनी राशि बकाया है;

(ख) 31 जनवरी, 2003 तक झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दामोदर वैली कारपोरेशन को विद्युत खरीदने हेतु भुगतान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भुगतान में विलम्ब किसी विवाद के कारण था; और

(घ) यदि हां, तो विवाद के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) दामोदर घाटी निगम को झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड से दिनांक 15.2.2003 की स्थितिनुसार (दिनांक 31.1.2003 तक के बिल अनुसार) कुल 1483.95 करोड़ रु० के बकाया राशि की प्राप्ति होनी है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने दामोदर घाटी निगम से विद्युत क्रय स्वरूप दिनांक 31.01.2003 तक 375.41 करोड़ रु० का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) दामोदार घाटी निगम ऐसे किसी विवाद में नहीं है जिससे भुगतान में विलम्ब हो।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण		
(क) भारत सरकार की प्रतिभूतिकरण योजना के तहत दिनांक 30.9.2001 तक की बकाया देनदारी		1074.00
1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की दिनांक 1.4.2001 की स्थिति अनुसार 46% हिस्से की देनदारी (भारत सरकार के आदेशानुसार)		
(I) मूल धन	371.25	
(II) विलम्बित भुगतान प्रभार	609.64	
उपयोग (I) जोड़ (II)	980.89	
2. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को सितम्बर, 2001 तक विद्युत बिल के लिए		
(I) मूल धन	90.83	
(II) विलम्बित भुगतान प्रभार	2.28	
उपयोग (I) जोड़ (II)	93.11	
(ख) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को 1.10.2001 से विद्युत बिल के लिए वर्तमान देनेदारी (जनवरी, 2003 तक के बिल अनुसार)		409.95
(I) मूल धन	255.76	
(II) विलम्बित भुगतान प्रभार	154.19	
उपयोग (I) जोड़ (II)	409.95	
दिनांक 15.02.2003 तक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की कुल देनदारी (दिनांक 31.01.2203 तक के बिल अनुसार) (क जोड़ ख)		1483.85

[अनुवाद]

ट्रैक अनुरक्षण

2406. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैंगमैनों को दक्षिण मध्य रेलवे में अनंतपुर और महबूबनगर जिलों में रेल पथ कटे पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षतिग्रस्त ट्रैक के और खंड मुदिमुब्बा गांव में पाये गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ट्रैक अनुरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। हाल ही में अनंतपुर जिले में पटरी कटी होने के दो मामले ध्यान में आए थे। बहरहाल, महबूबनगर जिले में पटरी कटी होने की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है।

(ख) मामला-1. 6.2.2003 को 13.30 बजे कीमैन ने पाया कि चेन्नीकुंटापल्ली-मुदीगुब्बा खंड (किमी 33/8-9 पर) के बीच 6 एम०एम० गहराई का रेल हैड कटा हुआ था।

मामला-2. 14.2.2003 को 17.30 बजे जब मंडल इंजीनियर/मीटर आमान/गुंतकल अन्य अधिकारियों के साथ जब नेमी निरीक्षण पर थे, उन्होंने पाया कि चेन्नीकुंटापल्ली-मुदीगुब्बा खंड (किमी० 32/10-11 पर) 6 एम०एम० गहराई का रेल हैड कटा हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस को एफ० आई०आर० दर्ज करा दी गई है और जांच चल रही है। कोई रेल कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है।

(ङ) संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं :–

(i) रात के समय गुटी-पेंडेकल्लु (बड़ी लाइन), कलुरु-जंगारपल्ली (मीटर लाइन) खंड में गाड़ी की अधिकतम गति को कम करके 50 किमी० प्रति घंटा और धर्मावरम-मदनापाले (मीटर लाइन) खंड में 40 किमी० प्रति घंटा कर दिया गया है।

(ii) रात के समय गुती-पेंडेकल्लु (बड़ी लाइन) खंड, कलुरू-जंगारपल्ली (मीटर लाइन) खंड और धर्मावरम-मुडीगुब्बा (मीटर लाइन) खंड के बीच सुरक्षा गश्त जारी है।

(iii) धर्मावरम-पकाला (मीटर लाइन) खंड पर 7 बड़े गर्डर पुलों पर रात के समय स्थायी चौकीदार तैनात किए गए हैं। रात के समय धर्मावरम-पकाला (मीटर लाइन) खंड के बीच 7 बड़े पुलों पर 20 किमी० प्रति घंटा की गति प्रतिबंध लगाया गया है।

मछुआरों पर ओ०एन०जी०सी० के प्रतिबंध

2407. डा० एम०बी०वी०एस० मूर्ति :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०एन०जी०सी० मछुआरों को मुंबई हाई के पांच कि०मी० तक क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मतभेदों को दूर करने हेतु मछुआरों के संघ तथा ओ०एन०जी०सी० के बीच कोई बैठक बुलाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक के क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) तेल संस्थापनों की सुरक्षा तथा मछुआरों की संरक्षा के लिए तेल संस्थापनों के चारों ओर पांच सौ मीटर की दूरी के क्षेत्र में मछुवा नौकाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रही है।

(ग) और (घ) ओ०एन०जी०सी० के मुंबई स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में 15 फरवरी, 2003 को एक बैठक हुई थी तथा मछुआरों की मांगों की जांच पड़ताल करने के लिए एक समन्वय समिति, जिसमें महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति गठित की गई है जिसमें ओ०एन०जी०सी०, अपतट रखा सलाहकार दल (ओ०डी०ए०जी०), तटरक्षक, सीमाशुल्क, राज्य पुलिस तथा राज्य मत्स्य-उद्योग विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

उदारीकरण के बाद भारी उद्योगों का कार्य निष्पादन

2408. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण के परिणामस्वरूप देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित भारी उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे उद्योग स्थापित करने हेतु उन्हें दी गई विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारी उद्योगों को और रियायतें देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) "हैवी" के रूप में उद्योगों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, अगस्त, 1991 की अवधि के दौरान जब आर्थिक और औद्योगिक उदारीकरण आरम्भ हुआ तब से अक्तूबर, 2002 तक देश के विभिन्न राज्यों में मैटालार्जिकल, विद्युत उपस्कर, परिवहन, इंजीनियरिंग सामग्री आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 2,83,077 करोड़ रुपये की राशि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 22,833 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। निर्माण/कार्यकलाप के मदों सहित ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस०आई०ए०) के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए हैं जिसे संसदीय पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

3.7-03

जीर्णशीर्ण रेल ओवर ब्रिज

2409. **श्रीमती राजकुमार रत्ना सिंह :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने गत वर्ष के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रेल ओवर ब्रिजों की दयनीय दशा के संबंध में केन्द्र सरकार को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त में से ओवर ब्रिजों का ब्यौरा क्या है और उनके निर्माण तथा मरम्मत के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) शेष मामलों में वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। भागलपुर स्थित सड़क ऊपरी पुल, जो उल्तापुल के नाम से जाना जाता है, के बारे में केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) लागत सहभागिता के आधार पर 1999-2000 के निर्माण-कार्यक्रम 14.6 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर में पुराने पुल सं० 153 (उल्तापुल) के बदले नए ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है। जहां रेलवे के हिस्से का कार्य प्रगति पर है लेकिन राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू नहीं किया है। इस कार्य के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुटूंर-विजयवाड़ा और गुंटूर-तेनाली रेल मार्ग का दोहरीकरण

2410. **श्री वाई०वी० राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव गुटूंर-विजयवाड़ा और गुटूंर-तेनाली रेल मार्गों का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) गुंटूर-विजयवाड़ा खण्ड पर विजयवाड़ा-कृष्णा कनाल का दोहरीकरण पहले ही कर दिया गया है। जहां तक कृष्णा कनाल-गुंटूर-तेनाली खण्ड के दोहरीकरण का संबंध में है, इकहरी लाइन खंडों के दोहरीकरण कार्य को तब शुरू किया जाएगा जब उनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। इस खण्ड पर यातायात अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिससे इसके दोहरीकरण को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके। यातायात की आवश्यकता के अनुसार इस खण्ड के दोहरीकरण के कार्य पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

3.03

पंजीकृत केबल आपरेटर्स

2411. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में, विशेषकर गुजरात में कितने केबल आपरेटर्स केबल दूरदर्शन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत पंजीकृत हैं;

(ख) आज तक देश में इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये राज्य-वार कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ग) दोषी पाए गए केबल आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी केबल प्रचालकों को अपने आपको अपने प्रचालन क्षेत्र के प्रमुख डाकपालों के साथ पंजीकृत करवाना आवश्यक

है। इस अधिनियम में प्राधिकृत अधिकारियों का प्रावधान किया गया है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले केबल प्रचालकों के विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा में जिला मजिस्ट्रेट उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकारी शामिल हैं। पंजीकृत केबल प्रचालकों और उल्लंघन करने वाले पंजीकृत मामलों की कुलसंख्याओं के कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

रेलगाड़ियों की गति कम करना

2412. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-मध्य रेलवे की कमजोर पटरियों के कारण खम्माम और मौला अली के बीच पटरियों पर सभी रेलगाड़ियों की गति कम करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या मृदा की दशा और इंजीनियरिंग देनदारियों ने इस ट्रैक खंड को कमजोर बना दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस खंड के ट्रैक को सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस खंड में अनेक दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस खंड पर रेलगाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बंद होने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन

2413. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है, जिन्हें बहुत शीघ्र ही बंद किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने किसी वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ उनकी चल तथा अचल संपत्ति की बिक्री करने हेतु उनका मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) किसी उद्यम को बंद करने/परिसमाप्त करने के बारे में निर्णय मामला-विशेष के आधार पर किया जाता है।

31.12.2002 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों को परिसमाप्त करने की अनुशंसा की है विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) परिसमाप्त की जाने वाली कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित परिसमापन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, जिसमें यह उल्लिखित है कि सम्बन्धित उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त परिसमापक लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों से संबन्धित कार्य करेंगे।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने परिसमाप्त करने की अनुशंसा की है

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	आदेश की तारीख
1	2	3
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	12.6.2000
2.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	14.2.1995
3.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	10.7.2000
4.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉ०लि०	29.6.2001
5.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	20.12.1993
6.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	1.11.2002

1	2	3
7.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	20.11.2002
8.	एल्गिन मिल्स कं०लि०	30.9.1994
9.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	22.7.1996
10.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	1.6.2002
11.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि०	19.1995
12.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	3.12.2001
13.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	1.10.2002
14.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो०लि०	1.11.2001
15.	रैरोल बर्न लि०	13.7.2001
16.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यु० कं०लि०	1.7.1996
17.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मा०लि०	4.7.2000
18.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि०	7.12.2001

[अनुवाद]

311-13

फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता

2414. श्री पी०डी० एलनगोवन :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माण को एक उद्योग का दर्जा देने के पश्चात होने वाले लाभों की जांच की है;

(ख) इसे नये उद्योग को अपराधियों, माफिया तथा काले धन की पकड़ से किस हद तक मुक्त कराया जा चुका है और यह किस सीमा तक बेहतर और प्रगतिशील प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है;

(ग) क्या सरकार ने मोशन पिक्चर्स का निर्माण करने हेतु फिल्म निर्माताओं को कोई सुविधाएं तथा रियातें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं और

(च) गत तीन वर्षों में सिनेमा उद्योग के विकास हेतु आवंटित, वितरित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (घ) फिल्म उद्योग के लिए संस्थागत वित्तपोषण के आत्यधिक प्रभाव को सुविधाजनक बनाने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.10.2000 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें फिल्म सहित मनोरंजन उद्योग को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों को फिल्म निर्माण का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए है। इन कदमों ने फिल्म निर्माण में संस्थागत वित्त पोषण के प्रभाव को सरल बना दिया है। इसके अतिरिक्त फिल्मों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली को और अधिक उदार बना दिया है।

(ङ) उपरोक्त के अलावा सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ अन्य पहल शुरु की गई हैं वे निम्न प्रकार से है :–

(i) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के माध्यम के जरिए अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ii) वर्ष 2002 के दौरान सरकार द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पारस्परिक क्रिया के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ-साथ एक फिल्म बाजार लगाया गया था।

(iii) दसवीं योजना में एक विशेष योजना स्कीम शामिल की गई है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भाग लेने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है।

(iv) वर्ष 2002-2003 के बजट में नगर निगम सीमाओं से बाहर बहु परिसरों को स्थापित करने के लिए एक पंचवर्षीय कर विराम किया गया था।

(v) फिल्म उपस्करों के आयात के लिए सीमा शुल्क दरों को भी समय-समय पर युक्तिसंगत बनाया जाता है।

(vi) किसी वर्ष में श्रेष्ठ सिनेमा का 'भारतीय पैनोरमा' के एक हिस्से के रूप में चयन किया जाता है। ये फिल्में, समारोह सर्किट पर श्रोताओं को विशेष रूप से दिखाई जाती है।

(vii) छात्रों को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता में फिल्म व्यावसायिक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

(viii) भारतीय फिल्म विकास निगम और बालचित्र समिति, भारत फिल्म निर्माण का वित्तपोषण करती है।

(ix) सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तीन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए जाते हैं।

(च) फिल्म प्रमाणन को छोड़ कर सिनेमा राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार इसके विकास के लिए खर्च की गई राशि से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण स्कीम है जिसे 1 अप्रैल, 2001 से चालू किया गया है। दो वर्ष की अवधि के दौरान स्वीकृत और वितरित की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

24 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार

राशि करोड़ रुपयों में

अवधि	स्वीकृत	वितरित
अप्रैल, 2001 – मार्च, 2002	72.72	21.50
अप्रैल, 2002 – फरवरी 2003	31.73	34.40
योग	104.45	55.90

इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्था बालचित्र समिति, भारत बाल फिल्मों का निर्माण करती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्था द्वारा आवंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	फिल्मों के निर्माण के लिए अनुदान	व्यय लाख रुपयों में
1999-2000	336	232.16
2000-2001	361	332.42
2001-2002	326	271.95

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी देश में अच्छी गुणवत्ता वाले सिनेमा को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगा हुआ है और फिल्मों का निर्माण करने के लिए 25 लाख रुपये तक अथवा 75 प्रतिशत लागत तथा 40 लाख रुपये तक पूरा वित्त पोषण किसी निदेशक को एक फिल्म बनाने के लिए प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भाषाओं में फिल्मों का वित्तपोषण और निर्माण करने के लिए 548.33 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग

2415. श्री अशोक रा० मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंक्रीट स्लीपरों का टिकाऊपन लकड़ी में स्लीपरों से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या लकड़ी के स्लीपरों की लागत भी कंक्रीट स्लीपरों से बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार लकड़ी के स्लीपरों की उच्च लागत और इनके कम टिकाऊपन तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद भी अभी तक उनके उपयोग की अनुमति दे रही है

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) रेलवे की कंक्रीट स्लीपरों के स्थान पर लकड़ी के स्लीपर का आदेश देने से कितनी हानि हुई है; और

(छ) सरकार द्वारा लकड़ी के स्लीपरों का आदेश देने के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1:12 टर्न आउट के लिए लकड़ी के स्लीपर के एक सेट की अनुमानित लागत 1,53,100/-रु० है और कंक्रीट स्लीपर टर्न आउट की लगभग एक लाख रुपए-मुख्य लाइन के लिए कोई लकड़ी के स्लीपरों की खरीद नहीं की जा रही है, जबकि गर्डर पुलों पर लकड़ी के स्लीपरों का ही उपयोग किया जा सकता है। लागत की तुलना टर्न आउट स्लीपरों जिनके लिए दोनों प्रकार के स्लीपरों की खरीद की जा रही है, के लिए ही की जा सकती है।

(घ) भारतीय रेल कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों जैसे विशेष ले आउट तथा सीसर्सक्रास ओवर, डायमंड क्रासिंग, स्लीपर आदि और गैर मानक समपार कोणों के टर्न आउटों जिसका लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कोई विकल्प नहीं है, को छोड़कर मुख्य लाइन, मानक टर्न आउटों, समपारों, स्विच विस्तार ज्वाइंटों, बैलास्टेड डेक पुलों आदि के लिए लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर वैकल्पिक स्लीपर विकसित करने में सक्षम रही है। इन तकनीकी मजबूरियों के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेलों को अपनी जरूरी न्यूनतम आवश्यकता के लिए 20,000 घन मी० लकड़ी के स्लीपर वार्षिक खरीदने की अनुमति दे दी है। चूंकि इन स्लीपरों की आपूर्ति आयातित लकड़ी से ही की जानी है, इसलिए इसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता। रेलें ऐसे स्थानों जहां लकड़ी के स्लीपरों का कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है, पर ही लकड़ी के स्लीपरों का

उपयोग कर रही है। इस प्रकार रेलपथ पर सुरक्षित चालन हालत में बनाए रखने के लिए लकड़ी के स्लीपरों के उपयोग से नहीं बचा जा सकता और इस तरह इसकी वजह से अतिरिक्त खर्च का अर्थ हानि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

315-17

मालभाड़ा यातायात में रेलवे का हिस्सा

2416. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने मालभाड़ा परिवहन के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों, पाइपलाइन, पोत परिवहन इत्यादि की तुलना में रेलवे का विपणन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा माल-भाड़ा यातायात में रेलवे के हिस्से को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। रेल मंत्रालय ने 1997 में भारत में कुल भूमि यातायात में रेलवे के हिस्से में आई कमी पर अपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यथा राइट्स के माध्यम से एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन में माल यातायात का भी अध्ययन शामिल था। इस अध्ययन में माल यातायात में रेलों के हिस्से में आई कमी के विभिन्न कारणों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था और भविष्य में रेलवे के हिस्से में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाए थे।

(ख) सड़क द्वारा वहन किए गए यातायात के लिए उपलब्ध नवीनतम अनुमान वर्ष 1997-98 के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित हैं। वर्ष 1997-98 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल माल यातायात संचालन का 60% सड़क द्वारा वहन किया गया माल यातायात था। कुल यातायात की प्रशितता के रूप में पाइप लाइनों और समुद्री जहाजों द्वारा किए गए यातायात को सर्वेक्षण में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार, 1997-98 में कुल माल यातायात संचलन का 40% रेल द्वारा होना मान लिया गया है। चूंकि इस समय और ताजा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवहन के अन्य साधनों और रेलों के बाजार हिस्से का उल्लेख करना संभव नहीं है।

(ग) माल यातायात में रेलवे के हिस्से में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. मालभाड़ा दर ढांचे के यौक्तिकीकरण और मालभाड़ा दरों के बैंड को घटा कर 2002-03 और 2003-04 के रेलवे बजटों में मालभाड़ा दरों को और अधिक आकर्षित बनाना। श्रेणियों की कुल संख्या को घटा कर 59 से 27 तक कम कर दिया गया है और उच्चतम और निम्नतम मालभाड़ा दरों के बीच अनुपात को घटा कर 8.0 से 2.8 कर दिया गया है।

2. उन कतिपय पण्यों यथा पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, पिग आयरन, सीमेंट आदि के वर्गीकरण को कम करके जहां उच्च मालभाड़ा दरों के कारण रेलें प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। 2003-04 के रेल बजट में मालभाड़ा दरों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।

3. यदि अतिरिक्त माल यातायात की गारंटी शुदा मात्रा का रेल द्वारा संचलन के लिए वचन दिया जाता है तो पेट्रोलियम उत्पादों के मालभाड़ा दरों में और कमी करने के लिए तेल कंपनियों के साथ दीर्घ कालीन करारों पर विचार करना प्रस्ताव करना।

4. 100 किमी० तक बुक किए गए सभी यातायात के लिए 10% से 50% तक मालभाड़ा दरों पर ग्रेडु छूट की प्रणाली शुरू करना।

5. दो प्वाइंट ब्लाक दरों के लिए कम गाड़ी भार दरों के लाभ को केवल संचलन के कॉमन प्वाइंट तक मंजूर करने की तुलना में परिवहन की संपूर्ण दूरी के लिए विस्तार।

6. प्रीमियर ग्राहकों के लिए उनसे और यातायात प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना को शुरू करना जो अपनी साइडिंगों से प्रारंभ होने वाले यातायात से प्रतिवर्ष 25 करोड़ रु० से अधिक की मालभाड़ा आमदनी का सृजन करते हैं। शुद्ध अतिरिक्त प्रारंभिक मालभाड़ा आमदनी के प्रत्येक जांच करोड़ रुपयों पर 2% की छूट दी जाएगी।

7. वेयरहाउसिंग परिसरों के नेटवर्क के विकास के लिए सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के साथ सामरिक हिस्सेदारी के माध्यम से ग्राहकों को स्वीकृत वेयर हाउसिंग सुविधा मुहैया कराना।

8. स्टेशन से स्टेशन तक दरें योजना, जिसे भी उदार बना दिया गया है, के अंतर्गत 24% तक मालभाड़ा छूट देने के लिए महाप्रबंधकों को उच्चतर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

9. मालयातायात पर 'टू पे' सरचार्ज को कोयले की बुकिंग के लिए 15% से घटा कर 10% कोयले के अलावा सभी पण्यों की बुकिंग के लिए 10% से घटा कर 5% करना।

10. प्रत्येक अतिरिक्त रेलवे रसीद के लिए 100 रु० के भुगतान पर 12 परेषणों तक ब०ला० 8-व्हीलर मालडिब्बा में परेषणों का शामिल करना।

317-18

हिन्दुस्तान केबल लि० का पुनरुद्धार

2417. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान केबल लि० को बी०आई०एफ० आर० के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार केबल बनाने के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की निजी कंपनियों के साथ उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए एच०सी०एल० का वी०एस०एन०एल० के साथ विलय करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को बी०आई०एफ०आर० को दिनांक 1.11.2002 को संदर्भित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के साथ हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को विलय करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत सुधारों पर खर्च की गई धनराशि

2418. **डा० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लागू करने हेतु विद्युत के वितरण, उत्पादन और पारेषण हेतु अलग-अलग कोई योजनाएं तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हेतु कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) पारेषण एवं वितरण (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) हानियों में कमी करने, राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा नकदी हानि में कमी करने तथा विश्वसनीय एवं बाधा रहित विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य से उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2001 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसे अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) नाम दिया गया है। योजना आयोग की 10वीं योजना के दस्तावेज में ए०पी०डी०आ०पी० के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र पर 10वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2002-03 के लिए 3500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

(ग) जी, नहीं। सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में सुधार लागू करने के लिए अलग से कोई योजना तैयार नहीं की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

318-19

विद्युत प्रवाह की निगरानी करने हेतु अलग कम्पनी

2419. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत पारेषण प्रदाताओं की ओर से राज्यों को किए जाने वाले विद्युत प्रवाह की निगरानी करने हेतु एक अलग कंपनी बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना किस प्रकार ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करेगी और बड़ी विद्युत कटौती के खतरे पर रोक लगाएगी;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना के बारे में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) इस समय देश में 5 क्षेत्रीय पावरग्रिडों को रीजनल लोड डिस्पैच केन्द्रों (आर०एल०डी०सी०) द्वारा वास्तविक समय आधार पर चौबीसों घंटे मॉनीटर किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों (एल०एल०डी०सी०) द्वारा की जाती है। केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, पावरग्रिड ने उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में नवीनतम विकसित यूनिफाइड लोड डिस्पैच तथा कम्यूनिकेशन (यू०एल०डी० सी०) सुविधाओं को पूरा कर लिया है। इसी प्रकार की सुविधाएं पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भी क्रियान्वयनाधीन है। देश के लिए यू०एल०डी०सी० को फरवरी, 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा। यू०एल०डी०सी० स्कीमें उन्नत प्रणाली सुरक्षा, विश्वसनीयता, ग्रिड बाधाओं/असफलताओं से बचना/न्यूनतम करना तथा ग्रिड खराबी/ बाधा के दौरान तत्काल पुनर्बहाली सुनिश्चित कराएगी।

विद्युत विधेयक, 2001 में क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के बीच विद्युत के इष्टतम समय निर्धारण तथा प्रेषण के लिए नेशनल लोड डिस्पैच केन्द्र बनाने की परिकल्पना की गयी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (अर्थात् पावरग्रिड) तथा क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के परामर्श से इस नेशनल लोड डिस्पैच केन्द्र के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गोमती और बरौनी एक्सप्रेस का ठहराव

2420. **श्री किशन लाल दिलेर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोमती और बरौनी एक्सप्रेस का हाथरस जंकशन, जो उत्तर प्रदेश में महामाया नगर जिले में एकमात्र बड़ा स्टेशन है, में ठहराव करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य के अभाव में व्यावहारिक नहीं पाया गया।

बिहार में एन०टी०पी०सी० की परियोजना

2421. **श्री राजो सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बाढ़ जिले में एन०टी०पी०सी० की परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इससे विद्युत उत्पादन कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) बिहार में पटना जिले में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (3×660 मेगावाट) 11वीं योजना के शुरूआत में एन०टी०पी०सी० द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए निर्धारित बड़ी विद्युत परियोजना है। एन०टी०पी०सी० ने इस परियोजना से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट विभिन्न सांविधिक एजेंसियों को प्रस्तुत कर दिया है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। परियोजना स्थल संबंधी अध्ययन, भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना विकास आदि कार्य पर एन०टी०पी०सी० द्वारा अब तक लगभग 46 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

[अनुवाद]

24 घंटे समाचार चैनलों हेतु दिशानिर्देश

2422. **डा० मन्दा जगन्नाथ** :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव 24 घंटे वाले समाचार खंड में विदेशी स्वामित्व वाले टी०वी० चैनलों के प्रवेश के मद्देनजर दूरदर्शन समाचार हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी कंपनियों ने 24 घंटे की सेवा हेतु आवेदन किया है;

(ग) क्या सरकार को 24 घंटे समाचार देने वाले चैनलों से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है और कोई शर्त निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभावित होगा;

(च) यदि हां, तो सरकार ने नए परिदृश्य के गुण-दोष पर विचार किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (छ) सरकार को पहली बार एक पूर्णतया विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी से भारत से 24 घंटे के समाचार चैनल को अपलिंक करने संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो भारत पर केन्द्रित है। जहां तक यह समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों से संबंधित है, इसने मौजूदा अपलिंकिंग नीति पर पुनर्विचार करने को अनिवार्य बना दिया है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श शुरू कर दिये गये है और इस मामले को मंत्रिमंडल में विचारार्थ पेश करने का प्रस्ताव है। मौजूदा नीति के अनुसार, भारतीय दर्शकों के लिए सभी टी०वी० चैनल को उनके स्वामित्व (इक्विटी ढ़ांचे सहित) या प्रबंधन नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते वे पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हो और विभिन्न निबन्धन और शर्तों का पालन करने सहित अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करते हों। 24 घंटे के समाचार चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति मांगने संबंधी आवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनियों के नाम	चैनलों के नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	आज तक	अनुमति दे दी गयी है।
		इंडिया टुडे, इंगलिश न्यूज चैनल	जांचाधीन है।
2.	सन टी०वी० लिमिटेड	सन न्यूज	अनुमति दे दी गयी है।
		उदय न्यूज	
		सूर्या न्यूज	
		तेजा न्यूज	
3.	जैन स्टूडियो लिमिटेड	जैन टीवी	अनुमति दे दी गयी है।
4.	एस०टी०वी० एण्टरप्राइजेस लिमिटेड	पंजाब टुडे	अनुमति दे दी गयी है।
5.	जी टेलीफिल्मस लिमिटेड	जी न्यूज	अनुमति दे दी गयी है।
6.	सहारा संचार लिमिटेड	सहारा समय नेशनल एंड इण्टरनेशनल	अनुमति दे दी गयी है।
		सहारा समय यू०पी०	
		सहारा समय एम०पी०	
		सहारा समय बिहार	
		सहारा समय मुम्बई	
		सहारा समय राजस्थान	
		सहारा समय एन०सी०आर०	

1	2	3	4
7.	नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	एन०डी०टी०वी०	अनुमति दे दी गयी है।
8.	एन०टी०डी०वी० वर्ल्ड	एन०डी०टी०वी० वर्ल्ड	जांचाधीन है।
9.	इण्डिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्रा० लिमिटेड	इंडिया टीवी	जांचाधीन है।
10.	स्टार न्यूज ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	स्टार न्यूज	जांचाधीन है।
11.	बीबीसी	बी०बी०सी०,	जांचाधीन है।

323

मीडिया के संबंध में अनिवासी भारतीयों के साथ मंत्री का सम्मेलन

2423. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान अनिवासी भारतीयों/पी०आई०ओ० को संबोधित करते हुए जातीय मीडिया अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनिवासी भारतीयों तथा पी०आई०ओ० ने मीडिया के विरूद्ध अनेक शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हां, तो मंत्री किस सीमा तक उन संदेशों को दूर कर पाए हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीय और पी०आई०ओ० मीडिया तथा फिल्मों पर और निवेश करने के लिए किस सीमा तक सहमत हुए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) सम्मेलन के दौरान यह उल्लेख किया गया कि जातीय मीडिया एक ओर तो भारत और इसके डायस्पोरा और दूसरी ओर भारतीय जनता तथा विदेशी समुदायों के बीच संचार के लिए एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के बीच कोई वादा नहीं किया गया है।

323-24

ओ०एन०जी०सी० द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु स्थापना

2424. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि० (ओ०एन०जी०सी०) ने विशेष उद्देश्य हेतु ओ०एन०जी०सी० वैल्यू लि० की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका हिस्सा कितना है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हाल के नीतिगत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०), जो अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, का शोधन तथा विपणन क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए वैल्यू चेन संघटन के माध्यम से अपने कार्यव्यापार का विस्तार करने का इरादा है, ताकि यह बाजारगत प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी रूप से सामना कर सके। इस परिदृश्य में कुशल संरचना तथा सामने आने वाले कार्यव्यापारगत अवसरों का तुरन्त लाभ उठाने के लिए ओ०एन०जी०सी० के प्रबंधन द्वारा विभिन्न विकल्पों की जांच एक अनवरत प्रक्रिया रही है। ओ०एन०जी०सी० ने सूचित किया है कि उनके निदेशक मंडल ने अभी कथित गैर-सरकारी संयुक्त उद्यम की स्थापना के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

323/25

अ०जा०/अ०ज०जा० के रिक्त पद

2425. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां तक राजपत्रित नौकरियों या श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है, उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे संबंद्ध कार्यालयों में नौकारियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पी०एस०यू०-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में कितनी रिक्तियां विद्यमान है और सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार को अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० से संबंधित लोगों के लिए आरक्षित पद (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी एक और श्रेणी-दो) को भरने में कठिनाई हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा तुरंत ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(च) चालू वर्ष में इस अवधि के दौरान और अभी तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० श्रेणी के व्यक्तियों की भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) शिथिल मानकों और सरकार की रियायत नीति के बावजूद यह देखने में आया है कि आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित श्रेणियों के व्यक्ति, अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं है। रिक्त पदों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

(च) 1.1.2002 से 31.12.2002 तथा 1.1.2003 से 28.2.2003 की अवधि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(छ) जी, हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

325-26

[अनुवाद]

उड़ीसा में तेल की खोज

2426. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन स्थानों पर तेल की खोज की खुदाई चल रही है और इस प्रयोजनार्थ कौन सी कंपनियां लगी हुई है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण और खोज कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान खोज कार्य के दौरान प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल० पी०-2) के दूसरे दौरे के तहत आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०), आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ० एन०जी०सी०), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०) और गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) के परिसंघ को उड़ीसा राज्य में प्रदान किए गए एक भूस्थित अन्वेषण ब्लाक, एम०एन०-ओ०एन०एन०-2000/1 के संबंध में जुलाई 2001 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी०एस०सी०) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओ०आई०एल० जो इस ब्लाक की प्रचालक है, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार अन्वेषण कर रही है। वेधन योग्य संभावनाओं की पहचान करने के लिए आंकड़ों के अर्जन के बाद भूकंपीय आंकड़ों का संसाधन और निर्वचन और भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय अध्ययन किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर, 2002 की स्थिति के अनुसार ब्लाक में अब तक किया गया व्यय लगभग 69.50 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

326-27

विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु निधियां

2427. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जोधपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली में सुधार लाने हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन सभी निधियों का उपभोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) जोधपुर जिले में दो विद्युत वितरण सर्किल हैं; अर्थात सिटी

सर्किल और जोधपुर जिला सर्किल। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत भारत सरकार ने जोधपुर जिला सर्किल में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 2000-01 में 29.42 करोड़ रु० जारी किए। वर्ष 2002-03 के दौरान जोधपुर में दो सर्किलों के लिए ए०पी०डी०आर०पी० के अंतर्गत 270.62 करोड़ रु० जारी किए गए हैं, और जोधपुर जिला सर्किल स्कीम के लिए जोधपुर डिस्कॉम को राज्य सरकार द्वारा 14 करोड़ रु० जारी किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार जोधपुर जिला सर्किल के अंतर्गत अभी तक 42.08 करोड़ रु० का उपयोग हो चुका है। उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्रम सं०	स्कीम	वर्ष के दौरान किया गया खर्च (करोड़ रु० में)	
		2001-2002	2002-2003 (लगभग)
1.	वितरण और विद्युत ट्रांसफार्मर	7.19	7.27
2	नए कनेक्शनों (एलटी और एचटी) के लिए एक चरण और, 3 चरण का मीटर तथा खराब मीटरों का प्रतिस्थापन	5.25	11.95
3.	कैपेसिटर (1.2 और 20 एमवीएआर)	—	3.42
4.	जोधपुर जिला सर्किल में प्रणाली सुधार के लिए	—	7.00
	कुल	12.44	29.64

(घ) उपयुक्त (क) से (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उपलब्ध नहीं होता है।

वृद्ध व्यक्तियों की जान-माल की रक्षा

2428. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वृद्ध व्यक्तियों की जान-माल की रक्षा करने हेतु एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) सरकार वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे के प्रति अतिसंवेदनशील है। तथापि, व्यापक विधान लाने के मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विस्तृत परामर्श की जरूरत है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एन०सी०ओ०पी०) का गठन किया है जो राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को तैयार करने और कार्यान्वित करने में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब तक राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को क्रियाशील करने के लिए कार्य योजना 2000-2005 तैयार की गई है और उसे अंतिम रूप दिया गया है। कार्य योजना के अनुसार जो पहलें हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। मंत्रालय ने अन्तर- मंत्रालयी समिति का भी गठन भी इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को तेजी से कार्यान्वित करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, 2000-2005 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्य योजना, 2003-2004 को भी अंतिम रूप दिया गया है।

रेलवे के बजट प्रस्तावों में पुरूषों के लिए आयु सीमा को रेल भाड़े में 30% की छूट का उपयोग करने के लिए 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। महिलाओं के लिए यह आयु पहले ही 60 वर्ष थी। 2003-2004 के आम बजट प्रस्तावों में कतिपय रियायतों जैसे वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक विशेष पेंशन नीति की शुरूआत को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

शांति बनाए रखने की तकनीक

2429. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति बनाए रखने की तकनीक पर ध्यान देने के लिए हाल ही में एक बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने इस बैठक में भाग लिया;

(ग) उक्त बैठक आयोजित करने का तर्काधार क्या है; और

(घ) बैठक के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केन्द्र में 10 फरवरी से 21 फरवरी, 2003 तक

शांति स्थापना तकनीक पर प्रमुखता से चर्चा करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना तथा अमरीकी सेना प्रशांत कमान के तत्वावधान में इस समारोह का आयोजन शांति स्थापना संक्रिया कमान (अभ्यास शांति पथ) द्वारा किए जाने वाले युद्धाभ्यास के रूप में किया गया था।

(ख) इस अवसर पर सोलह देशों अर्थात् बांग्लादेश, कनाडा, फिजी, मदागास्कर, मलेशिया, मारीशस, मंगोलिया, नेपाल, फिलीपाइंस, श्रीलंका, थाइलैंड, टोंगा, यू०के०, अमरीका, उरूगु और भारत ने भाग लिया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का प्रतिनिधि भी मौजूद था।

(ग) युद्धाभ्यास शांतिपथ का लक्ष्य शांति स्थापना संक्रियाओं की योजना बनाने तथा उनका आयोजन करने में क्षेत्रीय तथा बहु-पक्षीय सहयोग बढ़ाने का था। इस युद्धाभ्यास में विभिन्न कंप्यूटर सिमुलेटेड परिवेशों में सहभागी देशों की शांति स्थापना संक्रियाएं भी शामिल थीं।

(घ) इस युद्धाभ्यास ने शांति स्थापना के क्षेत्र में भारतीय तथा अमरीकी सेनाओं के बीच सहयोग को महत्व देने के अलावा सहभागी देशों द्वारा शांति स्थापना पर ज्ञान तथा अनुभव बांटने के लिए एक मंच भी मुहैया कराया।

[हिन्दी]

329-30

लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

2430. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से राज्यवार प्राप्त उन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) हिमाचल प्रदेश में करछम वांग्तू एच०ई०पी० (4x250 मेगावाट) का संशोधित लागत अनुदान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए समय का संबंध विभिन्न मुद्दों के समाधान तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सभी आवश्यक आवक और स्वीकृति प्राप्त कर लेने से है।

[अनुवाद]

329-30

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा

2431. **डा० नीतीश सेनगुप्ता :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और खाना पकाने हेतु सौर ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने इन सौर कुकरों और सौर लैम्पों के विनिर्माण में रूचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली आदि पैदा करने में पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) सरकार मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कुकिंग अनुप्रयोगों के लिए सौर कुकरों और रोशनी के अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के उपयोग को संवर्धित कर रही है। इन योजनाओं में बॉक्स सौर कुकरों पर संवर्धनात्मक योजना, कंसंट्रेटिंग टाईप सौर कुकरों पर प्रदर्शन योजना, सौर घरेलू प्रणालियों, सड़क रोशनियों और सौर विद्युत संयंत्रों के लिए सब्सिडी योजना, प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए उदार ऋण योजना और ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक विशिष्ट योजना शामिल है। इन योजनाओं के अंतर्गत 31.12.2002 तक कुल लगभग 5,29,000 बॉक्स सौर कुकरों, 2,27,419 सौर घरेलू प्रणालियों, 4,36,350 सौर लालटेनों, 42,946 सड़क रोशनियों और 3.775 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा के माध्यय से अंशत: या पूर्णत: 3612 गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) सौर कुकरों के निर्माण और बिक्री में लगभग 45 निजी विनिर्माता शामिल हैं। इसके अलावा सौर लालटेनों सहित सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के निर्माण में 50 से अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।

(ग) और (घ) रोशनी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए पवन विद्युत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं :–

1. **लघु एरोजनरेटर और हाईब्रिड प्रणालियां** – प्रणालियों की बाहरी कार्य लागत का 50 से 75% के बीच केन्द्रीय वित्तीय सहायता, जो उपयोगकर्त्ता की श्रेणी पर निर्भर करते हुए अधिकतम 2.00 लाख रु०/किलोवाट के अध्यधीन है।

2. **पवन विद्युत परियोजनाएं** – वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार शर्तों पर ऋण। इसके अलावा पवन विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्त्ताओं को सरकार से राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

डीजल इंजनों की खरीद

2432. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-गुंटकल-रेनीगुण्टा रेलमार्ग पर उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित जनरल मोटर्स, यू०एस० से 1100 करोड़ रुपये की लागत पर नए डीजल इंजन खरीदे गए थे;

(ख) क्या खरीद के बाद, रेलवे बोर्ड से तकनीकी आपत्तियों के विरूद्ध इस रेलमार्ग के विद्युतीकरण हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा इस रेलमार्ग के विद्युतीकरण के विरूद्ध क्या आपत्तियां उठाई गई हैं;

(घ) क्या जनरल मोटर्स से खरीदे गए डीजल इंजनों का इस समय होसपेट से रेनीगुण्टा तक लौह अयस्क की ढुलाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) डीजल रेल इंजन कारखाना में देशी विनिर्माण के लिए अमरीकी डालर 19 मिलियन की लागत पर प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण (टी०ओ०टी०) सहित 498 करोड़ रु० (अनुमानित) की उतराई लागत पर मैसर्स जनरल मोटर्स कार्पोरेशन यू०एस०ए० से 31 डीजल रेल इंजन आयात किए गए थे। ये रेल इंजन बहु-उपयोगी हैं और भारतीय रेलवे पर किसी भी खंड पर लगाए जा सकते हैं। पुण-गुंतकल-रेणीगुंटा खंड इन रेल इंजनों को चलाने के लिए नामित खंडों में एक है।

(ख) और (ग) रेणीगुंटा-नांदलुर के विद्युतीकरण का कार्य इस समय प्रगति पर है। शेष भाग (पुणे-गुंतकल-नांदलूर) के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन रेल इंजनों को इस समय हुबली डीजल शेड में अनुरक्षण के लिए खड़ा किया गया है। अत: उनको हासपेट रेणीगुंटा खंड सहित हुबली शेड के आस-पास के खंडों पर माल और एक्सप्रेस दोनों गाड़ियों को कर्षित के लिए लगाया गया है। उच्च भार कर्षण क्षमता के कारण ये रेल इंजनों अयस्क लौह यातायात की ढुलाई के लिए इस अत्यधिक ढलान वाले पर लगाने के लिए उपयुक्त हैं।

गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2433. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में गैस आधारित और ताप विद्युत परियोजनाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों में शामिल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कुल लागत और अंतिम रूप दिए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अब तक परियोजनावार स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्नयन हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तिरूवनन्तपुरम और कन्याकुमारी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

2434. **श्री वी०एस० शिवकुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेलवे के तिरूवनन्तपुरम रेल मंडल के अंतर्गत तिरूवनन्तपुरम और कन्याकुमार खंड के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दाभोल विद्युत परियोजना को पुनः आरंभ करना

2435. श्री किरीट सोमैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना को पुनः आरम्भ करने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली है और महाराष्ट्र सरकार, टैरिफ आयोग, महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड, आई०डी०बी०आई०, एन०टी० पी०सी० और अन्य के साथ वार्ता पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दाभोल विद्युत परियोजना को शुरू करने में विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई छूट का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए विचार, रियायतों और आश्वासन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) दाभोल पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में एम०एस०ई०बी० और डी०पी०सी० के मध्य विद्युत क्रय करार हुआ था। इस प्रकार चरण-1 को पुनः चालू करने तथा चरण-2 को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य स्टैकहोल्डरों यथा-एम०एस०ई०बी०, डी०पी०सी० और महाराष्ट्र सरकार की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगुवाई वाले भारतीय वित्तीय संस्थान, जिनका दाभोल पावर प्रोजेक्ट में पर्याप्त हिस्सेदारी है, दाभोल संयंत्र को नव स्वरूप प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट की पुनर्संरचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमत है। दाभोल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने संबंधी अंतिम योजना विस्तृत पैकेज स्वरूप होगी ताकि जटिल, कानूनी, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों का समाधान हो सके। इस कार्य में समय लग सकता है, इसलिए इस बात पर सहमति हुई है कि चरण-1 को दुबारा चालू करने के लिए संबद्ध एजेंसियों द्वारा अंतरिम पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया जाए। सी०टी०वी०सी० चरण-1 को संचालित करने के लिए संचालन और अनुरक्षण ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है। दाभोल विद्युत संयंत्र की स्थिति के आकलन तथा चरण-1 को दोबारा चालू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एन०टी०पी०सी०, मै० जी०ई० इंडिया, मै० यैकटेल, आई०डी०बी०आई०, एम०एस०ई०बी० और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के एक दल ने इस संयंत्र का 28-30 अक्तूबर, 2002 तक प्रारंभिक जांच/निरीक्षण किया। दौरे के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि न्यायालय द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और रख-रखाव कार्य हेतु नियुक्त फर्म द्वारा संयंत्र के उपस्करों का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा था। तथापि, उपस्करों की विस्तृत जांच-परख आवश्यक समझा जा रहा है ताकि संयंत्र को चालू किए जा सकने की समय-सीमा और संभावित व्यय का निर्धारण किया जा सके। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पत्र द्वारा राज्य में विद्युत की भारी कमी के मद्देनजर दाभोल विद्युत संयंत्र के चरण-1 को शीघ्र ही पुनः चालू करने की जरूरत बतायी है। दिनांक 1 मार्च, 2003 को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

महाराष्ट्र सरकार ने एम०एस०ई०बी० को चरण-1 से 83% अनुकूलतम स्तर पर लगभग 2.80 रु०/के०डब्ल्यू०एच० की दर से अंतरिम आधार पर विद्युत लेने की अनुमति दी है बशर्ते कि महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, जिन्होंने प्रोजेक्ट के लिए एक रीसीवर नियुक्त किया है, इसकी स्वीकृति दे तथा म०वि०वि० आयोग की कार्रवाइयों और एम०एस०ई०बी०/भारत सरकार के अधिकारों और विवादों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े।

(ङ) अभी तक, केंद्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कोई रियायत नहीं दी गई है। आई०डी०बी०आई० के मार्गदर्शन में भारतीय वित्तीय संस्थानों, महाराष्ट्र सरकार और दाभोल पावर कंपनी के प्रायोजकों ने दाभोल परियोजनाओं को पुनः जीवित करने के लिए कुछ प्रस्ताव दिये हैं जिसमें विदेशी व स्वदेशी दाताओं जैसे विभिन्न एजेंसियों, महाराष्ट्र सरकार, एम०जी०एस०बी०, परियोजना प्रायोजकों तथा भारत सरकार द्वारा कुछ रियायतें प्रदान किया जाना शामिल है। परियोजना पुर्नजीवन हेतु जिस निजी स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा यह एक व्यापक पैकेज होगा और उससे संकीर्ण कानूनी, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों का समाधान होगा।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

2436. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन रेलमार्गों पर ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है और उनकी संख्या क्या है;

(ख) इन गाड़ियों से कितनी आय हुई है;

(ग) लाभ को ध्यान में रखकर नियमित की गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के सभी तीर्थस्थलों को जोड़ने की व्यवहार्यता पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों से लाभान्वित हुए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) अखिल भारतीय समर स्पेशल समय-सारणी के दिए गए अनुसार, वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान चलाई गई स्पेशल गाड़ियों की संख्या क्रमश: 2038, 2050 और 3050 थीं और ये क्रमश: 40, 50 और 72 मार्गों पर चलाई गई थीं, इन गाड़ियों के ब्यौरे, जिनमें वे स्टेशन भी शामिल हैं जिनके बीच में समर स्पेशल गाड़ियां चलाई गई थी, विवरण में दिए गए हैं, रेलें, समर स्पेशल गाड़ियों से हुई आमदनी के गाड़ी-वार आंकड़े नहीं रखती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 20 समर स्पेशल मार्गों की गाड़ी सेवाओं को नियमित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	गाड़ी सं०	गाड़ी का नाम
1		3
वर्ष 2000		
1.	165/166	मुंबई छ०शि०ट०-एर्णाकुलम (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
2.	141/142	लोक मान्य तिलक (टी)-वाराणसी (दैनिक) एक्सप्रेस
3.	143/144	लोक मान्य तिलक (टी)-वाराणसी (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
4.	155/156	लोक मान्य तिलक (टी)-दरभंगा (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
5.	153/154	पुणे-गोरखपुर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
6.	161/162	पुणे-एर्णाकुलम (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
7.	167/168	दादर (टी)-बेंगलूरु (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
8.	979/980	मुंबई सेंट्रल-अजमेर (सप्ताह में तीन दिन) एक्सप्रेस
9.	959/960	मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम (सप्ताह में तीन दिन) एक्सप्रेस
10.	983/984	मुंबई सेंट्रल-पोरबंदर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
11.	953/954	अहमदाबाद-वाराणसी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस (वाया लखनऊ)
12.	955/956	अहमदाबाद-वाराणसी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस (वाया इलाहाबाद)
13.	973/974	मुंबई सेंट्रल-जयपुर (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
14.	991/992	मुंबई सेंट्रल-इन्दौर (सप्ताहिक) एक्सप्रेस
15.	995/996	मुंबई सेंट्रल-नयी दिल्ली ए०सी० (सप्ताहिक) एक्सप्रेस
16.	997/998	मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन ए०सी० (सप्ताहिक) एक्सप्रेस
17.	971/972	मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद (सप्ताहिक) ए०सी० एक्सप्रेस
18.	967/968	अहमदाबाद-दिल्ली सराय रोहिल्ला (सप्ताहिक) एक्सप्रेस
19.	231/232	हवड़ा-नई दिल्ली (सप्ताह में चार दिन) एक्सप्रेस
20.	233/234	सियालदह-नरकटियागंज (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
21.	डी814/डी813	पटना-हवड़ा (साप्ताहिक) ए०सी० एक्सप्रेस
22.	647/648	चेन्नै-कोल्लम (दैनिक) एक्सप्रेस
23.	650/649	बेंगलूरु-कोट्टायम (सप्ताह में तीन दिन) एक्सप्रेस
24.	657/658	चेन्नै-तिरूनेलवेली (दैनिक) एक्सप्रेस
25.	670/669	नागरकोइल-दादर (टी) (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
26.	667/668	चेन्नै-कोयम्बतूर (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
27.	660/659	चेन्नै-दादर (टी) एक्सप्रेस
28.	276/275	बेंगलूरु-जोधपुर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
29.	551/552	दरभंगा-नयी दिल्ली (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस

1	2	3
30.	521/522	लोक मान्य तिलक (टी)-गोरखपुर (दैनिक) एक्सप्रेस
31.	407/408	मुंबई सेंट्रल-कालका (सप्ताह में चार दिन) एक्सप्रेस
32.	403/404	निजामुद्दीन-जम्मू तवी (दैनिक) एक्सप्रेस
33.	430/429	नई दिल्ली-दरभंगा (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
34.	841/842	हवड़ा-चेन्नै (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
35.	860/859	हवड़ा-मुंबई छ०शि०ट० (सप्ताह में दो दिन) एक्सप्रेस
36.	857/858	विशाखापत्तनम-चेन्नै (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
37.	751/752	अहमदाबाद-सिकन्दराबाद (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
38.	203/204	दादर (टी)-गुवाहाटी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
39.	201/202	गुवाहाटी-नयी दिल्ली (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
40.	626/625	चेन्नै-अहमदाबाद (साप्ताहिक) एक्सप्रेस
वर्ष	**2001**	
1.	551/552	अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
2.	626/625	अहमदाबाद-तिरूच्चिरापल्ली एक्सप्रेस
3.	953/954	अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस (वाया लखनऊ)
4.	955/956	अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस (वाया लखनऊ)
5.	639/640	बेंगलूरु-हवड़ा एक्सप्रेस
6.	649/650	बेंगलूरु-कोट्टायम एक्सप्रेस
7.	657/658	बेंगलूरु-दादर एक्सप्रेस
8.	659/660	बेंगलूरु-ह० निजामुद्दीन एक्सप्रेस
9.	615/616	चेन्नै एषम्बूर-जोधपुर एक्सप्रेस
10.	617/618	चेन्नै-कोयम्बतूर एक्सप्रेस
11.	619/620	चैन्नै-दादर (टी) एक्सप्रेस
12.	647/648	चैन्नै-कायनकुलम एक्सप्रेस
13.	679/680	चैन्नै-एषम्बूर-नागरकोइल एक्सप्रेस
14.	203/204	दादर (टी)-गुवाहाटी एक्सप्रेस
15.	235/236	हवड़ा-देहरादून एक्सप्रेस
16.	237/238	हवड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
17.	245/246	हवड़ा लखनऊ एक्सप्रेस
18.	एस-841/ एस-842	हवड़ा-चेन्नै एक्सप्रेस
वर्ष	**2002**	
1.	953/954	अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस
2.	955/956	अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस
3.	471/472	इलाहाबाद-जम्मू तवी एक्सप्रेस
4.	473डी/438डी	इलाहाबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस
5.	486/485	अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस
6.	673/674	बेंगलूरु-अजमेर एक्सप्रेस
7.	677/678	बेंगलूरु-कण्णौर एक्सप्रेस
8.	476ए/475ए	बीकानेर-बेंगलूरु एक्सप्रेस
9.	476/475	जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस
10.	697/698	बेंगलूरु-हुबली एक्सप्रेस
11.	689/690	बेंगलूरु-कोल्लम एक्सप्रेस
12.	639/640	चेन्नै सेंट्रल-दादर (टी) एक्सप्रेस
13.	601/602	चेन्नै सेंट्रल-पालघाट एक्सप्रेस
14.	635/636	चेन्नै सेंट्रल-तिरूवनंतपुरम एक्सप्रेस
15.	625/626	चेन्नै एषम्बूर-अहमदाबाद एक्सप्रेस
16.	651/652	चेन्नै एषम्बूर-अजमेर एक्सप्रेस
17.	653/654	चेन्नै एषम्बूर-दादर एक्सप्रेस
18.	605/606	चेन्नै एषम्बूर-नागरकोइल एक्सप्रेस
19.	671/672	चेन्नै एषम्बूर-तिरूच्चिरापल्ली एक्सप्रेस
20.	637/638	चेन्नै एषम्बूर-विजयवाड़ा एक्सप्रेस
21.	203/204	दादर (टी)-गुवाहाटी एक्सप्रेस

1	2	3
22.	743/744	दादर (टी)-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
23.	234/233	देहरादून-हवड़ा एक्सप्रेस
24.	687/688	एर्णाकुलम-राजकोट एक्सप्रेस
25.	552/551	गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस
26.	201/202	गोरखपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस
27.	408डी/407डी	ह० निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
28.	237/238	हवड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस
29.	एस-019/एस020	हवड़ा-चेन्नै सेंट्रल सुपर डीलक्स एक्सप्रेस
30.	841/842	हवड़ा-चेन्नै एगम्बूर एक्सप्रैस
31.	एस-860/एस859	हवड़ा-लोक मान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस
32.	245/246	हवड़ा-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
33.	231/232	हवड़ा-नई दिल्ली एक्सप्रेस
34.	679ए/680ए	हुबली-हरिहर पैसेंजर
35.	489/490	काचीगुडा-यशवंतपुर
36.	703/704	काकीनाडा टाउन सिकन्दराबाद
37.	165/166	लोक मान्य टी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस
38.	521/522	लोक मान्य टी-गोरखपुर एक्सप्रेस
39.	151/152	लोक मान्य टी-गोरखपुर एक्सप्रेस
40.	167/168	लोक मान्य टी-मंगलौर एक्सप्रेस
41.	155/156	लोक मान्य टी-पटना-दरभंगा एक्सप्रेस
42.	139/140	लोक मान्य टी-वाराणसी एक्सप्रेस
43.	143/144	लोक मान्य टी-वाराणसी एक्सप्रेस
44.	145/146	लोक मान्य टी-वाराणसी एक्सप्रेस
45.	457डी/458डी	लखनऊ-नई दिल्ली एक्सप्रेस
46.	105/106	मुंबई छ०शि०ट-आगरा कैंट एक्सप्रेस
47.	971/972	मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद ए०सी० स्पेशल
48.	971बी/972बी	मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद स्पैशल
49.	979/980	मुंबई सेंट्रल-अजमेर एक्सप्रेस
50.	959/960	मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम एक्सप्रेस
51.	983/984	मुंबई सेंट्रल-हापा एक्सप्रेस
52.	973/974	मुंबई सेंट्रल-जयपुर एक्सप्रेस
53.	107/108	मुंबई छ०शि०ट-लखनऊ एक्सप्रेस
54.	101ए/102ए	मुंबई छ०शि०ट-मडगांव एक्सप्रेस
55.	695/696	मैसूर-बेंगलूरु एक्सप्रेस
56.	681/682	मैसूर-शिमोगा टाऊन एक्सप्रेस
57.	657/658	नागरकोइल-कोयम्बतूर एक्सप्रेस
58.	430/429	नई दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस
59.	403/404	नई दिल्ली-जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
60.	157/158	पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस
61.	153/154	पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस
62.	745/746	पुणे-नांदेड एक्सप्रेस
63.	751/752	राजकोट-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
64.	717/718	सिकन्दराबाद-अजमेर एक्सप्रेस
65.	741/742	तिरूपति-काकीनाडा टाऊन एक्सप्रेस
66.	749/750	तिरूपति-सिकंदराबाद एक्सप्रेस
67.	693/694	तिरूच्चिरापल्ली-चेन्नै एगम्बूर एक्सप्रेस
68.	729/730	तिरूच्चिरापल्ली-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
69.	965ए/96ए	वलसाड-जोधपुर एक्सप्रेस
70.	एस-807/एस-808	विशाखापत्तनाम-चेन्नै सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस
71.	805/806	विशाखापत्तनाम-विजयवाड़ा एक्सप्रेस
72.	675/676	यशवंतपुर-दादर (टी) एक्सप्रेस

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि

2437. **श्री परसुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह बारम्बारता किस तारीख से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस की सेवाओं की फेरे को सप्ताह में पांच दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन किया जाएगा। इसके अलावा, 2003-2004 के दौरान निम्नलिखित गाड़ियों के फेरे भी बढ़ाने का प्रस्ताव है :–

- 2313/2314 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी को सप्ताह में 4 दिन से 5 दिन करना।
- 2443/2444 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी को सप्ताह में 1 दिन से 2 दिन करना।
- 2439/2440 रांची-नई दिल्ली राजधानी को सप्ताह में 1 दिन से 2 दिन करना।
- 2441/2442 बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी को सप्ताह में 1 दिन से 2 दिन करना।

सी०सी०आई० की बोकाजन इकाई का विभाजन

2438. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में सी०सी०आई० की बोकाजन इकाई के विभाजन की मांग करने और इस लाभ कमाने वाली इकाई को एक गैर-सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बनाए रखने की मांग करने संबंधी उत्तर पूर्व के जनप्रतिनिधियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक सी०सी०आई० की बोकाजन इकाई द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (सी०सी०आई०) के बोकाजन यूनिट का अधिग्रहण करने के लिए असम सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। उनका जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। बी०आई०एफ०आर० ने सी०सी०आई० को समग्र रूप से या इसके संयंत्रों को पृथक रूप से या सामुहिक रूप से (बोकाजन इकाई सहित) बेचने का निदेश दिया है। इसके ऑपरेटिंग एजेन्सी (ओ०ए०), इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (आई०एफ०सी०आई०) द्वारा बिक्री प्रक्रिया चलाई जा रही है तथा अभी अग्रिम चरण पर है।

(ग) बोकाजन सीमेंट फैक्टरी, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० की दस इकाईयों में से एक है तथा सी०सी०आई० के तुलन पत्र के अनुसार बोकाजन इकाई के लाभ का कार्य परिणाम निम्नानुसार है :–

वर्ष	शुद्ध लाभ	नकद लाभ	प्रचालन लाभ	संचित लाभ
1999-2000	0.35	0.96	1.17	0.35
2000-2001	1.50	2.11	2.41	1.85
2001-2002	0.78	1.43	1.77	2.63
अप्रैल, 20002 से जनवरी, 2003 (अनंतिम)	2.10	2.64	2.64	4.73

[हिन्दी]

बोकारो में कोल बेड मीथेन

2439. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो जिले के पर्वतपुर में कोल बेड मीथेन के दोहन हेतु शुरू की गई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना का सम्पूर्णकार्य एक समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस परियोजना के कबतक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या कोल ब्रेड मीथेन के उपयोगहेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने पर्वतपुर क्षेत्र समेत झारखंड राज्य के बोकारो जिलान्तर्गत झरिया कोयला क्षेत्र में स्थित एक कोल बेड मीथेन (सी०बी०एम०) ब्लाक सी०बी०एम० के अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) तथा कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) के परिसंघ को एवार्ड किया है और इस संबंध में संविदा पर 6 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षर किए गए हैं। ओ०एन०जी०सी० ने पहले पर्वतपुर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर० एंड डी०) क्रियाकलाप आरंभ किए थे।

(ख) और (घ) सी०बी०एम० नीति की शर्तों के अनुसार संबंधित कार्य कार्यक्रम निम्नवत् चार चरणों में बांटा गया है :–

चरण	कार्य की प्रकृति	अधिकतम समयावधि
1.	अन्वेषण	3 वर्ष
2.	उत्पादन की वाणिज्यिकता तथा बाजार पहचान के लिए प्रायोगिक अनुमान	7 वर्ष
3.	विकास	5 वर्ष
4.	उत्पादन	25 वर्ष

सी०बी०एम० संविदा के तहत संविदाकार को चरण-1 तथा 2 के अंत में संविदा से अलग होने का विकल्प प्राप्त है।

उपर्युक्त परिसंघ झारखंड राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी०ई०एल०) जारी किए जाने के पश्चात् कार्य कार्यक्रम के अनुसार कार्य आरंभ कर सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सी०बी०एम० नीति के अनुसार संविदाकार अपने ब्लाक से उत्पादित सी०बी०एम० का विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

वेंकटाद्रि एक्सप्रेस के प्रस्थान समय के संबंध में अभ्यावेदन

2440. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे को वेंकटाद्रि एक्सप्रेस के कांचीगुडा से तिरूपति के प्रस्थान समय को बढ़ाने की जरूरत के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे का विचार तिरूपति के तीर्थयात्रियों की आवश्यकता के अनुसार प्रस्थान समय को बढ़ाने की सम्भाव्यता की जांच करने का है;

(ग) राज्य की राजधानी से तिरूपति तक प्रस्थान और आगमन समय की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या तिरूपति से हैदराबाद तक गाड़ी शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हैदराबाद/सिकंदराबाद/काचीगुडा-तिरूपति के बीच दिन के विभिन्न समय में उपलब्ध पांच जोड़ी गाड़ियों को देखते हुए समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व कमाना

2441. श्री सुरेश रामराव आधव :
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से राजस्व संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसका निजी टी०वी० चैनलों से किस सीमा तक तुलना की जाती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी व दूरदर्शन में राजस्व वसूली की प्रवृति निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	आकाशवाणी		दूरदर्शन	
	लक्ष्य	अर्जित राजस्व	लक्ष्य	अर्जित राजस्व
1999-2000	60.55	80.84	575.00	597.19
2000-2001	55.24	73.90	625.00	637.51
2001-2002	55.24	96.68	600.00	615.21

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अर्जित किए गए राजस्व का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(घ) प्रसार भारती ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के शासनादेश के अंतर्गत इसके राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए इस संबंध में कई उपाय शुरू किए हैं। प्रसार भारती द्वारा इस संबंध में अपनाई गई कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :–

(i) इसकी आधारभूत सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करना।

(ii) इसके विपणन तंत्र की सुधारना।

(iii) घरेलु कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से धनराशि प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करना।

(ङ) प्रसार भारती एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है इसलिए इसकी आय की उन निजी चैनलों से तुलना नहीं की जा सकती जिसको विशुद्धत: वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से चलाया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान आकाशवाणी द्वारा अर्जित सकल राजस्व

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002
1	2	3	4	5
1.	गुजरात/दमन और द्वीप	2.60	0.95	0.60
2.	कर्नाटक	2.69	1.161	2.15
3.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	2.49	1.92	1.64
4.	पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/चण्डीगढ़	0.95	0.76	0.65
5.	तमिलनाडु/पांडिचेरी	8.11	4.95	5.73
6.	उड़ीसा	0.77	0.42	0.44
7.	दिल्ली	13.84	10.72	16.61
8.	आंध्र प्रदेश	5.98	1.97	1.69
9.	राजस्थान	1.62	0.98	0.73
10.	पश्चिम बंगाल/एनईआर/ सिक्किम	5.13	3.71	3.73
11.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	5.20	3.17	2.94
12.	महाराष्ट्र/गोवा	10.45	7.36	7.38
13.	बिहार/झारखंड	1.95	1.64	1.15
14.	जम्मू और कश्मीर	0.35	0.34	0.63
15.	केरल/लक्षद्वीप	4.68	3.69	4.09
16.	सीएसयू/वीबीएस	14.03	29.71	46.52
	कुल	80.84	73.90	96.68

विवरण-II

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय चैनल (डीडी-I, डी०डी०-II और डी०डी०-स्पोर्टस)	454.83	519.59	486.94
2.	असम	1.07	1.58	2.18

1	2	3	4	5
3.	आन्ध्र प्रदेश	19.44	12.87	9.08
4.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.03
5.	बिहार	0.86	1.84	2.24
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.15
7.	गोवा	0.01	0.03	0.07
8.	गुजरात	2.89	3.80	4.09
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
12.	जम्मू और कश्मीर	0.33	0.43	1.15
13.	केरल	20.17	16.24	14.81
14.	कर्नाटक	16.76	8.43	13.62
15.	मध्य प्रदेश	1.48	1.70	2.47
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.02
17.	महाराष्ट्र	14.76	14.35	18.20
18.	मणिपुर	0.00	0.00	0.04
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.08
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.01
21.	उड़ीसा	1.83	2.73	3.19
22.	पंजाब	4.30	4.73	7.04
23.	राजस्थान	1.70	1.93	3.22
24.	सिक्किम	0.00	0.00	
25.	तमिलनाडु	18.52	7.20	7.51
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.06
27.	उत्तर प्रदेश	4.29	3.40	4.34
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	25.84	29.92	27.74
30.	दिल्ली	8.11	6.72	6.82
31.	अण्डमान और निकोबार	0.00	0.00	0.02
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	0.02	0.02
34.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	चंण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
36.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
	कुल	597.19	637.51	615.21

समाचार बुलेटिनों के दौरान विज्ञापन

2442. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनल समाचार से पहले और बीच में विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्राधिकारियों को समाचार बुलेटिनों के दौरान समय-सीमा का पालन करने का निदेश देगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार बुलेटिनों की समय सारणी का रखरखाव दूरदर्शन द्वारा किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापनों की समय सारणी इस प्रकार से तैयार की जाए कि समाचार बुलेटिनों की अवधि में कटौती न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2443. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री शिवाजी माने :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या रैल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्यवार उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु चयनित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्यवार माडल स्टेशनों के रूप में विकास हेतु चयनित रेलवे स्टेशनों और तत्संबंधी आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेलवे स्टेशनों में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशनवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों ने क्या उत्तर दिया है;

(छ) राज्यवार वे रेलवे स्टेशन कौन-कौन से हैं जिन्हें पार्कों, पार्किंग और संपर्क सड़क आदि के विकास हेतु चयन किया गया है; और

(ज) इसके लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ज) भारतीय रेलवे पर 8000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन हैं। पार्किंग व्यवस्था और पहुंच मार्ग में सुधार/सौंदर्यीकरण करने सहित रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और उन्हें मानकों के अनुसार यातायात में बढ़ोतरी और परस्पर प्राथमिकताओं पर आधारित प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसके अलावा, योजना शीर्ष ''यात्री सुख-सुविधाएं'' के अंतर्गत मुख्य चालू कार्यों और नए कार्यों की रेलवे-वार सूची संसद में प्रतिवर्ष बजट प्रलेखों के साथ प्रस्तुत रेलवे के ''निर्माण-कार्यों, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम भाग-II'' में दी गई है। ऐसे कार्यों की वित्त व्यवस्था योजना शीर्ष ''यात्री सुख-सुविधाएं'' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे को की गई व्यवस्था से की जाती है। 2003-04 के लिए इस योजना शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधि 205 करोड़ रुपये हैं।

(ख) आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चयन किए गए 295 स्टेशनों की राज्य-वार सूची विवरण-I में दी गई है। इन कार्यों के लिए किसी अतिरिक्त निधि की व्यवस्था नहीं की गई है और इन कार्यों की वित्त व्यवस्था क्षेत्रीय रेल के लिए योजना शीर्ष ''यात्री सुख-सुविधाएं'' के अंतर्गत की गई व्यवस्था से की जाती है।

(ग) आदर्शन स्टेशनों पर, एन०टी०ई०एस० (राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली), साइनेज़स स्वत: मुद्रित टिकट मशीन, माड्यूलर खान-पान स्टालों, स्वचालित वेंडिंग मशीनें, सर्कुलेटिंग क्षेत्र/रिटायरिंग रूम/वेटिंग रूम/बुकिंग कार्यालय/शौचालयों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं/यात्री सुख-सुविधाओं जैसी सुविधाओं की योजना आदर्श स्टेशन की श्रेणी के आधार पर व्यवस्था करने की योजना बनाई जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन्नत यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 'आदर्श स्टेशनों' के रूप में चयन किए गए 295 स्टेशनों की ''राज्य वार'' सूची

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
असम	डिब्रगढ़ (एनएफआर), गुवाहाटी (एनएफआर), जोरहाट टाऊन (एनएफआर), कामाख्या (एनएफआर), कोकराझर (एनएफआर), लमडिंग (एनएफआर), न्यू बोंगाईगांव (एनएफआर), न्यू तिनसुकिया (एनएफआर), सिलचर (एनएफआर), (9)
आंध्र प्रदेश	धर्मावरण जं० (एससीआर), गुंतकल (एससीआर), गुंटुर (एससीआर), हैदराबाद (एससीआर), काचीगुडा (एससी आर), काकीनाडा (एससीआर), नैलोर (एससीआर), राजामुंद्री (एससीआर), सिकंदराबाद (एससीआर), तिरूपति (एससीआर), विजयवाडा (एससीआर), विशाखापतनम (एसईआर), वारंगल (एससीआर) (13)
बिहार	आरा (ईसीआर), बरौनी (ईसीआर), बेगुसराय (ईसीआर), बेतिया (ईसीआर), भागलपुर (ईआर), बक्सर (ईसीआर), छपरा (एनईआर), डेहरी-ऑन-शोन (ईसीआर), दानापुर (ईसीआर), दरभंगा (ईसीआर), गया (ईसीआर), हाजीपुर जंक्शन (ईसीआर), जमालपुर जं० (ईआर), कटिहार (एनएफआर), खगड़िया (ईसीआर), किशनगंज (एनएफआर), मोकामा (ईसीआर), मोतीहारी (ईसीआर), मुजफ्फरपुर (ईसीआर), नालंदा (ईसीआर), नवादा (ईसीआर), पटना जं० (ईसीआर), समस्तीपुर (ईसीआर), शेखपुरा (ईसीआर), सिवान जंक्शन (एनईआर), सोनपुर (ईसीआर), सीतामढ़ी (ईसीआर), जनकपुर रोड (ईसीआर) (28)
चंडीगढ़	चंडीगढ़ (एनआर) (1)

1	2
छत्तीसगढ़	बिलासपुर (एसईआर), दुर्ग (एसईआर), रायपुर (एसईआर) (3)
दिल्ली	दिल्ली (एनआर), दिल्ली कैंट (एनआर), दिल्ली सराय रोहिल्ला (एनआर), ह० निजामुद्दीन (एनआर), नई दिल्ली) (एनआर) (5)
गुजरात	अहमदाबाद (डब्ल्यूआर), आनंद जं० (डब्ल्यूआर), भड़ौच (डब्ल्यूआर), भावनगर (डब्ल्यूआर), द्वारका (डब्ल्यूआर), गांधीधाम जं० (एनडब्ल्यूआर), गांधीग्राम (डब्ल्यूआर), नवसरी (डब्ल्यूआर), राजकोट (डब्ल्यूआर), सूरत (डब्ल्यूआर), वडोदरा (डब्ल्यूआर), वलसाड़ (डब्ल्यूआर), वापी (डब्ल्यूआर), (13)
गोवा	मडगांव (एससीआर), वास्को-डी-गामा (एससीआर)
हिमाचल प्रदेश	शिमला (एनआर) (1)
हरियाणा	अंबाला कैंट (एनआर), फरीदाबाद (सीआर), हिसार (एनआर), कालका (एनआर), पानीपत जं० (एनआर), रेवाड़ी (एनडब्ल्यूआर), (6)
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू तवी (एनआर), कथुआ (एनआर) (2)
झारखंड	चक्रधरपुर (एसईआर), धनबाद (ईसीआर), जसीडीह (ईआर), कोडरमा (एससीआर), मधुपुर (ईआर), रांची (एसईआर), टाटानगर (एसईआर) (7)
कर्नाटक	बैंगलोर कैंट (एसआर), गुलबर्गा (सीआर), होसपेट जं० (एससीआर), हुबली जं० (एससीआर), मंगलोर (एसआर), मैसूर (एसआर), रायचुर (एससीआर), शिमोगा (एसआर), तोरंगुलु (एससीआर) (9)
केरल	अलवायें (एसआर), कालीकट (एसआर), कन्नानौर (एसआर), चेनगन्नूर (एसआर), ऐरनाकुलम जं० (एसआर), कोट्टायम (एसआर), पालघाट जं० (एसआर), कुईलोन जं० (एसआर), तिरूचुर (एसआर), त्रिवेन्द्रम मध्य (एसआर) (10)
मध्य प्रदेश	भोपाल (सीआर), ग्वालियर (सीआर), हबीबगंज (सीआर), होशंगाबाद (सीआर), इंदौर (डब्ल्यूआर), जबलपुर (सीआर), कटनी जं० (सीआर), पिपरिया (सीआर), रतलाम (डब्ल्यूआर), सतना (सीआर), उज्जैन (डब्ल्यूआर) (11)

1	2
महाराष्ट्र	अकोला जं० (सीआर), बांद्रा टर्मिनस (डब्ल्यूआर), भुसावल (सीआर), चंद्रपुर (सीआर), दादर (सीआर), दादर (डब्ल्यूआर), कल्याण (सीआर), कुर्ला (सीआर), मुंबई सीएसटी (सीआर), मुंबई सेन्ट्रल (डबल्यूआर), नागपुर (सीआर), नादेड़ (एससीआर), नासिक रोड (सीआर), पुणे (सीआर), शोलापुर (सीआर), थाणे (सीआर), वर्धा (सीआर) (17)
नागालैंड	दीमापुर (एनएफआर) (1)
उड़ीसा	बडसंडीता (एसईआर), बालासोर (एसईआर), ब्रह्मपुर (एसईआर), भद्रक (एसईआर), भुवनेश्वर (एसईआर), बाइरी (एसईआर), कटक (एसईआर), देनकनल (एसईआर), गोलनथरा (एसईआर), जाजपुर-क्योंझार रोड (एसईआर), झारमुगुदा (एसईआर), कापीलस रोड (एसईआर), खुर्दा रोड (एसईआर), पुरी (एसईआर), राहामा (एसईआर), राऊरकेला (एसईआर), संबलपुर (एसईआर), सुर्ला रोड (एसईआर), तितलागढ़ (एसईआर) (19)
पांडिचेरी	पॉडीचेरी (एसआर) (1)
पंजाब	अमृतसर (एनआर), आनंदपुर साहिब (एनआर) ब्यास (एनआर), भटिंडा (एनआर), फिरोपुर कैंट (एनआर), जलधंर सिटी (एनआर), लुधियाना (एनआर), पठानकोट (एनआर), पटियाला (एनआर) (9)
राजस्थान	आबू रोड (एनडब्ल्यूआर), अजमेर (एनडब्ल्यूआर), बीकानेर (एनडब्ल्यूआर), चित्तौड़गढ; (डब्ल्यूआर), जयपुर (एनडब्ल्यूआर), जोधपुर (एनडब्ल्यूआर), कोटा (डब्ल्यूआर), निंबाहेड़ा (डब्ल्यूआर), सवाई माधोपुर (डब्ल्यूआर), श्री गंगा नगर (एनआर), उदयपुर (एनडब्ल्यूआर) (11)
तामिलनाडु	चैन्ने सेंट्रल (एसआर), चैन्ने बीच (एसआर), चैन्ने ऐग्मोर (एसआर), कोयमबतूर (एसआर), इरोड जं० (एसआर), कन्याकुमारी (एसआर), कटपाडी (एसआर), मदुरै (एसआर), मामबलम (एसआर), रामेश्वरम (एसआर), सलेम जं० (एसआर), तिरूचिरापल्ली (एसआर), तिरूनेलवेली (एसआर), तुटीकोरिन (एसआर), चेनगलपट्टू (एसआर) (16)
त्रिपुरा	धर्मानगर (एनएफआर) (1)

1	2
उत्तर प्रदेश	आगरा कैंट (सीआर), आगरा फोर्ट (डब्ल्यूआर), अलीगढ़ (एनआर), इलाहाबाद (एनआर), अयोध्या (एनआर), बादशाह नगर (एनईआर), बलिया (एनईआर), बरेली (एनआर), बस्ती (एनईआर), बड़ौत (एनआर), बागपत रोड (एनआर), देवरिया सदर (एनईआर), फैजाबाद (एनआर), गाजियाबाद (एनआर), गोंडा जं० (एनईआर), गोरखपुर (एनईआर), झांसी (सीआर), कानपुर सेंट्रल (एनआर), लखनऊ (एनआर), लखनऊ (एनईआर), मऊ जं० (एनईआर), मथुरा जं० (सीआर), मेरठ सिटी (एनआर), मंडुआडीह (एनईआर), मुगलसराय (ईसीआर), मुरादाबाद (एनआर), प्रयाग (एनआर), राय-बरेली जं० (एनआर), रावतपुर (एनईआर), सहारनपुर (एनआर), टुंडला (एनआर), वाराणसी (एनआर), गढ़मुक्तेश्वर (एनआर) (33)
उत्तरांचल	देहरादून (एनआर), हरिद्वार (एनआर), काठगोदाम (एनईआर), इज्जतनगर जं० (एनईआर), पीलीभीत (एनईआर) (5)
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार जं० (एनएफआर), आद्रा (एसईआर), अलुबारी रोड (एनएफआर), अंडाल जं० (ईआर), आसनसोल (ईआर), बडानान (एसईआर), बंडेल (ईआर), बर्धमान (ईआर), बारासेट (ईआर), बशीरहाट (ईआर), विष्णुपुर (एसईआर), बोलपुर (ईआर), बज बज (ईआर), बरूईपुर जं० (ईआर), बिधान नगर रोड (ईआर), केर्निन (ईआर), कोंटई रोड (एसईआर), कूच बिहार (एनएफआर), दलकोलहा (एनएफआर), धकुरिया (ईआर), डम डम (ईआर), दंकुनी (ईआर), दुर्गापुर (ईआर), गड़िया (ईआर), गरबेटा (एसईआर), गुटीयारी शरीफ (ईआर), घूम (एनएफआर), हरीशचंद्रपुर (एनएफआर), हावड़ा (ईआर), जलपाईगुड़ी (एनएफआर), झरग्राम (एसईआर), खड़गपुर (एसईआर), कृष्णनगर रोड (ईआर), कुलटी (ईआर), कोलाघाट (एसईआर), लाभपुर (ईआर), मालबाजार (एनएफआर), मध्यमग्राम (ईआर), मालदा टाऊन (ईआर), मछैदा (एसईआर), मिदनापुर (एसईआर), मुर्शीदाबाद (ईआर), न्यूअलीपुर द्वार (एनएफआर), न्यू जलपाईगुड़ी (एनएफआर), नबादवीप धाम (ईआर), न्यू माल जं० (एनएफआर), रानीगंज (ईआर), रानाघाट (ईआर), रायगंज (एनएफआर), सिलीगुड़ी टाउन (एनएफआर), श्रीरामपुर (एनएफआर), संतरागाछी जंक्शन (एसईआर), सियालदह (ईआर), सोनारपुर (ईआर), सैंथिया (ईआर), तामलूक (एसईआर), टालीगंज (ईआर), तारकेश्वर (ईआर), उलतादंगा जं० (ईआर), उल्लुबारिया (एसईआर), न्यू फरक्का (ईआर), बोंगाईगांव (ईआर), (62)

[अनुवाद]

गुजरात में पशुचारे की ढुलाई हेतु रैक

2444. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नि:शुल्क पशुचारे की ढुलाई हेतु रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय ने 31.8.2002 से 30.6.2003 तक गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के सूखा प्रभावित अधिसूचित जिलों के लिए चारे तथा पानी के नि:शुल्क परिवहन के अनुदेश जारी किए हैं।

मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हेतु डबल स्टेक कंटेनर

2445. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की योजना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की है जिसमें डबल स्टेक कंटेनर चलाना शामिल होगा;

(ख) यदि हां, तो डबल स्टेक कंटेनरों को चलाने हेतु आवश्यक तकनीकी परिवर्तनों या आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे वैगनों/वाहक कंटेनरों को चलाने में कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या इस योजना हेतु कोई लागत/लाभ अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (इ) इस संबंध में अ०अ०मा०सं० द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन की योजना बनाई गई है, जो इस क्षेत्र में भावी कार्रवाई का आधार बनेगी। तकनीकी बदलाव अपेक्षित है तथा यदि यह पाया जाए कि समग्र भारतीय रेलों पर डबल स्टैक कंटेनरों का परिचालन व्यवहार्य है तो अ०अ०मा०सं० द्वारा लागत निहितार्थों का आकलन किया जाएगा।

मेट्रो चैनल का निजीकरण/संयुक्त उद्यमीकरण

2445. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने मेट्रो चैनल के निजीकरण/संयुक्त उद्यमीकरण की सम्भाव्यता की जांच हेतु छह अधिकारियों के दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों के उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रसार भारती द्वारा उक्त दल की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए और

(ङ) सरकार द्वारा मेट्रो चैनल के निजीकरण हेतु अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने दूरदर्शन मैट्रो चैनल के कार्यक्रम और ढांचे की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। यह दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के कार्यकरण में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक घरेलू कार्रवाई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर प्रसार भारती बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत संयंत्रों का निर्माण

2447. श्री राजो सिंह :
श्रीमती कांति सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड में स्वीकृत की गई ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में धन की कमी के कारण अनेक विद्युत परियोजनाएं लंबित है,

(ग) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार और झारखंड में विद्युत संयंत्रों का निर्माण समय सीमा से पीछे चल रहा है,

(ङ) यदि हां, तो इस संयंत्रों के संयंत्रवार पूरा होने में विलम्ब के कारण हुई लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है।

(च) क्या सरकार ने इस विलम्ब के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहाराया है; और

(छ) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 के दौरान और 2002-03 में अबतक बिहार और झारखण्ड में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) द्वारा जिन विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे०वा०)	
थमल		
बिहार		
बाढ़ एसटीपीएस, एनटीपीसी	3x660	28.9.2001
कहलगांव एटीपीएस चरण 2, एनटीपीसी	2x660	23.11.2001
झारखंड		
शून्य		

बिहार और झारखंड राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा की कोई जल विद्युत परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) झारखंड में चांडिल (2x4 मेगावाट) और नार्थ कोपली (2x12 मेगावाट) कार्यक्रम से पीछे चल रही है और निधियों की कमी के कारण इनमें विलम्ब हुआ है। इन्हें पूरा करने में हुये अनुचित विलंब से हुई लागत वृद्धि के ब्यौरा नीचे दिये गये हैं।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मौलिक/अद्यतन)	अतिरिक्त लागत (करोड़ रुपये में)
चांडिल एचईपी (2×4 मे०वा०), झारखंड	12.95/32.94	19.54
नार्थ कोयल (2×12 मे०वा०), झारखंड	21.94/47.34	25.40

(च) और (छ) सरकार ने विलम्ब के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

[अनुवाद]

निशक्तों के लिए सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क

2448. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निशक्तों के लिए सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क लेने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या निशक्तों के सहायक उपकरणों पर सीमा/उत्पाद शुल्क पर रियायत/छूट की समीक्षा हेतु हाल ही में कोई समिति गठित की गई है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2003 में प्रस्तुत की। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के निमित्त सहायक यंत्रों और उपकरणों को सीमा और उत्पाद शुल्कों के दायरे से छूट देने की सिफारिश की है। वर्तमान रियायतों/छूटों के संबंध में समिति ने सामयिक समीक्षा करने की सिफारिश की है और इन रियायतों का लाभ उठाने के लिए प्रक्रियाओं और शर्तों में कतिपय परिवर्तन करने का सुझाव दिया है।

(घ) संघ के बजट 2003-204 के प्रस्तावों में श्रवण यंत्रों, क्रचों, व्हील, चेयरों, वाकिंग फ्रेमों, तिपहिया साइकिलों, ब्रेलरों और कृत्रिम अंगों पर सीमा शुल्कों में विशेष अतिरिक्त शुल्क के बिना 5% तक की कमी शामिल है। वे सी०वी०डी० से मुक्त होंगे और घरेलू विनिर्माता को भी उत्पाद शुल्क से छूट होगी। श्रवण यंत्रों और व्हील चेयरों के कलपुरजों पर सी०वी०डी० तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क के बिना 5% तक सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव भी है।

के०यू० बैंड के अपलिंक की अनुमति

2449. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत से अपलिंकिंग हेतु स्टार टी०वी० के आवेदन के संबंध में केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सजग और सामूहिक राय जानने की दिशा में पहले कदम के रूप में गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालयों के बीच एक टिप्पण परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय को के०यू० बैंड को अपलिंक करने की अनुमति मांगने हेतु 16 टेलीपोर्ट आपरेटरों से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) मौजूदा अपलिंकिंग नीति के अनुसार भारतीय दर्शकों पर लक्ष्यित सभी टी०वी० चैनलों को उनके स्वामित्व पर ध्यान दिए बगैर (इक्विटी ढ़ांचे सहित) या प्रबंधन नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना भारत से अपलिंक ककरने की अनुमति दी जाती है बशर्ते वे प्राप्ता मानदण्डों को पूरा करते हों और विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करते हों। विदेशी स्वामित्व वाले टी०वी० समाचार चैनलों से संबंधित नीति की पुन: जांच की जा रही है। इसके लिए अन्तर मंत्रालयीय परामर्श किए गए है और इस मामले को विचार के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। के०यू० बैंड में अपलिंकिंग के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए है लेकिन वर्तमान में केवल के०यू० बैंड और डायरेक्ट-टू-होम सेवा की अपलिंकिंग के लिए ही अनुमति दी जाती है।

301 अप रामपुर झाट-बरझरवा यात्री गाड़ी पर बम फैंकना

2450. **श्री रामदास आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हावडा मंडल के पाकुट जिले में कोटलपुरखार रेलवे स्टेशन के नजदीक 301 अप रामपुरहाट-बरहारवा यात्री गाड़ी पर बम फेंके गए थे;

(ख) यदि हां, तो मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) अब तक प्राप्त जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, हावड़ा मंडल के तिलबिहिटा तथा कोटलपुकुर रेलवे स्टेशनों (रामपुरहाट-बरहरवा खंड) के बीच 15.8.2002 को गाड़ी सं० 803 अप में बम विस्फोट की घटना हुई थी। जिसमें 11 व्यक्तियों को चोटें आई थी।

(ग) राजकीय रेल पुलिस/बरहरवा ने 15.8.2002 को भा०द०सं० की धारा 324/307 तथा 3A विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत मामला सं० 20/2002 दर्ज किया है।

[हिन्दी]

जोधपुर में भूमि का अधिग्रहण

2451. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले में कुल कितनी भूमि अधिगृहित की गई;

(ख) क्या उस भूमि पर विद्यमान रास्तों को बंद कर दिया गया है जिसके कारण लोगों में भारी आक्रोश है;

(ग) यदि हां, तो क्या आवासीय कालोनियों के नजदीक बंद रास्तों को पुन: खोले जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो स्थानीय लोगों को यह रास्ता कब तक उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले चार वर्ष के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले में राज्य सरकार ने कुल 552.92 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय के लिए अधिग्रहित/अंतरित की है।

(ख) से (ङ) खसरा संख्या 985 गांव डिघारी को छोड़कर कोई भी रास्ता सुरक्षा कारणों से सिविलियन यातायात के लिए बंद नहीं किया गया है। इस रास्ते को पुन: खोल दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में जवानों के उपयोग हेतु कोयले का अन्यत्र उपयोग

2452. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी**
श्री रामजी मांझी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित 'कोल फार एल०ओ०सी० जवान सोल्ड टू ब्रिक-क्लिन्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) इसमें कितने लोग संलिप्त पाए गए;

(ङ) भारतीय सेना को इस कोयला घोटाले में कुल कितनी हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) प्रश्न में उल्लिखित समाचार सिविल पुलिस की सूचना पर आधारित है, जिसे कुपवाड़ा में भट्ठे के बाहर कुछ कोयले के ढेर पड़े मिले थे। पुलिस ने ऐसा माना था कि यह कोयला सेना के लिए था। यह कोयला सिविल वाहनों में ढोया जा रहा था न कि सेना के वाहनों में। सेना ने पुलिस से वाहनों की पंजीकरण संख्या मुहैया कराने के लिए कहा था ताकि सेना यह जांच कर सके कि क्या ये वाहन सेना के लिए कोयला ढो रहे थे। यदि इस मामले में सेना की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो जांच अदालत गठित करने तथा दोषियों को सजा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

डीजल/पेट्रोल बाजार पर सीएनजी का प्रभाव

2453. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नगरों में सी०एन०जी० का उपयोग आरंभ किये जाने के पश्चात् मौजूदा डीजल और पेट्रोल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) गत तीन वर्षों में महानगरों में कितना और कितने मूल्य का पेट्रोल और डीजल बेचा गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में 50 लाख रुपये अथवा उससे भी अधिक बिक्री का रिकार्ड बनाने वाले डीजल और पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अभी परिवहन क्षेत्र में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) की शुरूआत केवल दिल्ली तथा मुंबई में की गई है। दिल्ली में सी०एन०जी० ने डीजल की लगभग 531 किलोलीटर तथा पेट्रोल की 315 किलोलीटर मात्रा का स्थान लिया है। मुंबई में सी०एन०जी० ने डीजल की 102 किलोलीटर तथा पेट्रोल की 350 किलोलीटर मात्रा का स्थान लिया है।

(ख) पैट्रोल तथा डीजल के जल्दी जल्दी होने वाले मूल्य संशोधन के कारण विगत तीन वर्षों में बिक्री की गई मात्रा की तुलना में पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य को सहसंबद्ध करना कठिन है। विगत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में बिक्री की गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे निम्नवत् हैं :–

दिल्ली	–	342
मुंबई	–	258
कोलकाता	–	175
चेन्नई	–	170

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल की महानगर- वार बिक्री निम्नानुसार थी :–

मात्रा किलोलीटर (कि०ली० में)

	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	पेट्रोल (एमएस)	डीजल (एचएसडी)	पेट्रोल (एमएस)	डीजल (एचएसडी)	पेट्रोल (एमएस)	डीजल (एचएसडी)
दिल्ली	422184	1002867	454821	903230	458967	776398
मुंबई	207293	573140	222853	348313	239186	337108
कोलकाता	54609	136032	56763	141968	57353	188594
चेन्नई	105939	59409	114723	103852	118525	93703

[हिन्दी]

रेल मार्गों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण

2454. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में किन-किन रेल लाइनों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण किया गया था और उन लाइनों की परियोजनावार लंबाई कितनी है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान परियोजनावार देश को किन-किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण किया गया था; और

(ग) इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) लाइनों की लंबाई, परियोजनावार ब्यौरा सहित 2001-02 के दौरान दोहरीकृत खंड निम्नानुसार हैं :–

क्र०सं०	परियोजना के नाम	पूरा किया गया खंड	किमी०
1.	दिव्या-व्यासी रोड	भिवंडी-दीवा	14
2.	मथुरा-भुतेश्वर तीसरी लाइन	मथुरा-भुतेश्वर तीसरी लाइन	3
3.	दौंड-भिगांव	दौंड-भिगांव	28
4.	मुगलसराय-सोननगर तीसरी लाइन	भबुआ-दुरगौती	9
5.	टुंडला-इटमाडपुर	टुंडला-इटमाडपुर	5.7
6.	गोंडा-जरवाल रोड	मैजापुर-जरवाल रोड	16
7.	एरणाकुलम जं० – एरणाकुलम मरशैलिंग यार्ड	एरणाकुलम जं० – एरणाकुलम मरशैलिंग यार्ड	2.2
8.	कालीकट-मैंगलोर	कालीकट-मैंगलोर (खंड)	30
9.	गुडूर-रनिगुंटा	गुडुर-रनिगुंटा (खंड)	25
10.	सरोना-भिलाई तीसरी लाइन	सरोना-भिलाई तीसरी लाइन	18
		योग	150.9

2001-02 के दौरान निम्नलिखित खंड विद्युतीकृत किए गए हैं :–

क्र०सं०	परियोजना के नाम	खंड	विद्युतिकृत मार्ग कि.मी.
1.	सीतारमपुर-मुगलसराय	रामपुर डुमरा-बरौनी	21
		दानापुर-आरा-चौसा	121
		दिलदारनगर-चौसा	23
2.	लखनऊ रेलवे मल्हौर-बाराबंकी सहित	लखनऊ परिक्रमा रेलवे	35
3.	बोकारो स्टील सीटी-बारसुअनु	नमकुम-रांची-हटिया-ओरगा	146
		बोंडामुंडा पी, बी एवं सी केबिन	5
4.	भुवनेश्वर-कोट्टावालासा	टपंग-भुवनेश्वर	43
5.	खड़गपुर-भुवनेश्वर तालचेर-पारादीप सहित	जलेश्वर-अमराडा	16
6.	तामबारम-चेंगलपट्टू-भील्लूपूरम और	चेंगलपट्ट-काचीपुरम	35
	चेंगलपट्टू-अरक्कोनम	चेंगलपट्टू-तीनडीभानम	66
7.	उधना जलगांव	धरनगांव-डोनडियाचा	92
		कुल	603

(ख) और (ग) 2003-04 के दौरान, दोहरीकरण के लिए योजनाबद्ध परियोजनावार खंड तथा उनके लिए प्रस्तावित निधि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु. में)

क्र०सं०	परियोजना	2003-04 के लिए लक्ष्यित खंड	किमी०	2003-2004 में प्रस्तावित परिव्यय
1.	डीवा-कल्याण	डीवा-कल्याण	11	10
2.	पुनपुन-टारेगना (पटना-गया फेज-III)	पुनपुन-टारेगना (पटना-गया फेज-III)	16	5
3.	करपुरिग्राम-सीहो	करपुरिग्राम-सीहो	13	8
4.	बोलपुर-अहमदपुर	बोलपुर-अहमदपुर	19	5
5.	गुरुप-शक्तिगढ़	गुरुप-पालारोड तोसरी लाइन	21	20
6.	तारकेश्वर-सियोराफुली	सियोराफुली-डीयारा	5	1.34
7.	जरवाल रोड-भूरवल	जरवाल रोड-भूरवल	16	10
8.	गोरखपुर-शाहजानवा	गोरखपुर-डोमिनगढ़	6	8
9.	अमोरहा-मुरादाबाद	अमोरहा-मुरादाबाद	37	6
10.	जालंधर-जम्मू तवी	सुचीपिंड-भोजपुर	25	21.83
11.	व्हाइटफील्ड-कुप्पम	विश्वनाथम-कुप्पम	16	27
12.	कालीकट-शोरानूर	कालीकट-शोरानूर (भाग)	30	30
13.	पीटाबीराम-तिरूभेलौर चौथी लाइन	पीटाबीराम-तिरूभेलौर चौथी लाइन	15	20
14.	गुडूर-रेनीगुंटा	गुडूर-रेनीगुंटा-तिरूपति	18	18
15.	हॉसपेट-गुंतकल	बेल्लारी-तोरनागल्लू	30	35
16.	बलापल्ली-पुल्लामपेट-गुट्टो रेनिगुंटा का फेज 1	बलापल्ली-पुल्लामपेट	11	40
17.	कोरवा-गाभिरा रोड	गाभिरा रोड-कुसुमुनडा (3 किमी०) और कोरवा-कुसुमुनडा (3 किमी०)	6	10
18.	रजतगढ़-नरगुंडी	सलेगांव-नरगुंडी	5	1
19.	राहामा-पाराद्वीप	राहामा-पारादीप	23	15
20.	नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	कापीलस-नरगुंडी (3.5 किमी०) और नरगुंडी-बीरुपा केबिन (3 किमी०)	6	15
21.	टिटलागढ़-लंजीगढ़ रोड	लंजीगढ़-नोरला रोड	11	16
		कुल	340	

2003-04 के दौरान दोहरीकरण के लिए योजनाबद्ध परियोजनावार खंड तथा उनके लिए प्रस्तावित निधि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

क्र०सं०	परियोजना	2003-04 के लिए लक्षित खंड	मार्ग किमी०	2003-2004 में प्रस्तावित परिव्यय
1.	खड़गपुर-भुवनेश्वर तालचेर पारादीप सहित	बालाशोर-भद्रेक	63	40
2.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा खुर्दा रोड पुरी सहित	खुर्दा रोड-पुरी	44	15
3.	उधना-जलगांव	उकाई-सोनगढ़ नंदुरबार	85	10
4.	लुधियाना-अमृतसर	जालंधन सिटी-अमृतसर	79	10
5.	रेनिगुंटा-गुंतकल	बालापालै-रिजमपेटा	49	30
6.	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम	कडुदुरुटी-चिंगाभानम	30	21.97
		कुल	350	

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का नवीकरण

2455. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने त्रिवेन्द्रम रेल मंडल के अंतर्गत क्रमशः देत्ता रेलवे स्टेशनों के तथा बलरामपुरम और अमरविला स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टरों के नवीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) तिरुवनन्तपुरम पेट्टा रेलवे स्टेशन (तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर देत्ताह नाम का फिलहाल कोई स्टेशन नहीं है) के पुनर्निर्माण और बालारामपुरम में प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अमराविला स्टेशन पर 2.5 लाख रुपए की लागत से प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करने के लिए निर्माण कार्य की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

मुंबई गैस आपूर्ति संबंधी समिति

2456. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर गैस लिमिटेड द्वारा गैस के मूल्य निर्धारण और गैस आपूर्ति सेवा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मुंबई गैस आपूर्ति संबंधी समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2002 के संकल्प के द्वारा श्री एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसमें निम्नांकित सदस्य थे :—

(1) श्री एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

(2) श्री एच०पी० चांदना, निदेशक (योजना), गेल (इंडिया) लिमिटेड।

(3) श्री ए० सिन्हा, निदेशक (वित्त), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समिति की सिफारिश की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् है :—

(1) एम०जी०एल० द्वारा शिकायत समाधान प्रणाली तथा सेवा मानक संहिता की व्यवस्था की जानी है।

(2) एल०पी०जी० मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पी०एन०जी० के मूल्य मार्च 2004 तक वर्तमान मूल्य पर स्थिर रहेंगे। एल०पी०जी० मूल्य में किसी कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

(3) सभी उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन प्रभार 5000 रुपए।

(4) सभी विद्यमान एवं नए घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रभारों के लिए 15 वर्ष तक 22 रुपए प्रति माह की छूट दी जाएगी।

(5) सी०एन०जी० भराई समय को कम करने के लिए मार्च 2003 तक (55) तथा मार्च 2004 तक (80) और सी०एन०जी० वितरण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(6) गेल तथा ओ०एन०जी०सी० उचित दबाव सुनिश्चित करने के लिए एम०जी०एल० के साथ समन्वय करेंगे।

(7) मार्च, 2004 तक गैस का कर पूर्व अधिकतम मूल्य 6.80 रुपए प्रति एस०सी०एम० (राज्य अधिभार तथा चुंगी समेत एल०एस०एच०एस० के 8600 रुपए प्रति एम०टी० मूल्य तथा इस पर 10 प्रतिशत छूट की अनुमति समेत, के समनुरूप) रहेगा।

(8) एल०एस० एच०एस० मूल्य के 8600 रुपए प्रति एम०टी० से कम होने की स्थिति में गैस के लिए 10 प्रतिशत छूट की विद्यमान मूल्यगत प्रक्रिया जारी रहेगी।

(ङ) सरकार द्वारा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

2457. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है;

(ग) क्या सरकार आगामी बजट में इस प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) इस समय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी पेंशन योजना के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोलाबारूद का उत्पादन

2458. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स प्रौद्योगिकी के अनुसार ओ०एफ०बी० द्वारा विकसित 155 एम०एम० गोलाबारूद के पांच प्रकार उपयुक्त परीक्षणों और स्वीकार्य मानदंडों पर खरे उतरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इन पांच प्रकार के गोलाबारूद विशेषकर 155 एम०एम०एच०ई०ई०आर० का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके उत्पादन के प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विकसित पांच प्रकार के गोलाबारूद तकनीकी दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट जांच कार्यक्रम और स्वीकार्य मापदंड पर खरे उतरे थे तथा उन्हें नीचे बनाए अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई थी :– नवंबर, 1992 में एम 107, मार्च 1995 में एम 77बी, फरवरी, 1997 में एच०ई०ई०आर०, जुलाई 1997 में स्मॉक 24 कि०मी० तथा अक्तूबर, 2001 में प्रदीप्त 18 कि०मी० (एम०आई०आर०ए०)।

(ग) बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात, आयुध निर्माणी बोर्ड ने सेना की मांग को पूरा करने के लिए सभी पांच प्रकार के बोफोर्स गोलाबारूद का उत्पादन किया था। सेना द्वारा एच०ई०ई०आर० गोलाबारूद के लिए दिए गए मांग पत्र के अनुसार, आयुध निर्माणी बोर्ड ने बोफोर्स डिजाइन के 4965 एच०ई० ई०आर० गोलाबारूद की आपूर्ति की थी। तत्पश्चात, सेना ने ई०आर०एफ०बी० (बी०बी०), जो दक्षिण अफ्रीकी प्रौद्योगिकी वाला इसी तरह का गोलाबारूद है, के लिए मांग-पत्र दिया है। आयातित बेस ब्लीड यूनिट के साथ ई०आर०एफ०बी० (बी०बी०) गोलाबारूद के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु अनुमाति प्रदान की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को संप्रभु गारंटी

2459. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को संप्रभु प्रति गारन्टी दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा दें; और

(ग) देश में इन विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन में किस सीमा तक सहायता प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 6 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं, यथा महाराष्ट्र में 740 मे०वा० की डाभोल (चरण-1) और 1082 मेगावाट की भद्रावती विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश में 216 मेगावाट की जेगुरूपाडु (चरण-1) और 1040 मे०वा० की विशाखापट्टनम परियोजना, तमिलनाडु में 250 मे०वा० की नैवेली-जीरो यूनिट परियोजना तथा उड़ीसा में 420 मे०वा० की आई०बी० घाटी परियोजना (यूनिट 3 और 4) को काउन्टर गारंटी प्रदान कर दी है।

(ग) तीन परियोजनाएं, यथा डाभोल (चरण-1), जेगुरूपाडु (चरण-1) और नैवेली-जीरो यूनिट, जिनकी कुल क्षमता 1206 मेगावाट है, चालू कर दी गई हैं। भद्रावती तथा विशाखापट्टनम परियोजना को दी गई काउंटर गारंटी इनके द्वारा आवश्यक शर्तों का पालन नहीं कर पाने की वजह से व्यपगत हो गई है। आई०बी० घाटी परियोजना को दी गई काउन्टर गारंटी भी समाप्त हो गई है क्योंकि परियोजना के मानदंड 500 मे०वा० की नई क्षमता (यूनिट 5 और 6) के साथ ही परिवर्तित कर दिए गए हैं।

एम०आई०-17 हेलीकाप्टरों की मरम्मत और 'ओवरहॉलिंग'

2460. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०आई०-17 हेलीकाप्टरों के एयरों इंजनों की मरम्मत और 'ओवरहॉल' सुविधाएं स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन हेलीकाप्टरों को प्रचालन में लाने के पन्द्रह वर्ष बाद इनकी तकनीकी रूप से प्रचालन अवधि अप्रचालित और समाप्त हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या मरम्मत और 'ओवरहॉल' सुविधाएं में देरी के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी तय की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एम०आई०-17 हेलीकाप्टरों की मरम्मत और 'ओवरहॉल' सुविधाएं स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) 'एम०आई०-17 हेलीकॉप्टर और उनके एयरोइंजनों की ओवरहालिंग पहले ही भारतीय वायुसेना के बेस मरम्मत डिपो में की जा रही है।

विशालकाय पुल

2461. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश में 4 विशालकाय पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) नदियों पर बनाए जाने वाले सामान्य रेल पुलों और विशालकाय पुलों में क्या अंतर है; और

(घ) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक मेगा पुल तथा उसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) बोगीबील में रेल एवं सड़क पुल-1767 करोड़ रुपये

(ii) पटना के निकट गंगा नदी पर रेल पुल-624.47 करोड़ रुपये

(iii) मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल-921 करोड़ रुपये

(iv) कोसी नदी पर रेल पुल-323.41 करोड़ रुपये

(ग) मेगा पुल एक महत्वपूर्ण पुल है जिसके लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के भारी निवेश की आवश्यकता होती है।

(घ) बोगीबील पुल और गंगा नदी पर दो पुलों का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे ही वर्ष 2003-2004 का बजट संसद द्वारा पारित कर दिया जाएगा, कोसी पुल का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पुलों का कार्य 6-7 वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्ता) : महोदय, मैं, श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7095/2003]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7096/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7097/2003]

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2002 जो 2 दिसम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 787(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7098/2003]

(2) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7099/2003]

आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टैक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री एम० कन्नप्पन]

(दो) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7100/2003]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०टी० शिवमुगम) : महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7101/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7102/2003]

सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर फिजीकली हैन्डीकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर फिजीकली हैन्डीकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7103/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : 5 मार्च, 2003 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में संस्तुति की गई है कि निम्नलिखित सदस्यों की उनमें से प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :-

(एक) श्री अधीर रंजन चौधरी	18.11.2002 से 20.12.2002
(दो) स्वर्गीय श्री आनन्द मोहन विश्वास	18.11.2002 से 15.12.2002
(तीन) श्रीमती प्रभा राव	सदस्य का देहावसान-अनुपस्थिति माफ की गई 17.02.2003 से 13.03.2003

क्या सभा सहमत है कि समिति द्वारा यथासंस्तुत अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

विशेषाधिकार समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : महोदय मैं, विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2002-2003

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, मैं, श्री जसवंत सिंह की ओर से, वर्ष 2002-2003 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2000-2001

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, मैं, श्री जसवंत सिंह की ओर से, वर्ष 2000-2001 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिक्ति अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार रेल बजट पर चर्चा का जवाब देंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : एचपीसीएल और बीपीसीएल की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर; हमें कहा गया था कि संसदीय कार्य मंत्रालय सभा में वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसको शून्यकाल के बाद ले लें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं 'शून्यकाल' में इस विषय को लूंगा। यदि आप इसपर अभी चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अन्यथा, मैं इसपर 'शून्यकाल' में चर्चा करने पर सहमत तो हूं ही।

हम कल सहमत थे कि मंत्री आज 12 बजे मध्याह्न को अपना भाषण देते हैं। इसलिए, सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद हमनें इसे चर्चा के लिए लिया है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, इस सत्र के आरंभ से ही हम कहते रहें हैं कि एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० जैसे लाभ कमाने वाली कंपनियों का विनिवेश करने का सरकार का निर्णय एक गंभीर मामला है। यह इस संसद की सभा को कम करने जैसा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का चाहे जो भी मत हो, मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर विभाजित है। राजग के भागीदारों की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है। इन कंपनियों के कर्मचारी और कामगार, और प्रबंधक भी इस विध्वंशक निर्णय के विरुद्ध है; जोकि राष्ट्रिय हित के विरुद्ध है। इस मुद्दे विशेष पर विपक्ष लगभग एकजूट है। *(व्यवधान)* यह इस मुद्दे पर पूरी तरह से एकजूट है।

हम सब मांग करते हैं कि इस मुद्दे को शीघ्रता से लिया जाना चाहिए। यह सरकार हमें यह आश्वासन दे रही है कि वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जबतक इस संसद में इस मुद्दे पर पूरी बहस नहीं होती। मंत्री स्वंय इस विनिवेश के विरुद्ध हैं। राजग के सहयोगी इस निर्णय का सार्वजनिक रूप से विरोध करते रहें हैं। इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण इस संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। सरकार को इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक संसद में पूरी तरह बहस नहीं होती और संसद की आवाज नहीं सुनी जाती।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, डिसइनवैस्टमेंट के मुद्दे पर सरकार को चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी सत्र के दौरान दूसरे सदन, राज्य सभा में इस पर चर्चा हुई है। हमें लोक सभा में चर्चा कराने में किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सत्र का यह भाग केवल 13 मार्च तक चलेगा और इस बीच में हमें रेल बजट और सामान्य बजट पारित करना है। सामान्य बजट पर बोलते समय विनिवेश के मुद्दे पर भी हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। इसके बावजूद, यदि माननीय सदस्य, विनियोग के मुद्दे पर पूरी चर्चा चाहते हैं, तो इसी सत्र के उत्तरार्ध के प्रारम्भ में ही इस चर्चा को ले सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : इन संस्थानों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, इस बीच, यदि रूप चन्द पाल जी एवं अन्य सदस्यों को लगता है कि सरकार कुछ कर लेगी। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि यह जो रेसिस का समय है, इसमें एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल०, दोनों में से ही किसी भी कंपनी का चरित्र नहीं बदलेगा और वे पब्लिक सैक्टर में ही बनी रहेंगी। बाद में हम इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुषमा स्वराज : शुक्रिया, ऐसे ही यदि धन्यवाद मिलता रहे, तो खुशी होती है।

अध्यक्ष महोदय : सदन में ऐसा ही एटमॉस्फीयर बना रहे, तो अच्छा है।

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह कहने का वैसे तो कोई अधिकारर नहीं है, लेकिन कई बार जब देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात चलती है, तो कहना पड़ता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपने मुझे कुछ शब्द कहने का मौका दिया है।

महोदय, जब बात बीत जाती है, तब हम उठते हैं, आमतौर पर हमारा यह स्वभाव रहा है। देश के माननीय प्रधान मंत्री और देश के माननीय उप प्रधान मंत्री को लश्करे तय्यबा ने एलीमिनेट करने और लिक्वीडेट करने की धमकी दी है। एक जिम्मेदार अपोजीशन होने के नाते, कई बार सत्ता पक्ष के बारे में यदि देश की कोई बात बहुत अहमियत रखती हो, तो उसका जिक्र करना जरूरी है।

माननीय स्पीकर साहब, मैं यह महसूस करता हूं कि जितनी धमकियां इंटरनैशनल टैररिज्म आर्गेनाइजेशन्स की ओर इस मुल्क को दी गई हैं, चाहे वह पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वह अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर अटैक हो और चाहे इंटरनैशनल कांस्पीरेसी के चलते इस देश को तोड़ने की बात हो, जितने भी इस प्रकार के आर्गेनाइजेशन्स हैं, उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है।

महोदय, मैं अपने को इस सदन का एक बहुत ही साधारण मैम्बर मानता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि थ्रेट की क्या परसैप्शन है। सही मायने में यदि मुल्क के प्रधान मंत्री के खिलाफ यह बात आए कि इस तारीख तक उन्हें एलीमिनेट कर दिया जाएगा। इतना सीरियस थ्रेट आए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री नीतीश कुमार जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, मुझे भी इस मामले पर बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उससे सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या इसके बाद 'शून्यकाल' शुरू होगा? *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने शून्यकाल आरंभ नहीं किया है।

[हिन्दी]

कृपया अभी आप बैठ जाइए, जीरो ऑवर में बोलिए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, एक माननीय सदस्या श्रीमती संध्या बौरी को कल बंगला में बोलना था। उनका नाम पुकारा गया था, परन्तु बंगला भाषा के किसी भाषान्तरकार के न होने के कारण उन्होंने बोलने का अवसर खो दिया। *(व्यवधान)* उन्होंने यह कहा है कि वह केवल बंगला भाषा में बोलेंगी *(व्यवधान)* वह नहीं बोल सकीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, इससे पहले कि आप माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए बुलाएं, मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपना भाषण बंगला भाषा में देने का अवसर दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, कृपया मुझे मेरी बात कहने की अनुमति दीजिए। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यालय से अनुरोध किया था कि बंगला बोलने वाले माननीय सदस्य के लिए शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यवस्था कर दी गयी है। अत: नीतीश कुमार जी क्योंकि कल तकनीकी समस्या थी और वह बंगला में नहीं बोल पायी थीं — उस सदस्या को पहले बोलने दिया जाए। उसके बाद उत्तर शुरू होगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे सुबह बोलने के लिए आग्रह किया था तो आपने कहा था कि शून्य काल में आप बोलें। अब हमारी बात को सुन लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब रेल बजट पर चर्चा शुरू कर दी है। जब रेल बजट पर चर्चा समाप्त हो जाएगी, मैं 'शून्यकाल' शुरू करूंगा। तब मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों को सभा में एक बंगला भाषी सदस्या को सुनने का अवसर मिल रहा है। कृपया उन्हें सुने।

अपराह्न 12.15 बजे

[अनुवाद]

381 - 405

रेल बजट — 2003-2004
लेखानुदानों की मांगे (रेल) — 2003-2004
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) — 2002-2003
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) — 2000-2001 — *जारी*

***श्रीमती संध्या बौरी** (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट — 2003-04 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

एक तरफ कहा जा रहा है कि यात्री किराया और माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं होगी जबकि दूसरी तरफ मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए न्यूनतम यात्री किराए को 15 रु० से बढ़ाकर 16 रु० कर दिया गया है। सामान्य द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया बढ़ाकर 3 रु० से 4 रु० कर दिया गया है। अत: यह स्पष्ट है कि इसका मुख्य प्रभाव आम गरीब आदमी पर पड़ेगा जो सामान्यत: कम दूरी की यात्रा करते रहते हैं। इसके विपरीत, एक विशेष समय के दौरान राजधानी रेलगाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत की विशेष रियायत दी गयी है।

बजट में 50 नई रेलगाड़ियों का वायदा किया गया है जिसमें से मात्र 17 रोज चला करेंगी। इनमें से कुछ सप्ताह में दो या तीन दिन चलेंगी। शेष 4 रेलगाड़ियां आमान परिवर्तन के बाद चलेंगी। इन 4 रेलगाड़ियों में से 3 पश्चिम बंगाल में चलेंगी। आमान परिवर्तन कार्य पूरा होने की किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि यह कार्य कब पूरा होगा।

जबकि इस बजट में नई रेलगाड़ियों, नई पटरियों के विषय में लोकप्रिय घोषणाएं की गयी हैं, रेलवे के विकास में समग्र निवेश घट रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष बजट में ईंजन, कोच, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन, नई पटरियां बिछाने, पटरियों की मरम्मत और दोहरीकरण सहित सभी क्षेत्रों में कटौती की गई है। बड़ी और छोटी रेलदुर्घटनाओं के मामले बढ़े हैं और यात्रियों की संख्या भी घट रही है। मैं यह भी अनुरोध करूंगी की यात्री सुरक्षा और संरक्षा के मामले को अधिक महत्व दिया जाए और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुझे पश्चिम बंगाल की कुछ रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए दुख हो रहा है। राज्य में कम से कम 15 परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए एक करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। इन परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चितता में लटका हुआ है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ये परियोजनाएं कब पूर्ण होंगी। पश्चिम बंगाल के लोगों की सुविधा के लिए भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा अत्यन्त समारोहपूर्वक विष्णुपुर-तारकेश्वर रेलमार्ग के लिए शिलान्यास किया गया था। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो बांकुरा जिले तथा पूरे दक्षिण बंगाल का कोलकाता से संपर्क आसान हो जाएगा। इस मामले में भी मात्र एक करोड़ रु० का आबंटन करके लोगों की मांग को दर किनार कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से इस परियोजना में शीघ्रता लाने का अनुरोध करती हूं।

बी०डी०आर० रेल (बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे) के शुरू होने की पूर्व संध्या पर और इसके लिए धन आबंटित करते समय यह घोषणा की गयी थी कि सितम्बर 2003 तक यह सोनामुखी तक और सितम्बर 2004 तक चन्दाई रोड तक चलेगी। व्यय हेतु 174 करोड़

---

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती संख्या बौरी]

रु० का आबंटन किया जाना था। यद्यपि गत वर्ष 40 करोड़ रु० का आबंटन किया गया था तथापि आज तक मात्र 32 करोड़ रु० का काम किया गया है। इस वर्ष 25 करोड़ रु० आबंटित किया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी भी 117 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगी कि इस परियोजना को समय से समाप्त करने के लिए बजट में अधिक धन का आबंटन करें। भूतपूर्व रेल मंत्री ने कहा था कि बी०डी०आर० रेलमार्ग को मुकुट मणिपुर तक बढ़ाया जाएगा, किन्तु मैं माननीय मंत्री से इसकी प्रगति के विषय में जानना चाहूंगी। इस परियोजना के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। मैं माननीय मंत्री से इस परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने के लिए और धनराशि आबंटित करने हेतु गम्भीरता से अनुरोध करती हूं।

हमारे जिले के लोग लम्बे समय से बांकुरा और रानीगंज के बीच रेलगाड़ियों की मांग करते रहे हैं। रानीगंज से दुर्लभपुर तक रेल मार्ग है और यदि मात्र 20 किमी रेल पटरी और बिछायी जाए तो बांकुरा तक संपर्क बन सकता है। बाकुंरा से टाटा और बांकुरा से झारग्राम तक नए रेलमार्ग बिछाने की पुरजोर मांग की गयी है। मैं माननीय मंत्री से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती हूं ताकि यहां रेल लाइनें बिछायी जा सकें।

इसके अलावा मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगी। हल्दिया-आसानसोल एक्सप्रेस और आद्रा-शालीमार एक्सप्रेस अब सप्ताह में छह दिन चलती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इन रेलगाड़ियों को सप्ताह के सातों दिन चलाने के लिए कदम उठाएं। बांकुरा कृषि आधारित और आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है। इस जिला के लोग लम्बे समय से मांग करते रहे हैं कि पुरूलिया एक्सप्रेस को तीव्र सवारी गाड़ी में बदला जाए जिससे कम किराए पर वे यात्रा कर सकें। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव बाकुंरा में होना चाहिए। मुम्बई के लिए वाया बांकुरा एक रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। हावड़ा-चक्रधरपुर रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को नए डिब्बों से बदला जाना चाहिए।

देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के मद्देनजर रेलवे का विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहूंगी कि विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पूरे देश में रेलवे के नेटवर्क को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, रेल बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

*श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वह हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। इस बजट के माध्यम से रेल मंत्री ने देश में एक नया संदेश दिया है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ऐसी स्थिति में रेलवे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्टेशनों और हॉल्ट पर सुख सुविधाओं की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रियों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हो, इसकी भी व्यवस्था की जाये। शताब्दी एक्सप्रेस पटना-हावड़ा जाने वाली ट्रेन का कोच बहुत पुराना और टूटा फूटा लगाया गया था, उस पर भी ध्यान देकर लोगों की यात्रों सुखमय बनाने की आवश्यकता है। शेखपुरा स्टेशन पर जो रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया था, उसे भी अमल में आना चाहिए तथा अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं शेखपुरा स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की जो घोषणा की गयी थी उसे भी पूरा कराया जाना चाहिए। शेखपुरा स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से आर०पी०एफ० की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। बिहार शरीफ, बरबीघा, शेखपुरा लाइन में ली जाने वाली जमीन का (लैंड रिक्युजीशन) किया गया है, उसके तहत कितने किसानों को मुआवजा दिया गया था कितना काम प्रारंभ किया गया एवं इसे शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मनकइ रेलवे स्टेशन पर अप-डाउन ट्रेनों की ठहराव की व्यवस्था की जाये। शेखपुरा प्लेटफार्म परया शेखपुरा स्टेशन में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, वह बंद है।

माननीय मंत्री महोदय वहां गये थे और उन्होंने विकास कार्यों के लिए घोषणायें भी की थीं, पूरा नहीं हुआ है, उसे शीघ्र पूरा कराया जाना चाहिए। शेखपुरा स्टेशन पर जेनरेटर की व्यवस्था की जाये। करौता-पतनेर हॉल्ट स्टेशन पर आवश्यक सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करायी जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चहता हूं कि सभी ट्रेनों में यात्रियों के लिए मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा खानपान, साफ सफाई की भी व्यवस्था करायी जानी चाहिए। गया-क्यूल रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। विभिन्न स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली के लिए कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की जाये। बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र बीहट गांव में एक हॉल्ट बनाने की आवश्यकता है।

मैं बिहार के बेगूसराय क्षेत्र से आता हूं। टेलीफोन बूथ और स्टाल आबंटन के बड़ी मात्रा में आवेदन दिए गए, लेकिन कुछ काम नहीं

*भाषण संभा पटल पर रखा गया।

हुआ। रेलवे में खानपान की जो व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। पुराने डिब्बों में सुधार होना चाहिए।

*चौधरी तेजवीर सिंह (मथुरा) : माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, पिछले 50 सालों में जितने भी रेल बजट आये हैं, यह उनसे अनूठा एवं शानदान बजट है। इसके लिए मैं मा० रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और यात्रियों का विशेष ध्यान रखा गया है।

माल भाड़े की दरों में कमी करना तथा राजधानी एक्सप्रेस एवं जन शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियों का किराया घटाया जाना एक प्रशंसनीय कार्य है। वर्ष 2003-2004 के इस बजट में यात्रियों पर किराये का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय रेल विकास योजना का शुभारी किया है। इस पहल से राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल के विकास में निश्चित रूप से गति आयेगी।

पिछले साल का जो लदान का लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य से भी 3.50 मिलियन टन अधिक लदान हुआ है। मुझे खुशी हे कि माल यातायात में संशोधित लक्ष्य से 235.4 करोड़ रुपये की अधिक आमदनी हुयी है।

रेलवे विभाग के द्वारा खर्च को नियंत्रित करने के प्रयास सफल हुये हैं। विभाग 287.03 करोड़ रु० के साधारण संचालन व्यय को सीमित रखने में सफल हुआ है, जिससे संशोधित अनुमानों की तुलना में 397 करोड़ रु० की अधिक बचत संभव हो सकी।

महोदय, यह वर्ष यात्री सुविधा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिये माननीय रेल मंत्री के द्वारा यात्रियों का विशेष ध्यान रखा गया है।

महोदय, दुर्घटनाओं को चिंता का विषय मानते हुए ग्रुप 'डी' स्तर पर रिक्त पड़े पदों को भरे जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, इससे 20,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान होगा तथा दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।

महोदय, सतत रेल पथ परिपथन के काम को इस बजट में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे तोड़फोड़ की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आयेगी।

महोदय, इस बजट में वृद्धों एवं बीमारों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके किराये में विशेष छूट का प्रावधान स्वागत योग्य है, इससे आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।

महोदय, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल में 3,500 अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय स्वागत योग्य है। जिससे रेल यात्रा के दौरान होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा।

महोदय, माल भाड़े व यात्री किराये में बगैर वृद्धि किये हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 2051 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय इस बजट का मुख्य आकर्षण है, इससे निश्चित रूप से रेलवे की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

मा० अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं अब मा० रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मथुरा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मथुरा देश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली एवं क्रीड़ा स्थली है। यहां देश विदेश से पर्यटक एवं श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। अत: यहां यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मथुरा रेलवे जंक्शन पर सभी सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव नितांत आवश्यक है, जिससे यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ रेल विभाग को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

महोदय, मथुरा जंक्शन पर शताब्दी, राजधानी तथा अप में ए०पी० एक्सप्रेस का ठहराव श्रद्धालुओं की कठिनाइयों को देखते हुए नितांत आवश्यक है।

महोदय, मथुरा की जनता का इलाहाबाद में हाईकोर्ट होने के कारण प्रतिदिन आना जाना होता रहता है। मथुरा से इलाहाबाद के लिये तूफान एक्सप्रेस के अलावा अन्य कोई रेलगाड़ी नहीं है। अत: मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मथुरा से इलाहाबाद के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी अब मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मथुरा जनपद के कोसी एवं छाता नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है तथा यहां बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगी हैं तथा दिल्ली में उद्योग बंद होने के कारण दिल्ली से विस्थापित उद्योगपति कोसी एवं छाता में नयी औद्योगिक इकाइयां बड़ी मात्रा में लगा रहे हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उद्योग जगत एवं श्रमिक तथा दैनिक यात्रियों की समस्या का समाधान करने के लिये कोसी एवं छाता रेलवे स्टेशनों पर कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के ठहराव की समुचित व्यवस्था की जाये।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[चौधरी तेजवीर सिंह]

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोसी दैनिक यात्री संघ के पदाधिकारियों के साथ कोसी स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस के ठहराव के लिए मैं कई बार मिला हूं। मा० मंत्री जी ने मुझे ताज एक्सप्रेस के कोसी रेलवे स्टेशन पर ठहराव का आश्वासन भी दिया, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अत: मेरा मा० मंत्री जी से अनुरोध है कि ताज एक्सप्रेस का कोसी रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले अपने मथुरा भ्रमण के दौरान मथुरा जंक्शन पर दो सुपरफास्ट ट्रेनों का, जिनमें महामाया एक्सप्रेस भी शामिल है, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनका ठहराव सुनिश्चित किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि फराह रेलवे स्टेशन से मात्र आधा किलोमीटर दूर स्थित विश्व के एकात्म मानववाद के प्रणेता पं० दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली नगला चन्द्रभान है। अत: रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि फराह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पं० दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया जाये।

महोदय, आपके द्वारा मुझे समय दिये जाने पर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, वर्ष 2003-04 के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने मुझे अत्यधिक निराश किया है क्योंकि इसने सभी क्षेत्रों में नवगठित राज्य उत्तरांचल की उपेक्षा जारी रखी है।

माननीय मंत्री द्वारा नए रेलमार्गों की घोषणा की गयी है, किन्तु उत्तरांचल के लिए एक भी नहीं।

आजादी से पहले से चली आ रही एक पुरानी और मेरे द्वारा लगातार की जा रही मांग है — ऋषिकेश-देहरादून नया रेलमार्ग वाया कांसेराव या सीधे वाया डोईवाला। इसका सर्वेक्षण किया गया है किन्तु इसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ढाल संबंधी तकनीकी आपत्ति के कारण इस नए रेलमार्ग का निर्माण रूक रहा है। इस प्रकार की किसी आपत्ति में कोई सच्चाई नहीं है। यह कटरा-काजीगुंड या काजीगुंड-बारामुला से छोटी समस्या है। निश्चय ही वहां भी ढाल है और फिर भी कश्मीर रेलमार्ग को शुरू किया गया है। तो उत्तरांचल में क्यों नहीं?

इसी प्रकार माननीय मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा काठ गोदाम रेलमार्ग के विस्तार सम्बन्धी घोषित आश्वासन की अनदेखी की गयी है। क्या यह घोषणा प्रलोभन मात्र थी, जिसे कार्यान्वित किए जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उस समय सौभाग्यवश रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतपाल महाराज गढवाल से थे?

पोंटा साहिब के महत्व की उपेक्षा करते हुए, और एक तथ्य की अवहेलना करते हुए कि यह शिमला के लिए दूसरा प्रवेश द्वार है, देहरादून से पोंटा साहिब वाया डाक पत्थर को दरकिनार कर दिया गया; इससे भविष्य में अमृतसर और हेमकुण्ड साहिब वाया आनंदपुर साहिब सीधा मार्ग बनाने की संभावना की भी अपेक्षा हुई है।

उत्तरांचल में अखिल भारतीय महत्व के स्थल हैं। चार तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को समूचे भारत से लोग आते हैं और हेमकुण्ड साहिब गुरुद्वारा पर भी सभी जगहों से श्रद्धालू आते हैं किन्तु किसी भी स्थान के लिए रेलवे द्वारा सीधी सेवा नहीं दी जा रही है।

मैंने एक सुझाव दिया गया था कि दक्षिण भारत से ऋषिकेश के लिए एक सीधी तीव्र रेलगाड़ी होनी चाहिए किन्तु इस पर गौर नहीं किया गया है।

इसी प्रकार चारों धाम-जगन्नाथ, रामेश्वरम्, द्वारका और बद्रीनाथ अर्थात् ऋषिकेश के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए। मंत्रालय इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि वह विस्तृत कार्यवाही को टालना चाहता है।

माननीय मंत्री द्वारा घोषित रेलगाड़ियां इस प्रकार हैं : उन्होंने 50 रेलगाडियां चलायी हैं, 24 रेलगाड़ियों का गंतव्य आगे बढ़ाया गया है और नई एम०ई०एम०यू० और डी०ई०एच०यू० गाड़ियां चलाई जानी है। किन्तु उत्तरांचल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

यहां तक कि उत्तरांचल के एक छोर अर्थात् पूर्वी छोर को दूसरे छोर पश्चिमी छोर, जिसे आप एक संपर्क मार्ग अथवा शटल गाडी कह सकते हैं किन्तु मैं इसे एक तेज इंटरसिटी गाड़ी कहूंगा। जो पूर्वी स्टेशन अर्थात् काठगोदाम से पश्चिमी छोर स्टेशन अर्थात् देहरादून तक को जोड़ने के लिए भी उत्तरांचल का ध्यान नहीं रखा गया है।

केवल देहरादून-काठगोदाम एक्सप्रेस को अब सप्ताह में दो बार चलाने का अर्थ यह है कि लोगों को सरकार से सप्ताह में केवल दो बार बातचीत करनी चाहिए। रेलवे किसे गुमराह करना चाहता है?

इसी प्रकार देहरादून शताब्दी रेलगाड़ी के बारे में भी भ्रम टूट गया है। जब इसे चलाया गया था तो यह रेलगाड़ी दिल्ली और देहरादून

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के बीच सीधे चलती थी और 20 मिनट सहारनपुर रूकती थी इसके बाद यह देहरादून और फिर दिल्ली के लिए मुड़ जाती थी।

मैंने यह बात उठाई थी कि 20 मिनट के विलम्ब से दिल्ली को अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने वाली तेज गाड़ी को चलाना बेकार हो जाता है तो मुझे यह सलाह दी गई कि यह एक अस्थायी प्रबंध है क्योंकि सहारनपुर को बाई-पास करने के लिए एक बाई-पास बनाया जा रहा है।

मुझे आश्चर्य तब हुआ जब रूडकी में दो मिनट का ठहराव शुरू किया गया, मैं हक्का-बक्का तब रह गया जब उसमें मेरठ का नाम भी जोड़ दिया गया और मुजफ्फरनगर का नाम जोड़ने पर तो यह परिहासजनक से लगने लगा।

इन सभी स्टेशनों पर रेलगाड़ी का हाल्ट समाप्त किया जाए, रेलगाड़ी को बाई-पास चलाया जाए और सहारनपुर के यात्री टपरी से गाड़ी पकड़ सकते हैं यद्यपि इसमें ज्यादातर यात्री देहरादून के होंगे।

कुछ प्रकीर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, मैं यह अनुरोध करता हूं कि उसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया जाए।

लक्सर और देहरादून के बीच रेलपथ दोहरीकरण, उत्तरांचल में दो और यार्ड बनाने सहित यार्ड में यातायात सुविधाओं को नया रूप देना, हरबाला मालभाडा टर्मिनल पर शेड बनाना, मुखरामपुर में रेल उपरिपुल बनाना, लक्सर से देहरादून तक रेल लाइन का विद्युतीकरण, देहरादून और हरिद्वार स्टेशनों के अंदर और बाहर पौष्टिक भोजन और स्वचालित चाय/कॉफी की स्वास्थ्यकर खान-पान सेवा शुरू करना।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रेल बजट पर चर्चा में या तो बोलकर या लिखकर हिस्सा लिया है ऐसे कुल माननीय सदस्यों की संख्या 120 है। यह इस बात का परिचायक है कि रेलवे में पूरे सदन की कितनी दिलचस्पी है। रेलवे के विकास में और रेलवे से सम्बन्धित जो भी मसले हैं, उनमें सब सालों की भांति इस बार भी यह बात फिर से एक बार प्रमाणित हुई है कि संसद में रेलवे के प्रति सर्वाधिक दिलचस्पी है और वह स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातें न करें, प्लीज।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। इस गिरावट को संरक्षा के मुद्दे के साथ कई माननीय सदस्यों ने जोड़कर देखने की कोशिश की है। यह बताया गया कि यात्रियों की संख्या में इसलिए गिरावट आई है कि लोग रेल में यात्रा करने से डरे हुए हैं, इसलिए यात्रा करना नहीं चाहते हैं। सेफ्टी की स्थिति ठीक नहीं है, सेफ्टी पर ध्यान नहीं है। इस बात के साथ जोड़कर कुछ बातें कही गई, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक यात्रियों की संख्या में गिरावट का प्रश्न है यह गिरावट लोकल पैसेंजर्स में हैं, सब-अर्बन पैसेंजर्स में है। यह गिरावट मेल एक्सप्रेस के पैसेंजर्स में नहीं है। अगर हम अप्रैल से दिसम्बर, 2002-2003 के फीगर्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजधानी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि है, मेल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो पैसेंजर ट्रेन हैं, सब-अर्बन, नॉन सब-अर्बन या जो सीजन टिकट पर चलते हैं, उनकी संख्या में गिरावट आई है। इनकी संख्या में गिरावट के चलते पूरा चित्र ऐसा बनता है कि कुल मिलाकर दिसम्बर तक के फीगर्स को अगर आप देखें कि 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि राजधानी में 4.75 प्रतिशत की वृद्धि मेल एक्सप्रैस जो लॉंग डिस्टेंस ट्रेन होती हैं, इसमें भी वृद्धि जब हम लीड को देखते हैं, तो पर पैसेंजर लीड को देखते हैं, उसमें भी वृद्धि है। इसलिए *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : एक्सीडेंट के बाद वृद्धि नहीं हुई है। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आपने कहा कि एक्सीडेंट के बाद, तो एक्सीडेंट के बाद हम तो हावड़ा-राजधानी का ही फिगर लेकर बैठे हुए हैं। इसके साथ लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रैल से सितम्बर तक अगर हम देखें, हमने सिर्फ नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी का निकाला है तो 2301 और 2305-अप को देखें, अप्रैल से सितम्बर पैसेंजर की संख्या एवरेज प्रतिमाह 20,603 थी और अक्तूबर से दिसम्बर एवरेज प्रति माह पैसेंजर की संख्या 21,426 थी। इसी प्रकार से अगर डाउन में देखेंगे, 2302 को और 2306 डाउन को देखेंगे तो अप्रैल से सितम्बर प्रतिमाह पैसेंजर की संख्या 18,198 थी और अक्तूबर से दिसम्बर के बीच में यह संख्या 19,279 थी। आपने कहा कि, एक्सीडेंट के साथ, तो इसका मतलब यह नहीं है। *(व्यवधान)* हम सेफ्टी पर आ रहे हैं। चूंकि यह बात कही गई, इसलिए सदन को और सदन के माध्यम से देश में इस प्रकार की आशंका पैदा होती है तो उसका खंडन आवश्यक है, इसलिए मैंने उल्लेख किया। *(व्यवधान)* जो यहां प्वाइंट्स जिस पर सबसे अधिक कतिपय माननीय सदस्यों के द्वारा जोर दिया गया कि पैसेंजर की संख्या की कमी का सीधा संबंध सेफ्टी से है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं और आपने कहा तो मैंने हावड़ा-राजधानी का ही बता दिया। इसलिए उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लोकल पैसेंजर की संख्या में कमी आई है और लोकल पैसेंजर का हम एनेलिसिस करते हैं तो यह पाते हैं कि जो लो वैल्यू एम०एस०टी० था जिसे 2000-2001 में शुरू किया गया था, उसकी संख्या में गिरावट

[श्री नीतीश कुमार]

आई है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नम्बर ऑफ पैसेंजर्स से हम देखते हैं कि उसमें गिरावट आई है। लो वैल्यू आपको मालूम है कि सौ कि०मी० तक की दूरी के लिए पन्द्रह रुपया पास का सिस्टम 2000-2001 में शुरू किया गया था और आपको याद होगा कि इस संबंध में कई प्रकार की शिकायतें आई थी कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसमें जोड़ा गया था कि कैसे कोई लो वैल्यू एम०एस०टी० ले सकता है। सांसद और विधायक यदि सर्टिफाई कर दे कि यह गरीबी रेखा के नीचे है तो उस हिसाब से देते थे लेकिन उसमें दिया गया था कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उसका सर्टिफिकेट लें और एम०पी०-एम०एल०ए० का रिकमेंडेशन कराएं तो उसकी संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2001 में जनवरी से अगस्त के बीच में देखें तो जहां 11,02,114 लो वैल्यू एम०एस०टी० इश्यू हुआ था, वहीं जनवरी से अगस्त 2002 तक 13,642 एम०एस०टी० इश्यू हुआ। इस प्रकार से इसको अगर हम पैसेजन की संख्या में अगर उसको जोड़ें तो उसको मिलाकर हिसाब लगाया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा योगदान उस आंकड़े में है कि किस प्रकार से यात्रियों की संख्या घटी है। इसलिए मैं *(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : महोदय, बिहार में टिकट लैस ट्रैवल बढ़ने से यह समस्या कम नहीं होगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे आ सकता है?

श्री नीतीश कुमार : आप इतने बुजुर्ग नेता हैं। मुख्य मंत्री भी रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं। हम तो नये आदमी हैं। हमें भी कुछ बोल लेने दीजिए। फिर अगर आपके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान करने की अपनी क्षमता पर हम चेष्टा करेंगे। लेकिन आप तो अनुभव के भंडार हैं। इसलिए इसके संबंध में जब भी मैंने विश्लेषण किया है, इसका कोई संबंध नहीं बैठता। जो पिछले दिनों हमने इस साल 2002-2003 में भाड़ा बढ़ाया, इसके अलावा 2001 में, पहली अक्तूबर, 2001 से सेफ्टी सरचार्ज लगा। इसका कुल मिलाकर असर हो सकता है। जो शॉर्ट डिस्टेंस के लोग थे, मिनिमम फेअर तीन रुपया था, वह सेफ्टी सरचार्ज लगने के बाद चार रुपया हुआ और 2002-2003 में हमने रेशनेलाइजेशन किया तो वह बढ़कर पांच रुपया हुआ। इन चीजों का थोड़ा असर हो सकता है। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : बस में सस्ता हो गया। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : नहीं, पहली बार नहीं है। बस में सस्ता नहीं हुआ है। आप रेलवे के हितैषी रहे हैं। आप तो बराबर रेलवे में चलने वाले हैं। रेल के केस को खराब मत करिए।

ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पैसेंजर्स की संख्या में गिरावट आ रही है। हमने इसके आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, तो यह पाया गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि टोटल नम्बर आफ पैसेंजर्स की संख्या में कमी आई है। जब हम देखते हैं पहले के दिनों में *1979-80 में भी 5.7 प्रतिशत* गिरावट आई थी, *1982-83 में 1.32 प्रतिशत* की गिरावट आई थी। इसी तरह से फिर *1983-84 में 9.03 प्रतिशत* की गिरावट आई थी। अब आगे चलें तो *1988-89 में 7.70 प्रतिशत* की गिरावट आई थी, फिर *1992-93 में 7.41 प्रतिशत* की गिरावट आई थी। उसके बाद *1993-1994 में 1.09 प्रतिशत* की गिरावट आई थी और *2002-03* में अगर सब चीजों को ले लें तो कुल मिलाकर गिरावट अभी तक का जो प्रोजेक्शन है, 2.82 प्रतिशत है। इस बैकग्राउंड में देखें तो इसका संरक्षा से सम्बन्ध नहीं है। जब-जब इस तरह से फेयर रिवीजन होता है या और दूसरे कारण होते हैं, कभी-कभी गिरावट आती है, जो आगे के वर्षों में पिकअप कर जाती है। जहां तक अर्निंग का सवाल है, वह 13 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए उसका सम्बन्ध नहीं है।

सेफ्टी का जहां तक सवाल है, उसके लिए मैंने इस सदन में इस बात का उल्लेख किया है कि सेफ्टी के हर आस्पेक्ट को लेते हुए क्या समस्या है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ और किया जाना बाकी है और क्या कुछ किया जाना चाहिए। इन सारे बिन्दुओं को समेटते हुए हमारा संसद के इसी बजट सत्र में एक श्वते पत्र लाने का विचार है। श्वेत पत्र आने के बाद अध्यक्ष महोदय आप इजाजत दें कि एक व्यापक चर्चा सेफ्टी पर हो जाए और वह कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। कहां क्या खामी है, कहां क्या कमी है, इस पर चर्चा हो। जहां तक हमने कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है सेफ्टी के बारे में कि रिसेंट क्या कदम उठाए हैं। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के बारे में खन्ना कमेटी ने कहा था केन्द्र सरकार को कि असेट्स का रिनुवल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेलवे में इतनी सेविंग नहीं हो पा रही है और स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में उतना पैसा नहीं डाला जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक अलग से ग्रांट दें। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिंदु पर गम्भीरता से ध्यान दिया और 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड मिला। जो अक्टूबर 2001 से आपरेशनलाइज हो गया है। जहां तक 2001-02 का सवाल है, हमने 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उन्होंने 1434 करोड़ रुपए खर्च किए। स्पेशलन रेलवे सेफ्टी फंड के दो कम्पोनेंट हैं। एक केन्द्र सरकार डिवीडेंड फ्री बजट्री सपोर्ट के माध्यम से ग्रांट देती है और एक हम यात्रियों पर सेफ्टी सरचार्ज लगाते हैं। 2002-03 में छः महीने के काल में यह अनुमान था कि पैसेंजर्स सरचार्ज से 400 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन सिर्फ 305 करोड़ रुपए आए। वह 95 करोड़ रुपए प्लस 34 करोड़ रुपए जो ज्यादा खर्च किए, वह हमने रेलवे

के इंटरनल सोर्स से खर्च किए। इस प्रकार 129 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा किया। इसी प्रकार से 2002-03 में 2210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमने रिवाइज एस्टीमेट किया 2310 करोड़ रुपए का यानी और बढ़ाना चाहते हैं तय, जब पैसेंजर्स सरचार्ज से उतना पैसा आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जो भी कमी होगी, उसको इंटरनल रिसोर्सेज से पूरा करेंगे। 2003-04 के लिए 2311 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के माध्यम से जो हमारी गतायु परिसम्पत्तियां हैं, उनके रिनुवल के लिए, उनके नवीकरण के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।

टक्कर को रोकने के लिए देश में कोंकण रेलवे ने ईजाद की है। यह भारतीय रेलवे में पहली बार हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। दुनिया में एक से एक माडर्न सिस्टम हैं, लेकिन उन्होंने एंटीकोलीजन डिवाइज ईजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है यूरोपीयन क्रेन कंट्रोल सिस्टम की, वह काफी महंगी टेक्नोलॉजी है। लेकिन कोंकरण रेलवे के रेलकर्मियों ने इसको ईजाद किया है। इसका हमने एक्सटेंडेड फील्ड कंट्रोल परीक्षण किया और वह जालंधर-अमृतसर सेक्शन पर किया। 19 जनवरी तक परीक्षण चला। उसका परिणाम संतोषजनक है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इसको रेलवे में लागू करेंगे। अगर ए०सी०डी० लगा देंगे इंजन में, गार्ड के वाहन में और लैवल क्रासिंग पर तो टक्कर बीते दिनों की बात हो जाएगी। इसके लिए धन की आवश्यकता है। हम एक बारगी धन इकट्ठा नहीं कर सकते, न ही एक बार सारे इक्विपमैंट हम बना लेंगे। इसलिए फेजवाइज शुरू किया। पिछली बार हमने इसके लिए प्रॉवीजन किया था कि इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा क्योंकि यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित हैं इसमें रेडियो मोडम होता है। इसलिए सर्वे करना पड़ता है और यह एग्युलर डिविएशन काउंट प्रिंसिपल पर आधारित है। हमें पूरे यार्ड का सर्वे करना पड़ता है, उसका डिविएशन काउंट सर्वे करना पड़ता है, रेडियो रिसैप्शन सर्वे करना पड़ता है, जी०पी०एस० रिसैप्शन सर्वे करना पड़ता है। ये सब सर्वे करने के बाद हम इस इक्विपमैंट को लगा पाएंगे। इस बार हमारा रूट कुल 63 हजार किलोमीटर है। हमने प्रस्ताव किया है कि 10 हजार किलोमीटर रूट का सर्वे करेंगे और 1800 किलोमीटर रूट में ए०सी०डी० लगाने का काम प्रारम्भ कर रहे हैं। इस बार इतना ही ए०सी०डी० लगाने का प्रॉविजन किया है। एंटी कॉलिजन डिवाइज यानी कि रक्षा कवच जिस का नाम दिया गया है, उसे लगाएंगे। और भी धन की यदि आवश्यकता होगी और जिस प्रकार आपने यह समर्थन दिया, उससे यह काम पूरा होगा। प्रधान मंत्री स्वयं यहां मौजूद हैं। रेलवे सेफ्टी के लिए धन की कोई कमी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक में 17000 करोड़ रुपए के स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का फैसला लिया। ए०सी०डी० के लिए पैसे की जरूरत होगी तो मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार पीछे रहेगी लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता है जो तैयारी हमने प्रारम्भ कर दी है।

तीसरा सवाल आया कि यदि कहीं सैबोटाज होता है, कोई ट्रैक काट देता है, रेल फ्रैक्चर हो जाता है, उसके चलते डिरेलमैंट होता है और उसमें कैजुअल्टीज होती हैं तो उनको कैसे रोका जाए। हमने अपने अधिकारियों से पूछा कि जैसा रफीगंज में हुआ, आप कहते हैं कि सैबोटाज था लेकिन बाहर के लोग और कुछ कहते हैं, जांच की बात आएगी, जांच से पता लगेगा, मैं उस विषय पर अभी नहीं आ रहा हूं। क्या हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम समय से पहले समझ जाएं कि हमारे ट्रैक में कोई डिसकंटिन्यूटी है? लोगों ने कहा कि हां, ऐसा है। हमने कहा कि क्या है तो उन्होंने कहा कि ट्रैक सर्किटिंग। मैंने कहा कि ट्रैक सर्किटिंग तो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक सर्किटिंग स्टेशन एरियाज में कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूस ट्रैक सर्किटिंग करेंगे तो जैसे ही रेल फ्रैक्चर होगा, यानि डिसकंटिन्यूटी होगी तो उससे सिगनल सिस्टम जुड़ा है, सर्किट ब्रेक होगा, सिगनल लाल हो जाएगा। इससे गाड़ी रोकने में पहले से सहूलियत होगी। हमने कहा कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाता है? उन्होंने कहा कि काफी दिक्कतें हैं, पैसे की जरूरत होगी। हमने कहा कि इस पर काम शुरू हो। कंटिन्यूस ट्रैक सर्किटिंग के लिए सबसे व्यस्त मार्ग है, ए०बी० और सी० सबर्बन रूट्स, उनके लिए इसी साल कंटिन्यूस ट्रैक सर्किटिंग का काम शुरू करें। इस प्रकार से सर्टेन इनीशिएटिव्स लिए गए। सेफ्टी के साथ अनेक जुड़े बिन्दु हैं। हम ऐसे डिब्बे बनाने जा रहे हैं जो यात्री हिस्सा है, अगर कॉलिजन हो जाए, डिरेलमैंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उस पर कम झटका आए। जो बाहर का हिस्सा है, उसी में सारा प्रैशर ऑब्जॉर्व हो जाए ताकि यात्री सुरक्षित बचे। इस प्रकार कई कदम उठाए जा रहे हैं जिस की चर्चा हम यहां ठीक ढंग से करें तो हम कर पाएंगे और जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे, उनके आलोक में रेलवे सेफ्टी के लिए रेलवे और बेहतर कदम उठा पाएगी।

राजधानी गाड़ी के एक्सीडैंट की हम चर्चा करते हैं तो सवाल उठते हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि मिसक्रिएंट एक्टिविटीज है, सैबोटाज है, यह विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि हमने सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है और रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि वह रिपोर्ट पब्लिश हो। जब वह रिपोर्ट पब्लिश होगी तो लोग बता सकते हैं कि क्या खामी है, जांच की प्रक्रिया में क्या खामी है? जांच की प्रक्रिया हमने नहीं बनायी है, एन०डी०ए० की सरकार ने नहीं बनायी है। जांच की प्रक्रिया पहले से बनी है। हमने उस प्रक्रिया को जारी रखा है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : वह रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं होती है?

श्री नीतीश कुमार : मेरी पूरी बात सुनने के बाद यदि कोई शंका हो तो मैं वहां उपलब्ध हूं। अध्यक्ष महोदय मुझे इजाजत देंगे तो मैं

[श्री नीतीश कुमार]

उसका जवाब देने की स्थिति में रहूंगा। *(व्यवधान)* हमने कहा कि वह रिपोर्ट पब्लिश की जाए और वह होनी चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री की राय है कि जितनी भी दुर्घटनाओं से संबंधित रिपोर्टें हैं, वे सारी पब्लिश होनी चाहिए, लेकिन वह कमीश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में है। रूल्स के मुताबिक अंतिम निर्णय उनका है वह उसे पब्लिश करें या नहीं करे? हमने उनको कहा है कि वह उसे पब्लिश करे ताकि लोग बहस कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। खन्ना कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का पद अभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ही है, उसे खोल दिया जाए। हमने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं कि रेलवे के बाकी सर्विसेज के लिए खोल दिया जाए।

हमने अपना सेफ्टी डायरैक्टोरेट खोलने का फैसला किया है और ट्रैफिक डिपार्टमैंट को विजिलेंस देने की कोशिश की है। हमने जनरल मैनेजर्स, डिवीजनल जनरल मैनेजर्स की पावर्स बढ़ा दी हैं। उनके लिए अकाउंटेब्लिटी तय की जा रही है। हम इन सब बिन्दुओं पर व्यापक श्वते-पत्र लायेंगे। उस पर चर्चा हो जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। सच पूछा जाये तो हम इस हिसाब से रेलवे की सुरक्षा को इम्पलीमेंट करने में आगे कुछ कर सकते हैं और इस बारे में कुछ फैसला ले पायेंगे।

अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने सेफ्टी के बारे में कहा है। मैं इस विषय में दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि समाचार-पत्रों में सेफ्टी के प्रश्न पर आया था कि सेफ्टी लैवल पर ग्रुप-डी के स्टाफ की कमी है। इस कारण से भी ट्रेक की ठीक से मैंटिनेंस नहीं हो पा रही है। मिनिस्ट्री से इस मामले में पूरी एक्सरसाइजें करायी है। रेलवे बोर्ड से कहा गया है कि जितनी वैकेन्सीज निकली हैं, वे लगभग 20 हजार हैं, एक साल के अंदर पूरी की जायें। जहां तक सिक्यूरिटी का प्रश्न है, यह राज्यों का विषय है। राज्यों में जी०आर०पी० बनी हुई है। रेलवे मिनिस्ट्री, उनके खर्च के लिये 50 प्रतिशत और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। यह राज्य सरकार की फोर्स है और उन्हें ही यह काम देखना है। जहां तक आर०पी०एफ० का प्रश्न है, यह रेलवे प्रापर्टी की हिफाजत के लिये बनी हुई है। हम चाहते हैं कि इसके लिये एक हाई लैवल कमेटी बने। संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बात की जाती है। इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि आर०पी०एफ० को इस प्रकार से बना दिया जाये कि वह रेलवे स्टेशन परिसर के अलावा चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भी वहन कर सके। इस के लिये कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी। इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श के लिये प्रस्ताव आ गये हैं। इस संबंध में सरकार का मान्य प्रोसैस है। फिर भी आर०पी०एफ० को और मजबूत करने के लिये एक साल के अंदर 3500 कांस्टेबिलों की नियुक्ति का प्रस्ताव है जिसे पूरा किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, सदन में रेल बजट पर बहस के समय माननीय सदस्य प्रोजैक्ट्स की बात करते हैं। यह स्वाभाविक है और सब को चिन्ता भी होती हे कि उनके क्षेत्र में प्रोजैक्ट्स जल्दी पूरे होने चाहिये। लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री बजटरी सपोर्ट पर निर्भर करती है। माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से यह बजटरी सपोर्ट बढ़ा है लेकिन फिर भी जितनी प्रोफार्वर्ड परियोजनायें हैं, उन सब के लिये धन की आवश्यकता होती है। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा है, वह स्वाभाविक है कि उनके प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी धन मिलना चाहिये। रेलवे इनफ्रास्ट्रक्चर में सब की दिलचस्पी होती है। कुछ स्ट्रेटेजिक सैक्टर्स हैं जिनकी राशि धीरे-धीरे बढ़ रही है। हमारे हाई डैंन्सिटी नेटवर्क हैं जिनमें गोल्डन क्वाडिलेट्रल एंड इट्स डायग्नल्स है, उन्हें स्ट्रैन्थ करने के लिये चार महा सेतु का निर्माण करने के लिये, जितने पत्तन हैं, उनके हिंटरलैंड तक पहुंचने के लिये मार्ग स्थापित करता है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के लिय 15 हजार करोड़ दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 8000 करोड़ रुपया गोल्डन क्वाडिलेट्रल प्रोजैक्ट के लिये बात की है। इस संबंध में रेल विकास निगम का गठन किया गया है। इस बस के बावजूद उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ए०डी०बी० से भी ऋण ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय से एक हिस्सा रेलवे मिनिस्ट्री को दिया गया है। इस प्रकार से यह काम करेंगे। हम कई प्रोजैक्ट्स तेजी से करना चाहते हैं। हमारे जितने पैंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं, वे समय सीमा के अंदर पूरे करने चाहिये, इसके लिए हमें अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास जितना भी धन है, उसे विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि धन उपलब्ध न होने से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र का प्रोजैक्ट 15-20 साल में भी पूरा नहीं हो सकेगा। यह स्वाभाविक है लेनिक हम इसे देख रहे हैं। इस पर विचार करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि जो सब की भावनायें हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुये रेलवे को जरूर इस मामले में और मदद मिलेगी ताकि सब के मन मुताबिक काम.....।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी रोड्स के लिये 56 हजार करोड़ रुपया दे सकते हैं लेकिन रेल के कामों के लिये पैसा नहीं है। मैं सब सदस्यों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करूंगा कि रेल की तरफ विशेष ध्यान दें। *(व्यवधान)* माननीय रेल मंत्री जब कबूल कर रहे हैं कि इतना पैसा मिल रहा है तो और भी ले सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के समर्थन के लिये धन्यवाद लेकिन जो हो रहा है, उसके लिए तो शाबाशी दें

कि 15 हजार करोड़ रुपये में से 12 हजार करोड़ रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना 15 हजार करोड़ रुपये की है।

हमारे बजट में इन बातों का समावेश है। *(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : प्रधान मंत्री जी कहें कि मैं रेल के लिए पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये।

श्री नीतीश कुमार : लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का एक साल के अंदर निर्णय दिया है। जिस प्रकार से इससे बारे में निर्णय दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रधान मंत्री ने कहा है। दस साल में कुछ करने के बारे में चिन्तन और विचार चल रहा है। उस पर सबका सहयोग चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : रेल विकास योजना के गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल के काम को पूरा करने के लिए रेल विकास निगम नामक कंपनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसके माध्यम से जो गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर काम शुरू किया जाएगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री नरेश पुगलिया : चूंकि रेल मंत्री बीजेपी के नहीं है, इसलिए उनको पैसा नहीं मिलता है। जहां-जहां बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्हीं को धन मिलता है, यह हमारा चार्ज है। इसलिए हम प्रधान मंत्री से सुनना चाहते हैं कि रेल के लिए पैसे की कमी नहं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। मंत्री जी का भाषण तो पूरा होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, आप तो बैठ जाइए। मंत्री जी का भाषण तो पूरा होने दीजिए। आपको जो पूछना है वह बाद में पूछें। अभी बैठिये।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, एक मिनट।

श्री नरेश पुगलिया : प्रधान मंत्री जी कहें कि रेल के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं रेकार्ड पर आपकी बात नहीं ले रहा हूं, उसका कुछ उपयोग नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां मंत्री महोदय, कृपया बोलना जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भाषण होने के बाद। भाषण के बीच में मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : पहले हम अपनी बात तो रख लें। उसके बाद आप कहियेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भाषण समाप्त होने दीजिए। इसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिये। ये क्या तरीका है? यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, कई चक्रों में मैंने यह देखा है कि यह चिन्ता प्रकट की गई है और कुछ लोगों ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि नई लाइनों कम बन रही हैं या गेज कनवर्शन और डबलिंग कम हो रही है। एक जगह तो मैंने पढ़ लिया कि एक साल विशेष का उल्लेख करते हुए लिख दिया कि 8000 किलोमीटर एक साल बनाया गया और इस साल बहुत कम बनाया गया। इस तरह के फिगर्स आते हैं इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ आंकड़ों को हम अपनी नजर के सामने रखें। नई लाइन, गेज कनवर्शन और डबलिंग सबको ले लें तो जब से प्लान शुरू हुआ है, तब से अगर देखें तो फर्स्ट प्लान में नई लाइन 1300 किलोमीटर बनी थी। गेज कनवर्शन 56 किलोमीटर हुआ था और डबलिंग 370 किलोमीटर हुई थी। कुल 1726 किलोमीटर हुआ था। इस प्रकार से डिफरेन्ट प्लान पीरियड्ज को हम देखते जाएं तो हम पाएंगे कि जैसे नौवीं योजना में आ जाएं तो नई लाइन का 662, गेज कनवर्शन 2103, डबलिंग 990 कुल 3755 है। अगर फर्स्ट प्लान से नाइन्थ प्लान तक टोटल कर लें तो नई लाइन 10998.33 किलोमीटर बनी है, गेज कनवर्शन 12048 किलोमीटर का हुआ है और डबलिंग 12401.34 किलोमीटर का हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 35447.64 है, यानी फर्स्ट प्लान से नाइन्थ प्लान तक यह एक अचीवमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साल में 8000 किलोमीटर नई रेल लाइन नहीं बनी है। इस बीच में कई चीजें आ गई हैं। अब जब 10वां प्लान शुरू हुआ है तो उसमें 2002-2003 में जिसकी सम्भावना है वह 1317 किलोमीटर नई लाइन बनाने की है जिसमें गॉज कनवर्शन है, डबलिंग है, यह सब मिलाकर ब्रॉडगेज में एड होगा इस प्रकार से 2003-2004 का टारगैट हमने 225 किलोमीटर नई लाइनों का, गॉज कनवर्शन 775 किलोमीटर का, डबलिंग 340 किलोमीटर का, इस प्रकार से 1340 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। यानी 2002-2003 और 2003-2004 को मिलाकर हो लगभग 2,657 किलोमीटर ब्रॉडगेज का हम निर्माण कर पाएंगे।

इस मामले में भी प्रगति हो रही है। अब एक बात हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अंग्रेज 52-53 हजार किलोमीटर रेल लाइन बना गए और हम आजादी के बाद केवल 10 हजार किलोमीटर रेल लाइन ही बना पाए हैं। इस प्रकार से हम नाहक की अपनी आलोचना करते हैं। अंग्रेजों ने जो रेल लाइन डाली हैं, वे रेल लाइनें अब नहीं हैं। उसके बाद अब तक बहुत अपग्रेडेशन हो गया है। इतना टैक्नौलौजी इनपुट आया है। कल वाली रेल की पटरियां अब नहीं हैं। जब जगह हाई डेंसिटी नेटवर्क काम कर रहा है। अब हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ रूट्स पर मालगाड़ियां चला रहे हैं। जब रेल विकास योजना लागू हो जाएगी और जब हाई डेंसिटी नैटवर्क चालू हो जाएगा तो पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी का स्पीड डिफरेंशियल खत्म कर देंगे। इतना एडवांसमेंट हुआ है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम लोगों की आदत है कि हम अपनी आलोचना ज्यादा करते हैं। हम अपनी चीज को कम आंकते हैं और शर्म महसूस करते हैं। अंग्रेजों में जिस ढंग से रेल लाइन डाली थीं, वह आप सबको मालूम है। उस समय लेबर सस्ती थी, हर चीज सस्ती थी और टैक्नौलौजी इतनी उन्नत नहीं थी। इस प्रकार से उस समय की तुलना आज से नहीं की जा सकती है।

महोदय, हम जो भी काम करेंगे वह सोच समझ कर करेंगे। पब्लिक इनवैस्टमेंट है, उसको करने का एक तरीका होता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हम जो प्रगति कर रहे हैं और आगे जो हमारा प्रगति करने का लक्ष्य है, उसमें आप सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लाइनें बन सकें। रेलवे लाइनों को बनाने में सारे देश की जनता की दिलचस्पी है। जहां सड़क बनती है, वहां जनता दिलचस्पी लेती है। रेल और सड़क निर्माण से देश की जनता की प्रगति होती है। इसलिए आम नागरिक इसमें रुचि लेता है। मैं जहां कहीं भी गया, मैंने सब जगह देखा कि रेल लाइन निर्माण में सब लोग रुचि लेते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा रेल लाइनें बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी जितना धन है, उससे जितनी अब बन सकती हैं, वे बना रहे हैं। जब और धन मिलेगा, तो हम रेल लाइनों का और ज्यादा विकास कर सकते हैं।

महोदय, कुछ बातें यहां कही गईं। मैं देख रहा हूं कि एक बात बहुत समय से चलाई जा रही है कि हमने तीन शताब्दियां बन्द कर दीं। यह बात इस प्रकार से कही जा रही है जैसे हमने ये शताब्दियां अभी बन्द की हों और उन्हें इस रेल बजट से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय ने फैसला कर लिया है। मुझे कभी-कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हम लोग किस प्रकार से ऐसी बातें कह देते हैं और किस प्रकार से उसे इस बजट से लिंक कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के सात-आठ माननीय सदस्य मुझ से आकर मिले और उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता दिल्ली-भटिंडा शताब्दी एक्सप्रैस का चलाया जाना है। हमने दिल्ली से भटिंडा के लिए शताब्दी एक्सप्रैस चला दी। इसका इतना व्यापक कार्यक्रम हुआ कि उस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्य मंत्री भी उपस्थित हुए, लेकिन अब हम क्या करें, वह ट्रेन ठीक नहीं चल पाई। शताब्दी की आकुपेंसी ठीक नहीं रही। हमने उसे रिव्यू किया और उसकी जगह हमने एक इंटरसिटी एक्सप्रैस चला दी, इसमें क्या बुराई है? यह भी एकदम नहीं किया गया। शताब्दी 16 अगस्त, 2002 को चलाई और 10.03.2003 को उसे विथड्रा किया गया। पूरे छः महीने तक ट्रेन चलाई गई। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, जब शताब्दी चलाई गई, तब उसमें मात्र 30 पैसेंजर जाते थे, तो क्या यह सही नहीं है कि उसे चलाने से पहले तहकीकात की जाती कि उसके लिए इतने पैसेंजर उस रुट पर उपलब्ध हैं या नहीं?

श्री नीतीश कुमार : यह बात ठीक है। आपको मांग करने से पहले सोचना चाहिए था। दोनों बातें नहीं करनी चाहिए। जब मैंने कहा कि आप फैसला कर लीजिए, जो भी आप मांगेंगे पहले मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि वह काम फिजीबल है या नहीं या जो आप कहेंगे, वह मैं कर दूंगा। इस प्रकार आप दोनों में से एक बात कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें और मैं उसे शुरू कर दूं और यदि वह फिजीबल न हो, तो आप मुझे बुरा कहें और यदि तहकीकात कराऊं और यदि वह फेल हो जाए, तो आप मुझे कोसें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक बात करिए। फिर प्रयोग करने में क्या हर्ज है। छः महीने तक प्रयोग किया गया और उसके बाद रिव्यू किया गया। उसकी जगह पर अब इंटरसिटी एक्सप्रैस चल रही है और उसकी आकुपेंसी अच्छी है।

महोदय, इसी तरह से नई दिल्ली से बरेली के बीच में एक शताब्दी चलाई गई। उसकी आकुपेंसी भी कम थी। सदस्यों की सहमति से उसको जगह भी इंटरसिटी चला दी गई है। उसकी आकुपेंसी बड़ी अच्छी है। टाटानगर और हावड़ा के बीच में एक शताब्दी चलती थी, मुझे बताया गया है कि वह 1995 से चल रही है। उसकी भी आकुपेंसी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे जन शताब्दी से रिप्लेस कर दिया। हमने जनशताब्दी टाटा और रांची के बीच में चलाई थी, उसका रोड से लम्बा रेल रूट था, वहां कोई नहीं जाता था। लोगों की सहमति से हमने जनशताब्दी को हावड़ा और टाटा के बीच कर दिया और शताब्दी को विदड्रा कर दिया। रांची और टाटा के बीच में ई०एम०यू० शुरू कर दी। अब सब खुश हैं, सब की आकुपेंसी बढ़ गई। यह जो रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन आलोचना करते हैं। तीन बंद करनी पड़ीं और बंद करने वाले लोग कहते हैं कि वे क्यों नहीं देखते कि संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, शिवगंगा, श्रमशक्ति कैसी चल रही है। महोदय, जो अच्छी चल रही है, उसे नहीं देखेंगे। उसे दो-चार महीने चला कर विदड्रा कर लिया गया तो उसी के लिए मार पड़ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके सुझावों पर ट्रेन नहीं चलाएंगे। मैं सबसे अधिक आप लोगों का ध्यान रखूंगा। माननीय सदस्य जो बोलते हैं वह जनभावनाओं का प्रतिबिम्ब होता है, क्योंकि रोज वही क्षेत्रों में जाते है।

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं आपकी बात पर आऊंगा। पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : जब आप मुझे रोज मिलते हैं तो मुस्कराते हैं, यहां पर आप गुस्से में क्यों हैं? *(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : आप केरल को कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं गुस्से में हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहता हूं, जब हमने 2002 और 2003 का बजट रखा था तो उस समय कई ट्रेनों का ऐलान किया था, कुछ का एक्सटेंशन और कुछ की फ्रीक्वेंसी इनक्रीस करने की बात थी। वे सब चल पड़ी हैं, वह गोहाटी और दिल्ली के बीच में है। हमने ऐलान किया था कि 2435-2436, नई दिल्ली, गोहाटी राजधानी एक्सप्रेस दो दिन से चार दिन की जाएगी। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया है। हमारा एक सुझाव है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक काम और करा दीजिए, कम से कम प्लेटफार्म और गाड़ियों की सफाई करा दीजिए। आप टूंडला में रेल के बाथरूम में जाकर देखिए कि वहां क्या स्थिति है। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जो जो बात कहेंगे, उस पर मैं सर्वाधिक गंभीरता से विचार करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी करता हूं।

(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : क्या दूसरे सदस्यों की बात को गंभीरता से नहीं लेंगे? *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ऐसी बात नहीं है। महोदय, 2002 और 2003 में हमने ऐलान किया था, 2434-2436, नई दिल्ली, गोहाटी राजधानी एक्सप्रैस की फ्रीक्वेंसी दो दिन से चार दिन की जाएगा। नार्थ बंगाल और असम के कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि इस रूट से जो राजधानी जाती है, उसकी ज्यादा दूरी होती है — 2013 किलोमीटर है, जब कि दूसरा जो अल्टरनेटिव रूट है उसमें 1959 किलोमीटर है। इसमें चार घंटे ज्यादा लगते हैं। लोगों ने सुझाव दिया कि 2435-2436 राजधानी नई दिल्ली, गोहाटी राजधानी की जगह 2423-2424, नई दिल्ली, गोहाटी राजधानी एक्सप्रैस की फ्रीक्वेंसी तीन दिन से पांच दिन करें तो हमने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया, चूंकि बजट में पहले इस प्रस्ताव का उल्लेख था, इसलिए मैंने समझा कि सदन में ही इसकी सूचना देनी ठीक रहेगी। ऐसा करने से जो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में राजधानी पटना होकर दो दिन चलती है, उसे पटना की

[श्री नीतीश कुमार]

बजाए ग्रेंड कोड से चलाई जाए, यानी सातों दिन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में गया होकर राजधानी चलेगी। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आप मालदा में भी चलाइए, उसमें टाइम कम लगेगा। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप इसके लिए नार्थ, ईस्टर्न के एमपीज से बात कर लीजिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लम्बे रूट से लोगों ने मना किया है और हमने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसमें चार घंटे का ज्यादा समय लगता था। *(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : बजट में आश्वासन दिया है कि राजधानी एक्सप्रैस, दिल्ली, गोहाटी सात दिन चलेगी, लेकिन अभी तक नहीं चली। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। इसकी सदन में कैसे चर्चा हो सकती है, इसके लिए आप मंत्री जी से मिलिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उसी का तो हम उल्लेख कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। हमने जो बजट में बाइवीकली को चार दिन करने का कहा था, उसकी जगह जो सप्ताह में तीन दिन चलती है, उसे पांच दिन करने की ही तो मैं सूचना दे रहा हूं। जो आप लोगों ने मिलकर कहा, उसी की मैं सूचना दे रहा हूं। चूंकि बजट भाषण संसद में प्रस्तुत होता है, इसलिए अगर उसमें कोई संशोधन है तो उसकी सूचना हम सदन में दे रहे हैं और उस हिसाब से अब गोहाटी से नई दिल्ली के बीच में प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रैस हो जायेगी। दो दिन वाया लखनऊ और पांच दिन वाया मेन लाइन हो जायेगी। इसके चलते हावड़ा और नई दिल्ली के बीच में 2305-2306 जो ट्रेन चलती थी, यह जो पटना होकर चलती थी, उसे गया होकर चलाया जायेगा। पटना के लोगों को और इस रूट के लोगों को जो सहूलियत थी, उतना भर कोटा इसके कोचेज को बढ़ाकर गोहाटी वाली राजधानी एक्सप्रैस में ही देकर, ताकि वे डिप्राइव नहीं होंगे और हावड़ा से दिल्ली आने वाले लोग भी डिप्राइव नहीं होंगे। पटना वाले रूट से उनको समय ज्यादा लगता था, पैसा भी ज्यादा लागत था। अब तो पश्चिम बंगाल के लोगों को खुश होना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : आपने बिहार के एम०पीज० को तो पूछा नहीं कि हम हावड़ा वाली ट्रेन को चेंज कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बड़ी असुविधा हो जायेगी। आप क्या कहते हैं।

श्री नीतीश कुमार : राजो बाबू, यह नोर्थ ईस्ट के लिए ट्रेन है। आपको तो पटना से राजधानी पकड़नी है, वह सातों दिन पटना से राजधानी मिलती रहेगी। यह आवश्यक नहीं है कि हावड़ा से दिल्ली आने वाली ट्रेन को लोंगर रूट से जाना पड़े और उनको पहले जो चलती थी, उसे डाइवर्ट किया गया था। अब उनको *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप समाप्त करिये। प्लीज सुनिये।

श्री नीतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, यही बात कहकर माननीय सदस्यों का रेल बजट को जो व्यापक समर्थन मिला है, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है। मैंने वाद-विवाद शुरू किया था। मैंने गोधरा की दुर्घटना, यात्री की सूची और उन्हें दिए गए मुआवजे के संबंध में विशेष प्रश्न पूछे थे। इन सारी बातों का उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मै इस बात को भूल गया था। गोधरा के बारे में आपने सवाल पूछा था। उनके आर०सी०टी० के केसेज हैं, वे दिये जा रहे हैं, कुछ के दिये गये हैं, एक्सग्रेशिया भी पेमेण्ट किया गया था। रेलवे एक्ट के हिसाब से वे कवर्ड हैं, एक्सीडेंट हो या अनटुवर्ड इंसीडेंट हो, वे कवर्ड हैं, इसलिए उनको दिया गया था। एक्सग्रेशिया भी दिया था और कम्पेंसेशन के मामले में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यात्रियों की सूची में यह उल्लेख हो कि कितने लोगों ने यात्रा की, कितने मारे गए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने तीन बातें कही थीं, एक्सग्रेशिया, कम्पेंसेशन और लिस्ट, मैंने दो बातों की चर्चा की। लिस्ट वगैरह की जो बात है, एक समाचार-पत्र ने इस बात के बारे में जानकारी मांगी थी। हमने इसके लिए लगभग 150 रेलवे कर्मचारियों को लगाया था। जो रिजर्वेशन स्लिप होती है, उसके आधार पर वे उनके घर पर गये थे और वहां से तथ्य इकट्ठा करके, जिस समाचार-पत्र ने मांगी थी, उस समाचार-पत्र को सूचना दे दी थी। आपने सदन में मांग की है, उसमें कुछ और मोडीफिकेशन देखकर उसके बाद तथ्य और पता लगेंगे तो उस पर *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अस्वीकार्य है। प्रत्येक रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री एक सप्ताह के भीतर

एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि कितने वैध यात्री यात्रा कर रहे थे और कितने मारे गए अथवा जख्मी हुए और फिर भी मंत्री जी यह कह रहे हैं कि उन्हें सूचना अभी एकत्र करनी है।

श्री नीतीश कुमार : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अस्वीकार्य है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप सुन तो लीजिए। मैंने कहा कि हमने आज से कई माह पहले अखबार को जो सूचना दी थी, उसके बाद 1-2 मिसिंग के बारे में और इन्फोर्मेशन आई है। उसे करैक्ट करते हुए, यानी जो अखबार को सूचना दी, उसे करैक्ट करते हुए *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह कब तक मिलेगी?

श्री नीतीश कुमार : आप कहें तो मनडे को हम उसे रख देंगे और आप कहें तो जब थर्सडे मेरा क्वश्चन डे है, तो अगले थर्सडे को हम यहां रख देंगे। जिस दिन मेरा क्वश्चन डे है, उस दिन मैं रख दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) को मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में खर्चों को अदा करने के लिए या उनके संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए लेखानुदानों की मांगे (रेल)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि (रु.)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	11,35,10,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	39,04,23,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	287,73,33,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	546,91,08,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	300,55,52,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	563,98,08,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	306,62,68,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और अनुरक्षण	482,85,30,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2204,94,40,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	1332,95,74,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	225,69,26,000
12.	विविध संचालन व्यय	274,89,62,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1091,76,41,000
14.	निधियों में विनियोग	1618,33,33,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	3,85,33,000
16.	उपरिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव राजस्व	5,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	3062,76,80,000
	रेलवे निधियां	538,96,67,000
	रेलवे संरक्षा निधि	72,16,66,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	482,22,67,000
	जोड़	13425,62,21,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) को मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या-16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक लेखानुदानों की मांगे (रेल)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की अनुदान की मांग की राशि
1.	परिसंपत्तियों-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	विशेष रेलवे सरंक्षा निधि	146,03,33,000
	जोड़	146,03,33,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, वर्ष 2000-2001 के लिए (रेल) संबंधी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें जो 27.2.2003 को सभा में प्रस्तुत की गई थीं, जो केवल प्रभारित व्यय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 113 (1) के अंतर्गत प्रभारित व्यय को सभा में मतदान हेतु नहीं रखा जाता है। अत: मैं रेलमंत्री को विनियोग (रेल) संख्या-2 विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु आमंत्रित करता हूं और जब आज की कार्य सूची की मद संख्या-24 और 25 पर पहुंच जाएं तो वे इस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव भी करें।

अपराह्न 1.03 बजे

सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित

(एक) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, *2003 –

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-04 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक** पुरस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने एक बार भी वैशाली का जिक्र नहीं किया जबकि कमिटमेंट है। सौ वर्षों की मांग है। *(व्यवधान)* वैशाली राम की भूमि है, महावीर की कर्मभूमि है और जनतंत्र की कर्मभूमि है। वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। *(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को निर्देश दिया जाए और मंत्री जी बताएं कि प्रधान मंत्री जी कब चलकर उसका शिलान्यास करेंगे। वैशाली की जनता पुकार रही है। इतिहास निर्माण का काम करना है। सौ वर्षों की मांग है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी से हम आपके माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि वहां की जनता की आकांक्षा और न्यौता को वह स्वीकार करें और वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने के कार्य के शिलान्यास की तिथि सुनिश्चित करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2 दिनांक 6.3.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.05 बजे

(दो) विनियोग (रेल) विधेयक*, 2003

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय,** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 6.3.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.08 बजे

(तीन) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक*, 2003

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय,** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 6.3.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 'शून्यकाल' नहीं होगा। अब सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत् होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण सदन की अवमानना का सवाल है और प्रधान मंत्री जी भी उसके दायरे में आते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आप सीनियर लीडर है। हम दोपहर के बाद मैटर्स अंडर रूल 377 लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारा दो मिनट के लिए एडजर्नमैंट मोशन सुन लें। कल जब सदन में हमने मामला उठाया तो प्रधान मंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब यहां मौजूद थे। उन्होंने यह कह कर मामले को खत्म करने का काम किया कि यह मामला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी और श्री मुलायम सिंह यादव का है इसलिए स्पीकर साहब पत्र को देख लें। मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी का नहीं है, यह पूरे सदन का मामला है और यदि हम लोगों ने उसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग अपने स्थानों पर बैठने की कृपा करेंगे? एक विशेष मामले के रूप में मैं श्री रामविलास पासवान को अपनी बात कहने का अवसर दे रहा हूं। मैं उन्हें दो मिनट का समय दे रहा हूं।

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि आप सभी जानते हैं, हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव अथवा कोई अन्य काम आरम्भ नहीं कर सकते। तथापि, एक विशेष मामले के रूप में मैं श्री राम विलास पासवान को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरे कहने का मतलब यह है कि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह पार्लियामेंट में पेश बजट में वोटिंग से पास होता है। *(व्यवधान)* यह एक बहुत गंभीर मामला है।*

[अनुवाद]

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : राम विलास जी, आप यह स्कीम कैंसिल करा दीजिये। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने इसलिये नहीं इसका विरोध करने के लिये कहा *(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, वे प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं लेकिन उन की भाषा सदन की गरिमा को गिराने वाली है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन शब्दों को निकाल दिया गया है, फिर हल्ला क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। हमें सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

मैंने कह दिया है कि वे शब्द *[हिन्दी]* मैंने कार्यवाही से निकाल दिये हैं। मि० गेहलोत, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति दी है।...*(व्यवधान)*

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राम विलास पासवान को अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें बजट पर अपनी चर्चा शुरू करनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यही तरीका है?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष जी, इस प्रकरण को गम्भीरता से लेना चाहिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल, हमारे पास सभा में उठने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष जी, एम०पी० लैड्स स्कीम खत्म करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान को अपनी बात कहने की अनुमति दी है। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, ये किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब सवेरे-सवेरे हो गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी आब्जैक्शनेबल वर्ड्स होंगे, मैं उन्हें निकाल दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, हम उस जनता के जन-प्रतिनिधि हैं। मैं मानकर चलता हूं कि सांसद, विधायक जितना ईमानदार होता है, उतना और कोई नहीं होता लेकिन जिस तरीके से आसपर्शन किया जाता है *(व्यवधान)* जिस तरीके से एम०पी० या एम०एल० को बिकाऊ माल बना दिया गया है– कहा गया कि एम०पी० या एम०एल०ए० 2 लाख से 5 लाख रुपये की ईमानदारीपूर्वक कमीशन लेता है जबकि कमीशन उन्हें अलग से मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा जाता है, वह पार्लियामेंट के वोट से जाता है। संसद में यह भी पास होता है कि यदि उस मामले में कहीं कोई घोटाला होता है या किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है। तो वह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यदि यह कहा जाता है कि उस पैसे का परसेंटेज दो, चाहे व मुख्य मंत्री हो या बिना मुख्य मंत्री हो, मामला यह नहीं है कि मुख्य मंत्री के काल में मांगा गया या जब मुख्य मंत्री नहीं थीं, तब मांगा गया। चाहे कोई इनडिविजुअल मांगे, जब भी कोई व्यक्ति किसी से कमीशन मांगता है एम०पी० के फंड से तो वह भ्रष्टाचार में आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने उस समय, या जब मुख्य मंत्री नहीं थीं, उस समय मायावती की हैसियत से जो मांगा गया एम०पी० के फंड से, कि पांच लाख रुपये दो चूंकि तुम कमाते हो, या दो लाख रुपये दो, यह भ्रष्टाचार का संकेत है और इसलिए उनको मुख्य मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। *(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री ने बड़ी चालाकी से स्पीकर पर इस मामले को फैंककर, पत्र का हवाला देकर, मामले को क्लोज करने का काम किया है। मैं चेयर से मांग करता हूं कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और इसके ऊपर प्रधान मंत्री को या उप

प्रधान मंत्री को सदन में आकर सफाई देनी चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास फंड का पैसा है, उस फंड का कमीशन मांग सकता है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में स्पीकर साहब ने हाउस में बताया कि जो भी लैटर उन्होंने लिखा है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्पीकर साहब से डिसकस करके मामला तय करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : इस विषय पर हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है।. . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन, यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह मामला पिछले तीन दिन में अनेक अवसरों पर उठाया गया है।. . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको फ्लोर दूंगा। त्रिपाठी जी, आपको भी सुनूंगा। यह जीरो आवर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, यह समय नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने का है। यह कब तक चलता रहेगा?. . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फ्लोर दिया।. . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही चलानी है। यदि वरिष्ठ नेता बोलना चाहते हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं सभा का संचालन कैसे करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी करने का उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी बोलने का अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, आप मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं?. . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या इनकी बात ही सुनी जाएगी? कई बार यह बात सदन में उठ चुकी है। जब मामला एक बार तय हो चुका है तो फिर यह मामला ये कब तक उठाएंगे?. . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, मैं आपको फ्लोर दूंगा, आपकी सबमिशन के लिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : यह मामला बार-बार उठेगा। तब तक उठेगा जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। तब तक रोज यह मामला उठेगा।. . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : इस मामले में जब तक सी०बी०आई० जांच नहीं होगी, तब तक यह मामला रोज़ उठेगा।. . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको फ्लोर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा। मैं आपको फ्लोर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : इस पर कोई डिसीज़न नहीं हुआ है।. . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : इस पर काई निर्णय नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : इन्होंने जो गलत आरोप लगाए हैं. *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : हमने कोई गलत आरोप नहीं लगाया है। हमने टेप प्रस्तुत किया है। यह टेप पूरे सभा को दिखाया जाए, स्थिति सामने आ जाएगी।. . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उस मैटर में स्पीकर साहब ने डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा है कि वह लैटर देखने के बाद क्या कार्रवाई करनी है, वह बताएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस मामले से समाचार पत्रों में प्रतिदिन विस्फोटक खबर बन रही है जिससे सार्वजनिक जीवन में अधिकतर संसद सदस्यों की मान मर्यादा खतरे में पड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान के प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

यह पार्टी का मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सभा और सदस्यों की मान मर्यादा की रक्षा की जाए, ये आरोप जो इस टेप में लगाए गए हैं, वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी व्यापक एजेंसी के माध्यम से जांच कराएंगे और उसका निष्कर्ष हमें बताएंगे कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। यह किसी निजी लड़ाई का मुद्दा नहीं है। महोदय, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सदस्य के बारे में आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि तथाकथित "कथित टेप" कुमारी मायावती की पार्टी के संसद सदस्यों तक ही सीमित है। इसमें किसी अन्य पार्टी के संसद सदस्यों को सम्बोधित नहीं किया गया है। इसलिए अपने मान मर्यादा की रक्षा करना, और कुमारी मायावती को वास्तविकता पर प्रश्न करना अथवा सच्चाई का पता लगाना बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यों का कर्तव्य है क्योंकि अन्य संसद सदस्यों तक सीमित न होकर बहुजन समाज पार्टी के संसद सदस्यों तक सीमित है।

अत: मैं समझता हूं कि जो श्री राम विलास पासवान ने कहा है ठीक है। सभी संसद सदस्य टेप के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कर संसद की सहायता करना गृह मंत्री का कर्तव्य है और इसको रिपोर्ट संसद को दें। *(व्यवधान)* यह मेरा मत है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए। कोई डर नहीं है, कुछ नहीं। यह तो और भी पारदर्शी होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : उपाध्यक्ष जी, कल इस विषय को लेकर हाउस में चर्चा हुई थी और उप प्रधान मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मायावती जी का लैटर आया है जिसमें पूरे डिटेल्स आए हैं, लेकिन उसे सदन में प्रस्तुत किया जाए या नहीं, यह अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब मैंने आपसे पहले ही सदन को बता दिया है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : उपाध्यक्ष महोदय, जब स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी है, तो इस विषय पर बहस कैसे हो सकती है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर सी०बी०आई० से जांच करा के सदन में रिपोर्ट पेश करें। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप जैसे और अन्य सांसदों पर कालिमा पोतने की कोशिश की जा रही है।

[अनुवाद]

इस टेप में प्रत्येक संसद सदस्य सम्मिलित नहीं है किन्तु कुछ संसद सदस्य इसमें हैं। हो सकता है कि देश के विभिन्न भागों से कुछ शिकायतें आ रही हैं। यह धनराशि भारत सरकार से आ रही है और जब धनराशि भारत सरकार की ओर से आज रही है तो कुछ निगरानी प्रणाली, कुछ सतर्कता प्रणाली होनी चाहिए। यदि कोई आरोप आता है तो सरकार को इस मामले की जांच करने का पूरा अधिकार है।

महोदय, हम यह क्यों कह रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि सभी संसद सदस्य भ्रष्ट हैं अथवा अग्र नहीं कह सकते कि सभी विधायक भ्रष्ट हैं। *(व्यवधान)* महोदय, इसीलिए हम महसूस करते हैं कि मेरे राज्य से भी एक संसद सदस्य ने शिकायत की है और उनका जीवन खतरे में है वह सी०पी०आई० (एम) के संसद सदस्य हैं। मैं पार्टी के नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूं। हर जगह कुछ भ्रष्ट लोग हैं किन्तु सब समान नहीं हैं। संसद सदस्यों के हित, उनके सामान की रक्षा करने के उद्देश्य से इसे किसी विशेष व्यक्ति, पार्टी द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए – मैं अनुरोध करूंगी कि सरकार को इस मामले पर इस सभा में गम्भीर चर्चा करनी चाहिए और संसद इस का निर्णय करे। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में यदि सरकारी तंत्र में कोई सतर्कता अथवा निगरानी प्रणाली है तो यह सी०बी०आई० है। मैं समझती हूं कि यह धनराशि राज्य सरकार की नहीं है, यह केन्द्र सरकार की धनराशि है और सरकार सी०बी०आई० के माध्यम से जांच कर सकती है और यह मामला यहां बंद किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप मान सकते हैं? इसे मानिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वापस आप की ओर आऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ममता बहन ने जो सवाल उठाया है वह बिलकुल सही है। हम उनसे सहमत हैं। कमीशनखोरी जारी नहीं रह सकती है। कमीशनखोरी बन्द होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। तीन दिन से यहां बात उठाई जा रही है। इसको लेकर तीन दिन से क्वैश्चन-ऑवर में व्यवधान पैदा हो रहा है। बार-बार स्पीकर साहब ने कहा कि आप इस मामले को शून्य-काल में उठा सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन के तौर पर उठा सकते हैं, लेकिन दो माननीय सदस्य बराबर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल इस पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री जी से कहा गया कि वे यहां आकर बयान दें। उन्होंने कहा कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो पत्र मुझे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी से आया है, उसे मैंने पढ़ा है। उसे संसद के सामने रखा जाए या न रखा जाए यह ऊहापोह है। मेरा विचार है कि संसद के सामने नहीं रखा जाए।

इसके साथ ही प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सभापटल पर रखा जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सभापटल पर नहीं रखा जाता है। यह बात स्पीकर साहब ने स्वीकार की और पूरे सदन ने उसे स्वीकार किया। केवल दो आदमियों ने स्वीकार नहीं किया और वह बात आज सुबह और दोपहर में चली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रावधान, आदेश स्पीकर साहब के हैं और जिस पर पूरा सदन सहमत था, उसी चीज को लेकर एक नया माननीय सदस्य आकर उठाए, यह कहां तक उचित है।
(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर त्रिपाठी जी का यह आरोप है, आप इस भ्रष्टाचार के आरोप को लिखिए, मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं सदन से इस्तीफा देकर जा रहा हूं। *(व्यवधान)** मैं सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। *(व्यवधान)** मेरे जैसे व्यक्ति को इस सदन में कोई विश्वास नहीं है। *(व्यवधान)* आप इस सदन के माननीय सदस्य बने रहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मेरा अनुरोध होगा कि अखिलेश जी ऐसी कोई बात न करें, लेकिन अगर करते हैं और उससे यह मामला खत्म हो जाता है तब भी ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : हम लोग इसके लिए लड़ेंगे।

अपराह्न 2.22 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, इन्हें संभालो, यह क्या तरीका है।

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.23 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : कैमरा ऑफ कर दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन से शांत रहने के लिए अनुरोध करूंगा। अखिलेश जी ने जो किया है, वह बिलकुल ठीक नहीं है। आपको जो कुछ कहना है वह स्पीकर साहब के पास जाकर बता सकते हैं। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, यह बिलकुल गलत तरीका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए एडजर्न करता हूं।

अपराह्न 2.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अपराह्न 2.47 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.47 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बनासकांठा में टेलीफोन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता न बढ़ाने से प्रतीक्षा सूची बहुत ज्यादा है और कई क्षेत्रों में नौ साल से आवेदन किये जाने के बाद अभी तक टेलीफोन नहीं लगे हैं एवं गत तीन सालों में कोई भी नया टेलीफोन एकसचैंज नहीं लगा है और जो टेलीफोन लगा है, वह खराब होने पर कई महीनों तक खराब ही रहता है। इस सम्बन्ध में मैं यहां के टेलीफोन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। अगर कोई कमी मिलती है तो सरकार से अनुरोध है कि कमियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज आवश्कतानुसार बनाने एवं खराब टेलीफोन को समय पर ठीक किये जाने की व्यवस्था की जाये।

(दो) छत्तीसगढ़ में मुंगेली-जबलपुर होते हुए बिलासपुर और मांडला के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1911 से सर्वे की जा रही नई रेल लाइन बिछाने के लिए बिलासपुर वाया मुंगेली मंडला जबलपुर रेल लाइन को नैनपुर छिंदवाड़ा जबलपुर गेज कन्वर्शन में जोड़ा जाकर रेल लाइन की स्वीकृति दी जाये। उक्त रेल लाइन लगभग 200 किलोमीटर दूर है। किन्तु बिलासपुर मंडला रेल लाइन को नैनपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर तक गेज कन्वर्शन में जोड़े जाने से 50 किलोमीटर लाइन की बचत होगी। उक्त क्षेत्र में लोहा, बाक्साइट, कोयला आदि खनिज हैं, जिससे रेलवे को ढुलाई में आमदनी होगी। नये छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली रेल लाइन होगी, जिससे 20 हजार लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी, आम आदमी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तथा उनको आने-जाने की सुविधा मिलेगी।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिलासपुर मंडला जबलपुर रेल लाइन को नैनपुर छिंदवाड़ा जबलपुर गेज कन्वर्शन से जोड़ा जाकर नई रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति दी जाये।

(तीन) बालाघाट और कान्हा के बीच सड़क के समुचित रख-रखाव हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से जुड़ा है, इस जिले के बालाघाट, बैहर से गढ़ी चिल्पी मार्ग पर मैंगनीज एवं तांबे की महत्वपूर्ण खानें हैं, वहीं कान्हा पार्क का कान्हा टाइगर प्रोजैक्ट का मुख्य द्वार बालाघाट जिले में स्थित है। 150 वर्ष पुराना सूपखार का प्राचीनतम रैस्ट हाउस भौतिकता से अप्रभावित प्रकृति के बीच पुरानी जीवन-शैली का नमूना है। वहीं दूसरी ओर यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। पर्यटन के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वहीं आतंकवाद से निपटने के लिए भी अच्छी सड़कें चाहिए। पहाड़ी मार्ग टूट-फूट गये हैं, पुलियों के टूटने से महीनों आवागमन बंद रहता है, वर्षाकाल में क्षेत्रों में तीन-तीन मार्ग बंद रहता है, जिले के मुख्यालय से कान्हा को जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है। ऐसी स्थिति में नागपुर से कान्हा न्यूनतम दूरी पर होने के बाद भी जिले का विकास प्रभावित है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि से इस मार्ग का निर्माण कराने की कृपा करें, इससे जहां पर्यटकों को निकटतम हवाई अड्डे की सुविधा प्राप्त होगी, वहीं आतंकवादियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

(चार) बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 28क और राष्ट्रीय राजमार्ग 28ख को जोड़े जाने की आवश्यकता

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28ए को छपवा से कुशीनगर बरास्ता, बेतिया, लारिया, बगहा, छितौनी रेल सड़क पुल तक बढ़ाने की आवश्यकता की तरफ दिलाना चाहता हूं। वर्तमान समय में यह मार्ग दो राज्यों को जोड़ता है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करके इसको और उपयोगी बनाया जा सकता है। यह मार्ग क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। अगर एन०एच० 28ए से वहां 28बी करके उसको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक जोड़ दिया जाए तो यहां के यातायात के आवागमन में सुविधा होगी और रक्षा के दृष्टिकोण से भी फौजों में आवागमन में भी उपयोगी होगा।

सड़क के उन्नयन के अभाव में इस मार्ग पर कोई सेना की कोई छावनी नहीं है। गोरखपुर से सेना को भेजा जा सकता है परंतु सेना को भेजने के लिए कोई उचित मांग और सीधा मार्ग नहीं है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एन०एच० 28ए को एन०एच० 28बी को जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बरास्ता, लारिया, बगहा, छितोनी के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया जा सके।

[अनुवाद]

425

(पांच) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए धनराशि के आबंटन में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : महोदय, केन्द्र सरकार ने काफी पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर सहमति हुई थी कि लोगों के निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने और लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक जोर होना चाहिए। इन राज्यों ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी एकीकृत कार्य योजना प्रस्तुत की और केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पृथक धनराशि निर्धारित करने पर इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की।

महाराष्ट्र सरकार ने 1,676 करोड़ रुपए की एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की थी और इसे केन्द्र सरका को प्रस्तुत कर दिया था और केन्द्र सरकार से 838 करोड़ रुपए की पचास प्रतिशत सहायता मांगी थी।

अत: मैं केन्द्र सरकार से वामपंथी उग्रवाद से पैदा होने वाली स्थिति को गम्भरिता से लेने और यह देखने का अनुरोध करता हूं कि इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने में योजना आयोग की ओर से कोई विलम्ब न हो।

[हिन्दी]

425-26

(छह) राजस्थान में लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव रेल लाइन पर समपार के निर्माण हेतु धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लूनी-बाड़मेर-मुनाबाऊ रेल लाईन पिछले 6 वर्षों में मीटर गेज से ब्राड गेज में बदली जा रही है। काम की गति बहुत धीमी है लेकिन अब भारत-पाक के बीच संबंध खराब होने के कारण काम में तेजी आई है। यह रेल लाईन अंग्रेजों के काल में बिछाई गई थी तब आबादी बहुत कम थी। इस रेल मार्ग में अनेकों क्रासिंग है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके।

देश के बंटवारे के बाद अधिक संख्या में लोग राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में आ गये। खासकर बाड़मेर जिले में एक समय के साथ-साथ इस भाग में आबादी और यातायात बहुत बढ़ गया। पहले क्रासिंग मनुष्यों द्वारा संचालित और बिना मनुष्य के संचालित की थी जिन्हें लाईन बदलने के कारण कम किया जा रहा है। बदलाव के कारण इस बड़ी लाईन पर पुराने क्रासिंग रखने और नये क्रासिंग बनाने की जरूरत है। इस स्थान का उत्थान करने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेकों प्रार्थना पत्र देने पर भी सरकार की तरफ से रटारटाया जवाब आता है कि रेल क्रासिंग बनाया जा सकता है अगर सारा खर्चा स्थानीय लोग, संसद सदस्य या राज्य सरकार वहन करे, जिसकी वजह से कोई नया क्रासिंग बार-बार प्रार्थना करने पर भी स्वीकृत नहीं हुआ है।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री का हस्तक्षेप निम्न बातों में चाहता हूं :

1. रेल मंत्रालय को सलाह दे कि लूनी-बाड़मेर-मुनाबाऊ रेल मार्ग पर उतने ही रेलवे क्रासिंग बनाये जितनी आवश्यकता हो।

2. रेल क्रासिंग को बनावे और रखरखाव का खर्चा रेल मंत्रालय वहन करे।

3. सारे पुराने लेवल क्रासिंग चाहे वह मनुष्यों की निगरानी में हो या नहीं उनको रहने दिया जाए।

426-27

[अनुवाद]

(सात) पश्चिमी बंगाल के आसनसोल जिले में जमुरिया नगर-निगम और पंचायत तथा पांडेश्वर पंचायत समिति में रसोई गैस के बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : मैं आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमूरिया और पांडेश्वर पंचायत समितियों के क्षेत्र में रसोई गैस के एजेन्टों की नियुक्ति के मामले में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं चूंकि जमूरिया नगरपालिका पांडेश्वर और जमूरिया पंचायत समितियों में रहने वाले रसोई गैस के उपभोक्ताओं को आसनसोल और रानीगंज के एजेन्टों से रसोई गैस खरीदनी पड़ती है। इस बीच रसोई गैस के कुछ एजेन्ट इन क्षेत्रों के बाहर के हैं और क्षेत्र डिवीजन के नाम

[श्री विकास चौधरी]

पर इन क्षेत्रों से बाहर के उपभोक्ताओं से (तीबती) (रानी गंज पंचायत समिति) और बहुल (अन्दल पंचायत समिति) में नव नियुक्त एजेन्टों से रसोई गैस खरीदने के लिए कहा जाता है जो उनके निवास स्थानों से दूर हैं जिसपर उपभोक्ताओं को आपत्ति है।

इसे देखते हुए मेरा अनुरोध है कि जमूरिया नगरपालिका, जमूरिया पंचायत और पांडेश्वर पंचायत समितियों में अलग-अलग रसोई गैस एजेंटों की नियुक्ति इन स्थानों के उपभोक्ताओं के हित में की जाए क्योंकि इन क्षेत्रों में अब तक कोई रसोई गैस एजेन्ट नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुसार रसोई गैस एजेन्टों के ऐसे प्रबंध पर विचार करें।

(आठ) हैदराबाद में मुसी नदी में प्रदूषण रोकने हेतु राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : हैदराबाद में मुसी नदी युग्म शहरों से भारी मात्रा में निकले जल-मल के कारण अत्यधिक प्रदूषित है। शहर के कई क्षेत्रों में जल-मल को संग्रह करने, उसकी निकासी और उसके उपचार की प्रणाली की अपर्याप्ता के कारण सीवरों से पानी बाहर निकल रहा है और विशेष रूप से निचले क्षेत्रों में नालियों का पानी भर जाने से अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सीवर पर अधिक दबाव, प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक अप-शिष्टों और अशोधित घरेलू दैनिक जल-मल के कारण हैं। नदी में तुरन्त आवश्यक सुधारों के उपायों का पता लगाया गया है। इसमें, 260 एम०एल०डी० पूर्ण जल-मल उपचार सुविधा सहित 130 एमएलडी गौण उपचार एकक शामिल हैं। यह विद्यमान मुख्य एकक तथा लगभग 36.5 कि०मी० सीवर लाइन बिछाए जाने, जिस पर 295 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा, के अतिरिक्त है।

अतः, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मुसी नदी में प्रदूषण को रोकने की परियोजना को राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया जाये और मुसी नदी पर प्रदूषण के अधिक दबाव और उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए जल-मल उपचार सुविधा से संबंधित कार्य को करने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

(नौ) महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाईल टेलीफोन सेवाओं को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र के वसमत, हदगांव धरमाबाद, भौखर एवम् किनवट में मोबाइल सेवा आरम्भ नहीं की है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी एवम् हिल्स की तरह है एवम् वन संरक्षण अधिनियम के कारण यहां पर टेलीफोन लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं और कृषि उत्पादों की इन क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी मंडियां हैं, जहां पर दूरसंचार की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए यहां पर डब्ल्यू०एल० एल० दूरसंचार सेवाएं और मोबाइल टेलीफोन सेवा को चालू करना जनहित में है। अगर मोबाइल सेवा शुरू कर दी जाती है तो निश्चित रूप से इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सकेगा और यहां के किसानों को भी अपने कृषि उत्पाद को दूसरे क्षेत्रों को भेजने में सहूलियतें मिलेंगी और भारतीय संचार निगम को भी अच्छा राजस्व मिल सकेगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे हिंगोली संसदीय क्षेत्र में उपरोक्त क्षेत्र में मोबाइल सेवा जनहित में शीघ्र शुरू की जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

(दस) कारगिल विमानपत्तन पर वर्तमान हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री हसन खान (लद्दाख) : दिनांक 14 फरवरी, 2003 को कारगिल के नए हवाई अड्डे से वायु सेवा को आरंभ करने के साथ ही लद्दाख क्षेत्र का यह दूरवर्ती स्थान 40 वर्षों के बाद पुनः भारत के वायु मानचित्र पर आया है। पहाड़ी दर्रों पर बर्फ गिरने के कारण कारगिल छः से भी अधिक महीनों के लिए देश के अन्य भागों से कट जाता है। सामरिक महत्व के इस स्थान पर अब यह वायु सेवा सरकार का स्मरणीय कार्य है। यह इस क्षेत्र के लोगों और मौसम की वहां के सबसे अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाले वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए है। इस क्षेत्र के लोग रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हवाई अड्डे के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च करके इस वायु सेवा को आरंभ किया।

यह हवाई अड्डा, हल्के और मध्यम दर्जे के वायुयानों के लिए चालू हो गया है और बोईंग 737 जैसे भारी विमानों के लिए इसे चालू किए जाने हेतु हवाई पट्टी की 6,400 फीट लम्बाई का और 3000 फीट तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। विस्तार के लिए स्थान भी उपलब्ध है। विमानन विशेषज्ञों ने इस स्थान का दौरा करके हमें यह सुझाव दिया है। हमें पूरी आशा है कि नागरिक उड्डयन

और रक्षा मंत्रालय इस हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरू करेंगे और इसके विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करायेंगे, ताकि इंडियन एयर लाइन्स शीघ्र ही अपनी नियमित विमान सेवाएं वहां से आरम्भ कर सके।

[हिन्दी]

(ग्यारह) हिमाचल प्रदेश में शिमला और ज्यूरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के समुचित रखरखाव हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य (शिमला) : उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग हिंदुस्तान-तिब्बत रोड राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 22 है। इस राष्ट्रीय मार्ग का कालका से लेकर ज्यूरी तक का भाग शिमला संसदीय चुनाव-क्षेत्र में पड़ता है। यह राष्ट्रीय मार्ग सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि देश का तिब्बत-चीन की सीमा के साथ एक मात्र सम्पर्क का साधन है। इसके रख-रखाव को प्राथमिकता न दिए जाने से स्थानीय जनता की असुविधा के साथ-साथ रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। शिमला से ज्यूरी तक के मार्ग की हालत बहुत खराब है जिसमें वाहनों के आने-जाने में कठिनाई हो रही है।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग के रख-रखाव हेतु इसी बजट में विशेष प्रावधान किया जाए ताकि वाहनों की आवा-जाही व स्थानीय जनता की सुविधा में सुधार हो सके।

(बारह) हिपेटाइटिस-बी के टीके के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में हैपेटाइटिस-बी बीमारी के प्रकरण दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं जो सारे देश के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण पानी एवं खान-पान का प्रदूषित होना है।

देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 5000 व्यक्ति प्रति वर्ष इस बीमारी के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। इसे रोकने हेतु सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके द्वारा तैयार महंगी वैक्सीन अपने देश में प्रयोग करने हेतु दबाव डाल रही हैं। यह इस देश के पर्यावरण एवं जलवायु के अनुकूल नहीं है। प्रारम्भ में तो विदेशों से मुफ्त में यह वैक्सीन प्राप्त होगी, लेकिन जब देश उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा तो वे अत्यन्त महंगी एवं मनमानी कीमत पर उसे हमारे देश को बेचेंगे और विवश होकर हमें वह खरीदनी पड़ेगी।

मेरा आग्रह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस अप्रत्यक्ष दबाव में न आकर हमें अपने देश में ही इस हेतु चल रहे अनुसंधान को बढ़ावा देकर अपनी जलवायु और वातावरण के अनुकूल सस्ती हैपेटाइटिस-बी वैक्सीन तैयार करने हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने आज सुबह स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसका क्या हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : आप बता दें। अगर आज नहीं लिया जा सका तो कल ले लीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कल का तो कल ही होगा। अभी कैसे बता दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल के एडजार्नमेंट मोशन के लिए, कल ही होगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या आज नहीं लिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आज का डिसीजन हो चुका है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : डिसीजन क्या हुआ, मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : रिजैक्टेड।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अभी लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं लेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : आज का डिसाइड हो चुका है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमने नोटिस दिया है, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जितने नोटिस आते हैं, सबका एक साथ डिसीजन नहीं होता है। अभी यह नोटिस रिजैक्शन में है।

अपराह्न 3.06 बजे

514 सामान्य बजट, 2003-2004 — सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 26, वर्ष 2003-2004 के सामान्य बजट पर चर्चा आरंभ करेगी। इसके लिए आबंटित समय दस घंटे है। प्रथम वक्ता श्री शिवराज वि० पाटील है।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बचाने के लिए, अपनी बात संक्षिप्त रूप में कहने के लिए और यथा संभव मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए, मैं आपसे अपने भाषण को पढ़ने की अनुमति मांगता हूं। मैं आशा करता हूं कि मुझे वह अनुमति मिल गयी है।

बजट, सरकार के आय और व्यय का लेखाजोखा मात्र ही नहीं होता। यह आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों और विकास का भी एक अंग होता है। यदि यह समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखने में विफल रहता है तो यह उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी इससे आशा की जाती है। इसे जरूरतमंदों और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे वितरण संबंधी न्याय करने में सहायता मिलनी चाहिए। इससे भविष्य की चुनौतियों और आकस्मिकताओं का सामना करने में सहायता मिलनी चाहिए। क्या यह बजट इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा?

इसमें गरीबी को कम करने की बात कही गयी है। इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करती रही है। यह इसे कम करने में सफल रही है। यदि इसे कम करने के लिए कुछ और किया जाता है तो उसका स्वागत किया जायेगा।

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में जो प्रस्ताव किए गए हैं, वह पर्याप्त और संतोषजनक नहीं हैं। यह पूरे बाग को छोड़कर कुछ पेड़ों को गिन लेने जैसा है। ऐसे कुछ कार्यों को करके, लोगों को वह राहत नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि हमें रोजागार के अवसर बढ़ाने होंगे। लोगों की सहायता करने के लिए, लाभों को कम करने का सिद्धांत उपयोगी नहीं हो सकता। इसे अमेरिका में स्वीकार नहीं किया गया। यह भारत में भी उपयोगी नहीं हो सकता।

सरकार ने प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। लेकिन वह आश्वासन इसने पूरा नहीं किया है। इसके पास जरूरतमंदों को काम देने की कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं। यह बहुत ही निराशाजनक बात है। 'अंत्योदय योजना' समाज में जरूरतमंद लोगों को अधिक सहायता पहुंचायेगी। सरकार के पास जो खाद्यान्न भंडार हैं उनका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी ने सरकार से इन खाद्यान्न भंडारों का इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए कहा था और सरकार ने भी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन सरकार को इस स्तर पर ही क्यों रूक जाना चाहिए? वह इसे अधिक लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकती? खाद्यान्न भंडार विशाल है। इसका उपयोग, अधिक से अधिक परिवारों की सहायता करने के लिए किया जाना चाहिए।

यदि डा० स्वामीनाथन के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता जिसमें कि प्रत्येक जिले में एक 'खाद्यान्न बैंक' खोलने की बात कही गयी थी तो गरीब और उनके बच्चे भूखे न मरते और वे बेरोजगार न रहते। इस संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाना सरकार के लिए अच्छा रहता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया।

सरकार खाद्यान्नों की सहायता से पेड़ लगाने और वन-रोपण में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की योजनाएं बना सकती थी। ये योजनाएँ सबसे कम विकसित जनजातीय क्षेत्रों और बहुत अधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होतीं।

सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग तथा भागीदारी के माध्यम से अच्छी शिक्षा और अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है। यह काम इन दिनों भी हो रहा है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसकी सहायता की जानी चाहिए। लेकिन क्या सरकार यह भूल सकती है कि ऐसे संस्थान और अस्पताल गरीब लोगों के लिए नहीं होते? वे मध्य वर्ग के परिवारों के लिए भी नहीं होते। केवल धनी और संपन्न लोग ही इनका खर्चा उठा सकते हैं। क्या सरकार को इन अस्पतालों को कम खर्चीला बनाकर देश के गरीब लोगों और मध्य वर्ग के नागरिकों की सहायता नहीं करनी चाहिए? इस बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है? बजट में गरीबी कम करने के सभी प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि जो भी प्रस्ताव किया गया है वह बहुत अपर्याप्त है और लेशमात्र भी पर्याप्त नहीं है। किसी को इससे यही लगेगा कि यह बजट की सच्चाई की कड़वी गोली पर चीनी का लेप लगाने जैसी बात है।

कृषि क्षेत्र के विकास के संबंध में दिए गए वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं को भली-भांति समझ पायी है। कृषि क्षेत्र में विकास 5.7 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया है। देश के कई राज्य और क्षेत्र अभूतपूर्व सूखे से पीड़ित हैं। इस तथ्य से सरकार को इस जीवंत और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की सहायता करने के लिए प्रेरित होनी चाहिए थी जिस पर 70

प्रतिशत लोग निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र पर न केवल किसान बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर भी निर्भर रहते हैं। लेकिन सरकार इनकी समस्याओं को समझ नहीं पायी है और उचित समाधान प्रस्तुत नहीं कर पायी है।

कृषि उन सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है जो उसे उपलब्ध करायी जाती हैं। बजट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और इस उद्देश्य के लिए योजनाएं, परियोजनाएं और धन उपलब्ध कराना चाहिए था। यह ड्रिप सिंचाई की बात करती है। यह अच्छी बात है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। निःसन्देह ड्रिप सिंचाई की सहायता की जानी चाहिए और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन इससे कृषि की प्यास को बुझाया नहीं जा सकता। नहरों को जोड़ने और उनके पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़े और छोटे बांधों का निर्माण करना आवश्यक है। नदियों को जोड़ने की योजना भी अच्छी है किन्तु इसको पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति को इसे यथा संभव अल्प समय में पूरा करने में मदद करनी चाहिए। नदियों को जोड़े जाने की अवधारणा चल पड़ी है और इस पर कार्य किया जायेगा। केवल इससे और बांधों और नहरों का निर्माण न करके दो या इससे भी अधिक दशकों से कृषि को सिंचाई सुविधाओं से वंचित रखना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। नदियों पर बांध और नहर का निर्माण इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि वे नदियों को जोड़ने से संबंधित योजनाओं का एक अंग बन सकें।

कृषि क्षेत्र को मिलने वाली ऋण सुविधाएं बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं। यदि ऐसे कार्य के लिए ₹5000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है जिस पर 75 प्रतिशत लोग निर्भर हैं तो यह उचित और बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। सरकार ने सभी बैंको को इस बाबत कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का 18 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बैंकों ने अभी तक ऐसा कोई ऋण कृषि को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त, सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है। कृषि का संबंध पौधों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन से है। इसकी उपज पर, जीवों, पशुओं और मानवों का जीवन निर्भर है। कृषि से जो भी प्राप्त होता है लोगों को उसकी लगातार और स्थायी मांग रहती है। भारत के पास वह जलवायु, भूमि और जल है जो कृषि के लिए अनुकूल है। इसलिए, क्या हमें यह सुनिश्चित करने हेतु कि कृषि में सम्पन्नता हेतु, और ध्यान नहीं देना चाहिए और बेहतर ऋण तथा अन्य सुविधाएं नहीं देनी चाहिए।

भूमि की उर्वरता की रक्षा तथा संरक्षण किया जाना चाहिए। पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और किफायती ढंग से उपयोग में लाया जाना चाहिए।

जलवायु दशाओं की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में पहल करनी होगी। किसान धनी नहीं हैं। उनके पास सीमिति भूमि और संसाधन हैं। यदि सरकार इस संबंध में पहल नहीं करती है तो इसे हानि आवश्यक होगी। सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कृषि हेतु घोषित नीतियां दिखाई नहीं देती और इससे उनको चिंता होती है जो यह जानते हैं कि कृषि को उत्पादक और लाभदायक स्थिति में रखना कितना महत्वपूर्ण है।

कृषि से उत्पाद की सीमित धारणशील क्षमता होती है। यदि इसे तैयार और प्रसंस्कृत वस्तुओं में नहीं बदला जाता तो यह नष्ट हो जाता है। कृषि-आधारित उद्योग से कृषि को मदद मिल सकती है। परन्तु ये उद्योग बहुत खराब हालत में हैं और इनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और ये बंद हो रहे हैं। वस्त्र, जूट, तेल तथा चीनी उद्योग को नुकसान हो रहा है। सरकार ने बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए है। निजी क्षेत्र प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में रूचि नहीं ले रहा है। इसका परिणाम यह है कि कृषि को नुकसान होता है, किसानों को हानि होती है और कृषि श्रमिकों को नुकसान होता है और उपभोक्ताओं को भी हानि होती है।

गत चार अथवा पांच वर्षों में ही सरकार की मदद के बिना किसानों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में बनाई गई नीतियों के कारण उनका उत्पादन हुआ है। वर्तमान सरकार को श्रेय देने के लिए इस सच्चाई की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सरकार को कृषि तथा कृषकों की मदद के लिए नए कदम उठाने चाहिएं।

चीनी उद्योग ठीक कार्य कर रहा था। अब यह बहुत खराब स्थिति में है। इसको वस्त्र और जूट उद्योगों की भांति क्षति नहीं होने देनी चाहिए। क्या किया जा सकता है? चीनी कारखानों को शीरा ही नहीं बल्कि गन्ने के रस का भी प्रयोग करके हथानोल का उत्पादन करना चाहिए। गन्ने के आधे रस का हथानोल का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए खोई तथा गन्ने के अन्य अवशेषों को विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उद्योग सुदृढ़ होगा। यह कम से कम आगामी पचास वर्षों के लिए अर्थक्षम और लाभदायक रहेगा।

कृषि के लिए किए गए प्रस्ताव निराशापूर्वक और अकालपनिक हैं। इससे महसूस होता है कि सरकार कृषि ग्रामीण विकास तथा बेरोजगारी पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। सरकार ने उर्वरकों और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इन कदमों से कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। सरकार को उर्वरकों और डीजल के दामों को कम करना चाहिए। सरकार

[श्री शिवराज वि० पाटील]

किसानों की मदद करने हेतु इन तरीकों और अन्य तरीकों के बारे में सोच सकती है। किसान और कृषि श्रमिक उतने सम्पन्न नहीं हैं जितने सरकारी सेवाओं, व्यापार अथवा उद्योग में लगे व्यक्ति हैं। इसलिए, वे सरकार की मदद के हकदार हैं।

बजट कुछ सीमा तक कुछ उद्योगों को मदद पहुंचाता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो किया गया है उसकी आलोचना करने और उस पर आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। परन्तु जो किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। लघु उद्योग को घाटे की स्थिति में रख दिया है। नए उद्योगों के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया गया है। आधुनिक समय में उद्योग अन्य बातों के साथ-साथ बहुत हद तक नई प्रौद्योगिकी और बाजारों पर निर्भर हैं। नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने और उत्पादन करने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाये गए हैं। इन प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई निधियां पर्याप्त नहीं हैं। इन्हें अभिकल्पों तथा गुणवत्ता नियंत्रण के विकास में उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रौद्योगिकी विकास से मदद नहीं मिल सकती। नई बुनियादी प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए काफी निवेश और निधियों की आवश्यकता होगी। बजट में ऐसी अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा गया है। अंततोगत्वा, इस लापरवाही से औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत केवल आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहता है और अपनी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं करता है तो यह औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में हमेशा अनुयायी ही बना रहेगा और कभी भी अग्रणी नहीं बनेगा। हम यह सुझाव नहीं देना चाहते कि पहिये को उल्टा घुमाया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि अनुभव स्तर के क्षेत्रों में अन्य देश नवीनतम प्रौद्योगिकी से भारत की मदद नहीं करेंगे और इसलिए भारत को नए क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।

भारत को कुछ क्षेत्रों में कुछ लाभ मिले हैं। इलेक्ट्रानिक्स में, अनुवांशिकी में, महासागर में, सौर ऊर्जा इत्यादि में यह लाभ की स्थिति में है जो लाभ अन्य देशों को हासिल नहीं हैं भारत को उनका प्रयोग करके अपनी और अन्य देशों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए और इस मदद के बदले में वह उनसे दूसरी मदद ले सकता है? बाहर की राष्ट्र और अर्थव्यवस्थाएं छोटे और छिछोरे विचारों पर नहीं बनती। ज्ञान के अपरिचित क्षेत्रों में दूरदर्शिता और जोखिम की भावना पर उनका निर्माण हो सकता है। सरकार का प्रस्ताव उद्योगों के लिए कुछ कर रियायतें देन तक सीमित है। यदि आवश्यक हों तो कर रियायतें दें। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इसे नई क्षमताएं स्थापित करने और ...न तथा प्रौद्योगिकियों के नए तरीके ढूंढने हेतु खर्च किया जाना ए। बजट में इस तरह का सकारात्मक रवैया दिखाई नहीं देता और इससे देश में उद्योग और सेवाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : क्या यह विपक्ष की ओर से वैकल्पिक बजट है?

श्रीमती मार्ग्रेट आलवा (कनारा) : इसे सुनिए, आपके इससे कुछ सीख मिल सकती हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : हां, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। हम आलोचना ही नहीं कर रहे हैं; हम सुझाव भी दे रहे हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं सीख रहा हूं। संसद में कोई भी इतने सारे पृष्ठ के बाद पृष्ठ नहीं पढ़ता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अनुमेय है। मैं अपना भी कल ला सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बचाने के उद्देश्य से यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इसका मतलब है कि कोई भी इसे लेकर आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यदि इससे सभा का समय बचता है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं; मैं केवल प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : अवसंरचना हेतु बहुत कुछ किया जाना हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग और भागीदारी को नहीं रोकना चाहिए और इसे प्राप्त करके इसका उपयोग करना चाहिए। परन्तु भारत में वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। सरकार के अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। यदि आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की पहल और प्रयासों पर एक उचित सीमा से आगे तक भरोसा किया जाता है तो समय ही नष्ट होगा और देश अनेक मामलों में अन्य देशों से पीछे रह जाएगा। अन्य देशों में निजी क्षेत्र बहुत मजबूत और विविधता-पूर्ण है भारतीय निजी क्षेत्र भी बहुत मजबूत और विविधता-पूर्ण बन सकता है। इस प्रयोजनार्थ कदम उठाये जाने चाहिएं और इसे राष्ट्रीय क्षेत्र से एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए। परन्तु जिन परिस्थितियों में यह है उनमें इस पर अवास्तविक भरोसा बहुत सहायक नहीं होगा। निजी क्षेत्र के माध्यम से संचार के क्षेत्र में प्राप्त परिवहन विद्युत, सड़क निर्माण, अथवा नदी ग्रिड परियोजनाओं में प्राप्त नहीं होंगे। सरकार में प्रगति नई प्रौद्योगिकी और सेल्यूलर फोन के कारण है किसी और चीज के कारण नहीं। इसे समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए।

वर्तमान विधियों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके नई विधियों का प्रयोग करके अधिक विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना नहीं है। अनेक विद्युत क्षेत्रों में संभव भार कारक उतने नहीं है जितने होने चाहिए। नाभिकीय, सौर, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों अथवा अन्य विधियों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन करने हेतु कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। इस तरीके से प्राप्त किए जाने वाले परिणाम क्रांतिकारी हो सकते हैं। सचमुच इसे फलित होने के लिए भारी धनराशि और बहुत समय की आवश्यकता होगी। यदि इसे अब शुरू नहीं किया गया तो उनको इसका उपयोग करने में समर्थ बनने के लिए और अधिक समय और धन लगेगा।

इस समय विद्युत उत्पादन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करने हेतु हमारे पास प्रौद्योगिकियां हैं। प्रौद्योगिकियां अत्याधुनिक होनी चाहिएं और उन्हें लागत प्रभावी तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु विकसित किया जाना चाहिए। पहले की सरकारों और नेताओं ने इन क्षेत्रों में काफी कार्य किए हैं। वर्तमान सरकार को इन क्षमताओं को और विकसित करने हेतु अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। परियोजनाएं जो स्वर्ण चतुर्भुज सड़क नेटवर्क बनाने के लिए है और जो परियोजनाएं नदियों को जोड़ने हेतु बनाई गई हैं वे अच्छी हैं। जिन परियोजनाओं पर वे आधारित हैं उनका सबको पता था और उन्हें प्रयोग करने का पूर्व में भी प्रयास किया गया था।

वे उनके लिए निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए; उनके लिए निधियां जुटाई जानी चाहिएं; और इन परियोजनाओं के लिए सभी तरह का सहयोग दिया जाना चाहिए। हम यह देखना है कि ये कैसे विकसित की जाएं और सरकार उन्हें कैसे हैंडल करती है।

ज्ञान देश के दूरदर्शितापूर्ण और चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह असीमित होता है यह उनके लिए हे जो इसके लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं।

बजट में साक्षरता, शिक्षा, और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तथा कुछ सीमा तक तृतीयक शिक्षा के बारे में कहा गया है। परन्तु इसमें नए ज्ञान तथा विज्ञान की खोज के लिए नीतियों और योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ज्ञान विश्व में सबसे महंगी वस्तु होगी। जिनके पास यह होगा वे ही मानवता का नेतृत्व करेंगे। क्या इसके बारे में बजट में कोई विशिष्ट उल्लेख किया गया है? हमें इसके बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं दिखाई देता। इस पर सामान्य रूप से विचार किया जाता है। इस असामान्य रवैये से जो सामने आएगा वह बहुत कम महत्वपूर्ण होगा तथा प्रेरणाप्रद नहीं होगा। सबसे विकसित देश नवीन ज्ञान की खोज के लिए काफी धन, ऊर्जा, समय और जनशक्ति लगा रहे हैं। भारत के पास बहुत बड़ा मानव संसाधन है जो ज्ञान पैदा करने में बहुत मददगार हो सकता है। यदि हम अपनी अंतर्निष्ठ शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो हम ऐसे परिणाम हासिल कर सकते हैं जो हमारे और विश्व में अन्य लोगों के लिए लाभदायक होंगे। यदि हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो हम अधिक महबूत और प्रतिस्पर्धात्मक होंगे। यदि हम दूसरों का अनुकरण करते हैं तो हम शायद ही कभी उनके बराबर हो सकते हैं।

बजट में सूखे की स्थिति और देश में पीने और अन्य प्रयोजन के लिए पानी की कमी से उत्पन्न समस्याओं के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लोगों के पास खाने को भोजन हो सकता है। किन्तु यदि उनके पास पीने के लिए या खेतों की सिंचाई के लिए या औद्योगिक उद्देश्यों हेतु पानी नहीं है तो वे कष्ट झेलेंगे। समय आ गया है कि व्यापक स्तर पर इन समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए और इनसे निपटने के लिए उपाय ढूंढे जाने चाहिए। समस्याएं ऐसी नहीं है जिनका हल न हो। इनका अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि योजनाएं अपना कर अत्यन्त सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। उनकी उपेक्षा करना बहुत गलत होगा। उनसे निपटना राज्य सरकारों का दायित्व है। किन्तु धन, योजनाओं, तकनीक तथा नए विचारों से उनकी सहायता की जानी चाहिए। यदि भारत सरकार इनसे निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो वह अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहेगी। ऐसा समय आ गया है जब इन समस्याओं को और लम्बा नहीं खींचा जा सकता और इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भारत में उतना वन क्षेत्र नहीं है जितना होना चाहिए। विज्ञान के अनुसार भूमि के 35 प्रतिशत भाग को हराभरा होना चाहिए। वृक्षों से भूमिगत जलाशय भरे रहते हैं। उनसे भूमि उपजाऊ बनती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को वन क्षेत्र के संरक्षण, रक्षा और और विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। राज्य सरकारों और नागरिकों के दिमाग में कुछ भ्रान्तियां हैं जिससे वन क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण में सहायता नहीं मिलती। इन भ्रान्तियों को दूर किया जाना चाहिए और वनों को सम्पत्ति का समृद्ध स्रोत माना जाना चाहिए।

भारत में आबादी बढ़ रही है। कोई भी इसे नियंत्रित करने और यह देश और भूमि के लिए असहनीय न बन जाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में बात नहीं करता। इसे नियंत्रित करने के प्रयासों की आलोचना करने वाले आज सत्तासीन हैं। वे जनसंख्या नियंत्रण के विषय में बोलना नहीं चाहते क्योंकि पहले उन्होंने इसकी आलोचना की थी। जिन्होंने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया था, वे भी इस समस्या के विषय में नहीं बोलते हैं क्योंकि वे सोंचते हैं कि ऐसा करने के लिए उनकी अनुचित आलोचना होगी। इस 'तेरी भी चुप, मेरी भी चुप' से कोई मदद नहीं मिलने वाली। बजट में इन मुद्दों को दिखाया जाना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[श्री शिवराज वि० पाटील]

सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ रही है। यह 5.6 प्रतिशत से गिरकर 4.4 प्रतिशत हो गया है। कृषि क्षेत्र से उत्पादन में गिरावट आयी है और यह 5.7 प्रतिशत से गिर कर 3.1 प्रतिशत हो गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बजट और वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय संसाधनों की स्थिति अत्यन्त बुरी है। लगभग सभी वित्तीय संस्थान औद्योगिक विकास और वृहत् परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा देने की अपनी क्षमताएं खोती जा रहे हैं।

बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। वास्तविक गैर निष्पादनकारी आस्तियां लगभग डेढ़ लाख करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। युवाओं और बेजरोजगारों के लिए किए रोजगार के वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 75 बिलियन डालर हो गया है। किन्तु इस भंडार का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और यह सरकारी कोष और अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बन गया हैं क्योंकि जो उन्हें देश में लेकर आए हैं और उसे बैंकों में और अन्य संस्थानों में जमा किया है, उस पर ब्याज दिया जाना है। यह भी एक कारण है कि ऋणभार और ब्याज भार बढ़ा है। सरकार बाजार से भारी ब्याज पर पैसे उधार लेती रही है।

सरकार की कई परियोजनाएं बढ़ती लागत और निर्धारित से अधिक समय लगने की समस्या का सामना कर रही हैं और सरकारी कोष पर बोझ बढ़ रहा है और वह लाभ मिलने में विलंब हो रहा है जो उनसे प्राप्त होता। राजस्व और कर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। मंत्रालयों को दी गयी धनराशि का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बचत के किसी नए तरीके का पता नहीं लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने को ही बचत का व्यवहार्य तरीका माना जा रहा है। सरकार उचित योजना बना सकती थी, योजनाओं को मेहनत से लागू कर सकती थी, प्रशासन और प्रबन्धन के नए तरीके अपना सकती थी, नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकती थी, आर्थिक गतिविधियों के नए क्षेत्र खोज सकती थी, लोगों तथा कामगारों को उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकती थी ताकि वे कुशलतापूर्वक अधिक उत्पादन कर सकें।

शासन योजना और दृष्टिकोण विहीन अक्षम, अकुशल, अनुत्साही और अकल्पनाशील, रहा है। इसने सरकार द्वारा कुछ भी न करने के पुराने सिद्धान्त को अपना लिया है, जिसका उल्लेख अपने भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने किया है। सरकार को सभी मामलों में व्यापार या व्यवसाय में होने की आवश्यकता नहीं है। इसे वितरणात्मक न्याय करने के लिए व्यापार क्षेत्र में शामिल होने की भी जरूरत है। इसे उद्योग में और विशेषत: औद्योगिक गतिविधियों के नए क्षेत्रों में जिसके लिए गैर सरकारी एजेंसियां अनिच्छुक या असमर्थ या तैयार नहीं हैं, में शामिल होना चाहिए। इसे सामाजिक क्षेत्र में सहायता करनी चाहिए, जिसमें गैर सरकारी एजेन्सियां सहायता नहीं देती। यह किसी दीर्घकालीन योजना या किसी भविष्य की योनेजा की बात नहीं करता। केन्द्र सरकार को संदर्शी योजनाओं और कल्पनाशीलता रखने की आवश्यकता हैं और देश के भविष्य के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्व और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। यह बढ़कर लगभग 150,000 करोड़ हो गया है। वर्तमान बजट यह स्पष्ट व्याख्या नहीं करता कि यह कैसे इसे कम करेगा। इसे कम करने के कुछ प्रस्तावों का इसमें उल्लेख है। किन्तु जैसी स्थिति है और जैसे सरकार चलायी जा रही है, यह नहीं माना जा सकता कि यह कम किया जा सकता है। देखते हैं कि इस संबंध में जब अगला बजट प्रस्तुत किया जाता है, तब क्या होता है। जिन बजटों को आदर्श बजट माना गया या जिन बजटों को दस में से दस अंक दिए गए वे भी घाटा कम नहीं करा सके, उत्पादन नहीं बढ़ा सके, देश को प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं बना सके और लोगों को खुशहाल नहीं बना सके।

इस वर्ष सरकार ने 'विज़न' की बात की है, विज़न 20201 यह अच्छी बात है। यह बताया जाना चाहिए कि यह 'विज़न किसका प्रतिनिधित्व करता है; यह कितना व्यापक है और इसमें कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्या यह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक ही सीमित है या यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रीय और भविष्योन्मुखी मामलों तक फैला होगा। यदि यह सीमित है तो इससे मदद नहीं मिलेगी। यदि यह व्यापक और समग्र है तो इससे मदद मिलेगी। यह बताया जाना चाहिए कि इसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। क्या इससे कमजोर, गरीब और मध्यमवर्गीय पुरुषों और महिलाओं को सहायता मिलेगी? या इससे कवेल उन्हें मदद मिलेगी जिन्हें मदद की बहुत कम आवश्यकता है? क्या इससे देश को मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक और अन्य देशों के लिए सहयोगात्मक होने में मदद मिलेगी? अस्पष्ट विचार सहायक नहीं होंगे । निराकार दृष्टिकोण से ठोस परिणाम नहीं मिल सकता। समग्र दृष्टि का अभाव लोगों की खुशी और संपन्नता की दिशा में धीमी प्रगति का मूल है।

दूरदर्शिता और वैचारिक नियमों के बिना किसी कोई भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और यह शाक्तिशाली नहीं बन सकता। भारतीय स्वंतत्रता के पश्चात् के आरम्भिक दशकों में शासकों के पास कल्पनाशक्ति और दीर्घकालीन संदर्शिता थी। अत: वे संस्थानों का निर्माण करने और आर्थिक विकास तथा सामाजिक सौहार्द की आधारशिला रखने में सक्षम थे, देश तथा जनतांत्रिक संस्थानों की एकता बना सकते थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण के स्थान पर अवसरवादी तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार आर्थिक सुधारों की बात करती है। किन्तु यह सुधार विनिवेश और सरकार का आकार कम करने तक ही सीमित है। यदि

आवश्यक हो तो ये कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि ऐसा करते समय, यह देखा जाना चाहिए कि मनुष्य को मशीन न माना जाए जिसे अन्त:करण पर किसी प्रकार के बोझ के बिना हटाया जा सकता है। सुधारों का मानवीय स्वरूप होना चाहिए जिससे देश और लोगों को सहायता मिले।

राजनीतिक संस्थानों में भी सुधार होना चाहिए। नई प्रौद्योगिकी खरीदी जानी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए और प्रयोग में लाई जानी चाहिए। उत्पादन के नए क्षेत्र खोजे जाने चाहिए और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक न्याय के लिए तंत्र बनाया और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोगों को सभी प्रकार के प्रयास और कठिनश्रम करने और प्रतिस्पर्द्धात्मक होने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए और जोश दिलाया जाना चाहिए। सुधारों की सीमित संकल्पना पर्याप्त नहीं होगी। वे वास्तविक और उपयोगी सुधार नहीं होंगे। वे संपन्नता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के स्थान पर प्रगति को धीमा कर देंगे।

ये सीमित सुधार आमतौर पर लोगों की सहायता नहीं कर सकते। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उचित और निष्पक्ष स्वभाव का है, प्रेरित नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते।

हम जानते हैं कि वित्त मंत्री का काम अत्यन्त दुर्वह है। उन्हें अपने सहकर्मियों और सभी मंत्रालयों में अधिकारियों की सहायता तथा अन्य कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। वे जो भी उचित कार्य करना चाहते हैं उसमें विपक्षी दल सहयोग करेंगे। हालांकि वे उनकी गलत नीतियों और गलत कदमों की आलोचना करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। वे किसी के प्रति दुर्भावना के बिना उन्हें स्पष्टत: बताएंगे और उनकी आलोचना करेंगे कि लोगों, उनके भविष्य तथा देश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं तथा उनके, उनके मंत्रालय और सरकार द्वारा की गयी गलतियां क्या हैं।

यह बजट लुभावना है। यह अस्पष्ट है तथा देश की राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक नहीं है। जो एक मजबूत नहीं हैं या आवाज नहीं उठाते उनके लिए यह बजट उदार नहीं है। इसमें अच्छे इरादों की बात की गयी है। हालांकि इन इरादों को व्यवहार में लाया जाएगा, यह विश्वसनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि यह खुद को तथा लोगों को धोखा दे रहा है। यह करों को बढ़ाने या कम करने के संबंध में अधिक चिन्तित है। किन्तु यह धनराशि के उपयोग पर बल देने और राजस्व तथा कर संग्रह करने में कम इच्छुक है। अत: रक्षा गति-विधियों के लिए दी गयी धनराशि अप्रयुक्त रह गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 9000 करोड़ रु. अप्रयुक्त रह गए हैं। रक्षा मंत्रालय इस आबंटन को अव्ययगतनीय बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि मंत्रालय को चौकन्ना रहने और दिए गए पैसे का समय पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि अक्षम्य अक्षमता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य मंत्रालय भी हैं जिन्होंने आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

क्या वित्त मंत्री बजट प्रस्तावों की क्षमता के संबंध में हमारी तथा लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में उठाए गए कई विषय अनुत्तरित रह जाते हैं। कृपया इस बार भी ऐसा नहीं होने दें। महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के आधार पर संवृद्धि की दिशा को दर्शाता है।

महोदय, बजट के प्रस्तुत किए जाने पर, कुछ लोगों ने आशा प्रकट की, कुछ अन्य लोगों ने कहा, वे इसके प्रति निराशावादी है, परन्तु पूरी विनम्रता से मैं यह निवेदन करता हूं कि हमें यथार्थवादी होना चाहिए। उन कठिनाईयों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने झेला है, जैसे – पिछले 15-20 वर्षों में पड़े भयंकर सूखे, लंबे समय से सीमा पर व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति और पूरे विश्व में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने का उपाय किया है, जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाएगा, गरीबी निवारण करेगा, देश में और अधिक रोजगार का सृजन करेगा और आम आदमी, को खुशी और संतोष प्रदान करेगा।

मुझे गरीब समर्थक, लोकप्रिय और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए अपने वरिष्ठ नेता, माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

बजट इस प्रकार से तैयार किया गया है कि विपक्ष के मेरे मित्र इसमें त्रुटि निकालने में अक्षम हैं। मैं उनके समर्थन का स्वागत करता हूं। *(व्यवधान)* माननीय श्री शिवराज पाटील सामान्यतया बजट में किए गए उपायों के समर्थक रहें हैं। सभी शांत हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आलवा : किसने कहा, हम समर्थन कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह गलत फहमी है। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं केवल आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : आपने सुना नहीं, मैंने जो कुछ कहा। *(व्यवधान)* इस शांत इसलिए हैं क्योंकि हम अनुशासित हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को उनके सकारात्मक सुझावों के

[श्री वी० धनंजय कुमार]

लिए ही धन्यवाद देता हूं। इससे समस्त देश में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

माननीय वित्त मंत्री ने छूट देने का उपाय किया है – जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क पांच प्रतिशत की कमी की छूट दी गई है। वैयक्तिक कराधान-आयकर के मामले में भी उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जबर्दस्त राहत दी है। सभी लोग-निर्धन और वेतनभोगी वर्ग प्रसन्न है। *(व्यवधान)*

मेरा मित्र इस बजट में सम्मिलित प्रावधानों को बेहतर समझेंगे यदि वे इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। जब तक वे इसका अध्ययन नहीं करते, उनके लिए इसे समझना बहुत कठिन होगा। इस बजट से न केवल ये रियायतें प्रदान की गई हैं बल्कि इसने हमें अवसंरचना के क्षेत्र में विशाल निवेश करने का मार्ग भी दिखाया है। देश में 48 नई सड़कों के निर्माण हेतु 40,000 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया जाना है। फिर, अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि की अलग से व्यवस्था होगी। इससे यथापरिकल्पित रोजगार सृजित होगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी इसका प्रसार किया जा रहा है। नि:संदेह इस सरकार ने गत वर्ष एक वायदा किया था कि यह प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। दूसरे दिन, हमने माननीय प्रधान मंत्री को इस सभा में सुना। वह तथ्यों एक आंकड़ों के माध्यम से यह स्थापित करने में समर्थ रहे थे कि गत वर्ष रोजगार के 70 लाख नए अवसर सृजित किए गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान वर्ष के बजट में किए गए प्रावधानों से हम इस वर्ष के दौरान एक करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए नए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लक्ष्य को पार कर लेंगे।

महोदय, इतना ही नहीं, दी गई रियायतों के कारण विद्यमान रोजगार में भी तेजी हुई है, विशेषकर, जैसाकि हम सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र के बाद देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र वस्त्र उद्योग है। माननीय वित्त मंत्री ने यह जानते हुए कि अगले वर्ष मार्च तक बहु-तंतु (मल्टी-फाइबर) समझौता समाप्त हो जाएगा और वस्त्र उद्योग को विश्वस्तर पर नई चुनौतियों का सामना करना होगा, वस्त्र उद्योग के लिए कराधान प्रस्तावों के नए पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु और साथ ही साथ घरेलू स्तर पर रोजगार के और अवसर सृजित करने हेतु हम चाहते हैं कि वस्त्र उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो, विश्व बाजार में स्पर्धा करे और सफलता प्राप्त करे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : चीनी रेशम का अंधाधुंध आयात कर और सभी चैनलों से इसे मंगा कर।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह हस्तक्षेप नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, महोदया इससे पूरी तरह अवगत हैं कि हमारे बेहतरीन प्रयासों के बावजूद हम देश में अच्छी किस्म के सिल्क का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में असमर्थ हैं। सिल्क की मांग अत्यधिक है और हम अपनी मांग के बराबर उत्पादन में वृद्धि करने में असमर्थ हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : क्या वह मिनट मेरी बात सुनेंगे?

आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे सरकार द्वारा तैयार और सभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह दर्शाता है कि वर्ष 1998 में 281 लाख रोजगार का सृजन किया गया था; वर्ष 2001 में यह घटकर 277 लाख हो गया; वर्ष 1999 में यह 281 लाख था; और वर्ष 2002 में, यह 279 लाख था। यह दर्शाता है कि सृजित रोजगार की संख्या बढ़ नहीं रही है, बल्कि यह घट रही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार द्वारा दी गई यह सूचना इन आंकड़ों को दर्शाती है। इन तथ्यों के मद्देनजर वह यह कैसे कह सकते हैं कि वे और रोजगार का सृजन कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सूचना प्रधानमंत्री को नहीं उपलब्ध कराई गई थी। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, इसीलिए, मैं विपणन विपर्यन का संदर्भ दे रहा था जिसे बजट में निहित प्रावधानों में किया गया है। क्या हम यह नहीं कह सकते कि नई सड़कों के निर्माण हेतु, समुद्री पत्तन, विमान पत्तनों, इत्यादि जैसी मुख्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु केवल अवसंरचना क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के विनिवेश के द्वारा हम रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं? संभवत: कोई ऐसा कहेगा कि यहां रोजगार के नए अवसर सृजित करने का पर्याप्त अवसर है। मैं यह भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं कि वस्त्र उद्योग में दी गई छूट के कारण, मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

दूसरा क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है, वह है रत्न एवं जवाहरात क्षेत्र। इसके लिए भी, कम से कम, श्रीमती आल्वा को प्रसन्न होना चाहिए कि सोने के आयात पर लगने वाले सीमाशुल्क को कम किया गया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उन्हें निर्धन महिलाओं की बात करनी चाहिए, राजा और रानियों की नहीं, जो ये आभूषण पहनती हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं केवल उनके बारे में कह रहा हूं। *(व्यवधान)* यद्यपि आजकल किसी के लिए राजा रानी बनने

का कोई अवसर नहीं है, हम श्रीमती अल्वा के लिए ऐसी स्थिति की कामना करते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है।

महोदय, सोने और हीरों सहित अन्य रत्नों पर सीमा शुल्क आयात शुल्क में छूट देने से इस देश में रोजगार अवसरों की संख्या बढ़ेगी। महोदय, विश्व में उपयोग किए जाने वाले हीरे की इसी देश में कटाई और पॉलिश की जाती है।

किसी को सूरत और अहमदाबाद का दौरा करना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप जानते हैं कि गुजरात में दंगे के दौरान हीरा कटाई से संबंधित उद्योग को एक मिलियन का घाटा हुआ है? क्या आप यह जानते हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती आल्वा जी, आंखों देखा हाल मत सुनाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि कर्नाटक के लोग आपको क्यों टोक रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि उन्होंने इनको हटा दिया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कृपया उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं विनम्रतापूर्वक सभा के समक्ष यह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था कि इस देश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के आश्वासन दिए जाने में माननीय वित्त मंत्री द्वारा कैसे नए प्रयास किए गए हैं। महोदय, जहां तक गरीबी उपशमन हेतु उठाए गए कदमों का संबंध है, श्री शिवराज पाटील ने इसका स्वागत किया है। "अन्त्योदय अन्न योजना" के अन्तर्गत शामिल किए गए लोगों की संख्या 1 करोड़ परिवारों से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है।

फिर, महोदय हमारे नागरिकों की स्वास्थ्य, आवास शिक्षा और रोजगार सम्बन्धी सबसे बड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। यह पहला बजट है, जिसने एक तरफ कई छूटें प्रदान की है और कोई नए कर नहीं लगाए हैं, फिर भी हमने वृद्धि के रास्ता ढूंढ़ लिया है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह विकासोन्मुखी है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य सरकारों को मूल्य-वर्द्धित कर प्रणाली को लागू करने के लिए सहमत करना है। मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली के लागू होने से राज्य की समस्त कर व्यवस्था आसान हो जाएगी। एक ही झटके में बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैं यह कहूंगा कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए, मैं भारत के माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ऐसी साहसिक पहल करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक कराधान का संबंध है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। महोदय, इससे आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाएगी। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले सामान मिलेंगे और, इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। भौतिक मूल्य वर्धन के रूप में अथवा सामानों के मूल्य के रूप में प्रत्येक एकल मूल्य वर्धन का दोहन किया जाएगा। जो उचित ढंग से खातों को रखेगा, उसे प्राथमिक चरणों में कर का लाभ भी मिलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में, माननीय वित्त मंत्री ने कराधान सुधार के लिए आगे कदम उठाने में अपना भरसक प्रयास किया है।

महोदय, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ज्ञान धन है, और इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना की घोषणा की है। 6 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनुवर्ती और अनिवार्य शिक्षा की नई योजना को मूर्त रूप दिया गया है और प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतरमाध्यमिक शिक्षा और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महोदय, किसी और बजट में शिक्षा और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए इतनी अधिक राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का संबंध है, एक नई प्रकार की योजना लागू की जा रही है। यदि आप एकल व्यक्ति हैं तो प्रतिदिन केवल एक रुपया का भुगतान करके; यदि आप 5 व्यक्तियों वाले परिवार के एक सदस्य हैं तो प्रतिदिन 1.50 रु० और यदि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक है तो आप प्रतिदिन 2 रु० का भुगतान करें और वर्ष के अंत में बीमा कंपनी आपके 30,000 रु० के व्यय का ध्यान रखेगी। आपको दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के मामले में एकमुश्त 25,000 रु० मिलेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नई योजना और ऐसे सामाजिक उपाय का कभी भी प्रस्ताव नहीं किया है। कम से कम इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : वे चुप हैं। इसका अर्थ है कि वे इसका स्वागत कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : जब हम उन्हें बीच में रोकते हैं तो आप कहते हैं 'उन्हें परेशान न करें। जब हम उन्हें बीच में नहीं टोकते हैं तो आप कहते हैं 'हम उनका समर्थन कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : हम उनका समर्थन कर रहे हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप हमें उनका विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, माननीय सदस्य श्री शिवराज वी० पाटील ने यह चिंता व्यक्त की है कि सकल घरेलू उत्पाद में कमी आई है और यह घटक 4.4 प्रतिशत हो गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने सकल घरेलू उत्पाद में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि का एक साधारण सा अनुमान लगाया है। कम-से-कम मुझे तो विश्वास है और यह यकीन है कि वित्त वर्ष की समाप्ति तक, अर्थात् 31 मार्च को और जब मई, जून के आसपास सकल घरेलू उत्पाद के वास्तविक आंकड़े प्रकाशित होंगे; हम 5 प्रतिशत वृद्धि के निशान तक पहुंच जाएंगें। ऐसा मैं कह रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : प्रधानमंत्री स्वयं इस बात पर सहमत हैं कि यह आंकड़ा 4.4 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : जब मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं तो मुझे इस बारे में पूरा विश्वास है।

औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 15 प्रतिशत से ऊपर हो गया है। यह 20 प्रतिशत तक जाएगा। हर रोज औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती है और इससे सकल घरेलू उत्पाद में और वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है कि हम 5 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे अथवा हम 5 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर लेंगे *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह 6 प्रतिशत से ऊपर जाएगी, चिंता न करें। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं इतना लंबा-चौड़ा दावा नहीं करता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है हमें आशावादी या निराशावादी बनने की बजाय यथार्थवादी बनना चाहिये। मैं केवल सही आंकडे सामने लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम 5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पाने की स्थिति में होंगे।

जहां तक उद्योग में वृद्धि का संबंध है, बजट संबंधी दस्तावेज में इसका उल्लेख किया जा चुका है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

इस प्रकार द्वारा एक और मुख्य कदम उठाया गया है। इस सरकार ने न केवल भारत सरकार की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा है अपितु प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। पहली बार, माननीय वित्त मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उच्च लागत वाले ऋण की अदला-बदली की पेशकश की है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक राज्य सरकारें इस पेशकश का लाभ उठाएंगी और दूसरी ओर बैठे मेरे मित्रों अर्थात् कांग्रेस द्वारा शासित राज्य सरकारें माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई इस पेशकश का सबसे पहले लाभ उठाएंगें। यह एक ऐसा नया प्रावधान है कि आप उच्च लागत वाले ऋणों का भुगतान कर दें और आप नया ऋण लें जिसमें आप काफी सस्ती दर पर ऋण लेंगे और फिर प्रत्येक राज्य की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से 5.1 प्रतिशत या 5.2 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगें जिसके बारे में वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है। हम 5.6 प्रतिशत या 5.7 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगें। यह एक नया कदम है जिसके लिए हमें माननीय वित्त मंत्री की खूब प्रशंसा करनी चाहिये। *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या ताली बजाने के लिए आपके लोग नहीं आए?

श्री वी० धनंजय कुमार : आप लीड कीजिए। आप पहले ताली बजाएं फिर सब बजाएंगें।

[अनुवाद]

मैं किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। जब हम इस बजट में उठाए गए उपायों का समर्थन करते हैं तो इसमें आर्थिक संकेतक भी प्रासंगिक होते हैं। आर्थिक संकेतक भी महत्वपूर्ण हैं क्षेत्रीय वृद्धि को भी हिसाब में लिया जाना है। अब, जहां तक कृषि और अन्य सहयोगी क्षेत्रों का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि गंभीर सूखे की स्थितियों का देखते हुए कृषि क्षेत्र का योगदान लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। इसलिए हम लक्ष्य से थोड़ा पीछे हैं किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में हुई वृद्धि को देखते हुए हमें विश्वास है कि हम इस कमी को पूरा कर लेंगे।

तत्पश्चात् जहां तक अवसंरचना संबंधी विकास द्वारा किए गए योगदान का संबंध है यह बहुत अधिक है। आज कोई भी इसका अनुभव कर सकता है, इसे देख सकता है और कोई भी देशभर में बिछाई गई ऐसे सुन्दर सड़कों पर यात्रा कर सकता है। हमने भाजपा और एन०डी०ए० के अन्य सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने देशभर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सड़कें बिछा दी हैं। सारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना समय से पहले पूरी हो रही है। साथ ही, इसके साथ-साथ हम 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के अंतर्गत नई सड़क बिछा रहे हैं। किसी दूसरी सरकारी ने ऐसा अद्भुत कार्य नहीं किया है। हर साल 2,500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में मुझे इसका लाभ हुआ है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक गांव में सड़कें बनवाई हैं। मुझे विश्वास

है कि मेरे सभी साथियों ने इस नए कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाया है। इसने इस देश में अवसंरचना संबंधी विकास में प्राण फूंक दिए हैं। हम यातायात सुविधा और अन्य प्रकार की अवसंरचनात्मक सहायता देते हैं ताकि सारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और इससे नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

अब, जहां तक सेवाओं का संबंध है, मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य मेरी बात से सहमत होगा। मैं इस सभा में चौथी बार चुनकर आया हूं। मैं वर्ष 1991 में पहली बार चुनकर आया था। उन दिनों हमें एक वर्ष में 25 लोगों को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने या मंजूर करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद गैस कनेक्शन देने का अधिकार मिला। शुरू-शुरू में तीन महीनों में केवल 12 कनेक्शन दिए जाते थे। हमें तीन महीनों के लिए 12 कूपन मिलते थे। अब वो दिन नहीं रहे। आज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक वर्ष में 100 कूपन दे रहा है। इन कूपनों को कोई नहीं ले रहा है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में इसकी कोई मांग नहीं है, कोई इसकी मांग नहीं कर रहा है। कोई टेलीफोन कनेक्शन की मांग नहीं कर रहा है। आप दूरसंचार विभाग में जाइए आवेदन कीजिए और शाम तक आपको कनेक्शन मिल जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार में कनैक्शन नहीं मिलते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : बिहार की बात छोडिए। वह रघुवंश बाबू करेंगे।

[अनुवाद]

बिहार एक अपवाद है *(व्यवधान)* अत: मैं सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं कि आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान हो गई है। रसोई गैस के लिए कोई लाइन नहीं है। टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई लाइन नहीं है। आम आदमी की जिंदगी आसान हो गई है। *(व्यवधान)* महोदय, गत चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष 20 लाख नए मकान बनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हमने नाम बदलने की कोशिश नहीं की है। हम इन्दिरा विकास योजना के नाम से ही उसे चला रहे हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आम आदमी को मकान देने के लिए देश के ग्रामीण भागों में हर वर्ष 20 लाख मकान बनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इन सबसे आम आदमी की जिंदगी को आसान बना दिया है। राशन की दुकान के बाहर जो लाइन हमें दिखती थी, वह कम होती जा रही है।

[अनुवाद]

कोई भी राशन की लाइन में खड़ा होने का इच्छुक नहीं है। क्या यह सरकार की उपलब्धि नहीं है?

सरकार मुद्रास्फीति पर रोक लगा पाई है। मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है; यह दिन प्रतिदिन गिर रही है। दूसरी ओर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। मुझे युकीन है कि आज विदेशी मुद्रा भंडार 80 बिलियन डालर के करीब होगा। एक ओर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर मुद्रास्फीति की दर काबू में है। अत: आम आदमी खुश है।

हमें आशा है कि यह बजट हमारे समक्ष रखे गए लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा और ऐसा वातावरण सृजित करेगा जिसमें हम समय से पहले ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में होंगे। हमने पहले ही यह काम शुरू कर दिया है। हमने पहले ही समय से पहले कुछ ऋणों का परिसमापन कर दिया है। आजादी के 52 वर्षों के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहली बार, भारत सरकार अग्रिम तौर पर कुछ ऋणों को चुका पाई है और यह एक सुखद स्थिति है।

सभी को यह पता है कि संसारभर में केवल दो देशों की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है – एक भारत की और दूसरी चीन की। निस्संदेह चीन हमसे आगे है। हमें इस बात पर सहमत होना होगा। किन्तु हम भी दौड़ में हैं मुझे आशा है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम न केवल चीन की वृद्धि दर तक पहुंच जाएंगे बल्कि इस बजट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किए गए उपायों से उसे पार भी कर लेंगे। हमें आशा है कि हम सामने रखे गए लक्ष्यों को पार कर लेंगे।

मैं इस सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से माननीय वित्त मंत्री और उनके द्वारा देश के समक्ष रखे गए एजेंडे को आगे ले जाने हेतु इस बजट में किए गए प्रावधानों का समर्थन करने की अपील और अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि इससे हमारे देश में नई आर्थिक वृद्धि होगी। इससे खुशी और शांति भी आएगी। इससे सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। इसीलिए मैं बजट में दिए गए प्रावधानों का समर्थन करता हूं और मैं सभी से इस बजट में किए गए प्रावधानों को अपना पूर्ण समर्थन देने की अपील करता हूं।

[श्री वी० धनंजय कुमार]

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री ने आसान वित्त साधन का प्रावधान किया है और सहकारी क्षेत्र के लिए कर में राहत का प्रावधान किया है। जैसाकि मैंने कहा मैं समय की कमी के कारण विस्तार में जाना नहीं चाहता। माननीय मंत्री इतने उदार हैं कि तमाम कठिनाईयों के बावजूद उन्होंने प्रत्येक के लिए कुछ न कुछ देने हेतु सावधानी बरती है।

यूरिया मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि पर सभी माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है। यद्यपि मैं यह कहूंगा कि इससे कुछ कठिनाई होती है उर्वरक क्षेत्र में कुल राजसहायता के बहिर्वाह में वस्तुत: नाफ्था के मूल्यों में वृद्धि के कारण में वृद्धि होगी इसलिए माननीय वित्त मंत्री के पास राजसहायता में कुछ बचत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो यूरिया पर दी गई है अब भी मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी मान्य सदस्यों और कृषक समुदाय द्वारा की गई मांग और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

मुझे आशा है वह आवश्यक राहत देंगे जब वह अन्त में उत्तर देंगे। मेरा मान्य वित्त मंत्री से गम्भीर अपील है कि वह इस सभा के सदस्यों और समूचे देश में कृषक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं पर उचित विचार करें।

महोदय, एक बार पुन: मैं इस बजट में दिए गए प्रावधानों का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री को, पादप रोपण उद्योग, काफी, चाय, रबड़ आदि के लिए आवर्ती निधि सहायता प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं। *(व्यवधान)* मेरे मित्रों ने मुझे याद दिलाया है कि सुपारी और नारियल की रोपण फसलें हैं। नारियल और सुपारी के लिए सहायता देने के लिए स्थापना कोष की रचना कर ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर भी विचार करेंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी नारियल के बारे में इसका समर्थन करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, आप भी समर्थन कर रहे हैं क्योंकि यही आपके क्षेत्र के लोगों का मुख्य आधार है। इसलिए ऐसे कोष का गठन कर नारियल और सुपारी का भी समर्थन किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु आपका बहुत धन्यवाद।

डा० वी०वी० रमैया (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-04 के लिए उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत किया। जिन मुख्य उद्देश्यों पर जोर दिया गया है उनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा रोजगार और अवसंरचनात्मक विकास शामिल हैं। अन्य पहलु ये हैं : कर सुधारों के माध्यम से वित्तीय प्रतिफल, अन्य बजटीय कर, कृषि तथा उससे संबंधित पहलुओं जिनमें सिंचाई शामिल है, का प्रगतिशील उन्मूलन, विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाना जिसमें निर्यात का संवर्धन शामिल है और सुधार प्रक्रिया को और तेज करना।

वर्ष 2003-04 के बजट में कुल अनुमानित व्यय 4,38,795 करोड़ रुपए है। इनमें से योजना व्यय 120974 करोड़ रुपए है और गैर योजना व्यय 3,17,821 करोड़ रुपए है। गत वर्ष गैर योजना व्यय 2,89,924 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्याजदेयता, राजसहायता और रक्षा व्यय के कारण है।

अब मैं कुल गैर योजना और योजना व्यय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें से 2,5,3,935 करोड़ में से वित्तीय घाटा 153637 करोड़ रुपए होगा जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.6 प्रतिशत होगा। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अत: माननीय वित्त मंत्री को इनमें से कुछ पहलुओं की जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि हम इसे अधिकाधिक सम्भव सीमा तक कैसे कम कर सकते हैं।

अब मैं अन्य कराधान नीतियों पर आता हूं। प्रथम तो प्रत्यक्ष कराधान हैं। उन्होंने शेयर बाजारों, शेयर बाजार में निवेश में और अधिक सुधारने हेतु कुछ प्रोत्साहन दिया है। प्रत्यक्ष कराधान में उन्होंने लाभांश कराधान को खत्म किया है और कर संरचना और दीर्घकालीन पूंजीलाभ को भी सरल किया है। उन्होंने प्रभारित कराधान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। जो शेयर-बाजारों के लिए काफी समय तक रहेगा जो बुनियादी रूप से वही है जिसकी हमें आज जरूरत है। जब तक औद्योगिक प्रगति नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था में प्रगति नहीं होगी।

आज हमें कठिन कार्य के साथ कृषि का समर्थन करना होगा। किन्तु पैसा प्रत्यक्ष कराधान और अप्रत्यक्ष कराधान दोनों के माध्यम से उद्योग से और विभिन्न स्तरों पर रोजगार की अनेक संभावनाओं के माध्यम से आना है। तथापि, बुनियादी रूप से कृषि से सकल घरेलू उत्पाद के लिए आपको सहायता मिलेगी। किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा मुख्यत: औद्योगिक प्रगति से होगा। मैं समझता हूं यही कारण है उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक विकास को कुछ प्रेरणा दी है। अब मैं कुछ अप्रत्यक्ष कराधान उपायों की ओर आता हूं। मुख्य बात यह है कि विनिमित कराधान पर उन्होंने अधिभार 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है।

अपराह्न 4.14 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

प्रत्यक्ष कराधान में उन्होंने व्यक्तियों और एच०यू०एफ० से सम्पूर्ण अधिभार पूर्ण रूप से वापस ले लिया है। किन्तु प्रति वर्ष 8.5 लाख रु० की आय वाले लोगों के लिए अधिभार में दस प्रतिशत वृद्धि की गई है। किसी भी मामले यह एक प्रावधान है जो उन्होंने उस घाटे को पूरा करने के उद्देश्य किया है जो उपर्युक्त निर्णय से उत्पन्न होगा।

अब मैं आयात शुल्क की ओर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री उत्पाद शुल्क को आठ प्रतिशत 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत कर इसे मानकीकृत किया है ताकि विभिन्न श्रेणियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग किया जा सके। उन्होंने कुछ नए उपायों को अपनाया है जिनमें वह छाता, साइकिल, साइकिल के पुर्जों, खिलौनों और अन्य चीजों जैसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण वस्तुओं पर पूर्ण छूट दी है। यह बहुत अच्छी बात है और इससे हस्तशिल्प और इससे जुड़े लोगों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने ऐसा ही बर्तनों के सम्बंध में किया है जिसके लिए महिलाओं को बहुत खुशी होगी।

अप्रत्यक्ष कराधान की अन्य कराधान नीतियों की ओर आते हुए माननीय मंत्री स्वर्ण, और हीरे जवाहरात, के संदर्भ में पर्याप्त कमी की है। आज भारत स्वर्ण आभूषण के सबसे बड़े निर्यातकों में एक हो गया है। इस निर्णय से माननीय मंत्री ने पूरे माफिया और इस देश में तस्करी को कम कर दिया है। यह एक नया कदम है। हम उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मुबारकबाद देते हैं। इससे बहुत से स्वर्णकारों को रोजगार की बड़ी संभावनाएं मिलेंगी और हमें देश में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे। हमारे यहां के लोग उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आभूषण तैयार कर सकते हैं और यह उनके लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन होगा।

औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर लघु उद्योगों पर आते हुए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को कुछ और सहायता देने की आवश्यकता है। उन्होंने आरक्षण मुक्त सूची से 75 मदों को ही हटाया है। अन्य क्षेत्रों के लिए उन्हें और सहायता देनी है। उद्योग की रूग्णता एक बुनियादी मद है जिसे उन्होंने नहीं छुआ है। वास्तव में, सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए के उपकरण और धनराशि रूग्णता के कारण अवरूद्ध हो गई है। यह बात इस देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों भी है।

यह माननीय मंत्री का एक नवीन तरीका है कि उन्होंने विलय और मिश्रण के माध्यम से विशेषज्ञता वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अनुमति दी है जिससे रूग्णता में कमी हो सकती है *(व्यवधान)*

ऐसा विभिन्न, कारणों से होगा। हम उन बातों में जाना नहीं चाहते कि कुछ अन्य उद्योगों में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अथवा नीतिगत परिवर्तन और अन्य बातें हो सकती हैं। किन्तु इस रूग्णता को अधिकतम सम्भव सीमा तक समाप्त किया जा सकता है और इसे कम किया जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस प्रयोजनार्थ कुछ उपाय करेंगे।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ब्याज दरों को उचित रूप से नियंत्रित किया गया है जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नगद धनराशि प्राप्त होगी ताकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध हो सके।

महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा वैट है जिस यह भी ध्यान देना होगा। पूरे देश में यह एकीकरक उपाय हो सकता है। आज प्रत्येक राज्य को विक्रय कर का एक अलग ढ़ांचा मिल गया है। वैट ही एक ऐसी चीज है जो यह कार्य कर सकेगा। आज यूरोपीय संघ में चीजे बिना किसी अन्तर के एक देश से दूसरे देश में जा सकती है। किन्तु भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारे यहां बहुत भेदभाव है। वैट एक ऐसी चीज है जिससे हम विक्रय कर प्रणाली के पूरे ढ़ांचे का एकीकरण कर सकते हैं। वैट प्रणाली के बारे में, मुझे आशा है कि वे यह देखें कि सामान की आवाजाही पर भी बिना किसी पाबंदी के धीरे धीरे सुधार हो।

अब मैं उनकी कपड़ा उद्योग संबंधी नीति पर आता हूं। यह बहुत उत्साह जनक है। यह उद्योग इस देश का सबसे बड़ा कपड़े का निर्यातक है जहां से लगभग 40 हजार करोड़ रुपए कपड़े को निर्यात से आता है चाहे यह विभिन्न श्रेणियों के यार्न, कपड़ा, वस्त्र अथवा जो भी हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने आधुनिकीकरण और विभिन्न अन्य स्तरों दोनों के लिए कपड़ा उद्योग को बहुत अधिक समर्थन दिया है।

इस देश में एक अन्य विकासशील चीज भेषज उद्योग है। वहां भी माननीय मंत्री ने अनेक उपायों में बहुत सहायता दी है ताकि इस देश का भेषज उद्योग भी प्रगति कर सके और विश्व बाजार के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके। यही बात है जिसे विश्व व्यापार संगठन में व्यक्त सन्देहों के बावजूद साबित कर पाएंगे कि जो जिस देश को प्रभावित करने वाला है वह फार्मास्युटिकल्स है। आज देश में बड़ी मात्रा में औषधियां भी बनाई जाती है। इनके प्रतिपादन बहुत अच्छे हैं। अनुसंधान और विकास बहुत ठीक हो रहा है। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने अनुसंधान और विकास के लिए अच्छी सहायता दी है और इससे हमारे भेषज उद्योग की सहायता हो सकेगी।

आज सूचना प्रौद्योगिकी इस देश में विकासशील उद्योग है और इस क्षेत्र में उन्होंने रोजगार की अधिक संभावना दी है। हम अनेक देशों को निर्यात भी कर रहे हैं और उनमें से अनेक लोग हमारी प्रतिभा और इस उद्योग का उपयोग करने के लिए यहां आ रहे हैं। मुझे विश्वास

[डा० बी०बी० रमैया]

है यह उद्योग तेजी से प्रगति करेगा। यही मामला जैवप्रौद्योगिकी के साथ है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने इस देश में विभिन्न विकासोन्मुखी क्षेत्रों को मान्यता दी है और हमें इस बारे में प्रसन्नता है।

किन्तु एक चीज जो मैं महसूस करता हूं वह शुल्क ढांचे के बारे में है। उन्होंने इसे 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। मैं जानता हूं कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों और विनियमों के कारण है। किन्तु दुर्भाग्यवश विकासशील देश कृषि के लिए राजसहायता कम नहीं कर रहे हैं। जब तक वे भी इसे कम नहीं करते और समानरूप से काम नहीं करते तब तक यह कठिन होगा। हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें कैसे बताएं कि हम भी अपने उद्योग की पुरजोर रक्षा करेंगे।

जब वे विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों और दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना अपनी कृषि का पक्षपोषण करना चाहते हैं तो करें। लेकिन ऐसा करते समय हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पाटन रोधी शुल्क अथवा हमारी सुरक्षोपाय सम्बन्धी व्यवस्था में प्रचुर सुधार हो ताकि हम यह भी सुनिश्चित कर सकें कि उद्योग प्रभावित न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गौर फरमायेंगे।

मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 75 बिलियन डॉलर से भी अधिक है और मुद्रास्फीति भी मानदंडों के भीतर है अथवा बहुत ही उचित स्तर पर है। उन्होंने कर्मचारियों को वह अवकाश यात्रा छूट (लीव ट्रेवल कनसेशन) भी प्रदान की है जिसे दो वर्ष पहले वापिस ले लिया गया था। यह उनके लिए एक प्रोत्साहन देने वाली सहायता है।

निर्यात के लिए विशेष निर्यात जोन विभिन्न पहलुओं से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज विशेष निर्यात जोन बने हुए हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम होने चाहिए कि विशेष निर्यात जोन अधिकाधिक आकर्षक बनें और उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिले। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक निर्यात ऋण निगम की स्थापना की गई है। उन्होंने इसकी इक्विटी के लिए 80 करोड़ रुपए दिये हैं। बीमा प्रयोजनों के लिए यह एक बड़ी सहायता होगी। मैं उनसे एक ही बात की मांग करता हूं कि उन्हें डिजायनिंग और इंजीनियरिंग निर्यात पर सेवा कर घटा देना चाहिए क्योंकि बहुत-से अन्य देश डिजायनिंग और अन्य विभिन्न चीजों के लिए हमारे अपने देश की कुशल और अनुभवी श्रम शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अतः, निर्यात उद्देश्यों वाली वस्तुओं पर कोई सेवा कर नहीं लगना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

अब, मैं कृषि के बारे में बात करूंगा। हमें यहां यह भी देखना होगा कि सम्पूर्ण देश में सूखे की स्थिति के बावजूद, हमारे खाद्य भंडारों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसका कारण हमारे किसानों की कड़ी मेहनत है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 65 प्रतिशत से भी अधिक लोग लगे हुए हैं। उन्हें सहायता की तब आवश्यकता पड़ती है जब उनके समक्ष कुछ समस्याएं आती हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे।

एक बहुत भयावह बात उर्वरकों की मूल्यवृद्धि है। मैं जानता हूं कि नाफ्था की मूल्यवृद्धि के कारण, उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को कम करना पड़ा लेकिन मैं समझाता हूं, उन्हें उर्वरक उद्योग से इसके एक भाग को मिला लेने के लिए कहते और यह देखते कि किसानों पर इस मूल्यवृद्धि का दबाव न पड़े। सूखे, पानी की कमी और हर बात से दुःख झेल रहे किसानों की वर्तमान दशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस पर विचार करना चाहिए था।

उन्होंने फसल बीमा के बारे में कोई बात नहीं की है। मुझे इस बात पर विश्वास है कि फसल बीमा किसानों के लिए बहुत आवश्यक होती है। मैं आशा करता हूं कि यह बात उनके दिमाग में आयेगी और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यथाशीघ्र एक उचित फसल बीमा नीति बजट में शामिल की जाए। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उन्होंने बागवानी, पुष्पकृषि और कृषि हेतु उच्च प्रौद्योगिकी के लिए सहायता प्रदान की है। स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ऐसे अन्य तरीकों वाले आधुनिक प्रणालियों के उपयोग से, जिनमें सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, हम कम पानी से अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों और कीट-नाशकों क उपयोग में कमी आयेगी और कृषि-क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके बाद दूसरा विषय ड्रिप सिंचाई है। उन्हें इस क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए काफी सहायता प्रदान करनी चाहिए और इन उद्देश्यों के लिए राजसहायता प्रदान करनी चाहिए।

कपूर समिति ने यह सिफारिश की है कि कृषि संबंधी वित्त सहायता किसानों को मुक्त रूप से प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ग्रामीण बैंक कृषि संबंधी वित्त के बहुत ही मूलभूत ढांचे हैं जिनकी जरूरत हमें किसानों के लिए है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि खरीफ फसल ऋण पर, एक वर्ष के लिए ब्याज राजसहायता पर ध्यान दिया जायेगा लेकिन मुझे यह बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है और माननीय वित्त मंत्री जी को इस पहल की जांच करनी चाहिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री

द्वारा घोषित राहत की प्रतीक्षा किसान अब भी कर रहे हैं। उनकी सहायता करने का यह उचित समय है।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : वन-रोपण के लिए?

डा० वी०वी० रमैया : हां, मुझे इसके सिंचाई के पहलू के बारे में बात करने दें। प्राय:, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। एक ओर, हमें बाढ़ से नुकसान उठाना पड़ता है तो दूसरी ओर, हमारे समक्ष सूखे के कारण समस्याएं आ जाती हैं। हम बार-बार इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं यदि नदियों को जोड़े जाने की बात है तो इससे बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी आयेगी और अन्य नदियों से पानी मिलने के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मदद मिलेगी। यह संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में रूचि ली है। उन्होंने श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी कुछ सहायता प्रदान करेंगे। यह ठीक वैसी ही होगी जो आज हम बुनियादी सुविधाओं, सड़क विकास आदि के लिए कर रहे हैं। जब आप एक बार यह निर्णय ले लेंगे कि आपको देश के हित में यह काम करना है तो धनराशि किसी न किसी तरह प्रदान की जा सकती है। इसका कारण यह है कि इससे हमें काफी सहायता मिलेगी।

जब आप कृषि, इससे संबंद्ध क्षेत्रों जैसे मछली पालन, कुक्कुट पालन की बात करते हैं, तो उनमें डेयरी भी किसानों के उपयोग का साधन बनती जा रही है। मछली पालन के लिए काफी सहायता और नये तरीकों की आवश्यकता है। कुक्कुट पालन को बहुत भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि मुर्गी दोने की कीमत बढ़ रही है जबकि विकासशील देश 60 से 70 प्रतिशत से भी अधिक राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। यदि आप इस उद्योग के लिए उचित राजसहायता प्रदान करते हैं तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे निर्यात के अवसर बढ़ेंगे; और इनका तेजी से विकास होगा। इससे हमें काफी मदद मिलेगी।

आज जब हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो यह सरकारी रोजगार की बात नहीं होती वरन् ग्रामीण रोजगार, कृषि रोजगार और कृषि अपशिष्टों के विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात होती है। अब हमें पहले आरंभ की गयी 'काम के बदले अनाज' की आवश्यकता है। यह योजना पहले भी अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर चुकी है। जब सूखे की गंभीर स्थिति है और बहुत-से लोग प्रतीक्षारत हैं — ऐसी बात नहीं है कि किसान ही पीड़ित हैं, मजदूर भी पीड़ित हैं — माननीय वित्त मंत्री जी को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सहायता करने के लिए यदि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत, चावल अथवा गेहूं अथवा जो भी संभव हो उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाता है तो इससे बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन मैं खुश हूं कि उन्होंने राज्य सरकारों से, एक ऊंची ब्याज दर वाला ऋण प्रदान करके लगभग 2,44,000 करोड़ रुपये के ऋण को घटाने में गहन रूचि ली है ताकि इसे कम किया जा सके और लगभग 81,000 करोड़ रुपये की छूट देने वाली नीति प्रदान की जा सके। मैं आशा करता हूं कि इससे प्रत्येक राज्य को वास्तव में मदद मिल सकेगी और वे बिना किसी परेशानी के सबसे लाभान्वित हो सकेंगे।

बहुत-से राज्यों का यह भी अनुरोध है कि राज्यों के लिए किए जाने वाले आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। आज, राज्यों के लिए 29 प्रतिशत धनराशि का आबंटन किया जाता है। राज्यों की वित्त स्थिति में सुधार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें वृद्धि की जानी है और इसके लिए बहुत-से राज्यों की लगातार मांग रही है। मुझे विश्वास है कि आप यथासंभव तरीके से इस पर विचार करने में सक्षम होंगे।

बुनियादी सुविधाओं की पुन: बात करें तो सड़क, पत्तनों, विमानपत्तनों और अन्य केन्द्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सड़कों, पत्तनों आदि विमानपत्तनों के साथ भांडागार को भी इसमें शामिल करें।

शीतागारों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा भांडागार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस दिन टमाटर का मूल्य एक रुपये से भी कम हो गया था और अब यह बढ़कर दुबारा 20 रुपये हो गया है। यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है तो वे टमाटरों का उपभोग कैचअप, सूप, कौंसन्ट्रैट और ऐसी ही अन्य चीजें बनाने में कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में इतने सारे कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है और वे यूं ही बर्बाद चले जाते हैं। अत: हम ऐसा करके कृषि उत्पादन में होने वाली इस बर्बादी को रोक सकते हैं। अत:, सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उचित सहायता और संभवत:, उचित प्रौद्योगिकी और सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न क्षेत्र विद्युत पर निर्भर हैं क्योंकि विद्युत मूलभूत क्षेत्र है। आज, कृषि उद्योग आदि सभी विद्युत पर निर्भर हैं। और नि:सन्देह, आपने इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया है लेकिन हमें और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए ताकि उत्पादन में मदद मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां के लिए ग्रामीण सड़क विकास, पेयजल योजना आदि योजनाएं हैं। पेयजल योजना, जो अब आरंभ हो रही है इसके लिए बहुत अधिक सहायक होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपकी सहायता एक अच्छी योजना है जिस पर अपने बहुत ध्यान दिया है और वे सभी बहुत खुश हैं।

[डा० बी०बी० रमैया]

हमें इस देश की सेवा करने वाले रक्षा कर्मियों को नहीं भूलना चाहिए, और शिक्षा क्षेत्र में 'सर्व शिक्षा अभियान' और अन्य योजनाओं को नहीं भूलना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के लिए और औषधि के लिए आपने जितनी सहायता प्रदान की है, उत्पाद शुल्क के मूल्य को कम किया है और ये सभी बातें स्वागत योग्य हैं।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना चाहिए और गरीबी उपशमन एक अन्य महत्वपूर्ण बात है।

कृषि क्षेत्र को कुछ मृदा विश्लेषण सहायता, विपणन सहायता और अन्य विभिन्न चीजों की आवश्यकता है। मुझे कई बातों का उल्लेख करना है।

उस दिन मैंने आपसे कहा था कि चीनी सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। किसी-न-किसी तरह से इसे प्रोत्साहित किया जाना है। वे सभी अन्य विभिन्न चीजों पर निर्भर है जिसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता है। वे वित्त मंत्री जी से काफी सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अलग-अलग राज्य अलग-अलग अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग तरह की सहायता की जरूरत है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देंगे और जब वे अंतिम निष्कर्ष पर आयेंगे तो वह स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह बजट अब तक अच्छे बजटों में से एक बजट बनेगा। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश परांजपे (थाने) : सभापति महोदय, शिव सेना की तरफ से, मैं यहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2003-04 के बजट का समर्थन करता हूं।

पूर्व के सभी वक्ताओं ने सभी सकारात्मक मुद्दों का उल्लेख किया है और उन्होंने हिन्दुस्तान के सभी क्षेत्रों को कई प्रकार की छूट देने हेतु हमारे वित्त मंत्री की प्रशंसा की है। मैं बजट में दिए गए सभी सुझावों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मुझे एक बात ने आकर्षित किया है और वह है – पहली बार, हमारे वित्त मंत्री ने लघु वाक्यों में अपना भाषण दिया है। लंबे वाक्यों और विशेष नौकरशाही भाषा के बजाय, उन्होंने लघु वाक्यों में अपना भाषण दिया है, जिसे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि उसकी भावनाएं क्या है। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अविश्वास का मूलभूत नियम, कि करों की दर में कमी करने से राजस्व में कमी नहीं आएगी, को पहली बार कार्यान्वित किया गया है। यही बात मैं बार-बार कह रहा था कि मंत्री जी को कर संरचना को सरलीकृत बनाना चाहिए। जिससे कि जन मानस को यह महसूस हो कि उसे कर का भुगतान करना चाहिए। यहां, मैं ऐसा अच्छे तरीके से करने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

महोदय, वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर में काफी छूट की घोषणा की है। तथापि, मुझे आशंका है कि सीमा शुल्क में कमी से विदेशों से वस्तुओं की आवक बढ़ेगी। जिससे हमारे देश में घरेलू निर्माताओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा। विश्व व्यापार समझौते पर जिस दिन हस्ताक्षर किए गए थे, सभी राजनीतिक दलों द्वारा यह तुलना की गई थी कि हमें चीन का अनुकरण और उससे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे चीन ने अपने उद्योगों का विकास किया, कैसे चीन ने अपने देश में रोजगार के अवसरों का विकास किया है और उन्हें बढ़ाया है। इस सभा को और वित्त मंत्री को बताने के लिए मैं चीन की औद्योगिक नीति और हिन्दुस्तान की औद्योगिक नीति की तुलना भर करूंगा।

महोदय, चीन में भूमि की कीमत 55-60 रुपए प्रति वर्ग मीटर है; हिन्दुस्तान में 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। चीन में अवसंरचना की लागत नगण्य है; भारत में इसका कोई संबंध नहीं है। विद्युत के क्षेत्र में, चीन में विद्युत की कटौती नगण्य है; हमारे देश में विद्युत की औसत कटौती प्रतिदिन डेढ़ घंटे से दो घंटे है। चीन में चीनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; हिन्दुस्तान में वह बहुत ही कम है। चीन में, दूरभाष की संख्या प्रचूर है और गुणवत्ता भी ठीक है; हिन्दुस्तान में इसके बार-बार खराब होना होता है और इसकी गुणवत्ता भी खराब होती है। चीन में, श्रमिक की औसत मजदूरी 3,000 रुपए प्रतिमाह है; हिन्दुस्तान में 5,000 रुपए प्रतिमाह है। चीन में, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान आदि जैसी अप्रत्यक्ष मजदूरी लागत शून्य है; हिन्दुस्तान में यह लगभग वेतन का 50 प्रतिशत है। चीन में, श्रमिकों का अनुशासन जबर्दस्त है, हिन्दुस्तान में यह औसत स्तर का है। चीन में मूल्य वर्धित कर पर बिक्री कर-17.5 प्रतिशत है, हिन्दुस्तान में, यह 8 प्रतिशत से लेकर 16 से 24 प्रतिशत तक है। चीन में कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है, हिन्दुस्तान में यह बहुत अधिक है; हमें 27 सरकारी अभिकरणों को आवेदन करना होता है, यदि हम कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं।

चीन में, प्रथम दो वर्षों में आयकर नगण्य होता है, और उसके बाद 33 प्रतिशत होता है। भारत में, यह 38.5 प्रतिशत है। चीन में,

पूरी की जाने वाली सरकारी औपचारिकताएं और इनमें लगने वाला समय नगण्य होता है और सभी चीजों का निपटारा एक ही व्यक्ति करता है, हिन्दुस्तान में, जैसा मैंने कहा, कोई उद्योग आरंभ करने हेतु 27 अभिकरणों से निपटना होता है। निर्यातों पर होने वाला लाभ चीन में कर मुक्त है। हिन्दुस्तान में यह पूर्णतया कर योग्य है। बैंक ऋणों पर ब्याज की दर चीन में दो से तीन प्रतिशत की है, भारत में यह 13 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक है।

मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि हम सचमुच विश्व व्यापार संगठन में सचमुच स्पर्धा करना चाहते हैं और हमारा देश उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु दी गई सुविधाओं के संबंध में चीन का अनुकरण कर रहा है। इन दस मुद्दों में से, जिनका मैंने उल्लेख किया है, केवल दो मुद्दों का संबंध कामगारों से संबंधित है। तथापि, मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारी सरकार ने श्रमिक सुधारों के मुद्दे का अध्ययन करने हेतु तत्काल वर्मा समिति गठित की थी। सरकार उद्योग से संबंधित सभी मुद्दों के लिए वही मानदण्ड अपनानी की बजाय पहले श्रमिक सुधार करने में बहुत ही इच्छुक है। श्रमिक प्रबंधन से और नीति निर्णयन से यह किसी प्रकार संबंधित नहीं है। सरकार श्रमिक सुधार इसलिए करना चाहती है क्योंकि एक उद्योग समूह, ऐसा कहा जा रहा है कि यह सरकार इसी के दबाव मे चल रही है — यह चाहता है कि पहले श्रमिक सुधार किया जाए। शिव सेना की तरफ से, मैं आपको बताता हूं कि वर्मा समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसी श्रमिक सुधार को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार हमारे देश में उपलब्ध अन्य सुविधाओं के संबंध में वही मानदण्ड न अपनाले।

जहां तक बैंक ऋणों पर ब्याज का संबंध है, मुझे आशा है कि किसी भी सरकार के लिए दो तीन वर्षों में 13 एवं 17 प्रतिशत की सीमा को 2-3 प्रतिशत तक लाना संभव नहीं होता है। इस संबंध में मैंने एक सुझाव दिया है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले छह वर्षों से हम अपने भाषणों में कई सुझाव देते रहे हैं परन्तु हमारे सभी सुझाव रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। मुझे आशा है कि कम से कम इस वर्ष हमारे सुझावों को जहां तक संभव होगा, स्वीकार किया जाएगा, और यह कि उन्हें रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाएगा। मैं अपने वो अन्य सुझाव भी सामने रखूंगा, जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था।

ऋण पर इस ब्याज के संबंध में, मैंने माननीय वित्त मंत्री को पत्र भेजा है। दुर्भाग्यवश, कोई जवाब नहीं आया है। उस पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि हिन्दुस्तान में, एक निर्माता अथवा उद्योगपति अपने प्रस्तावों को अपने निवेश पर 30 से 35 प्रतिशत लाभ की अपेक्षा करते हुए बैंक को भेजता है परन्तु विश्व व्यापार संगठन के कारण और विद्युत, जल, दूरभाष और मजदूरी की बढ़ती लागत के कारण, वह जब वस्तुओं का निर्माण आरंभ करता है तो वह 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के लाभ के स्तर को बनाए रखने में असमर्थ होता है। यह 15 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक गिर जाता है। इस तरह के लाभ के साथ, वह अपने ऋण की किस्त और ब्याज की धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता है।

चीन में, एक सुविधा है, जो बुलेट लोन स्पैनिंग ओवर 99 इयरस् कहलाती है मैं माननीय वित्त मंत्री से ऋण की अवधि को कम से कम 20 वर्ष से 35 वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। जिन लोगों ने पहले ऋण लिए है, परन्तु मूलतः अपेक्षित दर की तुलना में लाभ का अनुपात कम हुआ है, उसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह करना बहुत ही संभव है। ऋण की अवधि को बढ़ाने से उनको उनकी किस्त का भुगतान करने के लिए कुछ धन उपलब्ध हो जायेगा, क्योंकि किस्त कम हो जाएगी। बैंक को इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बढ़ी हुई अवधि पर भी बैंक ब्याज लेता है। ब्याज की दर को कम करना संभव नहीं है। पूर्व के ऋण धारकों की ऋण की अवधि को बढ़ाने के लिए भी, कम से कम 20 वर्ष से 35 वर्ष बिल्कुल संभव है।

परसों रोजगार सृजन के लिए हो-हल्ला हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि लोगों को यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अब सरकार उन्हें बुलाएगी और उन्हें रोजगार देगी। केवल एक संसाधन की सुविधाएं देकर बढ़ावा देने की आवश्यकता है — वह है घरेलू विनिर्माण। मैं अपेक्षा कर रहा था कि इस वर्ष के बजट में, वित्त मंत्री आयात-विकल्प निर्माताओं को करों और ब्याज दरों पर विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। बजट में कहीं भी आयात-विकल्पों के निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। कुछ विशेष ध्यान रखने से यह क्षेत्र घरेलू उद्योग में वृद्धि लाएगा।

मैं इस संबंध में आपको उदाहरण दे सकता हूं।

मुझे काफी प्रसन्नता है कि इस सरकार ने कृषि के प्रति गहरी गहरी रूचि दिखायी है। कृषि के बारे में, अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा है : "कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा और लहू है।" उन्होंने कृषि क्षेत्र को कुछ छूट दी है।

महोदय, क्या आप जानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम में क्या हो रहा है? उनकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार कीटो के कारण और मानव खपत के योग्य न होने के कारण 20 मिलियन टन खाद्य पदार्थ को गटर में फेंक दिया गया है।

इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपये है। हमारे किसान काफी उत्पादन कर रहे हैं परन्तु भारतीय खाद्य निगम उनकी भंडारण करने में उतना समर्थ नहीं है जितना होना चाहिए। इसका क्या कारण है?

[श्री प्रकाश परांजपे]

पिछले एक वर्ष से मैं भारतीय खाद्य निगम के लोगों के साथ घूम रहा हूं। महोदय, मुझे सचमुच यह कहते हुए गर्व है कि आईआईटीके दो अभिशांताओं ने खाद्यान्नों को कीट रहीत करने की एक नई प्रणाली विकसित की है। आज की स्थिति के अनुसार हम अपने खाद्यान्नों को कम से कम वर्ष में चार बार कीटमुक्त कर रहे हैं। उनकी तकनीक के अनुसार, न केवल कीट मारे जाते हैं बल्कि उनके अंडे भी खत्म हो जाते हैं। और एक ही बार में खाद्यान्न कई वर्षों के लिए संरक्षित हो जाता है। मैं इन खाद्यान्नों के नमूने साथ लाया था, और भारतीय खाद्य निगम के लोगों ने तकनीकी रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश, धन पोषण की समस्या सामने आती है।

महोदय, इसी तरह, हमने इस वर्ष श्री बी०जी० शिर्के को पद्मश्री प्रदान किया है। बी०जी० शिर्के एंड एसोसिएट्स ने भी जी०आई०सी०, कोठारों में खाद्यान्नों का भंडारण करने की नई तकनीक उपलब्ध कराई है। आप यह जानकर चकित होंगे कि 1970 से है। जब श्री जगजीवन राय हमारे कृषि मंत्री थे, शिर्के एंड एसोसिएट्स ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परन्तु आज तक, किसी मंत्री ने खाद्यान्नों के भंडारण की नई प्रणाली पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

जब मैं इस पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ इसपर चर्चा कर रहा था, तो मुझे यह कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम में 6000 ब्लॉक है, जहां उनके द्वारा गोदामों का निर्माण किए जाने की संभावना है। अब, गोदामों की जगह यहां कोठार होनी चाहिए। परन्तु इन 6000 ब्लाकों में से केवल 1000 बलॉकों में उन्होंने गोदामों का निर्माण किया है।

महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने भारत के सभी आंदरूनी हिस्सों को राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से भारतीय खाद्य निगम के लिए विशेष शर्तों पर 5000 करोड़ रुपए संस्वीकृत करने का अनुरोध कर सकता हूं कि इस धन का उपयोग भंडारण की नई तकनीक पर और नए कोठारों पर भी किया जाना चाहिए। कोठारों को उर्ध्व बनाया जाता है। फिर आवश्यक भूमि भी बहुत कम है। सभी हमारे देश में भूमि की कीमत जानते हैं। हमारे देश में भूमि बहुत कीमती है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि, कम से कम, मेरे इस सुझाव को उनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं यह कहा है कि 'कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और लहू है।'

अब, महोदय, मैं एक वाक्य कहता हूं कि मेरे सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इन सभी दल और राजनीतिज्ञ हमेशा यह कहतें हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया जाये। प्रत्येक की यही राय है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। 540 सदस्यों की इस सम्माननीय सभा में केवल 23 संसद सदस्य ऐसे हैं जिनके पास 15 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो फिर क्या हम अल्पमत में नहीं हैं। संसद सदस्य के रूप में अपने पहले वर्ष से ही मैं माननीय प्रधान मंत्री को लिख रहा हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री को लिख रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : परन्तु आप अधिक मतों से बहुमत में हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : मैं भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह कहते हुए लिख रहा हूं कि हिन्दुस्तान का सबसे कोटा निर्वाचन क्षेत्र वह है जहां से हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री पी०एम० सईद आते हैं और जहां मतदाताओं की संख्या 36,000 है।

हिन्दुस्तान के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में 31 लाख मतदाता हैं, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 28,32,000 मतदाता हैं। महोदय, एम.पी. लैड फंड में असमानता है। जिस व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र के 36,000 मतदाता हैं उसे भी 2 करोड़ रुपए मिलते हैं जबकि जिस व्यक्ति के पास 28 लाख मतदाता हैं अथवा 15 लाख से ऊपर मतदाता हैं उसे भी 2 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं।

मैंने केवल 23 संसद सदस्यों की सूची दी है जिनके मतदाता 15 लाख से अधिक हैं। मैंने छः वर्ष पूर्व एक सुझाव दिया था और हर जगह मैं यह सुझाव दे रहा हूं। यदि वित्त मंत्री मेरा सुझाव स्वीकार करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं इस फंड के प्रारंभ किए जाने के पहले वर्ष से ही यह सुझाव दे रहा हूं कि एम पी लैड फंड से 15 लाख मतदाता तक 2 करोड़ रुपए; 15 से 20 लाख मतदाता तक 3 करोड़ रुपए और 20 लाख से ऊपर मतदाता के लिए 4 करोड़ रुपए तक दिए जाने चाहिए।

मंत्री स्वप्न देख रहे हैं कि वे चुनाव के बाद मंत्री भी बनेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि वे चुने गए संसद सदस्यों और जो बहुमत में हैं, की संख्या पर मंत्री बनते हैं। कम से कम गत दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों की मांग पर विचार नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से सबसे पहले अनुरोध किया है कि कम-से-कम उन्हें इस राशि को बढ़ाकर 2 से 3 करोड़ रुपए करना चाहिए। परन्तु वित्त मंत्री ने इस बजट में एम पी लैड फंड की पूरी तरह अनदेखी की है।

कुछ राज्यों में लोग शायद निधियों का उचित रूप से उपयोग न करे रहे हों। उसका यह अर्थ नहीं कि सभी संसद सदस्य निधियों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए, यह अन्याय और असमानता दूर किये जाने चाहिएं।

अंततोगत्वा दो वर्ष पश्चात् हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाना है। जहां तक सामान्य बजट के आंकड़ों का संबंध है। वे बिलकुल ठीक हैं। परन्तु गांव वालों की दिन-प्रतिदिन की समस्याएं जैसे पीने के पानी की समस्या, रेलवे समस्या और स्कूल की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, आपको जानकार खुशी होगी कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख रुपए की लागत से 4 स्कूलों का निर्माण कराया है। ये लोग कहां से पैसा लाएंगे? क्या आप मुझ से यह चाहते हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए की छोटी-सी राशि से लोगों की मदद करूं? मेरे पास 4 निगम, 3 परिषद; एक जिला परिषद इत्यादि हैं। परन्तु गत 6 वर्षों के दौरान किसी ने भी इन सब चीजों की परवाह नहीं की।

मैं सत्ता पक्ष से हूं। मैं एक शिव सैनिक हूं। अपने मुखिया, शिव सेना प्रमुख के आदेश के अनुसार मैं कभी भी सरकार के खिलाफ मत नहीं दूंगा। इसीलिए वे मेरी मांग को दबा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है। इसीलिए, मैं आज एक चीज की घोषणा कर रहा हूं क्योंकि मैं आहत हूं। मैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए 6 वर्षों से इस सरकार के पीछे पड़ा हुआ हूं। परन्तु इस सरकार ने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया है। मैं यह राशि विकास कार्य के लिए चाहता हूं। मुझे अपने अनुरोध पत्र की कोई पावती तक नहीं मिली। इसलिए, यदि इस बार धन में वृद्धि नहीं की गई तो मैं प्रधान मंत्री निवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। हम उन्हे कब तक समर्थन देंगे? क्या मुहं लेकर हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे? लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष में हैं यह एक छोटी राशि है; एक छोटी मांग है और वह भी प्रमाणित औचित्य के साथ, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतदाताओं की संख्या में असमानता है। महोदय, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं? अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस परिसीमन करने का क्या आधार है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : आप आज ही समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दीजिए। यहा अच्छा और बढ़िया मौका है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, परिसीमन आयोग ने क्या मानदंड अपनाया है? उन्होंने मतदाताओं की संख्या का मानदंड अपनाया है। इसलिए हम परिसीमन के पश्चात अगले चुनाव के दौरन सभी निर्वाचन क्षेत्र 12 से 15 लाख मतदाता के बीच होंगे। इसलिए, केवल उन 23 सदस्यों के लिए एमपी लैड फंड में वृद्धि करने का बोझ बढ़ेगा। जिनके पास 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मेरी सरकार मेरी उस मांग का जवाब नहीं दे सकती जो कि मैं गत 6 वर्ष से करता आ रहा हूं। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री एम पी लैड फंड में वृद्धि करने की मेरी न्यायसंगत मांग को स्वीकार करके मुझे भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश नहीं करेंगे। *(व्यवधान)* मैंने प्रस्ताव किया है कि 15 लाख तक 2 करोड़; 15 से 20 लाख तक 3 करोड़; और 20 लाख से ऊपर 4 करोड़ रुपए। यह चार्ट गत 6 कर्म से चल रहा है परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने नहीं दिया है।

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी) : क्या राज्य सभा सदस्य को मिलेगा?

श्री प्रकाश परांजपे : राज्य सभा के लिए राज्य सभा के सदस्य कहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना। इसलिए, पहला सुझाव जो मैंने दिया था वह था खाद्यान्नों का प्रसंस्करण। मैं एक बात भूल गया। केवल 5,000 करोड़ रुपए देकर आप 15,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न बचा रहे हैं, इसलिए, आपके निवेश की 4 माह में ही वसूली हो जाती है। यदि आप अपने उत्तर में नई तकनीक के माध्यम से निर्माण और खाद्यान्नों के प्रसंस्करण हेतु अलग से 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं तो मैं आपका आभारी हूंगा।

सत्ता पक्ष के सदस्यों सहित प्रत्येक हमेशा उद्योगपतियों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बारे में बात करता है। आम आदमी और सेवारत आदमी के बारे में कौन बोलेगा जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने उन्हें क्या दिया है? आपने उन्हें बिजली प्रभार में वृद्धि, टेलीफोन प्रभार में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी इत्यादि दिया है। कोई भी सरकार यह देखने की परवाह नहीं करती कि आम आदमी और जो ईमानदार करदाता है, के साथ क्या हो रहा है। आपने उन्हें कुछ रियायतें दीं हैं और मुझे वास्तव में उन्हें शैक्षिक लाभ देने के लिए खुशी है अर्थात् यदि एक परिवार में दो बच्चे हैं और यदि वह 12000 रुपए प्रति बच्चा खर्च कर रहा है तो वह राशि मानक कटौती इत्यादि के लिए सकल आय में से कम कर दी जाएगी। आपने आयकर से अधिप्रभार समाप्त करके कुछ अच्छी सुविधाएं दी हैं।

यहां मैं कहता हूं कि आप एक बुनियादी नीति संबंधी निर्णय लें जैसा कि आपने स्वीकार किया है कि कर की दर कम करने से राजस्व में कमी नहीं होगी। हमारा आय कर का वर्तमान ढांचा इस प्रकार है : यदि मानक कटौती के पश्चात् निवल आय 50,000-60,000 रुपए के बीच है तो 10 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा; यदि 60,000-1,50,000 रुपए के बीच है तो उसे 20 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा; यदि यह 1,50,000 रुपए से ऊपर है तो उसे 30 प्रतिशत भुगतान करना

[श्री प्रकाश परांजपे]

पड़ेगा; जो भी 8,00,000 से अधिक कमा रहा है तो उस पर 10 प्रतिशत अधिकर लागू होगा।

मेरा आपसे यह अनुरोध है। क्या आप इसे थोड़ा अलग बना सकते हैं अर्थात् जो अपनी आय 8,00,0000 से अधिक घोषित करते हैं तो आयकर 15 प्रतिशत होना और 10 प्रतिशत अधिकर होगा? इससे व्यक्ति को अपनी आय घोषित करने में मदद मिलेगी क्योंकि भारत में अधिक धन कमाना जुर्म बन गया है — यदि कोई व्यक्ति अधिक धनार्जन करता है तो उस पर भारी कर लगाया जाएगा।

मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस संबंध में मेरा गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक गत दो वर्षों से लंबित है जिसमें मैंने सुझाव दिया है कि आय पर कर के स्थान पर 'व्यय पर कर' होना चाहिए। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि मानसिकता बदलने में समय लगेगा लोगों को अधिक धन खर्च करने के लिए परिवर्तित करने के लिए समय लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध यह है और आप इस बारे में गम्भीरता से विचार कर सकते हैं : 8,00,000 रु० से अधिक कमाने वालों के लिए आप 15 प्रतिशत आयकर और दस प्रतिशत अधिकर ले सकते हैं। इसके द्वारा मुझे विश्वास है कि राजस्व बढ़ेगा और कम नहीं होगा क्योंकि लोग महसूस करेंगे कि उन्हें कम कर देने की जरूरत है और इस तरह वे अपनी आय घोषित करेंगे और इस तरह असली धन को काले धन में नहीं बदला जाएगा। आप कह रहे हैं कि काले धन की सामनांतर अर्थव्यवस्था चल रही है परन्तु हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मेरा यह समाधान है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो यह बेहतर होगा। कम से कम आप एक वर्ग के लिए इसका प्रयास कर सकते हैं। हर वर्ष हम बजट के द्वारा आय कर की धाराओं और नियमों को बदल रहे हैं। यह मेरा सुझाव है और आप इस प्रकार कर सकते हैं; आप उच्च आय वर्ग के लिए कम आय की दर रख सकते हैं। इसके द्वारा राजस्व बढ़ेगा और घटेगा नहीं।

मैं आम आदमी की समस्याओं तथा टेलीफोन प्रभारों में वृद्धि के बारे में बात कर रहा था। जब यूरिया पर कर बढ़ाया गया था तो सभा में हल्लाबोलो हुआ था। परन्तु जब टेलीफोन प्रभार बढ़ाये गए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। टेलीफोन विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो लाभ में कार्य कर रहा है। इसलिए दरों में वृद्धि करने का क्या कारण है? उन्होंने दरें ही नहीं बढ़ाई बल्कि पल्स दर भी कम कर दीं। पहले यह तीन मिनट की पल्स थी; अब यह 2 मिनट की एक पल्स कर दी गई है।

मुझे याद है कि जब हमारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास इस विभाग का प्रभार था तो उन्होंने नौकरशाहों को बहुत सरल उदाहरण दिया था। उन्होंने यह कहा था : यदि वह केला खरीदने जाती हैं तो वह दुकानदार से केला के दाम के बारे में पूछती हैं। दुकानदार कहता है कि वह 12 रुपए दर्जन है। वह पूछती हैं कि यदि वह दो दर्जन खरीदना चाहें तो क्या दाम होंगे। वह कहेगा कि 11.50 रुपए प्रति दर्जन। वह पूछती हैं कि यदि वह पांच दर्जन खरीदना चाहें तो क्या दाम होंगे। वह कहेगा कि 10 रुपए प्रति दर्जन। इसलिए, वह कहती हैं कि जैसे ही मात्रा बढ़ती है वैसे ही कीमत गिर जाती है।

परन्तु टेलीफोन के मामले में यदि कालों की संख्या 1000 से ज्यादा होती है तो दर भी बढ़ती है। परन्तु जब टेलीफोन काल अधिक हैं तो प्रशासनिक खर्चे नहीं बढ़ते। यदि में 1000 काल से अधिक करता हूं तो आप मुझे अधिक भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए, वे दो, तीन या चार टेलीफोन रखते हैं और काल 1000 प्रति टेलीफोन तक रूक जाती हैं और इस तरह मैं किसी और को अपना टेलीफोन लेने से वंचित करता हूं।

क्या मैं वर्तमान संचार मंत्री से तत्काल इस बारे में घोषणा करने का अनुरोध करता हूं कि टेलीफोन प्रभारों में जो भी वृद्धि की गई है उसे वापस ले लिया जाएगा? यह असंभव नहीं है। परन्तु क्योंकि वह सेल्यूलर फोन को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं इसलिए वह टेलीफोन को महंगा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं? झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास भी साधारण फोन है। समझने वालों को इशारा काफी है। मैं उस व्यक्ति का नाम क्यों लूं जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है? रिलायंस हमारे देश को खरीद रहा है। वे कहते हैं कि सभी मंत्रालय उनकी जेब में हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा है या नहीं किन्तु मैं यह जानता हूं कि यदि केवल रिलायंस को लाभ पहुंचाने के लिए टेलीफोन शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है तो हमें आन्दोलन करना होगा। क्योंकि हम, शिव सेना वाले, आम मध्यम वर्गीय आय वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हैं। हम लोग निश्चित रूप से कामकाजी वर्ग, श्रमिक वर्ग के और ऐसे वर्ग जिसकी तरफ वास्तव में ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन जो नहीं दिया जा रहा है। कई बातें ऐसी हैं जो वास्तव में मुझे दुख पहुंचाती हैं।

सभापति महोदय : श्री परांजपे, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रकाश परांजपे : मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैं जानता हूं महोदय कि अगली फरवरी में हम बजट पर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यदि मई या जून में चुनाव होंगे तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। अतः बजट पर चर्चा में भाग लेने का यह अन्तिम अवसर है। यदि आप मुझे दो तीन और बातें कहने का अवसर देते हैं तो मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शिव सेना से एक और वक्ता हैं।

श्री प्रकाश परांजपे : वे अपना समय मुझे देकर प्रसन्न होंगे क्योंकि मैं कुछ सकारात्मक सुझाव दे रहा हूं। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं वे सुझाव दे रहा हूं, जिनकी आम आदमी सरकार से अपेक्षा करता है। बजट वाद विवाद के दौरान मेरे अन्तिम भाषण में मैंने कहा था कि दुर्भाग्यवश मंत्री लोग सचिवों से मिल रहे हैं। चुने गए सदस्यों से मिलने का उनके पास समय नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से एक और वक्ता हैं।

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मैं जानता हूं। उन्होंने अपना समय मुझे दे दिया है।

मैंने अपने पहले के भाषण में भी कहा था कि मंत्री सचिवों के साथ बैठकर काफी समय बिता रहे हैं। एक सचिव उनके कक्ष में बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कानून बनाते हैं। निर्वाचित सदस्यों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वे हमारी भावना जानना नहीं चाहते। हमारी भावना केवल वैयक्तिक भावना नहीं है बल्कि ये हमारे मतदाताओं की भावना है। वे हमारे कार्यालय में आते हैं और बताते हैं कि वर्तमान सरकार, कम से कम राजग सरकार से उनकी आकांशाएं क्या हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजग सरकार ने अच्छे काम किए हैं किन्तु अभी भी आम आदमी के लिए बहुत कुछ किए जाने की संभावनाएं है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश, संबद्ध मंत्री श्री टी०आर० बालू सभा में उपस्थित नहीं हैं।

परम्परागत तरीके से एक हिन्दू के अन्तिम संस्कार में 2000 रु० से कम नहीं लगते हैं। विद्युत शवदाह भी मंहगा है क्योंकि इसमें लगभग 1,30,00,000 रु० का पूंजी व्यय शामिल है। लगभग तीन साल पहले मैंने विभिन्न प्रकार के अन्तिम संस्कार में शामिल व्यय के बारे में संबद्ध मंत्री श्री टी०आर० बालू को एक तुलनात्मक विवरण दिया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो तकनीशियनों ने खर्च के रूप में मात्र 300 रु० के डीजल शवदाह गृह को विकसित किया है। दुर्भाग्यवंश, मंत्री जी के पास कागजों को देखने का समय नहीं है। उन्हें ही प्रदूषण का ध्यान रखना है। उन्हें वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रु० ही नहीं देने हैं बल्कि वृक्षों की रक्षा भी करनी है। यदि विभाग द्वारा डीजल शवदाह का समर्थन किया जाता है तो वृक्षों की कटाई में भारी कमी आएगी। गत तीन वर्षों से संबद्ध मंत्री ने चार्ट को देखने और मेरे साथ चर्चा करने कि यह योजना क्या है, की भी परेशानी नहीं उठायी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ये दो तकनीशियन राजस्थान गये।

(व्यवधान)

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापटनम) : हिन्दू शास्त्र इससे सहमत नहीं होंगे।

श्री प्रकाश परांजपे : मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में अब भी यह महंगा कार्य है। एक अन्तिम संस्कार में 4000 से 5000 रु० का खर्चा आ रहा है। वहां के पुलिस आयुक्त ने मुझे बताया कि कम से कम लावारिश शवों का अंतिम संस्कार करने में वे इस नयी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि पैसा बचा सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच स्थानों पर यह सुविधा है। महाराष्ट्र में 19 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है और इस तरीके का इस्तेमाल करके 19,000 शवदाह किए गए हैं। यह बहुत अच्छा तरीका है।

जैसा कि मैंने कहा था, भारतीय लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। पूरा विश्व इससे ईर्ष्या करता है किन्तु हमारी सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहां कुछ युवा वैज्ञानिक और तकनीशियन हैं जो ऐसी चीजें बना सकते हैं जो आम आदमी के उपयोग लायक हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, मैं आपसे संबंधित मंत्री श्री बालू को सूचित करने का अनुरोध करता हूं कि कम से कम उन कागजों को देखें क्योंकि इस राजसहायता प्राप्त डीजल शवदाह से गरीब लोगों को काफी मदद मिलेगी। क्योंकि आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं कि हमने वृक्षारोपण पर कितना पैसा खर्च किया है। विद्युत शव्दाहगृह को स्थापित करने का खर्चा 1.30 करोड़ रु० आता है। किन्तु इसकी लागत मात्र 30 लाख रु० है। अत: उतने ही खर्चे में आपके पास एक विद्युत शवदाह गृह के बजाए चार शवदाह गृह होंगे। इसमें रोज का खर्चा मात्र 300 रु० हैं क्योंकि इसको मात्र 20 लीटर डीजल की जरूरत होती है और इसे करने के लिए किसी आदमी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सब सुझाव दे रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश मंत्री के पास मेरे कागजों को देखने या मुझसे बात करने का समय नहीं है क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में हूं। अंत में क्या करेगा, वह चिल्लाएगा। फिर प्रैस में निकलेगा।

आज कल प्रैस से निपटना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि यदि आप प्रैस के साथ निपट सकें तो आपका भाषण समाचार पत्र में छप सकता है। मेरी इसमें रूचि नहीं है। मेरे लिए यह सम्माननीय सभा मीडिया है पैसा नहीं। यदि प्रैस मेरा भाषण नहीं छापता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। चूंकि हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मेरे बहुमूल्य सुझावों को सुन रहे हैं, मेरे सुझावों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं, वह मेरे लिए भारी विजय है। अत: मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि मीडिया कवर कर रहा है अथवा नहीं।

[श्री प्रकाश परांजपे]

मैं आम आदमी के हित में ये सब सुझाव देना चाहता था। मैं सांख्यिकीय आंकड़ों के बारे में बोलना नहीं चाहता जो हमेशा आंखों में धूल डालते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े और आर्थिक सर्वेक्षण ठीक हैं किन्तु असलियत को हम बेहतर जानते हैं। यदि वित्त मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करते हैं। तो मैं आभारी रहूंगा। मुझे आशा है कि वे स्वदेशी विनिर्माताओं को अधिकाधिक मौका देंगे जो एक तेजी से उभरता उद्योग है और जो रोजगार सृजित करेगा। सड़कों तथा भवनों के निर्माण से रोजगार मिलेगा। किन्तु बुद्धिजीवी वर्ग का क्या होगा? वह वर्ग तथा आवश्यक बुद्धि यहां है किन्तु लाल फीताशाही उन्हें आगे नहीं आने देती। इसीलिए वे अमरीका जा रहे हैं। आप उन्हें चीन की तरह एकल खिड़की दीजिए। महोदय, मैं आपको एक अन्तिम उदाहरण दूंगा। भारत का एक व्यक्ति चीन से बालू आयात करता था और यहां टाइल्स बनाता था। चीन की सरकार ने उसे देखा। उनके पास प्रणाली ऐसी है जहां मेयर को अपने क्षेत्र में जो कुछ वह कहना चाहे उसे करने की शक्ति प्राप्त है। केन्द्र सरकार मेयर को आर्थिक सहायता देती है। मेयर ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि वह बालू का आयात क्यों कर रहा है और उसने चीन में अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उसने कहा कि वह ऐसा करने को तैयार है। मेयर ने सोचा कि यदि वह यहां फैक्ट्री खोलेगा तो मेरे आदमियों को रोजगार मिलेगा। आखिरकार प्रत्येक सरकार रोजगार सृजन करना चाहती है। उस व्यक्ति ने कहा कि वह आज शाम 5 बजे की उड़ान से हिन्दुस्तान जा रहा है और वह अपनी अगली यात्रा के दौरान इस पर चर्चा करेगा। उन्होंने उससे लाइसेंस और अन्य अनुमति जैसी उसकी जरूरतों के विषय में पूछा। उसने 10 से 20 मदों की सूची दी। उसके चीने से प्रस्थान करने से पहले सभी अनुमतियां 4 बजे उसके हाथ में थमा दी गयीं। क्या भारत में ऐसा दिन आएगा? उसने अपनी जरूरतों की सूची 10 बजे दी और 4 बजे सभी अनुमति उसे दे दी गयी। पहले नारियल फोड़ो, बाद में भारत जाना।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : किन्तु श्री नारायण मूर्ति ने कहा कि चीन के प्रधान मंत्री ने स्वयं उन्हें चीन में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य शुरू करने का आमंत्रण दिया है किन्तु चीन से कोई अनुमति नहीं मिल रही है। उन्हें इसका बहुत खेद है। सूचना प्रौद्योगिकी से चीन में रोजगार मिलेगा।

श्री प्रकाश परांजपे : हमारा देश श्रमिकोन्मुखी है। हम बुद्धिजीवी वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं अपितु कठोर श्रमिक वर्ग की बात कर रहे हैं। मैं इसका उल्लेख वित्त मंत्री को यह बताने के लिए कर रहा हूं कि अभी भी समय है क्योंकि चुनाव होने में दो वर्ष बाकी हैं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, विशेषत: खाद्यान्न संरक्षण के संबंध में, वे हमारे देश के हित में हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नयी प्रौद्योगिकी की सहायता से साइलों का निर्माण करने में मात्र 5000 करोड़ रु० की आवश्यकता है। किन्तु यह 5000 करोड़ रु० इस निर्देश के साथ दिए जाने चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस पैसे का इस्तेमाल बी०जी० सिर्के के विनिर्देशों जो खाद्यान्न संरक्षण हेतु नई प्रौद्योगिकी के अनुसार साइलों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री को मेरे विचारों से अवगत कराएं। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि मुझे अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु उनके आवास पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य या विवश न करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : माननीय सभापति महोदय, आम बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बजट के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे उप-नेता पहले ही इन सभी पहलुओं पर बोल चुके हैं। मैं बजट पर सामान्य टिप्पणियों की बात नहीं करूंगा बल्कि बजट प्रस्तावों पर कुछ टिप्पणियों और इस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ही बात करूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम मैं बजट की रूपरेखा के बारे में बात करूंगा। मैं सचमुच चिंतित हूं कि वित्त मंत्री बाहर जा रहे हैं; मुझे आशा है कि कोई ना कोई तो इस बजट की विशेषताओं के बारे में कही जा रही बातों पर ध्यान देगा। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री बजट में अपनी बातों को परिलक्षित करते हैं। उन्होंने पेयजल कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और इसी प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर बल दिया है।

महोदय, बजट कुछ और नहीं, सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। वस्तुत: यदि आप संविधान को देखें तो इसमें 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है यह केवल एक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है। मुझे आश्चर्य है कि सामाजिक क्षेत्रों में आबंटन प्रतिवर्ष कुछ बजट आबंटन के 11.1 अथवा 11.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। सामाजिक क्षेत्र में आबंटन प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत के आसपास रहा है। मेरे पास आपके यह दर्शाने के किए 1993 से लेकर अब तक के आंकड़ें हैं कि ब्याज भुगतान संबंधी व्यय सदैव 28 प्रतिशत या 29 प्रतिशत या 30 प्रतिशत है। रक्षा व्यय 13 से 14 प्रतिशत के बीच होता है। वास्तव में, अन्य गैर-योजनागत व्यय, जिसका एक बड़ा भाग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने में चला जाता है, जो 1995 में 18,000 करोड़ था, पांचवे वेतन आयोग के बाद 38,000 से 39,000 करोड़ रुपये हो गया है जोकि 11 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकार द्वारा यह दर्शाया जा रहा है कि बजट गरीब लोगों के लिए है। वास्तव में, ऐसा नहीं है। ब्याज और अन्य गैर-योजनागत व्यय के भुगतान पर कड़ा रूख क्यों नहीं अपनाया जाता है? केवल गरीबों के कार्यक्रमों के संबंध में ही कड़ा रूख क्यों अपनाया जाता है और इसके द्वारा

यह मिथक बनाया जाता है कि बजट गरीब लोगों की सेवा करने के लिए है।

अपराह्न 5.07 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 'पीठासीन' हुए]

महोदय, मेरी दूसरी चिन्ता घाटे वाले वित्तपोषण के बारे में है। यह वर्ष दर वर्ष चलता है। इस संबंध में वित्त मंत्री हर वर्ष गलत साबित हुए हैं। वे फरवरी और मार्च के महीने में घाटे वाले वित्तपोषण के बारे में जो कुछ कहते हैं वह अगले वर्ष के शुरू में गलत साबित हो जाता है। घाटे वाला वित्तपोषण हर वर्ष बढ़ता है और ब्याज भुगतान का भार भी बढ़ जाता है। जब से हमने घाटे वाले वित्तपोषण की इस अवधारणा को अपनाया है, हम ऋण लेते जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप हमारा ब्याज भुगतान संबंधी भार भी बढ़ जाता है। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं सिकुड़ते मनीबैग के बारे में चिंतित हूं, यह हमेशा स्थिर रहा है।

महोदय, यदि आप सामाजिक क्षेत्र के खर्चे पर नजर डालें तो यह केवल 10 प्रतिशत था। यदि आप सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो यह केवल 1.1 प्रतिशत था। इस वर्ष यह 1.2 प्रतिशत है। कोई मेरे इस आंकडे को ठीक कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मैंने 'द इकनामिक सर्वे' का अध्ययन किया है। ब्याज के भुगतान और अन्य गैर-योजनागत व्यय के कारण प्रतिवर्ष हमारा मनीबैग छोटा होता जा रहा है। हम अपने राजस्व व्यय को ऋण लेकर पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को सब जानते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वयं यह स्वीकार किया है कि कुल प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ब्याज के भुगतान पर खर्च हो जाता है जिससे हमारा मनी बैग छोटा हो रहा और गरीबों के लिए हमारा आवंटन स्थिर और वही रहता है।

जहां तक ऋण लेने का संबंध है, मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार और पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी ऋण लेने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। वस्तुत: एक संवैधानिक आवश्यकता यह है कि प्रत्येक सरकार को ऋण लेने की एक सीमा निर्धारित करनी होती है और इस सरकार ने इस बाध्यता को कभी पूरा नहीं किया है। हर वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह टिप्पणी करता है किन्तु हरबार उसकी अवहेलना की जाती हैं और सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, इससे वित्त संबंधी मामलों के संबंध में अनुशासनहीनता पैदा हो गई। गत वर्ष भी जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह कहा था कि वे वित्तीय प्रबंधन विधेयक लाएंगे। उस विधेयक का क्या हुआ? आपको आय और व्यय पर काफी कठोर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है मेरी सामान्य चिंताएं और टिप्पणियां हैं।

मैंने हर वर्ष यह देखा है कि विशेषकर आम बजट पेश करते समय कि उसमें कम घाटा दिखाए जाने की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद, अक्तूबर के अंत में आप अनुपूरक मांग रखते हैं। संविधान के अनुसार अनुपूरक मांग तब रखी जा सकती है जब कोई अप्रत्याशित व्यय करना हो और यह किसी भी मामले में वास्तविक अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक न हो। किन्तु हम यह देखते हैं कि अनुपूरक मांगों के माध्यम से नियमित और वचनबद्ध व्यय भी किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मीडिया या इस सभा के सदस्य अनुपूरक मांगों की कभी भी कड़ी समीक्षा नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप हर साल के अंत में वित्तीय घाटा इस प्रतिशत से बढ जाता है जो आपने बजट प्रस्तुत करते समय दिखाया था या जिसका अनुमान लगाया था। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। मैं जानता हूं कि यह प्रवृत्ति विशेषकर वित्त विभाग के लोगों मे पनप रही है। वे शुरू में कम घाटा दिखाने का प्रयत्न करते हैं और बाद में अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करके वे वास्तविक घाटे को बढ़ा देते हैं। यदि आप एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार है, जैसाकि आप सदैव दावा करते है तो इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। इसके अलावा इस देश के लोगों को हर बात जानने का अधिकार है।

गत तीन वर्षों में मैं यह देख रहा हूं कि सदैव 8 प्रतिशत वृद्धि दर पाने का लक्ष्य रखा जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। गत वर्ष यह 8 प्रतिशत थी और उससे पहले 7 प्रतिशत थी। यद्यपि आप अधिक रोजगार सृजित करने की आशा में इतना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है और जब मैं रोजगार की बात करूंगा तो इस बारे में बताऊंगा। मैंने वर्षों से यह देखा है कि चाहे वृद्धि हुई हो प्रत्याशित सीमा तक रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं। हमने रोजगार सृजन के बिना वृद्धि की है। समानता और सामाजिक न्याय के बिना वृद्धि हुई है। वस्तुत: समाज के एक विशेष वर्ग या स्तर पर धन संचित होता रहा है। यह राशि समाज के सभी वर्गों में नहीं बंटी है। इसके फलस्वरूप आपने जिस प्रकार की वृद्धि हासिल की है उसने सारे समाज की सहायता नहीं की है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्याशित वृद्धि दिखाई नहीं पड़ी है। केवल सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

इस बजट की क्या नीति है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और वास्तव में मैं पूर्व बजटों से खुश था। कम से कम उन्होंने विगत की उपलब्धियों और भविष्य की नीति के बारे में तो बताया था। वे पूर्व बजट की उपलब्धियों और चालू बजट की प्राथमिकताओं के बारे में बताते थे। किन्तु इस बजट से मेरे लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि इस सरकार की प्राथमिकता और नीति क्या है। यह एक घालमेल वाला बजट है। गुजराती में इसे 'खिचड़ी' कहते हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

आपने कभी भी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया है। इस सरकार की प्राथमिकता समाज के नियमित आय वाले वर्गों को निशाना बनाने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? मैं इस बजट में यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वे आदिवासी कहां हैं जो इस देश की जनसंख्या का 8 प्रतिशत हैं। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बजट से उन्हें क्या लाभ होगा? मैं 12 करोड़ से अधिक कृषक मजदूरों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस देश के 16 प्रतिशत दलित और दलित किसानों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग को ढूंढ़ रहा हूं। बजट में उन्हें लाभ पहुंचाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। आपने आदिवासी किसानों, दलित किसानों, अल्पसंख्यक किसानों और अन्य किसानों को क्या दिया है? यदि वे कम से कम 2 या 3 महीनों के लिए प्रतिदिन 5 लीटर डीजल का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रतिदिन 5 लीटर डीजल खरीदने पर उन्हें सरकार को अधिकतम 7.50 रु० का कर देना होगा। यह उस अवसंरचना हेतु उपकर है जिसके लिए आप धन जुटाना चाहते हैं। चाहे निर्माण मजदूर, या वन मजदूर हों, या औद्योगिक मजदूर अथवा फेरी वाले, बजट में किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं एक ऐसा बजट देखना चाहता हूं जो समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर वित्तीय संसाधनों का वितरण कर सके। आप इसके न्यासी हैं। यद्यपि आप सत्ता में हैं फिर भी आपके पास अपनी इच्छानुसार वितरण करने का अधिकार नहीं है। किन्तु कम से कम आपको यह नहीं करना चाहिए, कि वे सभी संसाधन समाज के कतिपय वर्गों में ही वितरित हो जाए और इस देश के सभी गरीब को इस बजट के प्रावधानों या आवंटनों और अन्य लाभों से वंचित रह जाए।

अब मैं रोजगार की बात करता हूं। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सरकार एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजित करेगी। हमारे नेता ने भी इसका उल्लेख किया है। सभा में बैठे आपके लोगों ने इसे गलत साबित कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस सभा में कहा था कि वे हर वर्ष 86 लाख रोजगार सृजित करेंगे। मेरे पास आंकडे हैं और आप इसका खंडन करते हैं। यह सी०एम०आई०ई० आंकडें हैं। इसमें कहा गया है कि 1996 के बाद से 36 मिलियन लोगों के नाम रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज हैं। 1999-2000 और इस वर्ष भी 40 मिलियन लोग रोजगार की तलाश में हैं। यदि आपकी सरकार यह दावा कर रही है कि यह हर वर्ष 86 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे तो फिर इस देश में हर वर्ष रोजगार मांगने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है?

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे सरकारी रोजगार हैं। हमें इस बारे में बेबाकी से बताइए। क्या आपके पास यह दिखाने हेतु आंकड़े हैं कि औपचारिक क्षेत्र में कितने रोजगार सृजित किए गए हैं? क्या आपके पास सकल घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान दर्शाने वाले आंकड़े हैं। क्या आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रणाली है? आप किस प्रकार यह दावा कर सकते हैं? महोदय, यदि उन्होंने 86 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं तो मैं इस सभा में उन्हें चुनौती देता हूं कि वे क्षेत्रवार, उद्योगवार और राज्यवार इन्हें दिखाएं और हम उसका सत्यापन करेंगे। हम प्रधानमंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए उस वक्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं। जिसमें यह कहा गया है कि सरकार रोजगार सृजित करने जा रही है। इसकी गिनती कौन करेगा? हम यह काम करने को तैयार हैं। आपका विभाग हमें बताए कि उन्होंने ये रोजागर के अवसर सृजित किए हैं।

[अनुवाद]

आप श्रम दिवसों की बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो सारे राज्यों के लिए सच हो सकता है। उदाहरण के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी०आर०डी०ए०) पर विचार कीजिए, जो कि एक विकास कार्यक्रम है। आप ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबद्ध हैं। संशोधित बजट में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन राशि में कमी आई है। स्पष्ट रूप से आप इस वर्ष इस में वृद्धि कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि आप अक्तूबर और नवंबर में आबंटन राशि में कमी नहीं करने जा रहे हैं। फरवरी में ज्यादा आबंटन राशि दर्शाने और उसके बाद सितंबर अथवा अक्तूबर में संशोधित बजट प्रस्तुत करते समय आबंटन राशि को घटाने की मंत्रालय, विशेषकर इस विभाग में बैठे लोगों की प्रवृत्ति है।

आप शिकायत करते रहते हैं। आप इस बात को अगला बजट प्रस्तुत किए जाने तक कभी नहीं जानते। यह आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संशोधित अनुमान गत वर्ष अधिक था और अब तक इस यह घटाया जा चुका है। पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रम का यही मामला है। गत वर्ष संशोधित अनुमान अधिक था, लेकिन इस वर्ष आबंटन कम कर दिया गया है।

मैं रोजगार-अकुशल व्यक्तियों के रोजगार के बारे में बात कर रहा था। मैंने इस संबंध में मंत्रालय को पत्र लिखा था। सरकार श्रम दिवसों की गिनने में क्या करती है। विभिन्न राज्य सरकारो को धन भेजा जाता है। संबंधित राज्य सरकारें, जहां पर सूखा और प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे धारा 26(1) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से छूट देते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी०आर०डी०ए०) के मार्गदर्शी सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी०आर०डी०ए०) के सभी कार्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी

का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसमें पांच किलो अनाज भी सम्मिलित है। अर्थात न्यूनतम मजदूरी का हिस्सा और न्यूनतम मजदूरी के अन्य हिस्सों का नकद भुगतान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार क्या करती है? जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम (डी०आर०डी०ए०) के कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के वास्ते वास्तव में वे अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत कुछ खास व्यवसायों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की सीमा से छूट देते हैं। इसके द्वारा, न्यूनतम मजदूरी दिए बिना काम चलाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न करने का मामला दाखिल न करे सके क्योंकि न्यूनतम मजदूरी खास रोजगारों के लिए नहीं होती है। मैंने मंत्रालय से यह पूछते हुए उन्हें पत्र लिखा था कि जब जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम (डी०आर०डी०ए०) के अंतर्गत सरकार द्वारा धन दिया जाता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जाता है। उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं इस विषय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाऊंगा। बैठक में मैंने विशेष रूप से पूछा था कि वे श्रम दिवसों को कैसे गिनते हैं? मैंनें उनसे पूछा कि क्या श्रम-दिवस न्यूनतम मजदूरी के आधार पर गिने जाते हैं। वास्तव में, गुजरात जैसे राज्य में, न्यूनतम मजदूरी वास्तविक रूप में एक कार्य से दूसरे कार्य में अलग-अलग होती है। सिंचाई कार्य के लिए यह 82 रु०; वन संबंधी कार्य के लिए 82; अन्य कार्यों के लिए 83 अथवा 85 रु० है। स्केर्सिटी वर्क जिसके अंतर्गत पूरा जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम (डी०आर०डी०ए०) कार्य परिवर्तित किया गया है, उसके लए सकेर्सिटी मजदूरी 42 रु० है। इसलिए, जिला ग्रामीण विकास कार्य (डी०आर०डी०ए०) के कार्य के लिए आप जितना धन खर्च करते हैं तथा सारे राज्यों को देते हैं वह आधा विभाजित किया जा रहा है जो कि श्रमिकों को दिया जाता है तथा उसके बाद आप कार्य के श्रम दिवसों पर पहुंचते हैं। यहां यह बताया जाता है कि कार्य के अनेक श्रम दिवस बनाए गए हैं। क्या धन वास्तव में निर्धन व्यक्तियों के पास पहुंचा है? क्या धन वास्तव में निर्धन व्यक्तियों के पास उस सीमा तक पहुंचा है? यदि ऐसा नहीं है। मुझे उस पर ही सख्त आपत्ति है। पूरी प्रणाली संख्याओं का बढ़ाने का प्रयास कर रही है और यह स्वयं प्रणाली में बढ़ावा करने का प्रयास कर रही है, जिससे यह ऐसा दर्शाने वाली एक तस्वीर बनाती है कि मानो सारा धन निर्धन व्यक्तियों के पास जा रहा है।

मुझे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करने दीजिए। इस देश की आठ प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय क्षेत्रों अथवा वन वाले क्षेत्रों में रह रही है। मैं वित्त राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश में वन संबंधी कानून हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कोई केवल वन संबंधी कानूनों के कारण राज्य प्रशासन अथवा वन विभाग को निर्माण करने अथवा पहले से मौजूद सड़क को पक्का बनाने के लिए या उन्हें संपर्क सड़कों वाले जनजातीय क्षेत्रों में छोटे गांवों से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आबंटित धन जनजातियों अथवा वनीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए नहीं मानी जाती है। क्या उन्हें कुछ गलती की है अगर वे वनों में रहते हैं अथवा कई वर्षों और सदियों से वनों की सुरक्षा करके उन्होंने गलती की है? उन्हें इस सुविधा से वंचित क्यों किया जा रहा है? वे वहां पर स्वयं अपने विकास के लिए कुआं क्यों नहीं खोद सकते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाने के लिए नहर क्यों नहीं बना सकते हैं? मैं सिर्फ यह पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि वित्त मंत्रालय समस्या का समाधान किस प्रकार से करने जा रहा है। क्या आबंटित धनराशि, उन लोगों को छोड़कर जो सदियों से रिजर्व वनों में रह रहे हैं, केवल समाज के कुछ खास वर्गों के लिए समझी जाती है? क्या उन्हें सिर्फ, वहां पर रहने की वजह से वंचित किया जाना चाहिए? मैं यह बात मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

इंदिरा आवास योजना के लिए कितना धन आबंटित किया गया है? वे कहते हैं कि 24 लाख रिहायशी इकाइयां वे बनाते हैं। क्या कभी उन्होंने यह देखने का प्रयास किया है कि इस देश में कितने निवासी शैचालयों और स्नानघरों की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं? सर्वेक्षण इस स्थिति को दर्शाता है। एन०एस०एस०ओ० के आंकड़े यह दर्शाते हैं। मेरी चिंता यही है कि जब धन राशि आबंटित की जा रही है, तो वह खास लोगों द्वारा की जाती है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह एक प्रकार की मनोवृत्ति है जिसका मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूं। मनोवृत्ति क्या है? वे अब दसवीं योजना अवधि में हैं। वे निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोगों का सर्वेक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने यह बात परामर्श जो समिति में उठाई। किसी संसद सदस्य से परामर्श नहीं किया गया है। यह योजना आयोग का सूत्र जिसे इस सभा के सदस्यों को स्वीकार करना है।

सर्वेक्षण का स्वरूप क्या कहता है? वास्तव में, सर्वेक्षण जनसंख्या विज्ञान जोकि भूमि, अन्य बातें और इत्यादि है, के बारे में कहता है। प्रश्नों में से एक प्रश्न जो बहुत ही चिढ़ उत्पन्न करने वाला है वह यही है। प्रश्न यह है : एक परिवार के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? क्या वे दो जोड़े, तीन-जोड़े अथवा चार जोड़े हैं? यह वह प्रश्न है जो कार्यवाही वृत्तांत में है। इसके अंतर्गत स्कोर दिए जा रहे हैं। 13 अकों के साथ 52 अंक अधिकतम स्कोर है और इस बीच सभी प्रश्नों में जो कहे जा चुके हैं, आपका स्कोर एक से चार होना चाहिए। वास्तव में, काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। क्या हम यह सोच रहे हैं कि एक बार वे 15000 रु० की आप के स्तर से ऊपर हुए हैं, तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं? इस देश में कितने

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

लोग 16,000 रु० से 20,000 रु० की आय वाले रह रहे हैं? क्या 15000 रु० से 20,000 रु० के लगभग की आय वाला परिवार धनी परिवार है? क्या हम यह कह रहे हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है? इसलिए मैं केवल योजना आयोग के सभी राज्यों से यह कहने वाले पत्र से संबद्ध हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा तय की गई कोई पूर्व संख्या नहीं बढ़नी चाहिए।

किसी व्यक्ति ने यह पूछते हुए एक पी०आई०एफ० दाखिल की है कि योजना आयोग अथवा योजना मंत्रालय राज्यों को यह कहते हुए कैसे निदेश दे सकता है कि एक एक बार कोई व्यक्ति गरीबी रेखा को पार करता है अथाव एक बार व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर बताया जाता है, तो वह कभी भी जीवन में अपने स्तर से नीचे नहीं आएगा? यही मेरी चिंता है। मैं यह कह रहा हूं। कि क्योंकि संसाधनों को इसके आधार पर आबंटित किया जाता है। यही मेरी चिंता है जो मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं।

मैं वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि छह करोड़ व्यक्ति अंत्योदय योजना में है। वहां केवल 50 लाख परिवार क्यों हैं? छह करोड़ व्यक्तियों के साथ गड़बड़ी हुई? क्या हम यह समझते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हो सकते, हम संसाधनों को उत्पन्न नहीं कर सकते? यदि हम इस देश में 60,000 करोड़ मूल्य के आधार भूत ढांचे का निर्माण करने के लिए डीजल पर 1.50 रु० उपकर प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास नौकरी गारंटी अथवा कार्य गारंटी क्यों नहीं हो सकती है? हम यह इस देश को व्यक्तियों को क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या हमने कभी अपनी योजना में इस पर विचार किया है? क्या हम बजट बना रहे हैं जहां मुख्यरूप से रोजगार पर ध्यान है? मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस सभा को पुन: आश्वासन दें कि इस देश में हर घर में न्यूनतम 500 रु० की आय हो। लाखों घर हैं जिनको प्रतिदिन पांच रुपये की अन्य नकद आय प्राप्त नहीं होती है। हमारा बजट उनके लिए क्या कर रहा है? क्या हम उन्हें काम दे रहे हैं? क्या हम उन्हें आय प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की तसल्ली दे रहे हैं? वास्तव में राष्ट्रीय रोजगार आयोग कहता है कि काम के लिए 154 दिन हैं।

(व्यवधान) इस मुद्दे को सुना जाना जरूरी है क्योंकि मैं सीधे बजट तैयार करने के तरीके और किए जा रहे आबंटन से चिंतित हूं। समाज के कौन से वर्ग सारे संसाधनों को ले रहे हैं? मैं इससे चिंतित हूं। इसीलिए, मैं यह बता रहा हूं। क्या हम इसे उचित तरीक से सुव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। मंत्री महोदय, आप मेरी आय में वृद्धि कीजिए और मैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का ख्याल रखूंगा। धन कहां है? काम कहां है? वित्त मंत्री के भाषण में इसे लक्षित क्यों नहीं किया गया है? इसे हमारी योजना में लक्षित क्यों नहीं किया गया है? यही मेरी चिंता है जिसे मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, एक कृषि श्रमिक को काम के केवल 159 दिन मिलते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आयोग ने इसका मूल्यांकन किया है।

अन्य श्रमिक कैसे कार्य दिवस प्राप्त कर रहे हैं। हर जगह मंदी है। मेरे अपने शहर, अहमदाबाद में, जो इस देश का मान चेस्टर था, वहां वस्त्र उद्योग में धीरे-धीरे धीरे-धीरे मंदी आई है। इसने स्वयं शहर में बहुत अधिक दोनों सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न की है। अत:, अंत्योदय योजना कहां है? अंत्योदय योजना में, तुरंत छह करोड़ व्यक्ति शामिल नहीं किए गए हैं। महोदय, अन्य राज्यों. विशेष रूप से तटीय राज्यों में ऐसा ही मामला है। हमारा राज्य तटीय राज्य है। एन०सी०सी०एफ० में, उन्होंने चारपहियों की गाड़ी तथा दुपहियों को खरीदने में एक प्रतिशत कर लगाया है। यह अच्छा है लेकिन कौन एन०सी०सी०एफ० के योगदान का निर्णय का निर्णय कर रहा है? कुछ राज्यों पर कृपा दृष्टि क्यों रखी जाती है, और अन्य राज्यों पर क्यों नहीं? मैं इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कराना चाहता हूं कि जब गुजरात का दो-तिहाई हिस्सा सूखे से जूझ रहा है, तो उसके बाद भी एन०सी०सी०एफ० से गुजरात राज्य को धनराशि क्यों नहीं दी जा रही है। क्या गलती हुई? प्रणाली क्या है? किस प्रकार का तंत्र बनाया जा रहा है? यह निर्णय कौन करता है कि एन०सी०सी०एफ० को धनराशि दी जानी चाहिए अथवा नहीं? पेयजल के क्षेत्र में आपने धनराशियों का आबंटन किया है। हमारे कुछ मानदंड हैं। ये मानदंड कहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 40 लीटर पानी मिलना चाहिए। क्या विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि उचित रूप से उपयोग किया जा चुका है? क्या कभी इन मानदंडों का पालन किया गया है? देश में जल की कमी है। ना सिर्फ यही, बल्कि यह कई राज्यों में दंगों का कारण बनेगा विशेषकर पेयजल के लिए क्योंकि इन्हीं लोगों पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। वाटर टैंकर आर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपये व्यय किए जा रहे हैं, वह वास्तव में कभी भी राज्यों की पेयजल की मांगों को पूरा नहीं कर पाया है।

इसलिए, स्वास्थ्य, आदि जैसे अन्य मुद्दे हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम है। मैं इन विषयों पर विस्तार पूर्वक नहीं बोलूंगा लेकिन मैं अवश्य ही यह पसंद करूंगा कि वित्त मंत्री इस मामले को देखें। यह इसलिए है क्योंकि वह कृषि के विषय पर जोर दे रहे हैं।

पानी दुलर्भ वस्तु होने जा रहा है। वे ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए किसके पास धन हैं? किस प्रकार की राजसहायता दी जा रही है? क्या यह पर्याप्त है? क्या वह

राजसहायता ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त है? क्या पानी उपलब्ध है? हमारे क्षेत्र के लोगों को हजारों फीट गहराई में जाने के बावजूद भी पानी नहीं मिलता है। सिंचाई या जल संरक्षण के लिए हमारी दीर्घावधि योजना क्या है? देश में जल संरक्षण के लिए सरकार किसे अधिक प्राथमिकता दे रही है या उसकी व्यापक पहल क्या है जिससे कि जल की मांग को पूरा किया जा सके? निश्चय ही, मुझे इससे निराशा हाथ लगी है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम वित्त मंत्री जी इसकी गहराई में जाएं। दूसरे शब्दों में मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वे कृपा करके उन लोगों का जिनकी कोई नियमित आय नहीं है कतिपय प्रोत्साहन देकर उनके लिए कोई रणनीति बनाने की कोशिश करें और उन्हें धन निर्यात करने का प्रयास करें। वर्तमान प्रोत्साहन से केवल उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी; इससे समाज के कतिपय वर्गों के लोगों की मांग बढ़ेगी और विकास दर बाधित होगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। यह एक बार फिर भेदभावपूर्ण होगी और इससे आय का अन्तर बढ़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे देश में एक प्रकार का असंतोष पनपेगा जो निश्चय ही इस देश के भविष्य के लिए फायदेमंद नहीं होगा।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में वर्तमान मासिक पत्रिका पढ़ रहा था। मैं उसमें समाज के अलग-अलग एक्सपर्ट्स और विभिन्न तबकों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न किया। एक मैगजीन का कवर था जिस में लिखा था मिस्टर फील गुड़ा।

[अनुवाद]

और आगे उन्होंने सबके लिए कुछ कहा है। कुछ उद्योग के लिए कहा है, वेतनभोगियों को राहत देने की बात की है और निवेश में गति लाने की बात कही है। वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह ने अपने पहले बजट से हर वर्ग के लोगों को खुश किया है।

[हिन्दी]

सभापति जी, दूसरी एक पत्रिका ने भी बजट के बारे में लिखा। माननीय शिवराज पाटिल जी अभी यहां नहीं है। वह बजट की परिभाषा और मुख्य व्याख्या कर रहे थे। बजट की भाषा सामान्य व्यक्ति के शब्दों में अगर कहें तो यह होती है कि

[अनुवाद]

फरवरी का अंतिम दिन सरकार के लिए न केवल अपने लेखाबही को सार्वजनिक करने का अवसर है, बल्कि उसे यह दिशा तय करने के लिए आर्थिक नीति पर अपनी सोच व्यक्त करनी पड़ती है कि कैसे सरकार, उद्योग, यहां तक कि आम नागरिक भी, धन कमाएंगे, उसे खर्च करेंगे और कैसे अपनी बचत करेंगे।

[हिन्दी]

उसी में आगे यह लिखा है :–

[अनुवाद]

"एक न्यूज चैनल के टीकाकार ने कहा है : यह बजट क्रिसमस ट्री के समान है। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है, समाज के हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें भारत की राजनीतिक और आर्थिक संपन्नता की ताकत को बताया गया है।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, ऐसा बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। शिवराज जी नहीं हैं। मैंने एक बार पहले भी सदन में एक मराठी कहावत कही थी। मराठी में कहते हैं – "निन्दकाचे घर असावेत शेजारी" यानी जो आलोचक होता है, जो हमारी निन्दा करता है उसका घर अपने पड़ोस में होना चाहिए ताकि हम जागरूक रह सकें। मैं कांग्रेस पार्टी की इस पॉज़िटिव आलोचना का तो स्वागत करता हूं लेकिन मैं साथ ही यह भी सोचने का प्रयत्न कर रहा था कि बजट में कहीं तो कुछ अच्छा लिखा होगा। क्या इस बजट में यह नहीं है –

[अनुवाद]

पहली बार किसी वित्त मंत्री ने कहा है : "गरीबों के लिए स्वास्थ्य।"

[हिन्दी]

महोदय, 1989 से अभी तक के सभी वित्त मंत्रियो के जो भाषण और इकोनॉमिक सर्वेज़ हैं, उनको पिछले दो-तीन दिनों से मैंने लाइब्रेरी में बैठकर देखने का प्रयत्न किया। यहां हमारे वित्त मंत्री हैं और प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने गरीबों के स्वास्थ्य के बारे में और आम आदमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने क्या कहा है –

[अनुवाद]

"गरीबों के लिए स्वास्थ्य" के बारे मे कहा गया है, प्रतिदिन बस एक रुपए का योगदान करें, आपके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सरकार है – सरकार का ही संस्थान साधारण बीमा निगम है।

[हिन्दी]

कितनी अच्छी कल्पना की है! मैं चाहूंगा कि इस बजट में जो गलतियां हैं वे हमारे ध्यान में लाएं और कुछ अच्छे पॉइंट हैं तो उनको और मजबूत करने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए, उस बारे में भी सुझाव दें।

[श्री किरीट सोमैया]

मैं जब वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने रुककर कहा कि मैं सदन से अपील करूंगा कि हम एक नई कल्पना लेकर सामने आए हैं – हैल्थ इन्श्योरेन्स। हमारे देश में, समाज में, हमारे फाइनेंस में, हमारी इकोनॉमी में यह टोटली अनएक्सप्लॉइटेड सैक्टर है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है।

[हिन्दी]

कि समाज साथ मिलकर एक-एक रुपया कंट्रीब्यूट करे और जो भी बीमार होगा, उसे उस समय 30 हजार रुपये मिलेंगे। अगर वह काम पर नहीं जा पाया तो 15 दिन के लिए उसको 50 रुपये रोजाना दिए जाएंगे और जो घाटा उसमें होगा, वह सरकार देगी।

[अनुवाद]

'गरीबों के लिए स्वास्थ्य' की परिकल्पना पहली बार की गई है।

[हिन्दी]

आज हम सब लोक सभा में प्रश्न पूछते हैं, अपनी पार्टी के मैनिफैस्टो में लिखते हैं। हम अपने बच्चों को यह संस्कार देते हैं कि बुजुर्गों की सेवा करो, आदर करो – ये हमारे देश के संस्कार हैं, हमारे देश की संस्कृति है लेकिन अगर बुजुर्गों का ख्याल रखने का प्रयत्न वित्त मंत्री जी ने किया तो हमें उसकी कुछ तो सराहना करनी चाहिए थी।

[अनुवाद]

पहली बार भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी नीति की घोषणा की है, उनके लिए एक वित्तीय पैकेज और सहारा देने की बात की है।

[हिन्दी]

जो हमारे पालक हैं, पेरेन्ट्स हैं, गार्जियन्स हैं क्योंकि

[अनुवाद]

इसका श्रेय हम सभी को जाता है।

[हिन्दी]

कि हिन्दुस्तान में 1947 में आम आदमी का लाइफ-स्पैन 37-38 साल का था।

[अनुवाद]

2001 की जनगणना में यह बढ़कर 64 वर्ष हो गया है। यह हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि है।

[हिन्दी]

लेकिन साथ-साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि उसके कारण समाज में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि आज हमारे देश में पौने आठ करोड़ सीनियर सिटिजन्स हैं।

महोदय, 2007 में उनकी संख्या 10 करोड़ हो जाएंगे। जो रिटायर्ड हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें आर्थिक सपोर्ट किस प्रकार से देना, उनके लिए क्या करना है। इस हेतु हम एक स्कीम लेकर आए हैं।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम एक सरकारी संगठन है।

[हिन्दी]

बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज उसमें सवा दो लाख या जो भी रकम आती है उससे उनकी मदद की जाएगी।

[अनुवाद]

ऐसा पहली बार हुआ है।

[हिन्दी]

9 परसेंट इंटरैस्ट सरकार देगी और हर महीने की एक तारीख को 2000 रुपए का चैक उसके एकाउंट में जमा हो जाएगा।

[अनुवाद]

यह एक परिकल्पना है।

[हिन्दी]

यह बात मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं कि कुछ भी हो, लेकिन सीनियर सिटीजन में एक उत्कंठा थी, प्रतीक्षा थी और वे सोच रहे हैं कि जब ऐसी कोई योजना आए। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब 1 अप्रैल आए और हम इस योजना के सदस्य बनें। मैं बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल के बाद एल०आई०सी० के कार्यालयों के सामने लाइन लगेगी, क्योंकि लोगों को लाइफ कारपोरेशन में विश्वास है। वे जानते हैं कि उनका भविष्य आपके हाथों सुरक्षित है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री ने विश्वास के बारे में कहा है। हमें कराधान की अवधारणा को संदेह के दायरे से निकाल विश्वास के दायरे में लाना होगा। हमें विश्वास पर जोर देना होगा।

[हिन्दी]

कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता है, चाहे वह नौकरी करता है, चाहे वह कांट्रेक्ट बेस पर कार्य करता है, कोई भी अपना छोटा-मोटा व्यवसाय करता है, उसे इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बड़ी शंका की निगाह से देखते हैं और उससे कहते थे कि तुमने टैक्स भरा है या नहीं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने पहली बार उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की है। यह देश मेरा और आपका नहीं है। यह देश उनका है जो अपना व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वे अपने पैरों पर खड़े होंगे। जो नौकरी करते हैं। उन्हें इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को शंका की दृष्टि से देखना बन्द करना पड़ेगा। उनके लिए क्या-क्या नहीं दिया वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्ग है, जो मेहनत करता है, उसे फायदा मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने उनका बहुत ध्यान रखा है। जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी करता है, जो ऑनेस्ट है जिसका टैक्स एम्पलायर तनखा देने से पहले काट लेता है।

[अनुवाद]

मैं मानता हूं, यह भारत की पूंजी है। उन्होंने कहा, "आप ईमानदार है।" हमारी पूंजी क्या है? हमारी पूंजी मानव संसाधन है।

[हिन्दी]

आप नौकरी करने जाते हो, आपका पैसा कटता है, आपको उसका हिस्सा मिलना चाहिए।

महोदय, स्टैंडर्ड डिडैक्शन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया। इतना ही नहीं वित्त मंत्री जी ने कहा कि हिन्दुस्तान के कल के भविष्य को यदि देखना है, आने वाले भविष्य को देखना है, यदि 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो हमें आने वाली पीढ़ी को अधिक सुसंस्कारित और सुशिक्षित करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

राजग सरकार ने इसे मान लिया है। उन्होंने कहा है : "हम आईटी, बायोटेक, फार्मेसी और शिक्षा को महत्व देने जा रहे हैं।"

[हिन्दी]

मैं एक भाषण सुन रहा था जो महाराष्ट्र में दिया गया उसमें हमारी आर्थिक स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है।

महोदय, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारी हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। इन्फर्मेशन टैक्नौलोजी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है। आज हमारा फॉरिन एक्सचेंज दिनोंदिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। यह किस के कारण हो रहा है, यह हमारे लोग जो विदेश गए हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उनके कारण हो रहा है। वे वहां से यहां पैसा भेज रहे हैं। हमारे देश के लोग फार्मास्युटिकल, बायो-टैक्नौलौजी इंडस्ट्रीज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, शिक्षा है, जो हमारी अक्ल है, उसके कारण देश आगे जाने वाला है। एन०डी०ए० गवर्नमेंट ने इसे रिकॉगनाइज किया है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए खर्च करो और 12 हजार रुपए तक हम आपकोटैक्स में रिबेट देंगे। मुम्बई में एक इकनौमिस्ट ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

19वीं सदी अंग्रेजों की थी।

[हिन्दी]

क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरे विश्व के नैचुरल रिसोर्सेस की मानिटरिंग करते थे, उनका नियंत्रण था।

[अनुवाद]

20वीं सदी अमेरिकनों की थी।

[हिन्दी]

क्योंकि अमरीका का कंट्रोल पूरी दुनिया के मटीरियल पर था।

[अनुवाद]

उन्होनें कहा है :– "19वीं सदी अंग्रेजों की प्राकृतिक संसाधनों के कारण थी। 20वीं सदी अमेरिकनों की भौतिक संसाधनों के कारण थी 21वीं सदी भारत की मानव संसाधनों के कारण होने जा रही है।"

[हिन्दी]

यह हमारे ह्यूमन रिसोर्स के कारण है। हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगे। हम पहुंच रहे हैं। इसको रिकॉगनाइज करने का काम इस बजट में हुआ है।

बजट में मंत्री जी ने क्या नहीं दिया? वित्त मंत्री जी ने कहा कि केपिटल मार्केट सुधारनी होगी, कैपिटल मार्केट सुधरेगी तो सेविंग बढ़ेगी, केपिटल मार्केट में आएगी, सेविंग ज्यादा मोबालाइज, चेनलाइज होगी, केपिटल मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में आएगी। फिर उसके द्वारा

[श्री किरीट सोमैया]

इंडस्ट्री में जाएगी और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तथा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, बचत ज्यादा होगी। इसके लिए उन्होंने केपिटल गेन्स टैक्स, जो लॉंग टर्म के ऊपर था, उसे छूट दे दी। इसके साथ डिविडेंड टैक्स के बारे में एक नई भूमिका अपनाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री जी ने एक बार सामान्य छोटे निवेशक के हाथ में इंकम टैक्स 80एल की जो डिविडेंड में रिबेट मिलती है, इन्होंने एक तरफ डिविडेंड को कम्पनी के हाथ में टैक्सेबल किया। इन्होंने 80-एल के अंतर्गत मर्यादा 9000 रुपए की कम नहीं की, इन्होंने कहा कि आप ज्यादा बचाओ, इनवेस्ट करो। ये 9000 रुपए की मर्यादा 12,000 तक लेकर गए।

[अनुवाद]

50,000 रुपए के कुल लाभ की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

इन्होंने मेडीकल ट्रीटमेंट के लिए, अपंग बच्चों और लेखकों के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्होंने अलग-अलग प्रकार के लीव ट्रेवल एलाउंस दिए। इंटरस्ट बर्डन कम किया, लाइफ सेविंग ड्रग्स में छूट दे दी।

[अनुवाद]

यही कारण है कि भारत की नामी गिरामी, सुविख्यात विशेषज्ञ अर्थशास्त्री और आई०इ०जी० के प्रोफेसर श्रीमती इंदिरा राजामण ने 10 में से 7 अंक दिए हैं। दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री श्री सुबीर गोखानों ने 10 में से 8 अंक दिए हैं। श्री विवेक देवराय ने 10 में से 7 अंक दिए हैं, श्री किरीट पारि ने 10 में से 8 और श्री सिद्धार्थ राय ने 10 में से 7 अंक दिए हैं।

[हिन्दी]

यह किस ने दिया और यह कौन है? एक चीफ इकोनोमिस्ट, प्रोफेसर, आई०जी०डी०आर०, डायरेक्टर हैं, छोटे-छोटे और अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। अलग-अलग कारण दिए हैं। टैक्सटाइल सैक्टर को अच्छा पैकेज दिया। एक्साइज़ ड्यूटी का रेशनालाइजेशन किया।

[अनुवाद]

सड़क और निर्माण को प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

किस ने कहा, टूरिज़म को इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशनलाइजेशन का और किसी ने कहा हैल्थ सैक्टर को भी अपने बढ़वा दिया, यानी डिफरैंट टाइप के लोगों ने दिया। किसी ने कहा यह देखने का प्रयत्न किया। इसके लिए मैं वास्तव में यहां कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी महत्व की बात इन्होंने डिब्यूरोक्रेटाइजेशन की करी। आज तक यह होता था कि इंकम टैक्स का नोटिस आता था तो लोग भागते थे। मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रेक्टिस करता था और अभी भी थोड़ी-बहुत करता हूं। मुझे पता है कि जब इंकम टैक्स और सैल्स टैक्स का एक छोटा से लेटर आता है तो लोग कांपते हैं, पहली बार इस प्रकार का प्रयत्न किया गया। जो इंस्पेक्टर राज है, टैक्सेशन सैक्शन में उसे रोकना।

[अनुवाद]

रैण्डम सैम्पलिंग है, आयकर विभाग की आउटसोर्सिंग है छह महीने के भीतर रिफंड उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

ये अलग-अलग प्रकार की कल्पना लेकर आए हैं। सबसे अच्छा एक प्रयत्न यह हुआ है, जिसके प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। वास्तव में भारत हमारा देश है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री ने क्या दिया है? यह एक अच्छा और नया विचार है, और अवधारणा 'ब्राण्ड इंडिया' की है।

[हिन्दी]

हम जब विदेश में जाएंगे या वहां के लोग यहां आएंगे, क्योंकि अभी हमें अलग-अलग प्रकार का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। देश को मजबूत करना है।

[अनुवाद]

हमें क्या विकसित करना होगा? हमें एक 'ब्राण्ड इंडिया' का सृजन करना होगा।

[हिन्दी]

इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक नयी कल्पना देने का प्रयत्न किया है।

महोदय, मेरे सहयोगी ने कहा है कि इंकम टैक्स में सरचार्ज आदि में जो कुछ किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो छोटा व्यक्ति है, सामान्य नौकरी करने वाला है,

[अनुवाद]

उन्हें कर का लाभ होगा। उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 35 फीसदी कर की बचत होगी।

[हिन्दी]

जो 10,000 रुपए टैक्स भरता है, 9030 रुपए साल का इंकम टैक्स भरने वाला है, उसे अब खाली 3,400 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा।

नौ हजार रुपए टैक्स देने वाले को 3400 रुपये टैक्स देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उन्हें 65 फीसदी कर की बचत होने जा रही है।

[हिन्दी]

मित्रो, मैं सोच रहा था कि कभी कभी एक विचित्र परिस्थिति निर्मित होती है। कुछ दिन पहले मैंने वर्तमान पत्र में पढ़ा था कि हमारे वित्त मंत्री ने जब यह पदभार संभाला था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं राजपूत हूं, मैं लड़ाई करना जानता हूं। यह आर्मी में बहुत बड़े पद पर थे, पद से निवृत्त हो गये तो आर्मी का व्यक्ति का सम्मान कौन करना चाहता है, डिफेंस के लोग करना चाहते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लग रहा है, भारत सरकार ने भी लगभग अनुमति दे दी है। डिफेंस के लोग माननीय जसवन्त सिंह जी का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें कारगिल मैडल देना चाहते हैं। कारगिल मैडल किसलिए, क्योंकि उन्होंने कारगिल के युद्ध के समय पर विदेशी मंत्री के नाते जो भूमिका निभाई, उसके लिए उन्हें मैडल मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि डिफेंस के व्यक्ति उन्हें वित्त मंत्री के नाते मैडल दे रहे हैं तो इतना सुन्दर बजट देने के नाते अगर जनता ने वित्त मंत्री करके उनका सम्मान किया तो उन्हें कितने मैडल देने चाहिए और किस प्रकार के मैडल देने चाहिए। हमें एक ऐसा वित्त मंत्री मिला है कि जिसने आम आदमी का बेलैंस बनाने का प्रयत्न किया है।

यह बात सही है कि इस वर्ष एग्रीकल्चर में थोड़ी सी कमी होने के कारण हमारा जी०डी०पी० रेट थोड़ा कम हुआ है।

[अनुवाद]

हां, हमें इसे स्वीकारना होगा।

[हिन्दी]

लेकिन क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो बरसात के कारण कम हुई है। हमारे देश में मानसून के ऊपर हम इतना डिपेंड करते हैं।

इकोनोमिक सर्वे का यहां रैफरेंस दिया गया, मैं उसके प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा,

[अनुवाद]

1997 से 2002 तक का भारत में मानसून का प्रदर्शन दिया गया है।

[हिन्दी]

उसमें उन्होंने दिया कि नोर्मल है या एक्सेस। 1997 में डैफीसिएंट जोन तीन थे, 1998 में दो, 1999 में सात, 2000 में सात, 2001 में पांच और 2002 में 21 जोन में बरसात ठीक नहीं थी। इसके कारण अगर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ माइनस तीन परसेंट हुई और उसके कारण अगर हमारे डवलपमेंट पर असर हुआ है तो चिन्ता करना स्वाभाविक है। लेकिन चिन्ता करते समय हमने शायद इसके साथ यह कहा होता कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदियों को जोड़ने की योजना घोषित की है, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ें। इस प्रकार की जो विचित्र परिस्थिति होती है कि साल अगर मानसून खराब गया तो एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ होमी, उसके कारण

[अनुवाद]

हालांकि आपका औद्योगिक विकास छह प्रतिशत है, आपका सेवा क्षेत्र 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दिखाया है, आपका सकल घरेलू उत्पाद चार फीसदी तक सीमित रहा है।

[हिन्दी]

तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें इन नदियों को जोड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा। माननीय कांग्रेस के नेता ने, जब हमारे धनंजय कुमार जी बोल रहे थे, तब उन्होंने बीच में एक विषय उपस्थित किया, अगर वे यहां होते तो मैं उन्हें बताता कि आपने अपने भाषण में यह कहा कि

[अनुवाद]

यह सरकार किसानों और कृषकों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। वे कृषि संबंधी वित्त की बात कर रहे थे। मैं भी उसी आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देना चाहूंगा जिस का आप हवाला दे रहे थे।

[हिन्दी]

इकोनोमिक सर्वे में क्या कहा,

[अनुवाद]

मैं कृषि के क्षेत्र में संस्थागत क्रेडिट के प्रवाह संबंधी आंकड़े को बताना चाहूंगा। "1997'98 में कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध संस्थागत ऋण 31,956 करोड़ रुपए का था।"

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

अभी 1997-98 में, यानी सरकार जिस दिन आई, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एन०डी०ए० की सरकार नहीं थी, उसके पहले तो कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें थीं तो आपने कितना एग्रीकल्चर फाइनेंस दिया था।

[अनुवाद]

यह 31,956 करोड़ रुपए का था।

यह राशि वर्ष 2002-03 में 82,073 करोड़ तक पहुंच गई है।

[हिन्दी]

यह सरकार मानती है कि इस देश में आज एग्रीक्लचर का अपना एक महत्व है और इसके कारण किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की।

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 271 कार्ड वितरित किए गए हैं।

[हिन्दी]

2004 तक इन सभी को कवर करने का हम प्रयत्न करने वाले हैं। मुझे मंजूर है कि अनेक बार टीका-टिप्पणी होती है और कहा जाता है कि 8 परसेंट जी०डी०पी० ग्रोथ रेट आप कैसे करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

हालांकि यह कभी-कभी मुश्किल लगता है।

[हिन्दी]

अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो हमें इसी प्रकार का कोई टारगेट लेना पड़ेगा। जिस देश में हम 6.4 प्रतिशत ग्रोथ रेट तक जा सकते हैं तो वही देश उसी शक्ति के आधार पर व्यवस्थित करके, आयोजन करके, प्लानिंग करके और यदि मानसून थोड़ा साथ दे तो

[अनुवाद]

हम आठ फीसदी को भी पार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हम सपना देखते हैं। क्यों सपना देखते हैं? जिस देश में सर्विस ग्रोथ रेट 7 परसेंट हो सकती है, मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ वर्ल्ड में गलूम है। उसी परिस्थिति में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम 6 परसेंट के करीब ला सकते हैं तो हम सब प्रयत्न करके इसे 8 परसेंट तक ला सकते हैं। हां, हमें मान्य है। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमें हमारे अतीत का अभिमान है। हम अपने अतीत से प्रेरणा लें और हमारी आंख में भविष्य के स्वर्णीम सपने हैं लेकिन हमें वर्तमान की चुनौती भी स्वीकार है। वह वर्तमान की चुनौती क्या है? वर्तमान की चुनौती यह है कि जो इंटरनैशनल डैट है।

[अनुवाद]

हमारे घरेलू ऋण की क्या स्थिति है?

[हिन्दी]

यह इंटरनल डैट किसके कारण हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ? किसके कारण हुआ? इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई। वर्तमान में चुनौती को स्वीकार करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो वित्त नीतियां हैं, उसको बदलेंगे कि' आज उधार लो और कल के भविष्य की पीढ़ी के ऊपर हम बोझा या कर्जा डालें, यह हमें मंजूर नहीं है।

[अनुवाद]

मैं आंकड़े बताऊंगा पहली बार 1980 में इस देश पर कुल ब्याज का बोझ करीब 7 फीसदी का था।

[हिन्दी]

वह इंटरैस्ट बर्डन आगे बढ़कर कहां तक पहुंच गया?

[अनुवाद]

यह आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। 'ब्याज का भुगतान 34.5 फीसदी अकेला सबसे बड़ा व्यय है।' यह बताया गया है कि 1990 के दशक में उधार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई थी। 1980-81 में ब्याज दर 7 फीसदी थी और 1995-96 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर 13.8 फीसदी तक हो गई।

[हिन्दी]

अगर आप 14 परसेंट के ब्याज पर पैसा लेंगे और कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेंगे, इंटरैस्ट की पैमेंट करने के लिए आप लोन लेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल कर्जा लें तो देश के भविष्य का क्या होगा?

[अनुवाद]

यह वही सरकार है जिसने यह निर्णय लिया है कि हमें इसमें कटौती कर इसपर रोक लगाना होगा।

[हिन्दी]

इसके कारण इस सरकार ने चार साल में इंटरैस्ट रेट कम करते-करते

[अनुवाद]

वर्ष 2001-02 में बाजार में लिए गए उधार की औसतन ब्याज दर घटकर 9.4 फीसदी हो गई और चालू वर्ष में बाजार से लिए गए उधार की औसतन लागत मात्र 7.5 फीसदी रह गई है।

[हिन्दी]

इसके लिए मैं एन०डी०ए० सरकार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री जसवंत सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम करके भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने का काम उन्होंने किया। इसी के साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि अनेक बार हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, वे भूल जाते हैं कि जो वह न कर सके, वह काम इस सरकार ने करके दिखाया है।

[अनुवाद]

मैं माननीय पूर्व वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह को उद्धृत करना चाहूंगा। वर्ष 1994-95 के अपने बजट भाषण में डा० मनमोहन सिंह ने ब्याज के इस बोझ के बारे में कहा था :

> "अगले वर्ष ब्याज के भुगतान के लिए 46,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।"

सायं 6.0 बजे

> "यह चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन से 8000 करोड़ रुपए अधिक है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ब्याज के बोझ का यह बड़ा भाग – मैं इसे दुहराना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ब्याज के बोझ का यह बड़ा भाग विरासत में मिला है और यह सरकार द्वारा ऊंचे स्तर पर लिए जाने वाले उधार से बढ़ता ही जाएगा।"
>
> *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह मेरा वाक्य नहीं है, यह मनमोहन सिंह जी का वाक्य है। 1994-95 में अगर इतना हैवी बर्डन था तो उन्होंने कम करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? *(व्यवधान)* पार्टी ने भी मुझे ज्यादा समय देने के लिए कहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह) : कितना समय और लीजिएगा?

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : या तो मुझे पूरा करने दें नहीं तो मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : अभी दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। सभा की सहमति हो तो दो और माननीय सदस्य श्री पी०एच० पांडियन और श्री रघुनाथ झा का भी सूची में नाम है। उनके बोलने तक सभा की कार्यवाही बढ़ाई जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा जी, क्या आप आज बोलेंगे?

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : बोल लेंगे।

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा के बोलने तक सभा की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : साथ ही उन्होंने आगे कहा, 87,136 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति में 46,000 करोड़ रुपए ब्याज में निकल जाते हैं जो कुल प्राप्ति की 53 फीसदी है।

[हिन्दी]

माननीय वित्त मंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने 1993-94 के बजट में भी इसी प्रकार की बात कही।

[अनुवाद]

उन्होंने आगे कहा :

> "ब्याज भुगतान के लिए वर्ष 1993-94 में 38000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्याज के इस बड़े बोझ का कारण सरकार का निरंतर बढ़ता ऋण है जो पिछले साल-दर-साल के बड़े वित्तीय घाटे को दर्शाता है।"

उन्होंने आगे कहा :

> "घरेलू देयता पर ब्याज की औसतन दर वर्ष 1994-95 में 9.3 फीसदी से बढ़कर वर्ष 1995-96 9.7 फीसदी हो गई और वर्ष 1996-97 में यह 9.9 तक पहुंच गई।"

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता था कि यह बात सही है कि आज हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा है।

[अनुवाद]

पहली बार सरकार ने बाहरी और घरेलू ऋण को इधर से उधर करने की कोशिश की है। क्या हम केन्द्र और राज्य के कुल वित्तीय घाटे को जानते हैं। यह 10 फीसदी से ऊपर चला गया है।

[हिन्दी]

83000 करोड़ हमारे वित्त मंत्री जी ने राज्यों को ऑफर किया है कि आपका 15 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का जो लोन है, उसका बोझ कम करो। इतना ही नहीं, एक्सटरनल फाइनेंस के संबंध में उन्होंने तीन लाख डॉलर का स्वैपिंग करने का प्रयत्न किया। इसी के साथ मैं एक और विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कांग्रेस के एक सदस्य ने प्रयत्न किया।

[अनुवाद]

उन्होंने लघु उद्योग के क्षेत्र में कतिपय टिप्पणियां की है। अब मैं एक बार फिर आर्थिक सर्वेक्षण को उद्धृत करना चाहूंगा :

> "वर्ष 1994-95 में लघु उद्योग के क्षेत्र में 25 लाख यूनिटें थीं और कुल 146 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2002-03 में यह घटकर 36 लाख रह गए।"

[हिन्दी]

यानी 1994-95 में जब कांग्रेस की विदाई हुई, वहां से लेकर आज तक दस लाख और अधिक स्मॉल स्केल सैक्टर यूनिट्स खड़े किये गये। इतना ही नहीं, एम्पलॉयमेंट 199 लाख हुआ है। इसके साथ मैं एक और विषय के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो गरीबी की बात करते हैं और गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, गरीबी हटाओं का नारा जिन्होंने दिया था, उनके क्या आंकडे थे। वही इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे लिए कोट किया गया और एक बहुत अच्छी संस्था ने प्रयत्न किया है।

[अनुवाद]

1973-74 में अनुमानत: 55 फीसदी गरीबी थी।

[हिन्दी]

यानी गरीब लोगों की संख्या कुल देश की जनसंख्या की 55 प्रतिशत थी, आज वह घटकर 23 प्रतिशत पर आ गई है।

हमारी कल्पना है कि 2007 तक उसे 19 प्रतिशत तक लाने का प्रयत्न करेंगे। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। गरीब चाहे दस प्रतिशत हों या एक प्रतिशत हो, हमें सबके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए और गरीबी दूर करने के लिए तथा रोजगार देने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी बात जरूर करें। मेरे पास रोजगार के भी आंकड़े हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के राज के ये आंकड़े कोट करूंगा।

[अनुवाद]

> "वर्ष 20000 में कुल रोजगार 187 मिलियन से बढ़कर 250 मिलियन हो गया है।"

[हिन्दी]

इस प्रकार का एक अच्छा बजट देश की जनता को देने का वित्त मंत्री जी ने प्रयत्न किया है। मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

एक चीज वैट के मामले में है।

[हिन्दी]

उस वैट के बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा था, वह सपना उनके समय में पूरा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था

[अनुवाद]

वैट एक प्रणाली है जिसे लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

लेकिन उन्होंने 1993-94 में जो सपना उन्होंने देखा था, वह पूरा नही कर पाए। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने यह पौजिटिव एटीट्यूट लोगों को देने का प्रयत्न किया और आश्वासन दिया कि हमें देश में वैट प्रणाली लागू करनी चाहिए।

[अनुवाद]

वैट और सर्विसेज दोनों दो चीजें हैं।

[हिन्दी]

हम जी०डी०पी० पांच प्रतिशत से अधिक कंट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। इसमें कुछ राज्यों को दिक्कत हो सकती है, उसको दूर किया जा सकता है

[अनुवाद]

किन्तु यह एक प्रणाली है।

[हिन्दी]

हम नए रिसोर्सेज कहां से लाएंगे। यह मैं इकोनामिक सर्वे से आंकड़े दिखा सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के शासन ने जब विदा ली तो तब से अब तक टोटल गवर्नमेंट रेवेन्य डबल हो गया है।

[अनुवाद]

किन्तु आठ प्रतिशत के विकास दर को पार करना पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

अगर आठ प्रतिशत जी०डी०पी० की ग्रोथ करनी है तो

[अनुवाद]

सर्विस सेक्टर और वैट दोनों दो परिकल्पनाएं हैं।

[हिन्दी]

उससे आधुनिकीकरण होगा, सरल होगा, लेकिन साथ मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने 1993-94 की स्पीच में कहा था –

[अनुवाद]

> "हमारे उत्पाद शुल्क को भी कम करके सरल बनाना होगा और दीर्घावधि लक्ष्य मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली की ओर बढ़ना होगा जैसाकि अधिकांश देशों में होता है। हालांकि, एक राष्ट्र व्यापी मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली को रातो रात लागू नहीं किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

कांग्रेस पार्टी जो 1993 से सपना देख रही थी, अगर कांग्रेस पार्टी का वह सपना मनमोहन सिंह जी पूरा नहीं कर सके, जसवंत सिंह जी ने उसे पूरा किया। हमें इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए और मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सपना देखना अच्छी बात है, उसी तरह मनमोहन सिंह जी भी सपना देख रहे थे, तो यह अच्छी बात है।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अगर मनमोहन सिंह जी ने 1993 में कुछ विचार रखे, वह अगर उनको पांच या दस साल में पूरा नहीं कर सके तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि दिल्ली में जो कांग्रेस शासित राज्य है या अन्य राज्यों में भी इसको लेकर विरोध है, मैं उन सभी से अपील करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

वे अपनी राज्य सरकारों से कहें कि वे 1 अप्रैल से वैट लागू करने के लिए आगे आएं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मेरे मित्र, सम्मेलन में सभी मुख्य मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई है। आपको पता होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : आपकी बात एकदम सही है। इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन बाद में दिल्ली की मुख्य मंत्री कहती हैं कि हम वैट लागू नहीं करेंगे। शायद और भी राज्य ऐसा कहते होंगे। हमें इसे राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। वैट अच्छी चीज है। मैं आपको सर्विस टैक्स के बारे मे उदाहरण देना चाहता हूं और केबल आपरेटर्स की बात करना चाहता हूं। मुम्बई में 20 लाख कनेक्शन हैं। इनसे सर्विस टैक्स ये आपरेटर इकट्ठा करते हैं, इंटरटेनमैंट टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के हिसाब से इंटरटेनमैंट टैक्स चार लाख सैंतालीस हजार भी भरते हैं और आपके सर्विस टैक्स विभाग में 47,000 कस्टमर हैं जो सर्विस टैक्स भरते हैं। इस तरह से जो आपकी प्रशासनिक मशीनरी है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, उसमें भी सुधार करना होगा। लोगों से सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन सरकारी खजाने में नहीं आता। उसके लिए क्या करना चाहिए, यह सोचना चाहिए। मैं हाउसिंग के बारे में कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सरकार को अपनी राय स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं बधाई दूंगा कि आपने स्पष्टत: से सदन में कहा था कि 1997 में सात हजार करोड़ रुपए हाउसिंग फाइनेंस में लगा था, जो अब बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए हो गया है।

उसके कारण स्टील इंडस्ट्री में अनेक वर्षों की मंदी के बावजूद भी 50 प्रतिशत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है और सीमेंट इंडस्ट्री में 10 प्रतिशत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है।

[अनुवाद]

यह उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा अंग है।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 लाख रुपये के प्रोजैक्ट्स तैयार किये हैं।

[अनुवाद]

हमें अपना मन स्पष्ट रूप से बना लेना चाहिए

[हिन्दी]

आज सामान्य व्यक्ति घर बनाने के लिए आपकी ओर देखता है। आपने टैक्स छूट दी है। वह 10-15 साल के लिए लोन लेता है लेकिन अगर दूसरे साल आपकी ओर से कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो वह हमसे प्रश्न पूछता है। मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति के लिए आपने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। डायरेक्ट टैक्स रैवेन्यू को बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी सुझाव दिये हैं कि

[अनुवाद]

आपको कोई अध्ययन दल नियुक्त करना होगा।

[हिन्दी]

भारत के अनेक कोरपोरेट्स अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग्स मॉरिशस बेस्ड इंवैस्टमेंट कंपनी के नाम शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको अनेक नाम दे सकता हूं। उसके कारण कोरपोरेट अंशदान यहां से शिफ्ट हो रहा है। इसके बारे में मॉरिशस सरकार ने 32 पेट का नोट सर्कुलेट किया था।

[अनुवाद]

आप अपनी प्रोमोटर कम्पनी को शिफ्ट करते हैं आप अपने मुख्यालय को शिफ्ट करते हैं। आप अपनी पंजीकृत कम्पनी को शिफ्ट करते हैं और हमें एक परसेन्ट टैक्स चार्ज करते हैं।

[हिन्दी]

इनके लिए मारिशस का रास्ता बंद होगा तो कोई और खुल जाएगा। इसलिए इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना होगा।

जो पे-चैनल्स हैं। यहां से तो एडवरटाइजमेंट रैवेन्यू ले जाते हैं लेकिन एक पैसा भी रैवेन्यू में अंशदान नहीं करते हैं। इस बात को मैं पिछले तीन सालों से लगातार कह रहा हूं।

[अनुवाद]

आपको एक अध्ययन दल नियुक्त करना होगा जो इसके विस्तार में जाकर पता लगाएगा।

[हिन्दी]

मैं साथ में सजेशन देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अगले एक महीने में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 80 बीलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने जा रहा है।

[हिन्दी]

उसके कारण रुपया भी पहली बार मजबूत हुआ है। लेकिन आपने जो सजेशन दिया है जो वर्ल्ड बैंक और बाकी के एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको आप प्रेस करने का काम जारी रखेंगे। मेरा कहना इतना ही है कि सोशल जिम्मेदारियों की ओर उनको और गति देनी चाहिए।

दो साल पहले गुजरात में भुकम्प आया था। मुम्बई के संस्थानों ने कच्छ के अनेक गांवों को एडॉप्ट किया था, लेकिन वहां पर जो अर्बन एरियाज हैं उनका जो रि-डैवलेपमेंट करना था, गुजरात सरकार ने उसका प्लॉन अभी चार महीने पहले मंजूर किया है। डोनेशन लोगों ने दिया है और आपने उनके लिए टैक्स कंसेशन एनाउंस किया था। लेकिन इस साल आपने उसको एक्सटेंशन नहीं दी है।

[अनुवाद]

क्या होगा?

[हिन्दी]

सरकार के पास पैसा पड़ा है। गुजरात सरकार ने टाऊन-प्लॉनिंग स्कीम की अभी मंजूरी दी है। लोगों का पोजीटिव-रैस्पोन्स देना बाकी है। मान्यवर, आप जब बजट चर्चा का समापन करें, तो उसमें इस परिस्थिति को स्पष्ट करें।

एक गलत-फहमी अखबारों में पैदा हो रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमें साकारात्मक सोचना होगा।

[हिन्दी]

खाने के तेल के बारे में, पामोलिव के बारे में तरह-तरह की गलत-फहमियां फैलाई जा रही हैं।

[अनुवाद]

आप केवल ब्रांड्ड तेल को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर चुके हैं।

[हिन्दी]

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोदरेज कंपनी का मूंगफली का ब्रांडेड तेल है जिसकी एक लीटर की कीमत 64 रुपये हैं। अगर गोदरेज का नाम निकाल देंगे तो वह आपको 54 रुपये में मिल जाएगा। वह ब्रांडेड आयल बड़ी कंपनियां बनाती हैं और उसके ऊपर एक प्रतिशत एक्साईज लागू होती है तो उसके बारे में ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्योंकि हमें अपना टैक्स ेट बढ़ाना होगा।

[हिन्दी]

मीडिया में एक कैम्पेन कुछ लोग चला रहे हैं। उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी को, आम जनता को, मध्यम वर्ग के लोगों को उससे नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सरकार का कैश मैनेंजमेंट

[हिन्दी]

अलग-अलग कमेटियों में जब हम बैठते हैं और क्योंकि मैं चार्टेड ऑडिटर हूं, उस नाते अनेक कोरपोरेशन मैंने देखें हैं। कैश आइडल पड़ा रहता है और दूसरी तरफ वे गवर्नमेंट की ओर से लोन दिखाते हैं।

[अनुवाद]

कैश इन हैण्ड और कैश ऐट बैंक लाखों में होते हैं।

[हिन्दी]

मैंने इसके बारे में पहले आपसे सुना था और मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अचानक मार्च के अंतिम सप्ताह में बैंक में कैश भरा जाता है, जब तक वह कैश-इन-हैन्ड रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि

[अनुवाद]

आप कुछ लोगों को यह देखने के लिए कहिए कि स्वायत्त निगम का वार्षिक व्यय 4 करोड़ रुपए का है।

[हिन्दी]

इसमें से दो करोड़ रुपया करन्ट एकाउन्ट में रहना चाहिए। मैं आपको अनेक कार्पोरेशन्स के नाम दे सकता हूं। मैं आपको एक और छोटा या उदाहरण देना चाहता हूं। पोस्टल सेविंग्स में 12 करोड़ इन्वैस्टर्स हैं। मैं जहां रहता हूं, वहां एक पोस्ट आफिस पिछले 40 साल से है, जहां पर 11 हजार मंथली इनकम एकाउन्ट्स हैं। हर महीने वहां पर लोग ब्याज लेने के लिए आते हैं। प्रतिदिन करीब-करीब 400 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जिनमें विधवायें होती है और सीनियर सीटिजन्स होते हैं, जो 80 से 90 मिनट तक खड़े रहते हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि इसको माइनाइज किया जाए। डी-मैट या एटीम आदि, जो कुछ भी कहना है, वह कर देना चाहिए। इससे दो चीजें होंगी। मैं डी-मैट को स्टडी किया है। अभी एन०एस०सी० पर 27 रुपए खर्च आता है, यदि इसे डी-मैट कर दिया जाता है, तो 7 रुपए कास्ट कम आएगी। साथ में जो छोटे इन्वैस्टर्स हैं, उनको फायदा होगा।

मैं आपके ध्यान में दो-तीन चीजें और ध्यान में लाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम टैक्सेबल सिस्टम को सुधाराना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने यह मुद्दा उठाया था। बैकवर्ड रीजन्स में विकास के लिए आप पैकेज डिक्लेयर करें। लेकिन इसमें मिसयूज होता है। गुजरात के लिए आपने पैकेज डिक्लेयर किया है। एक कम्पनी है, सिग्रेट एंड टुबेको, जिसको आपने निकाल दिया है। लेकिन सुना है कि नार्थ-ईस्ट में फोर्ड के नाम से वह कम्पनी फायदा उठा रही है। एक बार आपके पास से तीन करोड़ रुपया निकल गया, तो दो हजार करोड़ रुपए सालाना आपको खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार कुछ लोग पूरे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, लेकिन उस पर रोक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने देश को प्रगति के पथ पर लाने का प्रयत्न किया है। मैं पुन: वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अलग प्रकार का बजट जन भावनाओं को ध्यान में रखकर, आर्थिक गति बढ़ाने वाला बजट प्रस्तुत किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की सरकार इस प्रकार की पालिसीजं को अमल में लाएगी, तो हम 21वीं सदी में विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच जायेंगे। मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन और स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने बजट के जरिए देश के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। मैं जब बजट को देखता हूं तो

[रघुनाथ झा]

सभी वर्ग और क्षेत्र को जहां इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी में देखने से जब हमारा ध्यान किसानों की तरफ जाता है और खाद व डीजल में मूल्य वृद्धि और सब्सिडी में कमी तथा इससे होने वाले नुकसान पर जब नजर डालते हैं, तो लगता है कि वित्त मंत्री जी की निगाह से इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे ओझल हो गई।

महोदय, हम इस ख्यालात के हैं कि खाद फैक्ट्रियों को लूटने का मौका नहीं मिलना चाहिए और न ही इसका लाभ मिलना चाहिए। हम किसानों की भरपाई कैसे करेंगे, यह देखना होगा। इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो किसानों के बारे में जरूर कुछ न कुछ विचार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि आज देश में विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन है और इसका घोर अभाव बजट में देखने को मिल रहा है। आपको स्मरण होगा जब बिहार के बंटवारे से संबंधित पुनर्गठन बिल सदन में आया तो हम लोगों न उसका घोर विरोध किया। चर्चा के समय सरकार की ओर से माननीय उपप्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि बिहार की भरपाई की जाएगी और हम यह नहीं होने देंगे कि एक राज्य अमीर हो जाए और दूसरा राज्य गरीब हो जाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने बड़े-बड़े उद्योग धंधे थे, वे सभी झारखंड चले गए। झारखंड विकास करे, तरक्की करे, हमारा उसके साथ कोई कम्पीटिशन नहीं है लेकिन भारत सरकार को हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार हमारी तरफ आंखे मूंदे है। हम तर्कों और आंकड़ों के आधार पर ऐसी बात कह रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में नदियों के जोड़ने की बात कही है। वह एक अच्छी योजना है। जो इलाके पानी के बिना परेशान रहते हैं जिससे उनकी फसल को क्षति होती है, उन इलाकों में ऐसी योजना से लाभ होगा, यह एक खुशी की बात है लेकिन जो इलाके हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ से बरबाद होते हैं जिस में उत्तर बिहार, पूर्वी बंगाल, उत्तरी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं उनकी तरफ माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम मांग करेंगे कि नेपाल से आने वाली नदियों से होने वाले नुकसान का कोई स्थायी समाधान भारत सरकार को ढूंढना चाहिए। इस बारे में नेपाल सरकार से वार्ता करके कोई हल निकालना चाहिए। बिहार जैसे गरीब प्रदेश जो इनफ्रास्ट्रक्चर पैदा करते हैं या जो है, वे बाढ़ के कारण बिल्कुल बरबाद हो जाते हैं। हमारे यहां केवल कृषि बच गई है लेकिन वह भी बाढ़ के कारण फरक्का से लेकर बक्सर तक बरबाद हो जाती है। गंगा के दोनों तरफ की जमीन का प्रति वर्ष भयंकर रूप से कटाव होता है और दर्जनों गांव गंगा में विलीन हो जाते हैं। हमारी उपजाऊ जमीन गंगा में चली जाती है। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उसे बचा सके। हम माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसका सर्वेक्षण करा कर आर्थिक पैकेज राज्य सरकार को दिया जाए ताकि इससे लाभ हो सके। देश में 91 लाख हैक्टेयर जमीन इससे बरबाद होती है जिस में से 68 लाख हैक्टेयर जमीन बिहार में बाढ़ से बरबाद होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, कि नेपाल से आनी वाली नदियों का नियंत्रण करने का अधिकार न राज्य सरकार के पास है और न ही उसके बारे में वार्ता करने का अधिकार है। हमने सदन में और कमेटियों में इस सवाल को कई बार उठाया लेकिन हमें इसका कोई ठोस निदान नहीं मिल रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में बागवानी, फल-फूल के बारे में नई तकनीकों का ज़िक्र किया है। उत्तर बिहार के बहुत बड़े इलाके में केला, लीची, और आम तथा व्यापक ढंग से फल होते हैं लेकिन उसके प्रोसेसिंग का कोई इंतजाम नहीं है। करीब 40 प्रतिशत फल इससे बरबाद हो जाते हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि अगर कार्गो की कोई व्यवस्था हो जाए तो आसानी से पटड़ा से, गया से और मुजफ्फरपुर से इन फलों को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और उसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यह काम नही हो रहा है। मखाना की खेती बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में होती है। लीची की बहुत खेती होती है और इन चीजों में हमें नुकसान झेलना पड़ता है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। बिहार में वित्तीय संसाधनों का जो निवेश है, अगर देखेंगे तो उसका राष्ट्रीय औसत जहां 53.4 है, वहीं बिहार का बंटवारा हो जाने के बाद मात्र 20 रह गया है। हमारा क्रैडिट डिपॉजिट रेशियो जो बैंकों में है, उसमें भी बिहार के साथ न्याय नहीं होता है। बिहार के पैसे दूसरी जगह चले जाते हैं और बिहार में उसका निवेश नहीं होता है। उसी तरह से आपकी योजनाओ में बैंकों को जो सहयोग देना चाहिए, हम लोग भी जिला स्तर पर मीटिंगों में बैठते हैं, बैंकों का जो सहयोग होना चाहिए, वह सहयोग बैंकों को नहीं मिलता है। इसलिए इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, हमारे यहां शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी और चीनी उत्पादन में हम देश के दूसरे-तीसरे नंबर के राज्य थे लेकिन आज हमारा चीनी उद्योग समाप्त हो रहा है। हमारे यहां 32 शुगर फैक्ट्रियां थीं आजादी के समय — 29 उत्तर बिहार में और 3 दक्षिण बिहार में और आज लगभग छः-सात फैक्ट्री प्राइवेट क्षेत्र में चल रही हैं लेकिन उनका

भी रेट ऑफ रिकवरी कम है, उसमें अच्छा काम नहीं हो रहा है। विशेष पैकेज देकर जब देश के दूसरे राज्यों में चीनी उद्योग को सहायता दी गई तो बिहार उससे भी अछूता रह गया। हम माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि वहां की शुगर इंडस्ट्री का उद्धार करने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाए। बहुत सी शुगर फैक्ट्रियों में मजदूरों का बकाया बाकी है, किसानों का गन्ना मूल्य बिकी है और आज भी जो न्यूनतम प्राइस भारत सरकार ने तय किया और प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में घोषित किया, वह भी नहीं मिल रहा है। हम जिस क्षेत्र गोपालगंज से आते हैं, वहां सासामुरा, सिदवलिया शुगर फैक्ट्री है जिनमें किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो चार-पांच रुपया राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह भी नहीं मिल रहा है। जो न्यूनतम प्राइस घोषित किया, उसके बाद रिकवरी रेट के हिसाब से वह भी बढ़ता जाएगा मगर वह भी नहीं दे रहे हैं। किसानों की इस तरह की परेशानी आज है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार की जो आर्थिक स्थिति है और संसाधनों की जो कमी है, उसको देखते हुए बिहार के लिए जरूरी होगा कि राज्य सरकार पर जो केन्द्र सरकार का कर्ज़ है, उसको माफ करने पर विचार किया जाए। बिहार की हालत आज सचमुच खराब है। हम नहीं मानते हैं कि सारी केन्द्र सरकार की जवाबदेही है, राज्य सरकार भी इसमें जवाबदेह है। लेकिन आज दो कारणों से हमारी स्थिति जर्जर हो गई है। एक तरफ जो हमारा आमदनी वाला इलाका था, जहां कल-कारखाने थे, खदानें थी, वह सब झारखंड में चला गया और दूसरी ओर भी हमारी आमदनी होती है, हम खेती कर सकते थे, उसमें हर साल आने वाली बाढ़ से हमारा भयंकर नुकसान होता है। इससे सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, सारी चीजें चली जाती हैं। इसलिए राज्य सरकार की जो स्थिति और परिस्थिति है, उसमें वह किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिहार को भी, जो एक प्रकार से पिछड़ा राज्य है, विशेष पैकेज देने का काम किया जाए, उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और जो धरातल पर स्थिति है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। जो योजनाएं यहां से जा रही हैं, विशेषकर ग्रामीण विकास के मामले में, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन प्रदेशों में नहीं हो रहा है।

अभी प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना के बारे में तरह-तरह की अनेक बातें हर राज्य के अलग-अलग माननीय सदस्यों ने यहां कहीं, जिन्हें मैंने सुना, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है, वह मैं जानता हूं और उसे बताना चाहता हूं। इस योजना के अभी तक तीन फेज गुजर गए हैं। मेरा क्षेत्र झारखंड में आता है, मैं वहां के बारे में जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एक फेज भी पूरा नहीं हो पाया है। इसमें सबसे बड़ी खामी इस योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी की कमी है। वहां काम करने वाले, योजना को कार्यान्वित करने वाले लोगों की कमी है। जो जानकारी मुझे है उसके अनुसार मुझे बताया गया कि जिस एजेंसी के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है, वह नहीं है। इसी प्रकार से राज्य सरकार की अनेक योजनाएं हैं उन्हें भी क्रियान्वित करने वाली एजेंसी नहीं है। एजेंसी की कमी के कारण राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, दूसरी बात मुझे जो कहनी है, वह यह है कि कल ही प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का उत्तर देते हुए बताई कि संपूर्ण ग्रामोदय योजना के तहत अनाज भी मुहैया करा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यह अनाज वहां पहुंच रहा है या नहीं, इसको भी जानने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के गिरीडीह जिले में अनाज चला गया, यहां से आवंटित कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए रैक नहीं है और जिलाधीश तथा एफ०सी०आई० के अधिकारियों से कहा गया कि अनाज को लिफ्ट करो। उन्होंने लिख कर दिया कि अनाज ले जाने के लिए रैक ही उपलब्ध नहीं है। इस बात को तीन महीने हो गए। करीब तीन महीने से अनाज ले जाने के लिए रैक नहीं मिल रहा है। आपकी ओर से अच्छा प्रयास हो रहा है, लोगों को अनाज मिले, यह अच्छी बात है, लेकिन अनाज पहुंचाने के लिए रैक ही नहीं मिल रहा है और रैक उपलब्ध कराना रेलवे का काम है। इसलिए इस तरह भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, झारखंड के बारे में अभी रघुनाथ झा जी ने बहुत कहा कि वहां बहुत खनिज संपदा है, कल-कारखाने हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के मूल निवासी खेती पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड के सभी लोग कल-कारखानों में काम करते हैं। वहां खेती के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं होने के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिंचाई के लिए बड़े-बड़े और गहरे-गहरे कुएं बनाए जाएं। पठारी और पहाड़ी इलाकों में जगह-जगह चैक डैम बनाए जाएं और इस प्रकार से सरकार की ओर से किसानों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

महोदय, किसानों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि किसानों को बैंकों से ऋण मिलेगा लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि बैंक किसानों को ऋण नहीं देना चाहते हैं। हम लोग जिले में जाते हैं, हमें मालूम है किसानों की क्या स्थिति है और बैंकों के मैनेजर किस प्रकार से किसानों के साथ व्यवहार करते हैं और किस प्रकार से उन्हें ऋण देने से मना करते हैं। यह ठीक है कि किसान क्रैडिट कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब योजनाएं कागजों में हैं। किसानों को बैंकों से कोई सुविधा या ऋण नहीं मिलता है।

महोदय, नौजवानों की बात कही गई कि नौकरियां दे रहे हैं और 70 लाख या शायद 84 लाख का आंकड़ा बताया गया। प्रधान मंत्री रोजगार योजना चली थी। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जितना टारगैट रखा था, वह पूरा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस योजना में जो भी टारगैट रखा जाता है, वह पूरा नहीं किया जाता है। इन सब बातों पर केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जहां चर्चाएं बहुत होती हैं। अभी खाद और डीजल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही।

यहां जब भी सामान्य बजट पेश किया गया, निश्चित रूप से बजट में किसानों पर मार पड़ती रही है और इस बार भी वही हुआ। आपने डीजल का दाम बढ़ाया, किसान उससे प्रभावित होंगे। खाद पर जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं, उन्हें आप घटाइए।

महोदय, जहां तक फोरेस्ट की बात है। फोरेस्ट डिपार्टमंट से जितना पैसा जंगल लगाने के लिए जाता है वह टारगेट में होता है लेकिन एक साल के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। निश्चित रूप से इस तरफ आप ध्यान दें कि आप जो पैसा देते हैं उसका सही ढंग से उपयोग हो। जहां तक ऊर्जा और बिजली की बात है, आप देते हैं, आपक टारगेट है लेकिन बिजली लग नहीं पाती है। गांवों में उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। जितना उत्पादन करना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। किसान को निश्चित रूप से ठीक से बिजली मिलनी चहिए ताकि वह उत्पादन बढ़ा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को ऐसे उत्कृष्ट बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में मुख्य रूप से जोर 8% की विकास दर हासिल करने पर दिया गया है। अधिकांश लोग यह कह सकते हैं, कि जब आपने गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की केवल 4.4 फीसदी बढ़ोतरी हासिल की, तो अचानक आप कैसे अगले वर्ष में इस स्तर को 8% तक छू लेने की उम्मीद करते हैं? प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करने के लिए हमें अगले 10 वर्षों में लगातार 8% की विकास दर की आवश्यकता है।

महोदय, गत वर्ष हम 6% से अधिक की विकास दर हासिल कर सकते थे। किन्तु 12 वर्षों के बाद इन्द्र देव की कृपा भारत पर नहीं हुई जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में विकास दर 5.7% से घटकर 3.1% तक चली गई। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे में कोई सरकार किसी भी तरह से कुछ कर सकती थी, और कृषि की स्थिति में कोई सुधार ला सकती थी, वह भी तब, जब कि पूरे भारत में भयंकर सूखा पड़ गया हो। किन्तु बताई गई स्थिति में भी माननीय वित्त मंत्री ने बेहतर काम किया है।

दूसकी बात यह कि उन्होंने अत्यधिक ब्याज दर पर लिए गए तीन बिलियन डॉलर के कर्ज को उतार दिया है। ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है। यह राज्य सरकारों के साथ चलाई जाने वाली डेट स्वैप स्कीम है। यह राज्य सरकारों को उनके उच्च ब्याज दर वाले 81,000 करोड़ रुपए के ऋण को उतारने में मदद मिलेगी।

तीसरी बात यह कि उन्होंने मध्यम वर्ग का ध्यान रखा है। महोदय, मध्यम वर्ग अभी भी भारत की कुल आबादी, कुल मतदाताओं का लगभग एक तिहाई है और अगले दशक तक मध्यमवर्ग भारत की कुल आबादी का 45% तक पहुंच जाएगा। लगभग भारत की आधी आबादी मध्यम वर्ग की है। उनकी अपनी जीवन शैली है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। यह भारत के पुनरूत्थान का प्रतीक है। यह आर्थिक पुनरूत्थान है। इसका कारण है कि अब हम साइकिल वाले जमाने से, बैलगाड़ी वाले दिनों से कार, एअरकंडीशनर और रेफ्रीजरेटर के जमाने में आ पहुंचे हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 4.5 करोड़ घरों में केबल टीवी है; लगभग 6.6 करोड़ घरों में रेफ्रीजरेटर हैं।

ऐसे में यदि वित्त मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री – मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में नहीं रखता है, तो स्वाभाविक है कि वे निन्दा के पात्र होंगे। इसलिए, वित्त मंत्री ने उन मध्यम वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखा है जो इस देश के नीति निर्धारक हैं। कई लोग उनकी इस कारण से आलोचना करते हैं कि उन्होंने कारों, एअरकंडीशनरों आदि की लागत कम कर दी है। क्यों? क्या वित्त मंत्री अमीर लोगों या उन लोगों के हितों का ही ध्यान रख रहें हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां और एअरकंडीशनर है? आजकल सिर्फ अमीर लोगों के पास ही अपनी कारें और एयर कंडीनर्स नहीं हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के

पास भी ये सब हैं। आजकल में सब चीजें मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी हो गई हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना होगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कार से परोक्ष या अपरोक्ष रूप में दस लोगों को रोजगार मिलता है। कोई पर्यटक भारत आता है या किसी अन्य देश में जाता है, तो वह लगभग सात स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आज कल कार केवल अमीर लोगों की ही जरूरत है। कार न केवल उनकी जरूरत है, बल्कि यह गैरेज वालों के लिए भी आवश्यक है। यह पेट्रोल पम्प मालिक के लिए भी जरूरत है और चूंकि इसका अधिकांश समय में कमर्शियल वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इससे परोक्षा या अपरोक्ष रूप में कई लोगों को रोजगार मिलते हैं। इसलिए, कारों पर टैक्स और शुल्क करने में कहीं कोई गलती नहीं हुई है।

इस सरकार की आलोचना की जा रही है कि लघु बचत पर ब्याज दर एक फीसदी घटा दी गई है। कई लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग धन कमाते हैं और इसे रखते हैं जिससे कि यह धन उन्हें उनकी रिटायरमेंट की अवधि तक जीवित रखेगा और यह उनके आस्तित्व को बनाए रखेगा। ऐसा लोग कहते हैं।

किन्तु, वास्तविक रूप में रिटर्न क्या आता है उस पर गौर किया जाए। निश्चय ही, इसे वास्तविक रिटर्न ही कहा जाता है। यह ब्याज दर मुद्रा स्फीति से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। यदि आप इसपर विचार करेंगे और इसे मुद्रा स्फीति से समायोजित करेंगे, बचत के अधिकांश उपाय 6.3 फीसदी तक ही सिमटकर रह जाते हैं। यही दर 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में भी थी। 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में लघु बचत की ब्याज दर अधिक थी, तो उसी तरह मुद्रा स्फीति की दर भी अधिक थी। यदि आप ब्याज दर से मुद्रा स्फीति की दर को घटाएंगे, तो आप उसी आंकड़े पर पहुंचेंगे जिसे वास्तविक रिटर्न कहा जाता है।

वास्तविक प्रतिफल वास्तव में अधिक है फिर भी ऐसा लगता है कि इसे कम कर दिया गया है, लेकिन, वास्तव में इससे किसी व्यक्ति को अधिक ही मिलेगा। मैं माननीय वित्त मंत्रो जी को ऐसा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री प्रकाश परांजपे भारत और चीन के आंकड़ों की तुलना कर रहे थे, वह कह रहे थे कि चीन में यह ऋण दर है और भारत में यह, भारत में ऋण दर इतनी ऊंची क्यों है? इसका कारण यह है कि हम बैंक में पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को बहुत ऊंची ब्याज दर दे रहे हैं। जब तक आप इसे कम नहीं करते तब तक आप उद्योगपतियों को ऋण कम ऋण दर पर नहीं दे सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ किया उससे अन्तोगत्वा उद्योग का पुनरूद्धार होगा और इससे देश में रोजगार की सम्भावना भी बढ़ेगी। इसलिए, मैं तहेदिल से माननीय वित्त मंत्री को ऐसा करने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं।

उन्होंने शेयर बाजार को मजबूत बनाने की कोशिश की, उन्होंने लघु निवेशकों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की; उन्होंने उन निवेशकों को शेयर बाजार में वापस लाने की कोशिश की जिनका कि शेयर बाजार से विश्वास उठ गया था।

अब, लाभांश को कर-मुक्त किया गया है। सूचीबद्ध कम्पनियों के 28 फरवरी के बाद खरीदे गए शेयरों को दीर्घकालीन पूंजी लाभों में छूट दी जाएगी। अब म्यूचुअल फड्स निवेशकों के लिए एक बेजोड़ लक्ष्य होगा क्योंकि अब वे इस सात प्रतिशत कर मुक्त आय को अन्य योजनाओं में लगा सकते हैं, इसलिए, यही मूलभूत चीजें है जिनसे माननीय वित्त मंत्री उन लघु निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं जो कि शेयर बाजार से भाग रहे थे।

सामान्यत: भारत में मौद्रिक गतिविधियां ऋणोन्मुख है, यदि आप गांव में जाते हैं और किसी से कहते हैं कि उसके अपना पैसे का शेयर बाजार में निवेश किया है तो वह व्यक्ति कहेगा कि अमुक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, हमारे देश में शेयर बाजार, जुए का सामानार्थी है। प्रत्येक व्यक्ति गांव के शाहूकारों से ही ऋण लेता है। लेकिन अब और अधिक नकदी लाने, शेयर बाजार में गहरी पैठ के लिए देश को वित्त मंत्री को इस संबंध में उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए बधाई देनी चाहिए। मैं मंत्री जी का कर ढांचे को नया रूप देने के लिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने इसे सन्देह से भरी दबाव ग्रसित प्रणाली से विश्वास की नींव पर खड़े ग्रीन चैनल सिस्टम की ओर जाने का प्रयास किया है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में करानुपालन की लागत 48 प्रतिशत है। एक रुपया आयकर देने हेतु आपको 48 पैसें चार्टेड एकाउन्टेंट को परामर्श शुल्क के रूप में अलग से देने पड़ते हैं। श्री किरीट सोमैया चार्टेड एकाउंटेंट है और वह परामर्श शुल्क लेते हैं, इसी प्रकार से आपको कुछ अन्य ऐसी सूचना की आवश्यकता पड़ सकती है जिस के लिए आपको 48 पैसें देने पड़ सकते हैं। इसलिए जब आप एक रुपये कर का भुगतान करते हैं तो आप वास्तव में एक रुपये अठतालीस पैसे का भुगतान करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर प्रक्रिया पूर्णत: जटिल है। माननीय मंत्री जी ने कर भुगतान को सरल बनाने, कर अपवंचन को कठोर बनाने तथा कर दरों को कम रखने का प्रयास किया है। इससे, इस प्रकार से बाजार में मांग बढ़ेगी और करदाताओं का उत्पीड़न कम होगा। अब कर दाता अपने कर संबंधी विवरणियों को कम्प्यूटर का प्रयोग कर भी जमा कर सकते हैं। कर प्रक्रिया का सरलीकरण एक सबसे अच्छी चीज है जो कि भारत में भी किया गया है और मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

[श्री खारवेल स्वाइं]

मैं मूल्य वर्धित कर को आरंभ करने सी०एस०टी० का अन्तोगत्वा उन्मूलन और उत्पाद शुल्क तथा सेवा शुल्क को अतिरिक्त रूप से आरम्भ करने का समर्थन करता हूं। सरकार अब राज्यों की क्षतिपूर्ति करेगी। आरम्भ में कुछ राज्यों को इस बात की आशंका थी कि मूल्य वर्धित कर को आरम्भ करने से उन्हें बिक्री कर से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार घाटे के अन्तर का भुगतान करने के लिए तैयार है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे घाटा होगा, मूल्य वर्द्धित कर के अनुसार कर की समस्त भारत में एक दर होगी। क्या आप इसे नहीं चाहते? माना कि मैं कार खरीदना चाहता हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि उड़ीसा में बिक्री कर अधिक है और कोलकाता में कम तो मैं कोलकाता जाऊंगा और वहां से खरीद लूंगा। लेकिन अब मूल्य वर्द्धित कर को आरम्भ करने से आपको समस्त भारत में समान बिक्रीकर का भुगतान करना होगा। क्या यह भारत जैसे देश के लिए अच्छी प्रणाली नहीं है? क्या हमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरें रखनी चाहिए? मुझे प्रसन्नता है कि सभी मुख्यमंत्री राजी हो गए हैं। मैं उनका आभारी हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस संबंध में की गई पहल का पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि इसे जारी रहना चाहिए।

महोदय, स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदि 1 या 1.50 रुपये या 2 रुपये का भुगतान करके प्रत्येक व्यक्ति वर्षभर में अपने इलाज हेतु लगभग 30000 रुपये प्राप्त कर सकता है। हाल में सेवानिवृत व्यक्ति भी कुछ सरकारी योजनाओं से लगभग नौ प्रतिशत ब्याज प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही कुछ बातों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस कार्य को लोगों की भलाई के लिए किया है और उन लोगों के लिए किया है जो कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी पैंसन पर तथा अपनी जमा राशि के ब्याज पर निर्भर रहते हैं;

अब, मैं राजसहायता की बात करता हूं। गत वर्ष भारत में कुल राजसहायता 41,474.43 करोड़ रुपये थी, इस वर्ष, यह 48,636.23 करोड़ तक हो जाएगी तथा खाद्यान्न राजसहायता ही 30 प्रतिशत है। हम 30 प्रतिशत की खाद्यान्न राजसहायता उस समय दे रहे है जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम चावल और गेहूं जैसे खाद्यानों से भरे पड़े हैं। हम नहीं जानते कि इस चावल और गेहूं का क्या करना है। इसके बाद भी हम 30 प्रतिशत खाद्यान्न राजसहायता दे रहे हैं।

जहां तक उर्वरक राजसहायता का प्रश्न है हर जगह शोर हो रहा है कि यह किसान विरोधी सरकार है। यह कहा जाता है कि यह सरकार किसानों के खिलाफ है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि 48636 करोड़ की कुल राजसहायता में से 12,700 करोड़ रुपये की छोटी सी राजसहायता उर्वरकों से संबंधित है। इसे दिखावे के रूप में ही दिया गया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता किसको मिलनी चाहिए? क्या इसे पाने वाला किसान नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या किसानों को यह वास्तविक रूप से प्राप्त हो रही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक देश से उर्वरक आयात करते हैं। वे आपको उर्वरक 140 से 150 डालर प्रतिटन की लागत से देंगे। लेकिन भारत में मूल्यों में अन्तर हैं। यहां छह प्रकार की उर्वरक उत्पादक इकाइयां हैं। प्रत्येक कारखाने में उत्पादन लागत अलग-अलग है। इसमें 6000 रुपये से 12000 रुपये प्रति टन का अन्तर है और सरकार इसके लिए भुगतान कर रही है। हमें उर्वरक कंपनियों की अकुशलता हेतु भुगतान क्यों करना चाहिए? यह भी एक प्रश्न है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि यदि हम बाहर से उर्वरक आयात करते हैं तो इनमें से कई उर्वरक इकाइयां बंद हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि वे बंद हों। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्पादन लागत में एकता होनी चाहिए, मैं सरकार को इन उर्वरकों कारखानों को छह समूहों में बांटने हेतु बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से और धीरे-धीरे वर्ष 2004 में कुछ समय बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जहां लागत को समान रूप से निर्धारित कर दिया जाएगा। मुझे इस बारे में बड़ी खुशी हो रही है। मैं यह भी अपील करता हूं कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए 12700 करोड़ रुपये के भार का छोटा हिस्सा भी कृषि क्षेत्र पर डाल दिया जाए।

हम कृषि आय पर कोई कर नहीं लगाते हैं। कई लोग खेती नहीं करते लेकिन वे काफी मात्रा में धन को कृषि से होने वाली आय के रूप में दिखाते हैं। क्या उनसे कर नहीं लिया जाना चाहिए? इस देश में कई लोगों के पास फार्म हाउसेस हैं और वे दिखाते हैं कि कृषि क्षेत्र से काफी धन अर्जित किया गया है, उन्हें भी छूट मिल रही है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि यदि वे कृषक समूदाय और किसानों पर कर लगाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें उन गैर कृषकों पर कर लगाने के बारे में सोचना चाहिए जो कि कृषि के नाम पर काले धन को जायज धन में परिवर्तित कर रहे हैं।

इसलिए उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या भविष्य में इस क्षेत्र पर कर लगाना है या नहीं, महोदय, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने ऋणों का पुनर्गठन किया है। श्री किरीट सोमैया ने राज्यों के ऊपर चढ़े ऋण के संबंध में कई तथ्यों के बारे में बताया है ताकि राज्य अपने उच्च लागत वाले ऋणों का भुगतान कर सकें।

महोदय, अवसरंचना के बारे में भी एक मुद्दा पहले से ही उठाया गया है। मैं समझता हूं कि मात्र आर्थिक विकास से ही इस देश में समृद्धि आ सकती है और इससे ही रोजगार के सृजन में सहायता

मिलेगी। हम हमेशा कहते हैं कि गत वर्ष में कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। क्या कोई हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकता है? क्या यह सम्भव है? यदी आप विश्व के किसी भी स्थान को ले लें तो आप पायेंगे की अवसंरचना के निर्माण के वरास्ते ही देश का आर्थिक पुनरुद्धार होता रहा है। यदि हमारे पास आर्थिक विकास है तो रोजगार का सृजन स्वत: ही होगा और लोग अपने पावों पर खड़े हो जाएंगे। वे धन अर्जन का प्रयास करेंगे और उन्हें निजी कारखानों या सरकारी संस्थाओं में नौकरी नहीं मांगनी पड़ेगी। यही बात है जिसे सरकार ने करने की कोशिश की है।

महोदय, मैं दो तीन वाक्य विनिवेश के बारे में कहना चाहता हूं। कभी हम तीव्र गति से दौड़ते हैं तब लगता है कि हमें रूकना चाहिए। आज हम कहते हैं कि पूरे देश को ले जाना है क्योंकि राजनीतिक समुदाय को आगे बढ़ाना है। मैं पूर्णत: सहमत हूं। लेकिन तब क्या होगा यदि राजनीतिक समुदाय सहयोग करने से जानबूझकर इनकार कर दे।

सायं 06.57 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं क्या आप अगले पांच मिनट तक और बोलना चाहते हैं?

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय हमें अभी पांच से सात मिनट के समय की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अगले दिन बोलेंगे, आप तब बोलेंगे जब अगली बार वाद विवाद पुन आरम्भ होगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी लंच ऑवर के पश्चात इस सदन के अंदर जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों पर आरोप लगाए गए थे, उस पर सदन में चर्चा चल रही थी। मान्यवर, उस समय चर्चा के दौरान मुझे और एक माननीय सदस्य को इंगित करके आरोप लगाए गए, तो उससे मैं उत्तेजित हो गया। इससे यदि आपकी भावना को, सदन की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं। मेरा इरादा कतई पीठ के प्रति अनादर का भाव नहीं था। संसदीय लोकतंत्र के अंदर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के निराकरण के लिए हमने अपनी बात रखी थी और नियमों के अंतर्गत हम अपनी बात रखना चाहते थे। आप स्वयं जानते हैं कि यदि किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो नियमों के अनुसार प्रतिदिन सूचनाएं देते हैं। उन सूचनाओं के अंतर्गत ही आपसे अपनी बात रखने की हम अपेक्षा करते हैं। उस समय भी जो हमने अपनी बात रखी थी, उस कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत ही अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ माननीय सदस्य, जिन्होंने अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव का या किसी तरह का नोटिस नहीं दिया था, वे बोल रहे थे। उनके बोलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रवोक किया, उससे मैं उत्तेजित हुआ। यदि इससे सदन या किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात है, आपने जो कुछ किया इसके लिए आपने जो निवेदन किया है, वह मैं स्वीकृत करता हूं। लेकिन फिर कभी ऐसी बात नहीं हो, इसके ऊपर ध्यान देना होगा।

[अनुवाद]

अब सभा कल पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 मार्च 2003/16 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।